APRIL 2022

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

Sri Lanka:
Trouble in Paradise

Withdrawal of
AFSPA

Economics of
Oil Bonds

Decarbonising Indian
Agriculture

Russia's gamble with
Gas Supplies

हिंदी

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

Gurukul Foundation

(For Freshers)
Above & Beyond Regular Coaching

Gurukul Advanced

A Rigorous & Intensive Test
& Mentorship based Program

विषय वस्तु

राज्यव्यवस्था एवं शासन

- वन्नियार कोटा (Vanniyar quota)
- CBI और ED
- बेंचों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व (Women Representation on Benches)
- बेलागवी पर विवाद (The dispute over Belagavi)
- आपराधिक प्रक्रिया विधेयक
- मुल्लापेरियार बांध पर्यवेक्षी समिति
- भारतीय नर्सिंग परिषद (Indian Nursing Council)
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र
- पीएम-दक्ष योजना (PM-DAKSH Yojana)
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
- भारतीय यातायात परिदृश्य के लिए स्वदेशी बुद्धिमान परिवहन प्रणाली (ITS) समाधान
- पदोन्नति में कोटा (Quota in Promotions)
- नागालैंड में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण
- महाराष्ट्र धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित करेगा
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: 24 अप्रैल
- ओल्गा टेलिस निर्णय (The Olga Tellis judgment)
- 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत प्रमुख रक्षा परियोजनाएं

अर्थव्यवस्था

- आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति
- ऋण डिफ़ॉल्ट (Debt default)
- खुदरा महंगाई दर 7% के करीब
- साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स: आगे की एक नई राह
- कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम
- पश्चिम बंगाल की जूट मिलें
- भारत में अर्धचालकों की खपत
- भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू हुआ
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 'फिनक्लुवेशन' लॉन्च किया
- दक्षिणी ध्रुव पर भारत के परिचालन अनुसंधान केंद्र
- MSME सस्टेनेबल (ZED) प्रमाणन योजना

पर्यावरण

- इरावदी डॉल्फ़िन
- ओलिव रिडले कछुए
- जलवायु परिवर्तन के शमन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट (IPCC report on Mitigation of Climate Change)
- हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना
- भारतीय टेंट कछुए (Indian Tent Turtles)
- कार्बन कैप्चर और उपयोग
- सौर क्षमता लक्ष्य (Solar capacity target)
- बंगाल मॉनिटर छिपकली
- संसदीय पैनल ने मानव-पशु संघर्ष को संबोधित करने के लिए सलाहकार निकाय का गठन किया
- पृथ्वी दिवस: 22 अप्रैल
- मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हीटवेव्स

भूगोल और समाचारों में स्थान

- खजुराहो

इतिहास और संस्कृति

- बाबू जगजीवन राम
- चंद्रशेखर आजाद
- श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व (1621-1675)

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- ट्विटर ने अपनाया 'जहर की गोली' (Twitter adopts ‘poison pill’)
- बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन धूमकेतु
- क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए)
- पश्चिम अफ्रीका अपने सबसे खराब खाद्य संकट का सामना कर रहा है
- 'मोस्कवा' और काला सागर का नुकसान (Loss of the ‘Moskva’ & Black Sea)
- यमन के हूती विद्रोही बाल सैनिकों का इस्तेमाल बंद करने पर सहमत
- चीन ने पिछले महीने सोलोमन द्वीपसमूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए
- रायसीना डायलॉग 2022 (Raisina Dialogue 2022)
- भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष

विविध

- परजीवी ततैया का नया वंश (जीनस)
- मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम (MANPADS)
- DIKSHA वेबसाइट
- नई रोशनी योजना

- नया सवेरा: अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना
- पारिवारिक वानिकी की अवधारणा (Concept of Familial Forestry)
- MH-60R हेलीकॉप्टर
- विश्व होम्योपैथी दिवस
- नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज
- व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (White Spot Syndrome Virus)
- विश्व का सबसे ऊँचा पक्षी
- शून्य छाया दिवस (जीरो शैडो डे)
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022

मुख्य फोकस (MAINS)

राज्यव्यवस्था और शासन

- असम-मेघालय सीमा विवाद समाधान
- पूर्वोत्तर के प्रमुख हिस्सों से AFSPA को वापस लेना
- 'चंडीगढ़ सवाल' (The 'Chandigarh question')
- मृत्यु दंड (Death Penalty)
- पंजाब-हरियाणा जल विवाद (Punjab-Haryana Water Dispute)
- चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds)
- आपराधिक न्याय में अंतराल को बंद करना (Closing the gaps in Criminal Justice)
- CAG द्वारा UIDAI ऑडिट
- देखभाल कार्य और देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Work and Care Economy)
- मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील)
- अरुणाचल-असम सीमा विवाद
- फोन टैप करने पर कानून (Laws on Tapping Phone)
- संघवाद: हवाई अड्डों से राजस्व हिस्सेदारी (Federalism: Revenue Share from Airports)
- राज्यों बनाम केंद्र के बीच ईंधन घर्षण (Fuel Friction between States vs Centre)

अर्थव्यवस्था

- त्वरित भुगतान के लिए एनएफसी प्रौद्योगिकी
- HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड का विलय
- बाजरा: खाद्य और जल सुरक्षा का मुकाबला करने के लिए सुपर फूड (Millet: The super food for combating food and water security)
- भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग
- भारत का तेल आयात: विविधीकरण में रुझान (India's oil imports: Trends in diversification)
- एटीएम से कार्डलेस नकद निकासी

- 2022 में चौथाई अरब लोग अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं क्योंकि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं: ऑक्सफैम (Quarter-billion people face extreme poverty in 2022 as the rich get richer: Oxfam)
- ऑयल बांड का अर्थशास्त्र (Economics of Oil Bonds)
- भारत और गेहूं निर्यात
- ग्रामीण भारत में मुद्रास्फीति
- भारत की बिजली संकट: एक वार्षिक मामला (India's Power Crisis: An annual affair)
- डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU)
- MCLR वृद्धि प्रभाव
- बैटरी स्वैपिंग नीति
- ज़हर की गोली और अन्य कॉर्पोरेट रक्षा तंत्र (Poison Pill and other corporate defence mechanisms)

पर्यावरण

- भारतीय कृषि को कार्बन मुक्त करना
- भारत को अपने पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए एक विशेष कानून क्यों बनाना चाहिए?
- भारत का सोलर पॉवर एनर्जी लक्ष्य
- कृषि और जलवायु अनुकूलन
- जलवायु परिवर्तन और कार्बन मूल्य निर्धारण

इतिहास

- जलियांवाला बाग
- महावीर जयंती
- डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- ट्राई की स्पेक्ट्रम सिफारिशें (TRAI's spectrum recommendations)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- कोलंबो शिखर सम्मेलन के बाद बिम्सटेक (BIMSTEC after the Colombo summit)
- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
- इंडोनेशिया का पाम ऑयल संकट
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से मास्को का निलंबन (Moscow's suspension from U.N. Human Rights Council)
- श्रीलंका में आर्थिक संकट
- भारत और यूके: एक नई विरासत का निर्माण
- सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम (Weapons of Mass Destruction Act)
- नेपाल की विदेशी मुद्रा चुनौतियां
- यू.के.- रवांडा शरण योजना (U.K.-Rwanda asylum plan)
- कुरील द्वीप विवाद: रूस और जापान
- यूरोपीय संघ डिजिटल सेवा अधिनियम
- गैस आपूर्ति के साथ रूस (Russia's gamble with Gas Supplies)

प्रैक्टिस MCQs

उत्तर कुंजी

वन्नियार कोटा (Vanniyar quota)	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5 % आंतरिक समानता, गैर-भेदभाव और तमिलनाडु में 115 अन्य अति पिछड़े समुदायों (MBCs) तथा विमुक्त समुदायों (DNCs) के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। **वन्नियार आंदोलन क्या है?** • वन्नियार तमिलनाडु में सबसे बड़े और सबसे समेकित पिछड़े समुदायों में से एक है। • उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में राज्य में 20% आरक्षण और केंद्रीय सेवाओं में 2% की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। • 17 से 23 सितंबर, 1987 तक आंदोलन के दौरान कई प्रदर्शनकारी मारे गए। • ओबीसी कोटा का विभाजन: 1989 में, ओबीसी कोटा दो भागों में विभाजित किया गया था: पिछड़ी जाति और सबसे पिछड़ी जाति। • वन्नियारों को 107 अन्य समुदायों में 20% आरक्षण के साथ अति पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत किया गया था। • तीन दशक बाद, राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित किया, और वर्तमान सरकार ने इसे 20% एमबीसी कोटे के भीतर वन्नियारों के लिए 10.5% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले सरकारी आदेश के साथ लागू किया है।
CBI और ED	**संदर्भ:** भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने हाल ही में कहा था कि एक ऐसे संस्थान की तत्काल आवश्यकता है, जो सीबीआई, एसएफआईओ, ईडी जैसी विभिन्न एजेंसियों को एक छत के नीचे लाया जा सके। इस निकाय को एक कानून के तहत बनाया जाना आवश्यक है। • उन्होंने कहा कि संगठन का नेतृत्व एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। • उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि समय बीतने के साथ, हर दूसरे प्रतिष्ठित संस्थान की तरह, सीबीआई भी गहरी सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गई है। इसके कार्यों और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। **केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बारे में** • सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है • **मंत्रालय:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय • **भूमिका:** यह मूल रूप से रिश्वतखोरी और सरकारी भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित किया गया था। वर्ष 1965 में, इसे भारत सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध, बहु-एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच के लिए विस्तारित क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ। • सीबीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। • सीबीआई इंटरपोल के साथ संपर्क के लिए भारत का आधिकारिक रूप से नामित सिंगल संपर्क बिंदु है। • **सीबीआई मुख्यालय:** नई दिल्ली **प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बारे में** • यह एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने एवं आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। • **मंत्रालय:** राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय • इसका मुख्य उद्देश्य दो प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है: ○ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA)

	○ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA) • **मुख्यालय:** नई दिल्ली • **इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय:** मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली के प्रमुख प्रवर्तन के विशेष निदेशक हैं।
बेंचों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व (Women Representation on Benches)	**संदर्भ:** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करती है। • कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिलाओं / अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों को सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से न्यायपालिका पर है। • सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती जिसकी अनुशंसा उच्च न्यायालय कॉलेजियम/सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नहीं की गई हो। • हालांकि, सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति के उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित ध्यान दिया जाए। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं है। 01.01.2021 से 30.03.2022 तक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 39 महिलाओं की सिफारिश की है, जिनमें से 27 महिलाओं की नियुक्ति की गई और शेष 12 मामले प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं। पृष्ठभूमि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास (sexual orientation), सबरीमाला मंदिर में प्रवेश और व्यभिचार पर उल्लेखनीय निर्णय दिए हैं। लेकिन भारतीय न्यायपालिका की वास्तविक प्रगति को उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या से मापा जाना चाहिए। • आजादी के बाद से, भारत में एक महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल रही है लेकिन कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। • पहली महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, और छह पुरुष न्यायाधीशों में से पहली महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, को पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त करने में 68 वर्ष लग गए। • वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में तीन महिला न्यायाधीशों के बैठने के बावजूद, निकट भविष्य में हमारे पास पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने की कोई संभावना नहीं है। **इससे क्या फर्क पड़ता है?** • लैंगिक विविधता वाली बेंच पूर्वाग्रह मुक्त न्यायपालिका को दर्शाती है। कई अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि तीन-न्यायाधीशों के पैनल में एक भी महिला होने से लिंग भेदभाव के मामलों में पूरे पैनल के निर्णय लेने पर प्रभाव पड़ता है। • महिला न्यायाधीश होने से अधिक महिलाओं को कानून व्यवस्था से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे दैनिक आधार पर होने वाली हिंसा और अपराधों की रिपोर्ट कर सकें। • विविध पृष्ठभूमि से महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति निर्णय लेने की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन लाएगी। अध्ययन से साबित होता हैं कि व्यक्तिगत मूल्य, अनुभव और कई अन्य गैर-

	कानूनी कारक न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। • यदि न्यायपालिका में महिलाएं पुरुषों के समान पृष्ठभूमि से आती हैं, जो मुख्यधारा के विचारों और विश्वासों को धारण करती हैं, तो लिंग विविधता का बहुत कम या कोई भुगतान नहीं होता है। इसके अलावा, न्यायिक बेंच जितनी अधिक सामाजिक रूप से विविध होती हैं, न्यायपालिका उतनी ही मजबूत होती है। इससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ेगा और न्याय तक पहुंच बढ़ेगी। **क्या आगे कोई रास्ता है?** • इस तथ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ कि वे हाशिए के समूहों से आती हैं, पर्याप्त संख्या में संभावित महिला उम्मीदवारों के लिए एक प्रभावी सकारात्मक कार्य योजना की आवश्यकता है। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम की कसौटी पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। • महिला वकीलों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए एक विशेष विविधता कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है, लॉ (Law) लेने वाली महिला छात्रों की संख्या बढ़ सकती है लेकिन उन्हें पेशे में बने रहने हेतु प्रेरित करने के लिए महिला न्यायाधीश नहीं होंगी। • निचली न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों में महिला न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए और सभी उच्च न्यायालयों द्वारा वर्ष-वार (year-wise) वरिष्ठ पदनामितों की संख्या निर्धारित करने के लिए डेटा का संग्रह शुरू किया जाना चाहिए। • कुछ लॉ (Law) स्कूलों में विषय या तो विशेषज्ञता के रूप में या वैकल्पिक के रूप में होता है। समान रूप से, अखिल भारतीय बार परीक्षा में लिंग संवेदीकरण से संबंधित एक भी प्रश्न या खंड नहीं होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस संबंध में आवश्यक कदम उठा सकती है। • जिला न्यायाधीश के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु को हटाने से युवा महिला अधिवक्ताओं को अन्य सेवाओं या कॉर्पोरेट नौकरियों के पक्ष में अभ्यास से बाहर होने में मदद मिल सकती है। सरकारों को निचली न्यायपालिका के वेतन और भत्तों को भी युक्तिसंगत बनाना चाहिए। ***बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर ने कहा था, "मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं की प्रगति की डिग्री से मापता हूं"।*** **नोट:** संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 75/274 ने 10 मार्च को 2021 में महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस नामित किया।
बेलागवी पर विवाद (The dispute over Belagavi)	**संदर्भ:** सीमावर्ती शहर बेलागवी कर्नाटक का एक हिस्सा रहा है क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत भाषाई आधार पर सीमाओं का सीमांकन किया गया था। लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच अंतर-राज्य सीमा विवाद हर बार सामने आ जाता है। • हाल के उदाहरण में, कुछ कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने 'महा मेलावा (Maha Melava)' रैली के दौरान महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) के एक नेता का चेहरा काला कर दिया, यह एक मराठी संगठन है, जिसका गठन बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग के लिए किया गया था। • यह रैली 13 दिसंबर, 2021 को बेलागवी में कर्नाटक के विधानमंडल सत्र के पहले दिन के साथ हुई। • इसके बदले में, कुछ मराठी संगठनों ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कन्नड़ झंडा जलाया। कन्नड़ संगठनों और राज्य सरकार कर्नाटक द्वारा इसकी व्यापक रूप से निंदा की। • इस हिसाब को चुकता करने के लिए, कुछ कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी की एक मूर्ति पर स्याही डाली। एमईएस कार्यकर्ताओं ने तब बेलगावी में कर्नाटक के 19वीं सदी के प्रतीक संगोली रायन्ना की एक प्रतिमा को तोड़ दिया, जो अंग्रेजों से लड़े थे। **क्या हैं दोनों राज्यों के दावे?** • वर्ष 1957 में, सीमाओं के सीमांकन से नाराज, महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के

	पुनर्सरेखण की मांग की।
	• इसने अधिनियम की धारा 21(2) (b) को लागू किया, और कर्नाटक में शामिल मराठी भाषी क्षेत्रों पर अपनी आपत्ति बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक याचिका प्रस्तुत की।
	• आजादी से पहले महाराष्ट्र ने 814 गांवों और बेलगावी, कारवार और निप्पनी की तीन शहरी बस्तियों का दावा किया, जो मुंबई प्रेसीडेंसी के सभी हिस्से थे।
	• बेलगावी पर दावा पेश करते हुए महाराष्ट्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका अभी लंबित है।
	• कर्नाटक ने लगातार यह तर्क दिया है कि बेलगावी को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल करना विवाद से परे है। इसने अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए अधिनियम और बाद में महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषाई आधार पर किए गए सीमांकन का रिपोर्ट दिया।
	• कर्नाटक ने कोल्हापुर, शोलापुर और सांगली जिलों (महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाले) के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के रूप में शामिल करने का तर्क दिया है।
	• वर्ष 2006 से कर्नाटक ने बेलगावी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आयोजित करना शुरू किया। यह अपने दावे को फिर से स्थापित करने के लिए, बेंगलुरु में विधान सौध (Vidhana Soudha) की तर्ज पर जिला मुख्यालय में एक विशाल सचिवालय भवन का निर्माण किया।
	• वर्ष 1960 में, दोनों राज्यों द्वारा एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। यह समिति एक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाई और संबंधित प्रतिनिधियों ने अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। बाद के दशकों में, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कई बार मुलाकात की लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
	महाजन आयोग की शर्तें क्या थीं?
	• वर्ष 1966 में, महाराष्ट्र के आग्रह पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1967 के आम चुनावों से कुछ महीने पहले महाजन आयोग (मेहर चंद महाजन, भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश) की स्थापना की और इसकी रिपोर्ट चुनावों के बाद जारी की गई।
	• इसने सिफारिश की कि 264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया जाए और बेलगाम एवं 247 गांवों को कर्नाटक के साथ रखा जाए।
	• महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जबकि कर्नाटक ने इसका स्वागत किया। कर्नाटक ने तर्क दिया कि या तो महाजन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए या यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए।
	• बाद के दशकों में, बेलागवी जनसांख्यिकीय और आर्थिक मोर्चों पर महत्वपूर्ण रूप से बदल गया है।
	  ○ मध्यवर्गीय मुख्य क्षेत्र और शहर का परिवेश मुख्यतः कन्नड़ भाषी लोग हैं।
	  ○ लेकिन बेलगावी और उसके आसपास अच्छी संख्या में लोग मराठी और कन्नड़ दोनों बोलते हैं। दो भाषाई समूहों के बीच अंतरसामुदायिक विवाह मौजूद हैं।
	विवाद को लेकर क्या राजनीति रही है?
	• राज्यों के गठन के हाल के दशकों में, कोई भी राष्ट्रीय दल, विशेष रूप से कांग्रेस जिसका दोनों राज्यों में सामाजिक आधार है, जोखिम लेने और विवाद का समाधान करने के लिए तैयार नहीं था। इसने एमईएस को महाराष्ट्र में बेलागवी को शामिल करने के लिए एक ही एजेंडे के साथ अपनी लड़ाई को बनाए रखने में मदद की।
	• एमईएस समर्थित उम्मीदवार, जो 1957 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद से जिले में एक या एक से अधिक सीटें जीत रहे हैं, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में हार गए।
	• वर्ष 2023 में जैसे ही एक और चुनाव नजदीक आ रहा है, एमईएस अपने राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक है।

	• संघर्ष के नवीनीकरण का एक कारण वर्ष 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री से आया जब उन्होंने राज्य सरकार की सेवा में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कन्नड़ भाषा की परीक्षा अनिवार्य कर दी। • भाषाई अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली रियायत के रुकने से दो भाषायी समूहों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। बाद में सीएम को मराठी नेताओं को आश्वस्त करना पड़ा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा में कन्नड़ को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। • विवाद सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जोरदार गूंजता है। उदाहरण के लिए, दो साहित्य सम्मेलन - 73 वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन (ABMSS) और 70 वां अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन क्रमशः वर्ष 2000 और 2003 में बेलगावी में आयोजित किए गए थे। o दोनों घटनाओं ने अन्यथा एक मौन मुद्दे (muted issue) को फिर से खोलने के लिए आधार तैयार किया। o प्रसिद्ध विद्वान वाई.डी. 73वें एबीएमएसएस के अध्यक्ष फड़के ने दर्शकों को बेलागवी को महाराष्ट्र में शामिल करने के अधूरे एजेंडे की याद दिलाई, जबकि प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक और पत्रकार पाटिल पुट्टप्पा, जिन्होंने 70वीं कन्नड़ साहित्यिक बैठक की अध्यक्षता की, ने कहा कि यह शहर कर्नाटक का हिस्सा बना रहेगा।
आपराधिक प्रक्रिया विधेयक	**संदर्भ:** हाल ही में लोकसभा ने ध्वनि मत से आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 पारित किया। **अन्य संबंधित तथ्य** 1. यह कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है। 2. यह दोषी, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों के संग्रह, भंडारण और विश्लेषण की अनुमति देता है। 3. इस विधेयक पर बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों ने डेटा संरक्षण, प्रस्तावित कानून के संभावित दुरुपयोग, नागरिक के निजता के अधिकार के उल्लंघन और अन्य मौलिक अधिकारों के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। o विपक्षी सदस्यों में से एक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 20 (3) और 21 का उल्लंघन कर रहा है। o नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर इसके निहितार्थ बहुत बड़े थे और इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
मुल्लापेरियार बांध पर्यवेक्षी समिति	**संदर्भ :** केंद्र ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को मुल्लापेरियार बांध पर्यवेक्षी समिति को एक साल तक जारी रखने का सुझाव दिया, तब तक नए बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण पूरी तरह कार्यात्मक हो जाएगा। **अन्य संबंधित तथ्य** • तमिलनाडु और केरल के बीच मुल्लापेरियार बांध पर लंबी और कड़वी कानूनी लड़ाई को समाप्त करने के लिए वर्ष 2021 का बांध सुरक्षा अधिनियम रामबाण के रूप में आया है। • वर्ष 2021 का अधिनियम बांधों के कारण होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए व्यापक रूप से निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। • इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम नीतियों को विकसित करने के लिए दो विशेष निकायों, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना को अनिवार्य किया है। **पृष्ठभूमि** • मुल्लापेरियार बांध से संबंधित सभी मुद्दों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में एक स्थायी पर्यवेक्षी समिति का गठन किया। यह बांध तमिलनाडु और केरल के बीच घर्षण

	(friction) का एक स्रोत है। **मुद्दा क्या है?** • केरल के अनुसार इसका जल स्तर 139 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसा कि अदालत ने 24 अगस्त, 2018 को आदेश दिया था, जब राज्य बाढ़ की चपेट में था। • ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बांध में जलस्तर बढ़ा तो 50 लाख लोगों की जान को खतरा होगा। • हालांकि, तमिलनाडु ने वर्ष 2006 और 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए इस फैसले पर आपत्ति जताई, जिसमें अधिकतम जल स्तर 142 फीट तय किया गया था। **मुल्लापेरियार डैम** • यह मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बना एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। • हालांकि बांध केरल में स्थित है, यह तमिलनाडु द्वारा 999 वर्षों (पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट) के लिए 1886 लीज इंडेंट के बाद संचालित किया जाता है, जिस पर त्रावणकोर के महाराजा और पेरियार सिंचाई कार्यों के लिए भारत के राज्य सचिव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। • इसका निर्माण वर्ष 1887 और 1895 के बीच हुआ था। • इसने नदी को अरब सागर के बजाय बंगाल की खाड़ी की ओर बहने के लिए पुनर्निर्देशित किया और मद्रास प्रेसीडेंसी में मदुरै के शुष्क वर्षा क्षेत्र को जल प्रदान किया। **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण** • पिछले साल 8 दिसंबर को संसद द्वारा पारित बांध सुरक्षा अधिनियम में कहा गया है कि एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण राज्य-स्तरीय बांध सुरक्षा संगठनों और बांधों के मालिकों के साथ सुरक्षा से संबंधित डेटा एवं प्रथाओं के मानकीकरण के लिए सहयोग करेगा। • प्राधिकरण का नेतृत्व एक अध्यक्ष करेगा और इसकी पांच शाखाओं का नेतृत्व करने के लिए पांच सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी: o नीति और अनुसंधान o तकनीकी o विनियमन o आपदा o लचीलापन और प्रशासन और वित्त • इस प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा और चार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्थित होगा। • केंद्र ने बांध सुरक्षा पर 22 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे। • इस प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या राज्य बांध सुरक्षा संगठन एवं उस राज्य में एक निर्दिष्ट बांध के किसी भी मालिक के बीच अधिसूचना के अनुसार किसी भी मुद्दे को हल करना है।
भारतीय नर्सिंग परिषद (Indian Nursing Council)	**संदर्भ:** हाल ही में भारतीय नर्सिंग परिषद ने बीएससी द्वितीय वर्ष के लिए समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक में "अपमानजनक सामग्री" की निंदा की। नर्सिंग छात्र "दहेज प्रणाली के गुण और लाभ" को सूचीबद्ध करते हैं। **भारतीय नर्सिंग परिषद** • भारतीय नर्सिंग परिषद भारत में नर्सों और इनकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है। • यह भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के तहत गठित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। **इसके कार्य:** • भारत में नर्सिंग योग्यता की मान्यता • कोई नर्सिंग योग्यता प्रदान करना

	• भारतीय परिचर्या परिषद के पास अध्ययन और प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति है • प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त किसी संस्थान का निरीक्षण करना • मान्यता वापस लेना • विनियम बनाने की शक्ति
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022	**संदर्भ:** हाल ही में लोकसभा ने सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 को ध्वनि मत से पारित किया। • सामूहिक विनाश के हथियार जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियार हैं। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है। ○ वर्ष 2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों (जैसे निर्माण, परिवहन, या हस्तांतरण) को प्रतिबंधित करता है। • वर्तमान विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्तपोषण से प्रतिबंधित करता है। • व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण से रोकने के लिए, केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय संपत्ति, या आर्थिक संसाधनों (चाहे स्वामित्व, धारित, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित) को फ्रीज, जब्त या संलग्न कर सकती है। • यह व्यक्तियों को किसी भी निषिद्ध गतिविधि के संबंध में अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने से भी रोक सकता है।
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र	**संदर्भ:** भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution-ADR) तंत्र के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जो न्यायिक परिदृश्य को बदल सकता है, लाखों लोगों को न्याय दिला सकता है और लंबी कानूनी कार्यवाही के बिना शिकायतों का निपटारा कर सकता है। **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र** • एडीआर विवाद समाधान का एक तंत्र है जो गैर-प्रतिकूल है अर्थात सभी के लिए सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचने के लिए एक साथ मिलकर काम करता है। • एडीआर अदालतों पर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में सहायक हो सकता है, जबकि इसमें शामिल पक्षों के लिए एक पूर्ण और संतोषजनक अनुभव प्रदान किया जा सकता है। • एडीआर को आम तौर पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: ○ **पंचनिर्णय (Arbitration) :** विवाद एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है जो विवाद पर एक निर्णय ("पुरस्कार") करता है जो ज्यादातर पार्टियों पर बाध्यकारी होता है। ○ **सुलह:** एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया जिसमें एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष, सुलहकर्ता, विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुँचने में पक्षों की सहायता करता है। ○ **मध्यस्थता:** मध्यस्थता में, एक निष्पक्ष व्यक्ति जिसे "मध्यस्थ" कहा जाता है, पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। ○ **बातचीत (Negotiation) :** एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया जिसमें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना पक्षों के बीच चर्चा शुरू की जाती है, ताकि विवाद का बातचीत से निपटारा हो सके।
पीएम-दक्ष योजना (PM-	**संदर्भ:** सरकार ने कहा है कि पीएम दक्षता एवं कुशलता सम्पन्न हितग्राही योजना, पीएम-दक्ष योजना के

DAKSH Yojana)	तहत पांच वर्षों में लगभग 2,71,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। • वर्ष 2020-21 में, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कौशल विकास के लिए सहायता की मौजूदा योजना को अनुसूचित जाति और स्वच्छता श्रमिकों को शामिल करते हुए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर पीएम- दक्ष योजना कर दिया गया। **पीएम-दक्ष योजना के बारे में** • इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के लक्षित समुदाय को वित्तीय और सामाजिक रूपसे काबिल बनाना और लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त करने एवं स्वरोजगार आरम्भ करने की हरसंभव सहायता करना। • **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय • वर्ष 2020-21 और 2021-22 में लगभग 74,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और 17,000 से अधिक को रोजगार मिला है। • इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। • अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण में 80% और उससे अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं को प्रति प्रशिक्षु 1000-1500 प्रति माह का वजीफा (स्टाइपेंड) दिया जाएगा। • प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मूल्यांकन और प्रमाणन के बाद नियुक्ति प्रदान की जाएगी। • अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ट्रांसजेंडर समुदाय, सफाई कर्मचारी से संबंधित 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवार पीएम-दक्ष के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। • यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से ग्रामीण कारीगरों, घरेलू और सफाई कर्मचारियों के लिए है।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम	**संदर्भ:** सरकार ने पुलवामा और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकी गुट के मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत आतंकवादी घोषित किया है। • आलमगीर वर्ष 2019 में पुलवामा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हुए आतंकी हमले का प्रमुख साजिशकर्ता है। **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के बारे में** • यूएपीए, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (टाडा, 1995 में व्यपगत) और आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (पोटा, 2004 में निरस्त) का एक उन्नत रूप है जिसे वर्ष 1967 में पारित किया गया था। • इसका उद्देश्य भारत में अवैध गतिविधियों के संघों की प्रभावी रोकथाम करना है। • 2004 तक, "गैरकानूनी" गतिविधियों को क्षेत्र के अलगाव और अधिग्रहण से संबंधित कार्यों के लिए संदर्भित किया जाता था। • 2004 के संशोधन ने, "आतंकवादी अधिनियम" को अपराधों की सूची में जोड़ा गया। • अधिनियम के तहत, जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। • **केंद्र सरकार की शक्तियाँ :-** यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैरकानूनी मानता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है। • इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास उच्चतम दंड के रूप में है। • **2019 यूएपीए का संशोधन:** इस अधिनियम में प्रदान किए गए कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था।
भारतीय यातायात परिदृश्य के लिए स्वदेशी	**संदर्भ:** एक स्वदेशी ऑनबोर्ड चालक सहायता और चेतावनी प्रणाली - ODAWS, बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम तथा कॉमन SMart iot Connectiv (CoSMiC) सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना

बुद्धिमान परिवहन प्रणाली (ITS) समाधान	प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की भारतीय शहरों के चरण- II पहल के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर के तहत शुरू किया गया है। **द्वारा विकसित:** सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (Centre for Development of Advanced Computing-CDAC) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (Indian Institute of Technology Madras-IIT-M) द्वारा संयुक्त पहल के रूप में विकसित है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस परियोजना के औद्योगिक सहयोगी थे। ***जहाज पर चालक सहायता और चेतावनी प्रणाली - ODAWS*** • बेहतर राजमार्ग अवसंरचना और वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ, सड़कों पर गति में वृद्धि हुई है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ गई हैं। • भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, लगभग 84 प्रतिशत मामलों में, "चालक त्रुटि (driver error)" को दुर्घटना के कारण के रूप में उद्धृत किया गया था। ड्राइविंग त्रुटियों को कम करने में ड्राइवरों की सहायता और चेतावनी के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की क्षमता के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। • ओडीएडब्ल्यूएस में चालक सहायता के लिए ध्वनिक और दृश्य अलर्ट देने के लिए चालक की प्रवृत्ति एवं वाहन के परिवेश की निगरानी के लिए वाहन-जनित सेंसर शामिल हैं। • आसपास के वाहनों की स्थितिगत और गतिशील विशेषताओं की जांच एमएमवेव रडार सेंसर का उपयोग करके की जाती है। • ODAWS एल्गोरिथम का उपयोग सेंसर डेटा की व्याख्या करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्राइवर को रीयल-टाइम सूचनाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। **बस सिग्नल प्राथमिकता प्रणाली** • सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की खराब विश्वसनीयता लोगों के लिए निजी वाहनों को चुनने का एक प्रमुख कारण है। सार्वजनिक परिवहन के लिए अधिक यात्रियों को आकर्षित करने हेतु इसमें सुधार करना आवश्यक है, इस प्रकार एक ज्यादा स्थायी यातायात समाधान की ओर अग्रसर होता है। • शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन बसों के विलंब का एक प्रमुख कारण सिग्नल वाले चौराहों पर देरी है। • बस सिग्नल प्राथमिकता प्रणाली एक परिचालन रणनीति है जो सिग्नल नियंत्रित चौराहों पर सेवा में सार्वजनिक बसों को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए सामान्य ट्रैफिक सिग्नल संचालन को संशोधित करती है। • आपातकालीन वाहनों के लिए दी जाने वाली अंधा (blind) प्राथमिकता के विपरीत, यहां यह एक सशर्त प्राथमिकता है, जो केवल तभी दी जाती है जब सभी वाहनों के लिए देरी में समग्र रूप से कमी आती है। • विकसित प्रणाली सार्वजनिक परिवहन बसों को प्राथमिकता देकर, ग्रीन एक्सटेंशन या रेड ट्रंकेशन के माध्यम से, सिग्नल वाले चौराहे पर आने वाले सभी वाहनों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति की देरी को कम करने में सक्षम बनाएगी। **कॉमन स्मार्ट आईओटी कनेक्टिव (CoSMiC)** • यह एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर है जो oneM2M आधारित वैश्विक मानक का पालन करते हुए IoT का मानक आधारित परिनियोजन प्रदान करता है। • यह विभिन्न वर्टिकल डोमेन में उपयोगकर्ताओं और एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं को एक M2M मानक का अनुपालन करने वाली अच्छी तरह से परिभाषित सामान्य सेवा कार्यात्मकताओं के साथ एंड टू एंड संचार के लिए एप्लिकेशन अज्ञेय खुले मानकों और खुले इंटरफेस का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। • इसे ध्यान में रखते हुए, CoSMiC कॉमन सर्विस लेयर का उपयोग किसी भी विक्रेता विशिष्ट मानकों को इंटरफेस करने और स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड के साथ इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए

	किया जाता है। • CoSMiC IoT उपकरणों और अनुप्रयोगों के निर्बाध कनेक्शन के लिए एक संपूर्ण समाधान प्रदान करता है।
पदोन्नति में कोटा (Quota in Promotions)	**प्रसंग:** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केंद्र सरकार के विभागों को सरकारी कार्यालयों में पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने से पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की खाली पड़े पदों के संबंध में मात्रात्मक डेटा का संग्रह" करने के लिए कहा है। **अन्य संबंधित तथ्य** • 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अटॉर्नी-जनरल ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करते समय तीन शर्तों को पूरा किया जाना था। • ये है : ○ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की खाली पड़े पदों के संबंध में मात्रात्मक डेटा का संग्रह; ○ इस डेटा को प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से लागू करना; और ○ यदि कोई रोस्टर मौजूद है, तो रोस्टर के संचालन की इकाई संवर्ग होगी या जिसे रोस्टर में रिक्तियों को भरने के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र और लागू करना होगा। • इस आदेश में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और उसके आधार पर किसी भी पदोन्नति को करने से पहले शर्तों का पालन किया जाता है।
नागालैंड में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण	**संदर्भ:** नागालैंड सरकार नगर निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए तैयार है। • शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनाव कराने में अब कोई "बाधा" नहीं है, और नागालैंड चुनाव आयोग आसानी से तारीखें निर्धारित कर सकता है। • यदि यह लागू किया जाता है, तो एक दशक से अधिक समय के बाद राज्य में यूएलबी चुनाव, नागालैंड में एक विवादास्पद विषय होगा। **पृष्ठभूमि** *नागालैंड में यूएलबी चुनाव विवादों का विषय रहा है* • नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट 2001 के अनुसार राज्य में पहली बार वर्ष 2004 में नगर निकाय चुनाव हुए थे। • 2006 में, 2001 के नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट में संशोधन किया गया ताकि 1992 के संवैधानिक संशोधन के अनुरूप महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण शामिल किया जा सके। • **विरोध का कारण:** कई नागा समूहों का तर्क है कि आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 371 (A) में निहित नागा प्रथागत कानूनों के उल्लंघन में है - जो राज्य को विशेष दर्जा देता है और इसके पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा करता है। ○ नागालैंड अनुच्छेद 371 A के तहत एक विशेष राज्य है। ○ यह उन्हें अपने पारंपरिक कानूनों की रक्षा के लिए विशेष दर्जा देता है और उनकी परंपरा के अनुसार, महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर अनुमति नहीं है। • फरवरी 2017 में, जैसा कि नागालैंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए) के अनुसार चुनाव कराने की कोशिश की, राज्य के हिंसक विरोध प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग को पद से हटा दिया गया • **क्या नागालैंड में हर कोई इसका विरोध किया?** नागा मदर्स एसोसिएशन (एनएमए) जैसे महिला समूह इस बहस के दूसरी तरफ खड़े हैं, और चुनावों के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। उनका तर्क है कि आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) का उल्लंघन नहीं करता है। उनका

	तर्क: अनुच्छेद 371 (ए) संसद में बनाए गए कानूनों से संबंधित है जबकि आरक्षण एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। • दिसंबर 2009 में चुनावों को लेकर विवाद के कारण नागालैंड सरकार ने वर्ष 2010 में होने वाले नगरपालिका चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। • उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को वर्ष 2011 में चुनाव कराने का निर्देश देने के बावजूद, वर्ष 2012 में नागालैंड विधानसभा ने यूएलबी में महिलाओं के आरक्षण को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। • **अक्टूबर 2021:** नगर पालिका अधिनियम 2001 की समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। • **फरवरी 2022:** सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में देरी के लिए नागालैंड राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि "लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थगित हो रहा है।" • **मार्च 2022:** राज्य सरकार ने नागरिक समाज संगठनों, चर्चों, आदिवासी निकायों, राजनीतिक दलों और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई और यूएलबी चुनाव कराने के लिए "सर्वसम्मति से" एक प्रस्ताव अपनाया। **महत्वपूर्ण तथ्य :** • अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। • अनुच्छेद 371A (1) (b)- जब तक शत्रुतापूर्ण नागाओं के कारण आंतरिक अशांति जारी रहती है, तब तक राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में नागालैंड के राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी है। • उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 371A (1) (b) के तहत, "अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग" जैसे महत्वपूर्ण कार्य, जिन्हें जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सौंपा गया है, ये राज्यपाल के अनुमोदन से होंगे।
महाराष्ट्र धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित करेगा	**प्रसंग:** राज्य सरकार अब धार्मिक स्थलों के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनिवार्य करेगी। **लाउडस्पीकर और मौजूदा नियम** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, देश में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि स्थानीय प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई हो। हालाँकि, भारत में केवल 9 प्रतिशत मामलों में उसी के संबंध में अनुमति ली जाती है, और अन्य समय में लोग बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग करते हैं। • CPCB के तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय ध्वनि 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। • रिहायशी इलाकों में दिन में ध्वनि 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल होना चाहिए। • वहीं अगर किसी इलाके को साइलेंस जोन में रखा जाता है तो दिन में 50 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि नहीं हो सकती है। अगस्त 2016 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं था। • बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म या संप्रदाय यह दावा नहीं कर सकता है कि लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। • इसने यह भी आदेश दिया कि यदि धर्म का स्थान साइलेंस जोन में आता है तो ऐसे क्षेत्र में लाउडस्पीकरों और अन्य प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाली प्रणालियों के उपयोग की अनुमति नहीं देने के नियमों का पालन ऐसे धार्मिक स्थलों द्वारा किया जाना चाहिए। **क्या यह 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' के अंतर्गत आता है?** संविधान का अनुच्छेद 25 "अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के

	स्वतंत्र अधिकार" की गारंटी देता है। हालाँकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है।
	• जबकि अनुच्छेद 25 स्वयं इस अधिकार के संरक्षण में किसी अन्य शर्त को नहीं पढ़ता है, अदालतों ने वर्षों से फैसला सुनाया है कि अधिकार केवल "आवश्यक धार्मिक प्रथाओं" की रक्षा करेगा और सभी धार्मिक प्रथाओं की नहीं। तो, यह परीक्षण तय करता है कि संविधान के तहत कौन सी धार्मिक प्रथाएं संरक्षित हैं।
	• न्यायालयों ने पिछले कुछ वर्षों में परीक्षण के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। कुछ मामलों में, वे अनिवार्यता निर्धारित करने के लिए धार्मिक ग्रंथों पर निर्भर थे, दूसरों में अनुयायियों के अनुभवजन्य व्यवहार पर और कुछ में, क्या धर्म की उत्पत्ति के समय प्रश्न में अभ्यास मौजूद था।
	• इस परीक्षण पर न्यायालय के निर्णय आमतौर पर संविधान सभा की बहसों में इसकी उत्पत्ति का पता लगाते हैं, और इसका श्रेय डॉ बी.आर. अम्बेडकर को जाता है।
	  ○ 2 दिसंबर 1948 को डॉ अम्बेडकर ने स्वीकार किया कि भारत में धार्मिक अवधारणाएं "जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर पहलू को कवर करती हैं"। हालांकि, उन्होंने आगे कहा, "यह कहने में कुछ भी असाधारण नहीं है कि हमें इसके बाद धर्म की परिभाषा को इस तरह से सीमित करने का प्रयास करना चाहिए कि हम इसे विश्वासों और ऐसे अनुष्ठानों से आगे नहीं बढ़ाएंगे जो औपचारिक रूप से धार्मिक हैं। "
	  ○ फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि "यह आवश्यक नहीं है कि जिस प्रकार के कानून, उदाहरण के लिए, किरायेदारी से संबंधित कानून या उत्तराधिकार से संबंधित कानून, धर्म द्वारा शासित होने चाहिए।" अम्बेडकर द्वारा "अनिवार्य रूप से धार्मिक" शब्द के उपयोग को अदालतों द्वारा आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण शुरू करने के लिए उद्धृत किया गया था।
	परीक्षण पर वर्तमान स्थिति: संवैधानिक नैतिकता से संबंधित अन्य मुद्दों और संविधान एवं अन्य मौलिक अधिकारों के तहत धर्म की स्वतंत्रता के बीच परस्पर "आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण" का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नौ-न्यायाधीशों की पीठ तैयार है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: 24 अप्रैल	• स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था। • 'पंचायतों' को संवैधानिक अनिवार्य दर्जा प्रदान करते हुए वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन की अगली कड़ी के रूप में भाग IX को संविधान में शामिल किया गया था। • पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के कारण, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। • भारत के संविधान का अनुच्छेद 243G किसी राज्य के विधानमंडल को उचित स्तर पर पंचायतों पर शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार देता है। **नोट:** प्रगतिशील योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम के हिस्से के रूप में स्थानीय निकायों के गठन में चोल अग्रणी थे।
ओल्गा टेलिस निर्णय (The Olga Tellis judgment)	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट का 37 साल पुराना संविधान पीठ के फैसले में कहा गया कि जहाँगीरपुरी (दिल्ली) मामले में फुटपाथ के निवासी, आतिक्रमणकारियों से भिन्न हैं, जो आगामी निर्णयों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। **इस मामले के बारे में:** • ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय 1985, में न्यायालय ने निर्णय दिया कि फुटपाथ पर रहने वालों को बिना तर्क के बल प्रयोग कर तथा उन्हें समझाने का मौका दिये बिना बेदखल करना असंवैधानिक है। यह उनके आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है। • निर्णय इस बात से सहमत है कि फुटपाथ पर रहने वाले लोग सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप

	से कब्जा करते हैं। हालाँकि, उन्हें सुनने का एक मौका दिया जाना चाहिए और "उन्हें निष्कासित करने के लिए बल प्रयोग करने से पहले" जाने का एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए। • यह मामला 1981 में तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे नगर निगम ने फैसला किया कि बॉम्बे शहर में फुटपाथ एवं झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बेदखल किया जाना चाहिये तथा उन्हें "उनके मूल स्थान या बॉम्बे शहर के बाहर के क्षेत्रों पर निर्वासित किया जाना चाहिये।" • फुटपाथ पर रहने वालों को भी जीवन और सम्मान का अधिकार है। जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल था। वे फुटपाथ पर रहकर और काम करके अल्प आजीविका कमाते हैं।
'मेक इन इंडिया' योजना के तहत प्रमुख रक्षा परियोजनाएं	**संदर्भ:** 'आत्मनिर्भर भारत' (आत्मनिर्भर भारत) के लिए जोर देते हुए, रक्षा मंत्रालय ने 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत जून 2014 और दिसंबर 2019 के बीच भारतीय उद्योग के साथ 180 से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 25.8 बिलियन डॉलर है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2024 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं में 1.75 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है। 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत, केंद्र ने परियोजनाओं की तीन सूचियों को अधिसूचित किया है - • मेक I (90% सरकारी वित्त पोषित, विक्रेता के साथ) • मेक II (उपकरण/प्रणाली/प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप विकास या बिना सरकारी धन के उनका अपग्रेड) • मेक III (भारत में उत्पादन के लिए विदेशी उपकरण निर्माता के साथ सहयोग)। **मेक- I :** • इस योजना के तहत, चार सैन्य परियोजनाएं - इंडियन लाइट टैंक, टर्मिनल एंड सेक्रेसी डिवाइस (टीईएसडी), टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम (टीसीएस), और फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल (एफआईसीवी) है, जो प्रगति के विभिन्न चरणों में है। • एयरफोर्स की तीन परियोजनाएं - ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के साथ एयरबोर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड, एयरबोर्न स्टैंड-ऑफ जैमर, और भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संचार प्रणाली भी हैं। • मेक- I परियोजनाएं केंद्र-वित्त पोषित हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हैं, और निविदाओं के माध्यम से चुने गए घरेलू विक्रेताओं के सहयोग से हैं। **मेक-II :** • ये परियोजनाएं मुख्य रूप से आयात प्रतिस्थापन या अभिनव समाधान के रूप में प्रोटोटाइप, सिस्टम और सबसिस्टम के निर्माण से संबंधित हैं। • ये घरेलू निर्माताओं द्वारा वित्त पोषित हैं। **मेक-III:** • मेक-II परियोजनाओं के समान, मेक-III परियोजनाएं रक्षा प्रोटोटाइप, सिस्टम और उप-प्रणालियों के उत्पादन से संबंधित हैं। • हालांकि, इन्हें स्वदेशी रूप से डिजाइन या विकसित नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत में आयात प्रतिस्थापन के रूप में निर्मित किया जाएगा। • इन परियोजनाओं में, एक भारतीय विक्रेता एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश कर सकता है। **इस योजना के तहत प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं-** • उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों की स्थापना। • आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, धनुष आर्टिलरी गन प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM), अग्नि-5, ब्रह्मोस, पिनाका Mk-I (उन्नत) रॉकेट सिस्टम (EPRS) और पिनाका क्षेत्र जैसे स्वदेशी रक्षा उत्पादों का परीक्षण डेनियल मुनिशन (एडीएम) रॉकेट सिस्टम, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 'हेलीना' आदि।

	मेक इन इंडिया के लिए हालिया धक्का क्यों? • रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच, भारत वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की समय पर डिलीवरी की प्रतीक्षा कर रहा है। यह सौदा - $ 5.43 बिलियन का - CAATSA (प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करना) के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। • इसके अलावा, भारतीय वायु सेना के लिए 12 Su-30MKI विमान और 21 MiG-29 लड़ाकू जेट सहित कई नए सौदे पाइपलाइन में हैं।

अर्थव्यवस्था

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति	**संदर्भ:** भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने पिछले महीने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति के लिए अपने अनुमान को 4.5 प्रतिशत के पहले के पूर्वानुमान से 5.7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, फरवरी में पूर्वानुमान से पहले रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। • आरबीआई ने बेंचमार्क ब्याज दरों को भी बरकरार रखा और अपने 'समायोज्य' रुख को बरकरार रखा। ○ लेकिन अब यह अपना ध्यान आवास की वापसी पर केंद्रित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे। • इसने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने विकास अनुमान को भी घटाकर 7.2% कर दिया। **एक उदार रुख क्या है?** • उदार रुख का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में विकास और मांग को पुनर्जीवित करने के लिए भविष्य में ब्याज दरों को कम करने की गुंजाइश है। • उदार मौद्रिक नीति, जिसे ढीले ऋण या आसान मौद्रिक नीति के रूप में भी जाना जाता है, तब होती है जब एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने का प्रयास करता है जब विकास धीमा होता है (जैसा कि जीडीपी द्वारा मापा जाता है)। • राष्ट्रीय आय और मुद्रा की मांग के अनुरूप मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने की अनुमति देने के लिए नीति लागू की गई है। **मौद्रिक नीति समिति क्या है?** • वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की। • यह वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक सांविधिक और संस्थागत ढांचा है। • **संरचना:** छह सदस्य (अध्यक्ष सहित) - आरबीआई के तीन अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य। • आरबीआई के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। • **कार्य:** एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य (वर्तमान में 4%) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति ब्याज दर (रेपो दर) निर्धारित करता है। यह बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं और टाई होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।
ऋण डिफ़ॉल्ट (Debt default)	**संदर्भ:** श्रीलंका ने हाल ही में "अंतिम उपाय (last resort)" के रूप में कुल 51 बिलियन डॉलर के अपने सभी विदेशी ऋण पर ऋण चूक की घोषणा की है। • अतीत में आर्थिक तनाव के बावजूद, श्रीलंका ने ऋण चुकाने का एक बेदाग रिकॉर्ड (unblemished record) बनाए रखा था जिसने देश को लेनदारों के लिए एक अनुकूल भागीदार बना दिया था। • इस बीच, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर ने देश के भंडार को बढ़ाने के लिए विदेशों में रहने वाले श्रीलंकाई लोगों से "अत्यधिक आवश्यक विदेशी मुद्रा" का चंदा मांगा है, क्योंकि यह भोजन, ईंधन और दवाओं की गंभीर कमी से जूझ रहा है।

	एक ऋण डिफ़ॉल्ट क्या है?
	• एक ऋण डिफ़ॉल्ट तब होती है जब कोई उधारकर्ता अपने ऋण का भुगतान समय पर करने में विफल रहता है।
	• डिफॉल्ट होने का समय अलग-अलग होता है, जो लेनदार और उधारकर्ता द्वारा सहमत शर्तों पर निर्भर करता है।
	• एक भुगतान छूटने के बाद कुछ ऋण चूक जाते हैं, जबकि अन्य केवल तीन या अधिक भुगतान छूटने के बाद ही चूक करते हैं।
	• ऐसी घटना में, खराब क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
	  ○ क्रेडिट एक व्यक्ति की पैसे उधार लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।
	  ○ जब कोई व्यक्ति ऋण के लिए आवेदन करता है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित, लेनदार व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर को देखता है क्योंकि यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या व्यक्ति द्वारा ऋण और उसके ब्याज का भुगतान करने में सक्षम होने की संभावना है।

खुदरा महंगाई दर 7% के करीब	**संदर्भ:** खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 17 महीने के उच्च स्तर 6.95% पर पहुंच गई, जो पिछले महीने 6.07% थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सहिष्णुता बैंड की ऊपरी सीमा से ऊपर बनी हुई है। **खुदरा मुद्रास्फीति क्या है?** • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा ट्रैक की गई खुदरा मुद्रास्फीति खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से कीमतों में बदलाव को मापती है। • थोक मुद्रास्फीति, जिसे थोक मूल्य सूचकांक (WPI) द्वारा ट्रैक किया जाता है, उत्पादकों के स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) क्या है?** **1.** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एक ऐसा उपाय है जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं, जैसे परिवहन, भोजन और चिकित्सा देखभाल की एक बास्केट की कीमतों के भारित औसत की जांच करता है। **2.** इसकी गणना माल की पूर्व निर्धारित बास्केट में प्रत्येक वस्तु के लिए मूल्य परिवर्तन और उनका औसत लेकर की जाती है। **3.** सीपीआई में परिवर्तन का उपयोग जीवन यापन की लागत से जुड़े मूल्य परिवर्तनों का आकलन करने के लिए किया जाता है; **4.** सीपीआई मुद्रास्फीति या अपस्फीति की अवधि की पहचान करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों में से एक है।
साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स: आगे की एक नई राह	**संदर्भ:** हाल ही में विश्व बैंक ने अपने द्विवार्षिक दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स: ए न्यू वे फॉरवर्ड (A new Way Forward) जारी किया। **मुख्य विचार** • भारत के चालू वित्त वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) की तुलना में 8% और अगले (2023-24) वित्तीय वर्ष में 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। • दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए, विकास अनुमान से धीमी, 1 प्रतिशत अंक, वर्ष 2022 में 6.6% और अगले कैलेंडर वर्ष 6.3% होने की उम्मीद है। • यह यूक्रेन पर रूस के युद्ध के कारण है, जो इस क्षेत्र को प्रभावित किया है, जब यह पहले से ही "कमज़ोर" विकास, कमोडिटी की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति में बाधाओं और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों का अनुभव कर रहा था।
कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन	**प्रसंग:** विभिन्न कंपनियों के कुल 61 आवेदकों को मंजूरी दी गयी है। • सरकार ने देश की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ाने को लेकर पांच साल से अधिक समय

(पीएलआई) स्कीम	में 10,683 करोड़ रुपये के वित्तीय व्यय की मंजूरी के साथ मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) कपड़े, एमएमएफ परिधान, तकनीकी वस्त्र सहित कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। • सरकार ने कपास का आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया। • **उद्देश्य:** वैश्विक कपड़ा व्यापार में भारत को अपना ऐतिहासिक प्रभुत्व हासिल करने में मदद करना है। **इस योजना की मुख्य विशेषताएं** • प्रोत्साहन मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ कपड़े, और तकनीकी वस्त्रों के 10 खंडों या उत्पादों में नई क्षमताओं में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। • इससे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश होगा, और इस क्षेत्र में 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के अतिरिक्त सहायक गतिविधियों के लिये कई लाख से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। • विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों के साथ निवेश के दो स्तर होंगे। ○ पहली श्रेणी में कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो एमएमएफ फैब्रिक, गारमेंट्स और तकनीकी टेक्सटाइल के उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों में न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का निवेश करने का इच्छुक है, भाग लेने के लिए पात्र होगा। ○ दूसरी श्रेणी में उन्हीं शर्तों के तहत (जैसे पहले चरण के मामले में) न्यूनतम 100 करोड़ रुपए खर्च करने के इच्छुक निवेशक आवेदन करने के पात्र होंगे। • साथ ही आकांक्षी ज़िलों, टियर-3, टियर-4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। • यह योजना विशेष रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा आदि जैसे राज्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। • आवेदकों के पास निवेश अवधि के रूप में दो वर्ष होंगे और वर्ष 2024-2025 'प्रदर्शन' वर्ष होगा। प्रोत्साहन प्रवाह वर्ष 2025-2026 में शुरू होगा और पांच साल तक चलेगा। **कपड़ा क्षेत्र का महत्व** • वस्त्र और वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में 45 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है, रोज़गार के मामले में इस क्षेत्र का कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान है। • यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन का 7%, भारत की निर्यात आय में 12% का योगदान देता है और कुल रोजगार का 21% से अधिक रोजगार देता है। • 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। • तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक कपड़े हैं जिनका ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण जैसे उद्योगों में अनुप्रयोग है। • भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और विश्व के हाथ से बुने हुए कपड़े का 95% भारत से आता है। • भारत का दो-तिहाई कपड़ा निर्यात अब कपास पर आधारित है जबकि वस्त्र और परिधान में विश्व व्यापार का 66-70% एमएमएफ आधारित और तकनीकी वस्त्र है।
पश्चिम बंगाल की जूट मिलें	**संदर्भ:** पश्चिम बंगाल में एक दर्जन से अधिक जूट मिलें बंद होने और हजारों श्रमिकों की नौकरी से बाहर होने के साथ, निर्माताओं के एक संघ, इंडियन जूट मिल एसोसिएशन (IJMA) ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि कच्चे जूट की कीमतों में संशोधन और मिलों का संचालन फिर से शुरू हो सके। मिलों में संकट के कारण 60,000 श्रमिकों की नौकरी चली गई है। **पृष्ठभूमि** • यह संकट जूट आयुक्त कार्यालय के कारण हुआ, जिसने पश्चिम बंगाल में खरीदे गए कच्चे जूट के

लिए 6,500 रुपये प्रति क्विंटल की "उचित" मूल्य सीमा लगाई।

- उपयोगकर्ता के लिए स्टॉक [सूर(SUR)] 84% गिर गया है और जूट की उपज पांच साल से स्थिर है।
- अच्छी खेती के लिए आवश्यक विश्वसनीय बीजों की 70% कमी है।
- नवंबर 2021 में, नई दिल्ली ने जूट उद्योग में हो रहे संकट की अनदेखी करते हुए, जूट वर्ष 2021-22 के लिए सभी खाद्यान्नों और 20फीसदी चीनी को पैक करने के लिए जूट के बोरों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। नतीजतन, पिछले साल नवंबर और दिसंबर में उद्योग को 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। केंद्र के स्वयं के निर्णय के कारण कच्चे जूट की कमी के कारण सरकार द्वारा आवश्यक 4.8 लाख गांठ जूट बैग का उत्पादन करने में विफल रहा। फिर जूट के थैलों को एक गैर-जैव निम्नीकरणीय, जीवाश्म ईंधन विकल्प: प्लास्टिक बैग द्वारा बदल दिया गया।
- केंद्र सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि किसान और व्यापारी आपूर्ति की कमी पैदा करने और बाजार में फाइबर की कीमत बढ़ाने के लिए कच्चे जूट का स्टॉक कर रहे हैं। इस प्रकार, केंद्र ने कटाई के 45 दिनों के भीतर कच्चा जूट बेचना अनिवार्य कर दिया है।

जूट

- जूट को 24°C से 37°C के बीच तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
- जूट बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल और दक्षिण-पश्चिम बांग्लादेश द्वारा साझा किए गए डेल्टा में और असम, मेघालय एवं त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में फरवरी/मार्च तथा मई/जून के बीच की अवधि में मानसून से पहले उगाया जाता है।
- पश्चिम बंगाल को भारत के जूट उद्योग का केंद्र माना जाता है, जिसका मूल्य लगभग 10,000 करोड़ रुपये है, और वर्ष 2016 में राज्य में भारत की 93 में से 70 मिलें थीं। इनसे लंबे, मुलायम, चमकदार बास्ट फाइबर का बैग, हेसियन, सुतली, रस्सियों, चटाई और कई अन्य कपड़ा मिश्रणों के उत्पादन के लिए किया जाता है।
- यह पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकिल करने योग्य है । एक हेक्टेयर जूट के पौधे लगभग 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करते हैं और 11 टन ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
- फसल चक्र में जूट की खेती करने से अगली फसल के लिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जूट भी जलाने पर विषैली गैसें उत्पन्न नहीं करता है,
- इसके लिए लगातार बारिश या जल-जमाव हानिकारक है।
- वार्षिक बाढ़ से नमकीन अच्छी गहराई वाली नई धूसर जलोढ़ मिट्टी जूट के लिए सर्वोत्तम है।
- जूट के पौधे के रेशे छाल के नीचे होते हैं और तने के लकड़ी के मध्य भाग से घिरे होते हैं। तने से रेशों को निकालने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में की जाती है:

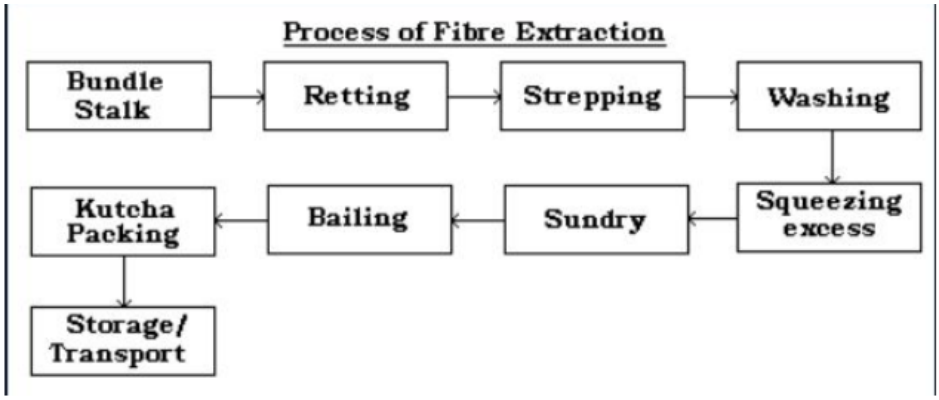

जूट और भारत

- सोने के रेशे के रूप में जाना जाने वाला जूट कभी भारत में कपास के बाद सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था।
- 1910 के दशक तक, कलकत्ता मिल्स 300,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली दुनिया

	की सबसे बड़ी जूट उत्पादक बन गई थी। • क्रीमियन युद्ध और बाद में प्रथम विश्व युद्ध में गोलेन फाइबर के सैन्य उपयोग के बाद बंगाल ने जल्द ही जूट उद्योग पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। • भारत में जूट उद्योग को पहला बड़ा झटका तब लगा जब बंगाल को पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में विभाजित कर दिया गया। विभाजन के बाद, जूट उगाने वाली 75 प्रतिशत भूमि पूर्वी पाकिस्तान में चली गई, जबकि सभी मिलें भारत (ज्यादातर पश्चिम बंगाल में) में रह गईं।
भारत में अर्धचालकों की खपत	**संदर्भ :** • सरकार को सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 1.53 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए पांच कंपनियों से प्रस्ताव आये हुए हैं। • भारत सरकार के विजन डॉक्युमेंट में परिकल्पित के अनुसार वर्ष 2026 तक 300 बिलियन डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण के लिए लगभग 70-80 बिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर्स की खपत करेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) की स्थापना सेमीकंडक्टर विकसित करने और विनिर्माण सुविधाओं एवं सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीतियों को तैयार करने तथा चलाने के लिए की गई है। • प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) उपकरण, फाउंड्री सेवाओं और अन्य उपयुक्त तंत्र के रूप में अपेक्षित समर्थन प्रदान करके भारतीय अर्धचालक डिजाइन उद्योग के कई गुना विकास को सक्षम करेगा। • यह स्वदेशी बौद्धिक संपदा (आईपी) उत्पादन को बढ़ावा और सुविधा प्रदान करेगा तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) को प्रोत्साहित, सक्षम और प्रोत्साहित करेगा। • आईएसएम सहयोगी अनुसंधान, व्यावसायीकरण और कौशल विकास को उत्प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, उद्योगों और संस्थानों के साथ सहयोग और साझेदारी कार्यक्रमों को भी सक्षम करेगा। **सेक्टर का महत्व** • सेमीकंडक्टर चिप्स पावर ट्रेन, चेसिस, सुरक्षा प्रणालियों, उन्नत चालक सहायता प्रणालियों और ऑटोमोबाइल के अन्य भागों के अभिन्न अंग हैं। • वाणिज्यिक वाहनों या दोपहिया वाहनों की तुलना में यात्री वाहनों में इनका अधिक उपयोग किया जाता है • इलेक्ट्रिक वाहनों के आने से चिप्स की मांग में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, फोर्ड फोकस आमतौर पर लगभग 300 चिप्स का उपयोग करता है, जबकि फोर्ड के नए इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक में 3,000 चिप्स तक हो सकते हैं। • सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति धीमी होने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। **क्या आप जानते हैं?** • अनुमान है कि सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इस दशक में $1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। • भारत तेजी से बढ़ सकता है और वर्ष 2026 तक आज के 27 अरब डॉलर से 64 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। • मोबाइल, वियरेबल्स, आईटी और औद्योगिक घटक भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रमुख खंड

	हैं, जो वर्ष 2021 में लगभग 80% राजस्व का योगदान करते हैं। • मोबाइल और वियरेबल सेगमेंट का मूल्य $13.8 बिलियन है और यह वर्ष 2026 में $31.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।
भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू हुआ	**संदर्भ:** ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने भारत के पहले 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की स्थापना के साथ भारत में हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसकी असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर प्रति दिन 10 किलोग्राम की स्थापित क्षमता है। • मौजूदा 500kW सौर संयंत्र द्वारा 100 kW अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (AEM) इलेक्ट्रोलाइज़र सरणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। भारत में पहली बार एईएम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। • भविष्य में इसके हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को 10 किग्रा प्रति दिन से बढ़ाकर 30 किग्रा प्रति दिन करने की उम्मीद है। **ग्रीन हाइड्रोजन** ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन गैस है - अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है जिसमें कार्बन का नामोनिशान नहीं होता है। *ग्रीन हाइड्रोजन के विशिष्ट लाभ हैं -* • **पर्यावरण के अनुकूल:** ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को अगली बड़ी चीज के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसके उपयोग से शून्य उत्सर्जन होगा। • विभिन्न क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने की क्षमता: यह एक स्वच्छ जलने वाला अणु है, जो लोहा और इस्पात, रसायन और परिवहन सहित कई क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज कर सकता है। • **अक्षय ऊर्जा का कुशल उपयोग:** अक्षय ऊर्जा जिसे ग्रिड द्वारा संग्रहीत या उपयोग नहीं किया जा सकता है, को हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए प्रसारित किया जा सकता है। • **दुर्लभ खनिजों पर कम निर्भरता:** ग्रीन हाइड्रोजन में विद्युत गतिशीलता को साफ करने की कुंजी भी है जो दुर्लभ खनिजों पर निर्भर नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन खनिजों पर कम निर्भरता और ऊर्जा भंडारण के रूप में दुर्लभ-पृथ्वी तत्व-आधारित बैटरी की दीर्घकालिक दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। • **पेरिस लक्ष्य हासिल करने में मदद करना :** भारत के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरित हाइड्रोजन ऊर्जा महत्वपूर्ण है। • **ऊर्जा सुरक्षा:** हरित ऊर्जा जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने में मदद करती है। ***हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में चुनौतियां*** • **फ्यूलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर:** हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों को अपनाने में एक बड़ी बाधा ईंधन स्टेशन के बुनियादी ढांचे की कमी रही है - ईंधन सेल कारें पारंपरिक कारों के समान ईंधन भरती हैं, लेकिन एक ही स्टेशन का उपयोग नहीं कर सकती हैं (दुनिया में केवल 500 और वह भी यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया में है)। • **सुरक्षा को एक चिंता के रूप में देखा जाना :** हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक टैंक में दबाव डालकर संग्रहीत किया जाता है, वहां से इसे कम दबाव वाले सेल को पिलाया (fed) जाता है और बिजली उत्पन्न करने के लिए विद्युत-रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से रखा जाता है। • प्रौद्योगिकी का विस्तार करना और महत्वपूर्ण द्रव्यमान प्राप्त करना बड़ी चुनौती है। सड़क पर अधिक वाहन और अधिक सहायक बुनियादी ढांचे से लागत कम हो सकती है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक	**संदर्भ:** भारतीय स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ और चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक

ने 'फिनक्लुवेशन' लॉन्च किया	विभाग (डीओपी) के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली संस्था, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने फिनक्लुवेशन के शुभारंभ की घोषणा की। यह वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सह-निर्माण और नवाचार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल है। • स्टार्टअप्स को निम्नलिखित में से किसी भी ट्रैक के साथ संयोजित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ○ **क्रेडिटाइजेशन** - लक्षित ग्राहकों के उपयोग मामलों के साथ संयोजित नवोन्मेषी तथा समावेशी क्रेडिट उत्पादों का विकास करना तथा डाक नेटवर्क के माध्यम से उनके द्वार तक पहुंचाना। ○ **डिजिटाइजेशन** - डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकियों के साथ पारम्परिक सेवाओं के समन्वयन के जरिए सुविधा प्रदान करना, जैसे कि अंतः पारस्परिक बैंकिंग सेवा के रूप में पारंपरिक मनीऑर्डर सेवा उपलब्ध कराना। ○ बाजार आधारित कोई भी समाधान जो लक्षित ग्राहकों की सेवा करने में आईपीपीबी और/या डाक विभाग से संबंधित किसी अन्य समस्या का समाधान करने में सहायता कर सकती है। पारंपरिक वितरण नेटवर्कों के साथ जुड़ी वित्तीय सेवाओं के साथ प्रौद्योगिकी का समन्वयन नए प्रकार के व्यवसाय अवसर उपलब्ध करा रही है। **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में** • डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्थापित। • भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से स्थापित। • आईपीपीबी का मूल उद्देश्य बिना बैंक वाले और कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना है और 160,000 डाकघरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 145,000) और 400,000 डाक कर्मचारियों के नेटवर्क का लाभ उठाकर अंतिम मील तक पहुंचना है।
दक्षिणी ध्रुव पर भारत के परिचालन अनुसंधान केंद्र	**संदर्भ:** अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशनों में से एक मैत्री, जो 35 से अधिक वर्षों से परिचालित है, को तत्काल अपग्रेड की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) द्वारा काम किया जा रहा है। • भारत के दक्षिणी ध्रुव पर दो परिचालन अनुसंधान केंद्र - मैत्री और भारती हैं। • दक्षिण गंगोत्री, 1985 से पहले बनाया गया पहला स्टेशन, अब मुख्य रूप से माल की आपूर्ति के लिए एक बेस ट्रांजिट कैंप के रूप में काम कर रहा है। • दस साल की अवधि हेतु संचालित करने के लिए वर्ष 1988-1989 के दौरान निर्मित, मैत्री एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जो वैज्ञानिकों को भूवैज्ञानिक, मौसम विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है। यह डेटा जलवायु परिवर्तन और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों के बारे में समय पर निष्कर्ष निकालने और समझने में उपयोगी है। **भारत और महासागर:** भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनके पास समर्पित समुद्री मिशन हैं। • दो साल पहले, भारत ने एमओईएस के नेतृत्व में 4,000 करोड़ रुपये के डीप ओशन मिशन की घोषणा की थी। • भारत ने अगले दशक में परिकल्पित नीली अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली परियोजनाओं की भी घोषणा की है। **नोट :** • अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चिली, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दक्षिण ध्रुव पर कई शोध केंद्रों के साथ अग्रणी देश हैं। • संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021-2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित करने के साथ, तटीय आजीविका में सुधार, समुद्र और महासागर की रक्षा, महासागर साक्षरता, और प्रवाल भित्तियों को बहाल करने सहित कई पहल की गई हैं, जिसका उद्देश्य

	महासागरों की संसाधन क्षमता बढ़ाना है।
MSME सस्टेनेबल (ZED) प्रमाणन योजना	**संदर्भ:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME सस्टेनेबल (ZED-Zero Defect Zero Effect) प्रमाणन योजना शुरू की है। • यह योजना एमएसएमई को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी) प्रथाओं को अपनाने में सुविधा और सक्षम बनाएगी। • इस योजना के तहत MSMEs को ZED प्रमाणन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाएगा जबकि उन्हें MSME चैंपियन बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। • ZED प्रमाणन के माध्यम से, MSME अपव्यय को कम करने, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, ऊर्जा बचाने, अपने बाजारों का विस्तार करने आदि में सक्षम होंगे। • ZED का उद्देश्य भारत के MSMEs के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक रोडमैप प्रदान करना है। • ZED न केवल उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करेगा, बल्कि इसमें निर्माताओं की मानसिकता को बदलने और उन्हें पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाने की क्षमता है। **महत्व** **इस क्षेत्र को तीन मुख्य कारकों के कारण वित्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है-** 1. व्यवहार्य ऋण प्रदाताओं की अनुपस्थिति 2. क्रेडिट उत्पादों और योजनाओं की अनुपस्थिति जैसे सूक्ष्म बीमा जो उद्यमों को व्यापार मंदी से निपटने में मदद करते हैं। 3. विलंबित भुगतान के कारण कार्यशील पूंजी में लगातार कमी हो रही है। उद्यमों को क्रेडिट बिक्री के लिए नकद प्राप्त करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रमशः 176, 112 और 81 दिन लगते हैं। *विलंबित भुगतान में फर्मों के लिए चार प्रकार की लागतें आती हैं -* • कर्मियों, समय और प्रयास के रूप में भुगतान प्राप्त करने की लागत; • निर्धारित अवधि के बाद छोड़ा गया ब्याज; • कार्यशील पूंजी की कमी के कारण व्यवसाय छूट जाना; • मेल न करने के कारण नुकसान **ZED के बारे में** ***ZED किस सिद्धांत पर आधारित है:*** • **शून्य दोष** - उत्पादन तंत्र जिसमें उत्पादों में कोई दोष न हो। • **शून्य प्रभाव** - उत्पादन प्रक्रियाएं जिनका कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव न हो। *एमएसएमई क्षेत्र के लिए महत्व* • **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता** - बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से और चीन द्वारा अपने कारखाने के वेतन में भारी वृद्धि के कारण निर्मित विनिर्माण स्थान के कारण भी। • **घरेलू उपभोक्ता आधार** - बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। • **बेहतर लाभ** - तकनीकी उन्नयन के माध्यम से, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग, अपव्यय में कमी और उत्पादकता में वृद्धि। • **कम लागत**-ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और बेहतर उत्पादन प्रक्रियाएं। • **बढ़ा हुआ निवेश** - पर्यावरण के प्रति जागरूक दुनिया के साथ, हरित पहल के लिए ऋण प्राप्त करना आसान है। • **पुरस्कार और मान्यता** - "जेड मार्क" के माध्यम से एमएसएमई के लिए एक ब्रांड छवि बनाने में मदद करना और उन्हें विश्व स्तर पर प्रदर्शित करें। • **पर्यावरणीय जिम्मेदारी** - उन्हें 'जिम्मेदार निर्माता' बनाएं और लंबे समय में उन्हें टिकाऊ

	व्यवसाय बनाएं। • **स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना-** सरकारी सहयोग, अभिनव समाधान और नई तकनीक।

इरावदी डॉल्फ़िन	**संदर्भ:** ओडिशा के तट और इसके जल निकायों में डॉल्फ़िन की आबादी में वृद्धि हुई है लेकिन चिल्का झील में इरावदी डॉल्फ़िन की संख्या गिर गई है। **इरावदी डॉल्फ़िन:** • IUCN- संकटापन्न • यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों, नदी मुहाने और मुहाने के पास खारे पानी में रहती है। • इसकी दो प्रजातियाँ पाई जाती है:- इरावदी डॉल्फिन एवं स्नब-फिन-डॉल्फिन। • यह गंगा, मेकांग और इरावदी नदी प्रणाली में पायी जाती है। • उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थानीय भाषा में इन्हें 'सुसु' या 'सुस' कहा जाता है। **चिल्का झील:** चिल्का झील भारत और एशिया में सबसे बड़ी तटीय लैगून या खारे पानी की झील है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी लैगून है।
ओलिव रिडले कछुए	**संदर्भ:** ओडिशा के रुशिकुल्या तट पर रिकॉर्ड 4.92 लाख ओलिव रिडले कछुओं के रेंगने के बाद, वैज्ञानिकों ने उनके प्रजनन व्यवहार और प्रवास के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए 6,000 से अधिक कछुओं को टैग किया है। • यह सबसे ऊंचा घोंसला है जिसने तट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। • कछुओं को टैग करने से पहले यह माना जाता था कि यह एक प्रवासी प्रजाति है। • अब टैगिंग से पता चला है कि ओलिव रिडले कछुए श्रीलंका तक यात्रा कर सकते हैं। • साथ ही, प्रवासी कछुआ पूरे बंगाल की खाड़ी में और आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तट पर भी मौजूद है। **ओलिव रिडले** • ओलिव रिडले (Lepidochelys Olivacea) समुद्री कछुए की एक प्रजाति है। यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा समुद्री कछुआ है। इसको 'प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं' के नाम से भी जाना जाता है। • यह मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागरों में गर्म और उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते है। • वे अपने अनोखे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं जिन्हें अरिबाडा कहा जाता है, जहां हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं। • **आईयूसीएन रेड लिस्ट:** सुभेद्य (Vulnerable) **समुद्री कछुए** • समुद्री कछुओं की पांच प्रजातियां भारतीय तटीय जल और द्वीपों में निवास करने के लिए जानी जाती हैं। ○ ओलिव रिडले कछुआ ○ ग्रीन कछुआ ○ हॉक्सबिल कछुआ ○ लकड़हारा कछुआ ○ लेदरबैक कछुआ • लकड़हारे कछुएं को छोड़कर, शेष चार प्रजातियां भारतीय तट पर घोंसला बनाती हैं।
जलवायु परिवर्तन के शमन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट (IPCC report on Mitigation of Climate Change)	**संदर्भ:** आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप III की रिपोर्ट 'क्लाइमेट चेंज 2022 विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को सीमित करने के लिए कई रणनीतियों पर चर्चा करती है और वैश्विक औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को रोकने के लिए यथार्थवादी गणना प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) की तीसरी किस्त है, जो इस साल पूरी हो जाएगी। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आईपीसीसी का एक प्रमुख योगदान

	करती है। • वर्तमान ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए, रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि 2010-2019 में मानव इतिहास में औसत दशकीय उत्सर्जन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। लेकिन विकास दर धीमी हो गई है। • 2010 के बाद से, सौर ऊर्जा (85%), पवन ऊर्जा (55%), और लिथियम-आयन बैटरी (85%) की इकाई लागत में निरंतर कमी आई है। इसने नीतियों और कानूनों की बढ़ती श्रृंखला के साथ, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि की है, वनों की कटाई की दरों को कम किया है और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाई है। **मुख्य विचार** • जलवायु परिवर्तन के शमन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट वैज्ञानिक रूप से कार्बन बजट की खपत के लिए विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी पर भारत की स्थिति को स्थापित करती है। • यह रिपोर्ट गहन और तत्काल वैश्विक उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता को रेखांकित करती है और जलवायु कार्रवाई तथा सतत विकास में सभी स्तरों पर समानता पर भारत के जोर को सही ठहराती है। समय के साथ राज्यों के बीच भेदभाव में बदलाव और उचित शेयरों का आकलन करने में चुनौतियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शासन में इक्विटी एक केंद्रीय तत्व बना हुआ है। इक्विटी के लिए जरूरी है- ○ जलवायु शमन के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, ○ कमजोर आबादी पर जलवायु शमन के नकारात्मक परिणामों का प्रबंधन, ○ कम उत्सर्जन वाले विकास की दिशा में उचित परिवर्तन को सक्षम करना, ○ और सतत विकास सुनिश्चित करना। • यह रिपोर्ट जलवायु वित्त में पैमाने, दायरे और गति की आवश्यकता पर भारत की स्थिति का समर्थन करती है; ○ ट्रैक किए गए वित्तीय प्रवाह सभी क्षेत्रों में शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तरों से कम हो जाते हैं। समग्र रूप से विकासशील देशों में अंतराल को बंद करने की चुनौती सबसे बड़ी है। ○ सार्वजनिक वित्त वर्ष 2020 तक कोपेनहेगन (पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर दोहराया गया) प्रति वर्ष 100 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य से कम है। ○ विकसित देशों और अन्य स्रोतों से विकासशील देशों के लिए त्वरित वित्तीय सहायता, शमन कार्रवाई को बढ़ाने और विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन हेतु इसकी लागत, नियम और शर्तों और आर्थिक भेद्यता सहित वित्त तक पहुंच में असमानताओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। • 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए कुल कार्बन बजट का चौथा-पांचवां हिस्सा और 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के लिए कुल कार्बन बजट का दो-तिहाई पहले ही उपभोग किया जा चुका है। ○ 2020 से पहले की अवधि के दौरान संचयी और प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन दोनों में वृद्धि हुई। विकासशील देशों की सतत विकास की जरूरतों की तुलना में 2020 से पहले के उत्सर्जन में कमी विकसित देशों में अपर्याप्त रही है। ○ ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन दोनों दर्शाते हैं कि भारत की भूमिका (दक्षिण एशिया के हिस्से के रूप में) न्यूनतम है। • यह रिपोर्ट सतत खपत पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। ○ जलवायु परिवर्तन को कम करने में जीवनशैली और व्यवहार में बदलाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। ○ पेरिस समझौते की प्रस्तावना में "जलवायु न्याय" और "टिकाऊ जीवन शैली और

	उपभोग और उत्पादन के स्थायी पैटर्न" को शामिल करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ○ भारत का मानना है कि संसाधनों का उपयोग 'माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन' पर आधारित होना चाहिए न कि 'माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन' पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एल.आई.एफ.ई - ग्लासगो में COP26 में पर्यावरण के लिए जीवन शैली का स्पष्ट आह्वान किया। **भारत द्वारा पहल:** भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ कई पहल करके वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जबरदस्त कार्रवाई की है। • अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना • आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन • 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' • लचीला द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा • वर्ष 2030 तक घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 500 GW तक बढ़ाना • एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित करना • और इसके उत्सर्जन को आर्थिक विकास से अलग करने के निरंतर प्रयास। **इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) क्या है?** • यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा वर्ष 1988 में नीति निर्माताओं को प्रदान करने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। ○ जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार का नियमित मूल्यांकन ○ जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभाव और भविष्य के खतरे ○ जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन और शमन के विकल्प • आईपीसीसी की सदस्यता डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी के सभी सदस्यों के लिए खुली है। • आईपीसीसी आकलन जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने हेतु सभी स्तरों पर सरकारों के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु वार्ता भी करना शामिल हैं। • यूएनएफसीसीसी का मुख्य उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है जिससे जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोका जा सके। **ज़रूर पढ़ें:** • आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट, "जलवायु परिवर्तन 2021: भौतिक विज्ञान का आधार" • आईपीसीसी नई जलवायु रिपोर्ट
हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना	**संदर्भ:** कई भारतीय संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन ग्लेशियर पिघलने सहित विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए हिमालय के ग्लेशियरों की निगरानी करते हैं और हिमालय के ग्लेशियरों में त्वरित विषम जन हानि की सूचना दी है। हिमालय के अधिकांश हिमनद अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दरों पर पिघलते / पीछे हटते देखे गए हैं। • ग्लेशियर बेसिन जल विज्ञान में परिवर्तन, डाउनस्ट्रीम जल बजट, निर्वहन में भिन्नता के कारण जल विद्युत संयंत्रों पर प्रभाव, फ्लैश फ्लड और अवसादन के कारण पिघलने वाले ग्लेशियरों का हिमालयी नदियों के जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। • वे ग्लेशियर झीलों की बढ़ी हुई संख्या और मात्रा, त्वरित फ्लैश फ्लड तथा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), उच्च हिमालयी क्षेत्र में कृषि प्रथाओं पर प्रभाव आदि के कारण ग्लेशियर के खतरों से संबंधित जोखिम में भी वृद्धि करते हैं। • ग्लेशियरों का पिघलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, ग्लेशियरों के पिघलने से खतरे बढ़ जाते हैं। ***HKH क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने का कारण है:***

- वातावरण के बड़े मानवजनित संशोधन
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के मिजाज और वर्षा में व्यवधान
- ग्लेशियर के आयतन में बदलाव
- अनियोजित शहरीकरण

प्रभाव

- जलवायु के साथ-साथ मानसून के पैटर्न के लिए भी खतरा है
- यह 10 प्रमुख नदी प्रणालियों को प्रभावित करता है जो कृषि गतिविधियों में मदद करती हैं, और क्षेत्र में पेयजल तथा जल विद्युत उत्पादन प्रदान करना
- सामाजिक-आर्थिक व्यवधान और मानव विस्थापन

अन्य संबंधित तथ्य

A. विश्व के विभिन्न भागों में बर्फ के पिंडों के नुकसान का पैटर्न:

अंटार्कटिका: ग्लेशियरों का पीछे हटना

- अंटार्कटिका में 60° अक्षांश के दक्षिण में भूमि, द्वीप और महासागर शामिल हैं। यह क्षेत्र दुनिया के ताजे पानी का लगभग 70% बर्फ रूप में संग्रहीत करता है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने पुष्टि की है कि यह क्षेत्र ग्रह के सबसे तेजी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक है। पिछले 50 वर्षों में, यह 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो गया है।
- वर्ष 1979 - 2017 के बीच अंटार्कटिक क्षेत्र में वार्षिक बर्फ के नुकसान में कम से कम छह गुना वृद्धि हुई है।
- पिछले 50 वर्षों में अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के साथ लगे 87% ग्लेशियर पीछे हट गए हैं, जिनमें से अधिकांश पिछले 12 वर्षों में तेजी से पीछे हटते दिख रहे हैं।

आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र: नीचे से पिघल रहे ग्लेशियर

- ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर खतरनाक दरों पर बर्फ खो रहे हैं, और गर्म हवा ही इसका एकमात्र कारण नहीं है।
- वैज्ञानिक तेजी से इस बात से सहमत हैं कि गर्म समुद्र का पानी बर्फ के नीचे रिस रहा है और नीचे से ऊपर तक पिघल रहा है।
- अंटार्कटिका में लार्सन सी (Larsen C) बर्फ की शेल्फ और आर्कटिक में कई छोटी बर्फ की अलमारियों (several smaller ice shelves) का टूटना ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है।

रूसी आर्कटिक में बड़े पैमाने पर बर्फ का नुकसान:

- पर्यावरण के रिमोट सेंसिंग जर्नल में प्रकाशित कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार पिछले एक दशक में रूसी आर्कटिक में बर्फ द्रव्यमान का नुकसान लगभग दोगुना हो गया है।
- वहाँ के ग्लेशियर क्षेत्रफल और ऊँचाई के अनुसार सिकुड़ रहे हैं। लंबी अवधि के बर्फ-नुकसान दर की तुलना में, हम हाल ही में बर्फ के नुकसान की गति में वृद्धि देख रहे हैं।

दक्षिण अमेरिका:

- बोलिवियाई एंडीज में 18,000 साल पुराना चाकलताया ग्लेशियर (Chacaltaya glacier) गायब हो गया।
- इक्वाडोर में, कैम्बे ग्लेशियर के तल पर हिमस्खलन हुआ। साथ ही, पम्पा लिंडा के क्षेत्र में एक हिमस्खलन से गंभीर क्षति हुई।
- ये अलग-अलग हिमस्खलन एंडियन ग्लेशियरों के ढहने की प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं।

B. बर्फ के पिंडों के नुकसान को रोकने के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं:

- तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ग्रह को ठंडा करना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए दुनिया को न केवल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को धीमा करने की जरूरत है बल्कि उन्हें रिवर्स (reverse) करने की भी जरूरत है।
- विश्व में लगभग 1,98,000 हिमनद हैं और केवल भारत में ही लगभग 9,000 हिमनद हैं। हालाँकि, इन सभी ग्लेशियर की देखभाल कम होती हैं। ग्लेशियरों की स्थिति और उनके नुकसान के जोखिम

	को पूरी तरह से समझने के लिए अधिक विस्तृत शोध की आवश्यकता है। • निम्न से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन कम करें - (1) चूल्हे; (2) डीजल इंजन; (3) खुला जलना: यह विकिरणकारी बल को काफी कम कर सकता है। • क्षेत्रीय सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम: ○ जल प्रबंधन पर नीतियों की समीक्षा करना ○ जल प्रवाह और उपलब्धता में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए जलविद्युत की सावधानीपूर्वक योजना और उपयोग। ○ प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ईंट भट्टों की दक्षता बढ़ाना। ○ क्षेत्र में अधिक ज्ञान साझा करना। **C. HKH 8 देशों अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, भारत म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में फैला हुआ है।** • इसमें अंटार्कटिका और आर्कटिका के बाद जमे हुए पानी का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडारण है। • इसे विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है।
भारतीय टेंट कछुए (Indian Tent Turtles)	**संदर्भ:** भारतीय टेंट कछुओं को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची- I में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार इसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है। • यह प्रजाति भारत और बांग्लादेश के लिए स्थानिक है। • एक अर्ध-जलीय प्रजाति, जो मुख्य रूप से नदी और संबंधित प्रणालियों में पाई जाती है। • **आईयूसीएन स्थिति:** कम जोखिम/संकट मुक्त। • **CITES:** भारतीय टेंट कछुए को CITES की अनुसूची II के तहत सूचीबद्ध किया गया है। • नदी को बांधना, आवास का क्षरण जनसंख्या के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने वाले अन्य कारक हैं। • सरकार ने भारतीय टेंट कछुओं की प्रजातियों सहित वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं: • संरक्षित क्षेत्र, अर्थात देश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व तथा सामुदायिक रिजर्व बनाए गए हैं, जो वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण पर्यावासों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों तथा उनके आवास शामिल हैं। • वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और आवास के सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अधिनियम किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान करता है जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध को कारित करने के लिए किया जाता है। • स्थानीय समुदाय पर्यावरण विकास गतिविधियों के माध्यम से संरक्षण उपायों में शामिल हैं जो वन्य जीवों के संरक्षण में वन विभागों की मदद करते हैं। • **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो/डब्ल्यूसीसीबी):** यह वन्य जीवो के शिकार तथा पशुओं की वस्तुओं के अवैध व्यापार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
कार्बन कैप्चर और उपयोग	**संदर्भ:** इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, आईआईसीटी, हैदराबाद के वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक हाइब्रिड सामग्री तैयार की है जो ग्रीनहाउस गैस मीथेन को अवशोषित कर सकती है और इसे स्वच्छ हाइड्रोजन में परिवर्तित कर सकती है। **अन्य संबंधित तथ्य** • उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की एक प्रक्रिया का अनुकरण किया है और इसे गैर-ईंधन ग्रेड बायोएथेनॉल से उच्च शुद्धता वाले हाइड्रोजन में परिवर्तित किया है।

	• इन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सुविधा भी तैयार की है जो ऐसी सामग्री का परीक्षण कर सकती है और संस्थान में कार्बन कैप्चर अनुसंधान में मदद कर सकती है। • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कार्बन कैप्चर और उपयोग के लिए ये नई सामग्री तथा प्रक्रियाएं ग्लोबल वार्मिंग चुनौती के लिए नई रोशनी दिखा सकती हैं। **कार्बन कैप्चर और उपयोग क्या है?** • कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (सीसीयू) कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) को कैप्चर करने की प्रक्रिया है जिसे आगे उपयोग के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जाना है। • कार्बन कैप्चर और उपयोगी औद्योगिक उत्सर्जकों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। • सीसीयू कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस) से अलग है क्योंकि सीसीयू कार्बन डाइऑक्साइड के स्थायी भूवैज्ञानिक भंडारण का लक्ष्य नहीं रखता है और न ही इसका परिणाम है। ○ इसके बजाय, CCU का उद्देश्य कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मूल्यवान पदार्थों या उत्पादों में बदलना है; जैसे प्लास्टिक, कंक्रीट या जैव ईंधन; उत्पादन प्रक्रियाओं की कार्बन तटस्थता बनाए रखता है। **मीथेन के बारे में** • मीथेन एक गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है लेकिन यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। • मीथेन कार्बन की तुलना में 84 गुना अधिक शक्तिशाली है लेकिन यह टूटने से पहले वायुमंडल में ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। • यह एक खतरनाक वायु प्रदूषक, जमीनी स्तर पर ओजोन बनाने के लिए भी जिम्मेदार है।
सौर क्षमता लक्ष्य (Solar capacity target)	**संदर्भ:** इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) और जेएमके रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के 100 गीगावाट (जीडब्ल्यू) स्थापित करने के अपने 2022 के लक्ष्य को चूकने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण रूफटॉप सोलर का अपर्याप्त उठाव (uptake) है। • सौर क्षमता, पेरिस समझौते की शर्तों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के साथ-साथ 2070 तक शुद्ध शून्य, या कोई शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख हिस्सा है। **अन्य संबंधित तथ्य** • दिसंबर 2021 तक, भारत की संचयी स्थापित सौर क्षमता 55 GW थी, जिसमें ग्रिड से जुड़ी उपयोगिता-पैमाने की परियोजनाएं कुल का 77% और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर (20%) और मिनी या माइक्रो ऑफ-ग्रिड परियोजनाओं (3%) से बनी थीं। • वर्ष 2022 के केवल आठ महीने शेष रहने पर, 100GW लक्ष्य का केवल 50% ही पूरा किया जा सका है। • रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन में बाधा डालने वाले कारकों में शामिल हैं: ○ महामारी से प्रेरित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान ○ नीति प्रतिबंध, ○ नियामक बाधाएं; ○ नेट मीटरिंग सीमाएं; ○ आयातित सेल और मॉड्यूल पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) के दोहरे बोझ और मॉडल और निर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम) के साथ मुद्दे; ○ अहस्ताक्षरित बिजली आपूर्ति समझौते (पीएसए) और बैंकिंग प्रतिबंध; ○ वित्तीय मुद्दों और ओपन एक्सेस अनुमोदन अनुदानों में देरी या अस्वीकृति; ○ भावी ओपन एक्सेस प्रभारों की अप्रत्याशितता।

बंगाल मॉनिटर छिपकली	**संदर्भ:** महाराष्ट्र के सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ कथित रूप से कुकृत्य करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था **इसके बारे में** • 'बंगाल मॉनिटर', एक बड़े आकार की छिपकली होती है जोकि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में पायी जाती है। यह बड़ी छिपकली मुख्य रूप से जमीन पर रहने वाला जानवर है और इसकी कुल लंबाई लगभग 61 से 175 सेमी (24 से 69 इंच) तक होती है। • युवा मॉनिटर अधिक वृक्षारोपण हो सकते हैं, लेकिन वयस्क मुख्य रूप से जमीन पर शिकार करते हैं, मुख्य रूप से आर्थ्रोपोड्स पर शिकार करते हैं, लेकिन छोटे स्थलीय कशेरुक, जमीन के पक्षी, अंडे और मछली भी लेते हैं। • हालांकि बड़े बंगाल मॉनिटर में मनुष्यों के अलावा कुछ शिकारी होते हैं जो मांस के लिए उनका शिकार करते हैं, कई शिकारियों द्वारा छोटे व्यक्तियों का शिकार किया जाता है। • इन्हें पश्चिमी भारत में बिस-कोबरा, राजस्थान में गोयरा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में गुइशप या गोशाप, पंजाब और बिहार में गोह, महाराष्ट्र में घोरपड़ और श्रीलंका में थलागोया के रूप में जाना जाता है। • महाराष्ट्र में घोरपड़े नामक एक कबीले का दावा है कि यह नाम एक महान संस्थापक मराठा कोली नेता तानाजी मालुसरे से लिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर एक रस्सी से बंधे मॉनिटर छिपकली का उपयोग करके एक किले की दीवार को तराशा (scaled) था। • बंगाल मॉनिटर की पेट की त्वचा का उपयोग पारंपरिक रूप से दक्षिण भारतीय ताल वाद्य यंत्र कांजीरा (महाराष्ट्र में दीमादी के रूप में जाना जाता है) के लिए ड्रम हेड बनाने में किया जाता है।
संसदीय पैनल ने मानव-पशु संघर्ष को संबोधित करने के लिए सलाहकार निकाय का गठन किया	**संदर्भ:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण मंत्रालय को मानव-पशु संघर्ष के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए विशेषज्ञों के एक सलाहकार निकाय का गठन करने का सुझाव दिया। **पृष्ठभूमि** वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021, जिसे दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था। • 1972 का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम विभिन्न जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों, निवास स्थान प्रबंधन, और जंगली जानवरों, पौधों और उनके भागों और उत्पादों में व्यापार विनियमन और नियंत्रण के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। • हालांकि इसे कई बार बदला गया है, पर्यावरण मंत्रालय का सबसे हालिया प्रस्ताव इसे जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के साथ अधिक सुसंगत बनाना था, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) जंगली जानवरों और पौधों की 38,700 से अधिक प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। • मंत्रालय ने निकाय के कामकाज को "अधिक उद्देश्यपूर्ण" बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ (एसबीडब्ल्यूएल) के लिए राज्य बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) की एक स्थायी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। ○ लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि कई स्वतंत्र विशेषज्ञों और निकायों ने चिंता व्यक्त की है कि इस तरह के निकाय को आधिकारिक सदस्यों के साथ ढेर किया जाएगा, सभी SBWLशक्तियों का उपयोग किया जाएगा, SBWL से स्वतंत्र निर्णय लेंगे। और "तेजी से परियोजना मंजूरी के लिए एक रबर स्टैंप होने के नाते समाप्त होता है। ○ इसके बजाय, रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसमें SBWL के गैर-सरकारी सदस्यों में से कम से कम एक-तिहाई, कम से कम तीन संस्थागत सदस्य और भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक या उनके नामिती शामिल होने चाहिए।

	सिफारिशें (**Recommendations**) • मुख्य वन्य जीव वार्डन की अध्यक्षता में एक एचएसी सलाहकार समिति, जो उचित रूप से कार्य करने के लिए समिति से परामर्श कर सकती है। • समिति ने सरकार से वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 में एक विवादास्पद खंड को हटाने का भी आग्रह किया जो जीवित हाथियों के "स्थानांतरण और परिवहन" की अनुमति देता है, जबकि यह सिफारिश करता है कि सरकार धार्मिक संस्थानबिक्री और खरीद की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त चेक ला सकती है। **मानव-पशु संघर्ष के कारण:** • वनों में मानव बस्तियों का विस्तार - शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, रेलवे/सड़क के बुनियादी ढांचे, पर्यटन आदि का विस्तार। • वन क्षेत्रों में पशुओं को चरने देना। • भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे संरक्षित वन क्षेत्रों से कृषि और बागवानी भूमि में परिवर्तन और मोनोकल्चर वृक्षारोपण वन्यजीवों के आवासों को और नष्ट करना। • देश में वन प्रबंधन की अवैज्ञानिक संरचनाएं और प्रथाएं। • वन्यजीवों के स्थानिक आवास में आक्रामक विदेशी खरपतवारों के संक्रमण से शाकाहारी वन्य जीवों के लिये खाद्य सामग्री (जैसे- घास, पत्ती, फल आदि) की उपलब्धता कम हो जाती है। • पशुओं के अवैध शिकार के कारण मांसाहारी पशुओं के भोजन (शिकार) आधार में कमी आरही है, परिणामस्वरूप जंगली पशु शिकार की तलाश में आवासीय बस्तियों में प्रवेश कर रहेहैं। • अनियंत्रित खनन गतिविधि के कारण, तनावग्रस्त हाथी गुस्से में होकर भोजन की तलाश में गांवों में घुस जाते हैं, इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की मौत हो जाती है। घने जंगलों में हर खनन प्रस्ताव जो हाथियों के आवास और चारागाह हैं, को विभाग द्वारा मंजूरी दे दी जानी चाहिए। **सीआईटीईएस के बारे में** • यह जुलाई 1975 में लागू हुआ और वर्तमान में इसके 183 हस्ताक्षरकर्ता हैं। • **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालता है। • सीआईटीईएस सचिवालय यूएनईपी द्वारा प्रशासित है और यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। • हालांकि सीआईटीईएस पार्टियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता है। इसके बजाय, यह प्रत्येक पार्टी द्वारा सम्मान किए जाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपना घरेलू कानून अपनाना होगा कि CITES को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। • सीआईटीईएस सचिवालय, इंटरपोल, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, विश्व बैंक और विश्व सीमा शुल्क संगठन का एक संघ, वन्यजीव अपराध का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईसीसीडब्ल्यूसी), अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। **Must Read:** नो वाइल्ड, नो लाइफ
पृथ्वी दिवस: 22 अप्रैल	• इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम 'Invest In Our Planet' है। • द बिगिनिंग: पहली बार पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था और इसका श्रेय गेलॉर्ड नेल्सन को दिया जाता है, जो एक अमेरिकी राजनेता थे, जिन्होंने अपने करियर के दौरान गवर्नर और सीनेटर के रूप में कार्य किया।
मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हीटवेव्स	**संदर्भ:** वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी हैं कि समुद्र के स्तर में तीन मिलीमीटर की वृद्धि से बाढ़ जैसी चरम जलवायु घटनाओं की अधिक संख्या हो सकती है जो तटीय भारत को तबाह कर सकती है। हालांकि, भारत के जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वन क्षेत्र में वृद्धि जैसे प्रकृति आधारित समाधान किए जा सकते हैं। • वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत हीटवेव के लंबे दौर की चपेट में है और इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण है।

हीट वेव्स के स्वास्थ्य प्रभाव

- चरम मौसम की घटनाओं के लिए मृत्यु दर में गिरावट आ रही है लेकिन गर्मी की लहरों और बिजली गिरने की घटनाएं महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है। हीटवेव अब मृत्यु दर से जुड़ी दूसरी सबसे विनाशकारी घटना (बिजली के बाद) बन गई है।
- हीटवेव प्रदर्शन को कम करके और गर्मी से संबंधित बीमारी को बढ़ाकर, कार्य उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। इस सदी के अंत तक भारत में काम के प्रदर्शन में 30-40% की गिरावट का अनुमान है, क्योंकि गर्मी के तनाव के स्तर में वृद्धि हुई है।

इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है?

- अरब सागर के ऊपर एक एंटी-साइक्लोन के कारण, हवाएं दक्षिणावर्त दिशा में चल रही हैं, जिससे उप-क्षेत्र का निर्माण हो रहा है जहां गर्म, पछुआ हवाएं चल रही हैं।
- आसमान साफ है इसलिए वहां प्रचुर मात्रा में विकिरण है। इसके कारण देश के बड़े हिस्से में यह असामान्य रूप से तीव्र गर्मी की लहर फैल गई है। यह शुष्क, गर्म मौसम उत्तर भारत के कई हिस्सों में गेहूं की गुणवत्ता और उपज दोनों को प्रभावित कर सकता है।
- एक एंटी-साइक्लोन के दौरान, सतह पर हवा का दबाव अधिक होता है, जिससे इसके ऊपर की हवा नीचे आ जाती है। उच्च दाब के कारण नीचे आने पर यह वायु गर्म हो जाती है। इसके कारण बाहरी गर्म हवाएं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैली हुई हैं।
- लेकिन अगले सप्ताह की शुरुआत में, पश्चिमी विक्षोभ इस एंटी-साइक्लोन को समाप्त कर देगा, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी से भरी हवाओं को आगे बढ़ाएगा, एक ऐसी घटना जिससे अधिकांश मैदानी इलाकों से तापमान कम होने की संभावना है।
- कुछ क्षेत्रों में हीटवेव का सामना करना पड़ रहा है, यह न केवल उच्च तापमान के बारे में है बल्कि साथ में आर्द्रता में वृद्धि भी मायने रखता है। निरंतर गर्मी की लहरें खतरनाक हो सकती हैं, खासकर जब उच्च स्तर की आर्द्रता के साथ संयुक्त रूप से हो। यदि हवा में गर्मी के साथ उच्च स्तर की आर्द्रता होती है, तो शरीर में पसीना आना बंद हो जाता है और आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप हीट स्ट्रोक हो सकता है जिससे कई अंग खराब और मृत्यु हो सकती है।

हीट स्ट्रोक के लिए प्राथमिक उपचार:

पैरामेडिक्स के आने की प्रतीक्षा करते हुए, शरीर के तापमान को कम करने के उद्देश्य से प्राथमिक उपचार शुरू करें।

- व्यक्ति को वातानुकूलित वातावरण या कम से कम ठंडे, छायादार क्षेत्र में ले जाएं और किसी भी अनावश्यक कपड़े को हटा दें।
- रोगी की त्वचा को स्पंज या बगीचे की नली के पानी से गीला करते समय पंखे से हवा दें।
- रोगी के कांख (armpits) , कमर, गर्दन और पीठ पर आइस पैक लगाएं क्योंकि ये क्षेत्र त्वचा के करीब रक्त वाहिकाओं से भरपूर होते हैं, उन्हें ठंडा करने से शरीर का तापमान कम हो सकता है।
- नौजवान, छोटे बच्चों, पुरानी बीमारी वाले रोगियों, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बर्फ का प्रयोग न करें, जिसे बिना अधिक व्यायाम के हीट स्ट्रोक हुआ हो।

आगे की राह

हीटवेव के बढ़ते जोखिम के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नीतिगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर इस मुद्दे के समाधान के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाने चाहिए:

- हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वनरोपण अभियान।
- अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर फोटोवोल्टिक के लिए निरंतर समर्थन के माध्यम से ऊर्जा मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी में और कमी, राष्ट्रीय नीति की आधारशिला होनी चाहिए
- यह महत्वपूर्ण है कि भारत कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के बारे में अधिक महत्वाकांक्षी हो, यहां तक कि

	• यह परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग से दूर एक बदलाव, अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने से मेल खाना चाहिए। **Must Read:** • जलवायु परिवर्तन पर नया अध्ययन • जलवायु परिवर्तन के शमन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट

खजुराहो	• नागर शैली मंदिर वास्तुकला: विश्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। • कंदरिया महादेव मंदिर: चंदेल शासकों द्वारा निर्मित, राजा गंडा (King Ganda) (लिंगा के रूप में शिव प्रमुख देवता हैं); यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची के तहत। • लक्ष्मण मंदिर: ○ खजुराहो के सभी मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं। ○ इन मंदिरों के निर्माण के लिये हल्के रेतीले पत्थरों, लोहे की कीलकों और ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। ○ उन्हें चंदेल वंश का संरक्षण प्राप्त था। ○ लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय में मंदिर वास्तुकला की पूर्ण विकसित, विकसित शैली का प्रतिनिधित्व करता है। ○ इसका निर्माण चंदेल वंश के सातवें शासक यशोवर्मन द्वारा मंदिर के आधार पर मिले शिलालेख के अनुसार वर्ष 954 तक पूरा किया गया था। ○ मंदिर की योजना पंचयान (panchayana) प्रकार की है। ○ खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के 'नागर शैली' का अद्भुत उदाहरण हैं। गर्भगृह, शिखर (वक्रीय बुर्ज) और मंडप (प्रवेश द्वार) नागर शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण एक विशाल चबूतरे पर किया जाता है। इन मंदिरों के निर्माण के लिये हल्के रेतीले पत्थरों, लोहे की कीलकों और ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। ○ चबूतरे की दीवार पर कई कामुक मूर्तियां उकेरी गई हैं। और मंदिर की वास्तविक दीवार पर कुछ कामुक मूर्तियां उकेरी गई हैं। ❖ मंदिरों का खजुराहो परिसर विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उदाहरण के लिए, कंदरिया लक्ष्मण मंदिर पर हम देख सकते हैं कि एक महिला हाथ में पर्स लेकर बाजार से सामान खरीदती है जो आर्थिक स्वतंत्रता और चुनाव करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। ❖ कामुक मूर्तियां, जहां हम देख सकते हैं कि जब महिलाएं अपनी कामुकता की खोज करने की बात करती हैं तो वे अत्यधिक आत्मविश्वासी होती हैं। मंदिर की दीवारों पर बहुपतित्व (काम को मानव जीवन का एक आवश्यक और उचित हिस्सा मानने की हिंदू परंपरा) की प्रथा स्पष्ट है। ○ गर्भगृह में चतुर्मुख विष्णु की एक छवि है। ○ मंदिर के प्रत्येक कोने में चार मंदिर हैं। तीन मंदिरों में विष्णु और एक में सूर्य के चित्र हैं, जिन्हें तीर्थ-द्वारों की चौखट पर केंद्रीय छवि द्वारा पहचाना जा सकता है।

बाबू जगजीवन राम	बाबू जगजीवन राम, जिन्हें प्यार से बाबूजी के नाम से जाना जाता था, का जन्म 5 अप्रैल, 1908 को हुआ था। वह एक राजनेता से कहीं अधिक थे, जहां उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ते हुए और देश के उत्पीड़ित समुदायों की आवाज उठाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। **सामाजिक न्याय के योद्धा** • वह स्वयं एक दलित नेता होने के नाते, एक समाज सुधारक के रूप में उनका योगदान उनके अन्य प्रभावों से अलग था। • वह जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जहां वे सबसे कम उम्र के मंत्री और भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। • बाबू जगजीवन राम उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने भारतीय संविधान में पोषित सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व पर बहुत जोर दिया। • सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में बाबू जगजीवन राम ने वर्ष 1935 में अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संगठन ने मुख्य रूप से जातिग्रस्त समाजों में अछूतों के लिए कल्याण और समानता प्रदान करने की मांग की थी। **राजनीतिक कैरियर** • वर्ष 1937 में बिहार विधान सभा के सदस्य बनने के बाद ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित आंदोलनों के सामूहिक संगठन के लिए भी उन्हें जाना जाता है। • बाबू जगजीवन राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य बने, जहां उन्होंने पार्टी के लिए मन लगाकर (whole heartedly) चालीस वर्षों तक पोर्ट फोलियो की एक विस्तृत श्रृंखला में काम किया, जिसके बाद वे 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधान मंत्री भी बने। • वह वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। • केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में अपने दो कार्यकालों के दौरान भारत में हरित क्रांति और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है, खासकर 1974 के सूखे के दौरान जब उन्हें खाद्य संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त विभाग संभालने के लिए कहा गया था। • बाबू जगजीवन राम महात्मा गांधी को संविधान सभा में शामिल होने के लिए मनाने गए क्योंकि उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। यह तब था जब गांधी जी ने उन्हें वह दिया जो लोकप्रिय रूप से गांधी जी के तावीज़ (Talisman) के रूप में जाना जाता है।
चंद्रशेखर आजाद	चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के अन्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में आने के लिए प्रेरित किया। वह महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के गुरु थे, और भगत सिंह के साथ उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। **एक क्रांतिकारी के रूप में** • **'आज़ाद':** दिसंबर 1921 में, जब मोहनदास करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब चंद्रशेखर 15 वर्षीय छात्र थे लेकिन वह इसमें शामिल हो गए। परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपना नाम "आज़ाद" (द फ्री), अपने पिता का नाम "स्वतंत्रता" (स्वतंत्रता) और अपने घर को "जेल" बताया। उसी दिन से वह लोगों के बीच चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रचलित हुए। • **के लिए प्रसिद्ध हुए :** 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी में शामिल, 1926 में भारत के ट्रेन के वायसराय को उड़ाने के प्रयास में और अंत में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए 1928 में लाहौर में जे. पी. सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या। और प्रयागराज संग्रहालय में चंद्रशेखर आजाद की कोल्ट पिस्टल प्रदर्शित करने के लिए रखी गयी है। • **वह किससे प्रेरित हुए :** 1919 में हुई जलियांवाला बाग त्रासदी से उन्होंने 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया।

	• **गठन:** वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के मुख्य रणनीतिकार थे। • **उन्होंने प्रेरित किया:** भगत सिंह; चंद्रशेखर आजाद अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित थे। उन्होंने किसी भी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। आज़ाद और उनके हमवतन आम लोगों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ दमनकारी कार्यों के लिए जाने जाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाते थे। *ब्रिटिश पुलिस के लिए एक आतंक: वह उनकी हिट लिस्ट में था और ब्रिटिश पुलिस उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी।* • 27 फरवरी, 1931 को आजाद अपने दो साथियों से अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मिले। उन्हें एक मुखबिर ने धोखा दिया था जिसने ब्रिटिश पुलिस को सूचित किया था। • पुलिस ने पार्क को घेर लिया और आजाद को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। • आजाद ने अकेले बहादुरी से लड़ाई लड़ी और तीन पुलिसकर्मियों को मार डाला। • लेकिन खुद को घिरा हुआ पाकर और बचने का कोई रास्ता न देखकर उसने स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार उन्होंने जीवित न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा को निभाया।
श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व (1621-1675)	पिछली चार शताब्दियों में भारत में इतिहास की अवधि की कल्पना नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के प्रभाव के बिना नहीं की जा सकती। • श्री गुरु तेग बहादुर साहब सिख धर्म के नौवें गुरु थे। • 1621 में अमृतसर में जन्मे, गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। • उनके एक सौ पंद्रह सूक्त गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। • उन्हें योद्धा गुरु के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया। • वह मानवता, बहादुरी, गरिमा आदि को लेकर अपने विचारो और शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का समर्थन किया और धर्मांतरण का जमकर विरोध किया। • गुरु तेग बहादुर जी का जन्म के बाद नाम त्याग मल रख गया था। मुगल शासन के समय में जब हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया और मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में लोगों को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया, तब उस समय उन्होंने गैर-मुसलमानों के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण का विरोध किया। • औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या के पीछे के मकसद की व्याख्या करने वाले कई खाते हैं। वह कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए खड़ा हुआ, जिन्होंने औरंगजेब द्वारा धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ उनसे संपर्क किया था। • 1675 में औरंगजेब ने क्रूरता दिखाते हुए तेग बहादुर से इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे शीश कटा सकते हैं, लेकिन केश नहीं, इसके बाद उनका सिर कटवा दिया गया। • उन्होंने धर्म के सत्य ज्ञान के प्रचार-प्रचार के लिए कई जगह का दौरा किया, और आनंदपुर से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद आदि का भ्रमण किया। • साल 1666 में पटनासाहिब में उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिनको बाद में गुरु गोबिंद सिंह के नाम से पहचाना गया। • गुरु तेग बहादुर ने 115 शब्द भी लिखे, जिसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बनाया गया. इसके अलावा, साल 1665 में उन्होंने आनंदपुर साहिब शहर बनाया और बसाया था। • दिल्ली में गुरुद्वारा सीस गंज साहिब और गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब उनके शरीर के निष्पादन (execution) और दाह संस्कार के स्थानों को चिह्नित करते हैं। उनकी शहादत का प्रभाव: उनकी फाँसी ने धार्मिक उत्पीड़न और उत्पीड़न के खिलाफ सिखों के संकल्प को और सख्त कर दिया। • उनकी शहादत ने सभी सिख पंथों को अपनी सिख पहचान के लिए मानवाधिकारों की सुरक्षा को केंद्रीय बनाने में मदद की।

	• उनसे प्रेरित होकर, उनके नौ वर्षीय बेटे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अंततः सिख समूह को एक अलग, औपचारिक, प्रतीक-पैटर्न वाले समुदाय में संगठित किया, जिसे खालसा (मार्शल) पहचान के रूप में जाना जाने लगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

ट्विटर ने अपनाया 'जहर की गोली' (Twitter adopts 'poison pill')	**संदर्भ:** ट्विटर इंक ने अरबपति उद्यमी एलोन मस्क के 43 बिलियन डॉलर के नकद अधिग्रहण प्रस्ताव से खुद को बचाने के लिए एक सीमित अवधि के शेयरधारक अधिकार योजना को को लागू किया। • मस्क ने कंपनी को 43 बिलियन डॉलर से अधिक में खरीदने की पेशकश करते हुए कहा है कि इसे "एक निजी कंपनी के रूप में बदलने की जरूरत है" ताकि अपने उपयोगकर्ताओं के साथ विश्वास पैदा किया जा सके और जो वह मुक्त भाषण की "सामाजिक अनिवार्यता" कहते हैं, उसे बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। • मस्क ने ट्विटर के बोर्ड को एक पत्र में बोली लगाई- माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो व्यक्तियों और विश्व के नेताओं के लिए संचार का वैश्विक साधन बन गया है और इसे एक नियामक फाइलिंग में सार्वजनिक किया गया था। **'जहर की गोली' की रणनीति** • कंपनी ने 'ज़हर की गोली' की रणनीति अपनाई है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा अधिकृत नहीं किए गए लेन-देन में ट्विटर के 15% या अधिक स्टॉक का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, तो अधिकार प्रयोग योग्य हो जाएंगे। • इस कदम से मस्क को छोड़कर - मौजूदा ट्विटर शेयरधारकों को छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति मिलेगी, जिससे कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी कम हो जाएगी और अधिग्रहण के पक्ष में अधिकांश शेयरधारक वोटों को व्यवस्थित करना उनके लिए कठिन हो जाएगा। • ट्विटर ने घोषणा की कि यह योजना प्रभावी होगी यदि मस्क की हिस्सेदारी, जो वर्तमान में 9% है, 15% या उससे अधिक हो जाती है। • यह योजना इस संभावना को कम करेगी कि कोई भी व्यक्ति शेयरधारकों को प्रीमियम का भुगतान किए बिना या किसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड को अधिक समय दिए बिना कंपनी का नियंत्रण हासिल कर सकता है। इस तरह के बचाव, जिन्हें औपचारिक रूप से शेयरधारक अधिकार योजना कहा जाता है, का उपयोग किसी निगम के शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे बोली लगाने वाले के लिए कोई भी अधिग्रहण निषेधात्मक रूप से महंगा हो जाता है। मस्क न्यायालय में इस उपाय से लड़ने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन "पिछले 30 वर्षों में किसी भी अदालत ने जहर की गोली को उथल-पुथल नहीं किया है।
बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन धूमकेतु	**संदर्भ:** हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (National Aeronautics and Space Administration's-NASA) के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस बात की पुष्टि की है कि विशाल बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन धूमकेतु वास्तव में खगोलविदों द्वारा देखा गया यह अब तक का सबसे बड़ा बर्फीला धूमकेतु है। • अमरीका (US) की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पेड्रो बर्नार्डिनेली और खगोलविद गैरी बर्नस्टीन द्वारा खोजे गए धूमकेतु को C/2014 UN 271 या बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन (Bernardinelli-Bernstein) का नाम दिया गया है। • इसका अनुमानित व्यास लगभग 80 मील (129 किलोमीटर) है तथा द्रव्यमान लगभग 500 ट्रिलियन टन है। अब तक के अधिकांश ज्ञात धूमकेतुओं की तुलना में यह लगभग 50 गुना बड़ा है। • ठंडा होने पर, यह तापमान इतना गर्म होता है कि धूमकेतु की चट्टानी सतह से कार्बन मोनोऑक्साइड (एक प्रक्रिया जिसके दौरान ठोस पदार्थ गैस बन जाता है) को ऊर्ध्वपातित होने

	देता है, जिससे धूमकेतु के ठोस केंद्र के चारों ओर धूल और गैस का एक "कोमा" बन जाता है। • यह धूमकेतु, पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण और हमारे सौर मंडल के सबसे दूर-दराज के क्षेत्रों में उत्पन्न होता है तथा माना जाता है कि यह सूर्य के चारों ओर 3 मिलियन वर्ष लंबी अण्डाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। • वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपनी कक्षा के सबसे दूर के हिस्सों में सूर्य से लगभग आधा प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकता है।
क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर	**संदर्भ:** भारत और फिनलैंड ने इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। • दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। • भारतीय पक्ष ने इसके लिए तीन प्रमुख संस्थानों आईआईटी-मद्रास, आईआईएसईआर-पुणे और सी-डैक-पुणे की पहचान की है। अमेरिका और चीन क्वांटम कंप्यूटिंग में अग्रणी हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान में निवेश करने की आवश्यकता को भारत ने महसूस किया है जिसने क्वांटम-सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी (क्वेस्ट) नामक एक कार्यक्रम का अनावरण किया है। **क्वांटम कम्प्यूटिंग** • यह एक तेजी से उभरती हुई तकनीक जो क्लॉसिकल कंप्यूटरों के लिए बहुत जटिल समस्याओं को हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है। • क्वांटम कंप्यूटिंग एक नए प्रकार की कंप्यूटिंग है जो पारंपरिक कंप्यूटिंग के विपरीत क्वांटम भौतिकी पर निर्भर करती है यह सूचना के द्विआधारी प्रसंस्करण पर आधारित है। • यह कुछ वस्तुओं के उप-परमाणु स्तर पर या अत्यंत ठंडे तापमान पर व्यवहार करने के तरीके से निर्मित 'क्विबिट' का उपयोग करता है। • क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर को उन कम्प्यूटेशनल समस्याओं से आसानी से कम करने में मदद करती है जो क्लॉसिकल कंप्यूटर के लिए कठिन हो सकती हैं क्योंकि इसमें शामिल इनपुट की संख्या का आकार बड़ा होता जाता है। यह क्वांटम भौतिकी के मूलभूत नियमों का उपयोग एक साथ गणनाओं की समझ से बाहर होने के लिए करता है। **क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित अनुप्रयोग:** **1. हेल्थकेयर** • **अनुसंधान:** क्लॉसिकल कंप्यूटर अणुओं के आकार और जटिलता के संदर्भ में सीमित होते हैं जिनकी वे अनुकरण और तुलना कर सकते हैं (प्रारंभिक दवा विकास में एक आवश्यक प्रक्रिया)। यदि हमारे पास N आकार का एक इनपुट है जो शोधित अणुओं में परमाणुओं की संख्या है, तो इन परमाणुओं के बीच संभावित अंतःक्रियाओं की संख्या घातीय है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत बड़े अणुओं को होने की नकली अनुमति देगा । साथ ही, शोधकर्ता दवाओं और मानव जीनोम में एन्कोड किए गए सभी 20,000+ प्रोटीन के बीच आकर्षित और अनुकरण करने में सक्षम होंगे, जिससे फार्माकोलॉजी में अधिक प्रगति होगी। • **निदान (Diagnostics) :** क्वांटम प्रौद्योगिकियों का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ तेज, अधिक सटीक निदान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। AI क्षमताओं को बढ़ाने से मशीन लर्निंग में सुधार होगा - कुछ ऐसा जो पहले से ही पैटर्न की पहचान में सहायता के लिए उपयोग किया जा रहा है। हाई -रिज़ॉल्यूशन वाली एमआरआई मशीनें विस्तार के अधिक स्तर प्रदान करेंगी और चिकित्सकों को बीमारियों की जांच में भी सहायता करेंगी।

- **उपचार (Treatment) :** लक्षित उपचार, जैसे कि रेडियोथेरेपी, इष्टतम उपचार देने के लिए जटिल परिदृश्यों को तेजी से मॉडल और अनुकरण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्वांटम कंप्यूटर चिकित्सकों को कम समय में अधिक सिमुलेशन चलाने में सक्षम बनाएंगे, जिससे स्वस्थ ऊतकों को विकिरण क्षति को कम करने में मदद मिलेगी।

2. वित्त (Finance)

- **स्वचालित, उच्च-आवृत्ति व्यापार:** क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए एक संभावित अनुप्रयोग एल्गोरिथम व्यापार है - मार्किट वेरिएबल्स की एक विस्तृत विविधता के आधार पर शेयर लेनदेन को स्वचालित रूप से ट्रिगर करने हेतु जटिल एल्गोरिदम का उपयोग। विशेष रूप से उच्च-मात्रा वाले लेनदेन के लिए लाभ महत्वपूर्ण हैं।
- **धोखाधड़ी का पता लगाना:** स्वास्थ्य देखभाल में निदान की तरह, धोखाधड़ी का पता लगाना पैटर्न की पहचान पर निर्भर है। क्वांटम कंप्यूटर मशीन सीखने की क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं; तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने और पता लगाने की दर में सुधार करने में लगने वाले समय को नाटकीय रूप से कम करना।

3. मार्केटिंग

- क्वांटम कंप्यूटरों में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से उपभोक्ता डेटा की अधिक मात्रा को एकत्रित और विश्लेषण करने की क्षमता होगी।
- बिग डेटा एनालिटिक्स वाणिज्य और सरकार को व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, या मतदाताओं को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप संचार के साथ सटीक रूप से लक्षित करने की अनुमति देगा; उपभोक्ता खर्च और चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने में मदद करना।

4. मौसम विज्ञान (Meteorology)

- विचार करने के लिए इतने सारे वेरिएबल्स के साथ, सटीक मौसम पूर्वानुमान का उत्पत्ति करना मुश्किल है। क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके मशीन सीखने से पैटर्न की पहचान में सुधार होगा, जिससे चरम मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करना आसान हो जाएगा और संभावित रूप से वर्ष में हजारों लोगों की जान बच जाएगी।
- जलवायु विज्ञानी अधिक विस्तृत जलवायु मॉडल तैयार करने और उनका विश्लेषण करने में भी सक्षम होंगे; जलवायु परिवर्तन में अधिक अंतर्दृष्टि साबित करना और हम इसके नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं।

5. रसद (Logistics)

- बेहतर डेटा विश्लेषण और मॉडलिंग उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला को परिवहन, रसद और आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन से जुड़े वर्कफ़्लो को अनुकूलित करने में सक्षम बनाएगा।
- इष्टतम मार्गों की गणना और पुनर्गणना यातायात प्रबंधन, बेड़े संचालन, हवाई यातायात नियंत्रण, माल ढुलाई और वितरण जैसे विविध अनुप्रयोगों पर प्रभाव डाल सकती है।

6. आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

- सूनामी, सूखा, भूकंप और बाढ़ क्वांटम अनुप्रयोगों के साथ अधिक अनुमानित हो सकते हैं।
- जलवायु परिवर्तन से संबंधित आंकड़ों के संग्रह को क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। यह बदले में कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी श्रृंखलाओं और कृषि भूमि की बर्बादी को सीमित करने पर गहरा प्रभाव डालेगा।

7. सुरक्षित संचार

- चीन ने हाल ही में स्थलीय स्टेशनों और उपग्रहों के बीच सुरक्षित क्वांटम संचार लिंक का प्रदर्शन किया।
- यह क्षेत्र अन्य लोगों के साथ-साथ उपग्रहों, सैन्य और साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि

	यह अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अकल्पनीय रूप से तेज़ कंप्यूटिंग और सुरक्षित, सही (unhackable) उपग्रह संचार का वादा करता है।

आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए)	**संदर्भ:** हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये। • दोनों देशों की सरकारों को उम्मीद है कि (समझौते के लागू होने के बाद) माल का व्यापार अगले पांच साल में दोगुना होकर 50 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। • एक दशक में विकसित देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित यह पहला ऐसा समझौता भी है। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह सौदा 'पारस्परिक आधार' पर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के लिए दो से चार वर्षों के लिए अध्ययन उपरांत कार्य वीज़ा की सुविधा प्रदान करेगा। • यह भारतीय रसोइयों और योग पेशेवरों को भी वहां काम करने की अनुमति देगा। • यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात के 96% तक शून्य-शुल्क पहुँच प्रदान करेगा, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण, कपड़ा, परिधान और चमड़े जैसे प्रमुख क्षेत्रों से शिपमेंट शामिल हैं। • इसके बदले में भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के निर्यात की लाइनों सहित अपनी टैरिफ लाइनों के 70 प्रतिशत से अधिक की वरीयतापूर्ण पहुंच प्रस्तुत करेगा, जो कोयला, खनिज अयस्क तथा वाइन आदि जैसे मुख्य रूप से कच्चे माल तथा इंटरमीडियरीज़ है। • ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते से अगले पांच वर्षों में देश में 10 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। • यह आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को भी बढ़ाएगा, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता में भी योगदान देगा।
पश्चिम अफ्रीका अपने सबसे खराब खाद्य संकट का सामना कर रहा है	**संदर्भ :** लगभग एक दर्जन अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक रिपोर्ट में कहा कि पश्चिमी अफ्रीका एक दशक में सबसे खराब खाद्य संकट का सामना कर रहा है, जो यूक्रेन में बढ़ते संघर्ष, सूखा, बाढ़ और युद्ध के कारण है। **इस रिपोर्ट की मुख्य बातें** • बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, माली और नाइजीरिया सहित देशों में आपातकालीन खाद्य सहायता की आवश्यकता वाले पश्चिमी अफ्रीकियों की संख्या वर्ष 2015 में 7 मिलियन से बढ़कर इस वर्ष 27 मिलियन हो गई है, जहां हजारों लोग इस्लामी चरमपंथी हिंसा के कारण विस्थापित भी हुए हैं। • यदि सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में व्यापक क्षेत्र साहेल में लोगों की मदद के लिए जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो जून तक यह संख्या बढ़कर 38 मिलियन हो सकती है।

'मोस्कवा' और काला सागर का नुकसान (Loss of the 'Moskva' & Black Sea)	**संदर्भ:** हाल ही में काला सागर में रूसी जहाज़ी बेड़े के प्रमुख युद्धपोत मोस्कवा (जो 12500 टन वजनी और 600 फुट लंबा था जिसने शीत युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं देना शुरू किया था) का डूबना चाहे वह यूक्रेनी मिसाइल हमले के कारण हो या जैसा कि रूस का दावा है कि यह बोर्ड पर आग लगने के कारण डूबा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के लिये एक गंभीर क्षति है। यह राजधानी मास्को के नाम पर रखा गया था। • द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कार्रवाई में डूब जाने वाला सबसे बड़ा रूसी युद्धपोत। • दूसरी तरफ यह यूक्रेनी उम्मीदों को बढ़ाता है, उनके रक्षकों की घरेलू तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करता है, इसके विपरीत रूसी नौसेना की मिसाइल-विरोधी सुरक्षा में एक कमजोरी को उजागर करता है। **काला सागर के बारे में** • काला सागर, जिसे ईक्सिन सागर (Euxine Sea) के नाम से भी जाना जाता है यह विश्व के प्रमुख जल निकायों और प्रसिद्ध अंतर्देशीय समुद्रों में से एक है। • यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है। • काला सागर केर्च जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर से भी जुड़ा हुआ है। • इसके दक्षिण में तुर्की, उत्तर में क्रीमिया, पूर्व में जॉर्जिया और रूस तथा पश्चिम में रोमानिया एवं बुल्गारिया देश हैं। *काला सागर के आसपास की राजनीति* • एक व्यस्त जलमार्ग होने के नाते ग्रीस ने 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे नियंत्रित किया और 500 ईसा पूर्व तक ग्रीक समुदायों ने इसका नियंत्रण ले लिया। इससे उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिली। • 1479 में, काला सागर ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया जब तक कि 1783 में रूसी नौसेना ने इसे अपने कब्जे में नहीं ले लिया। • 1853-1856 के क्रीमियन युद्ध में इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए अत्यधिक रक्तपात हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के रूस के मुख्य कारणों में से एक काला सागर पर नियंत्रण करना था। *रूस के लिए काला सागर का महत्व* • काला सागर न केवल भूमध्य सागर में रूस के लिए एक प्रवेश बिंदु है और नाटो और स्वयं के बीच रणनीतिक बफर है, यह देश के लिए दक्षिणी यूरोप के प्रमुख बाजारों के लिए आर्थिक प्रवेश द्वार को सुरक्षित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि डेक्कन हेराल्ड द्वारा रिपोर्ट किया गया है। • मास्को काला सागर को अपनी भू-आर्थिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण मानता है; पश्चिम को रूस के तेल और गैस की आपूर्ति में मदद करता है। • रूस अपने निकट पड़ोस के बाहर सैन्य अभियानों के लिए और मुख्य वस्तु (हाइड्रोकार्बन) के निर्यात के लिए काला सागर पर निर्भर है।

	• USSR के टूटने के साथ, आदर्श रूप से नाटो को भंग कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में, अमेरिका और नाटो द्वारा कई आश्वासनों के बावजूद, 1991 के बाद से इसका चार गुना विस्तार हुआ है और लगभग रूस के दरवाजे तक पहुंच गया है। • क्रेमलिन भूमध्यसागर को बड़े पैमाने पर नाटो-प्रभुत्व वाले क्षेत्र के रूप में देखता है। इसलिए, काला सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर, रूस को इस क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य घुसपैठ करने के अवसर मिलने की उम्मीद करता है। • काला सागर और समुद्र के प्रभुत्व से रूस को क्रीमिया-ओडेसा-मारियुपोल क्षेत्र में एक बड़ा लाभ मिलेगा, जबकि सेवस्तोपोल पहले से ही उसके अधीन है। *Pic source: Wikipedia*
यमन के हूती विद्रोही बाल सैनिकों का इस्तेमाल बंद करने पर सहमत	**संदर्भ:** यमन के हूती विद्रोही बाल सैनिकों के अपने रैंक से छुटकारा पाने के लिए सहमत हो गए हैं, जिन्होंने देश के सात वर्षों के गृहयुद्ध के दौरान हजारों लोगों से लड़ाई लड़ी है। • हूती ने सशस्त्र संघर्ष में बच्चों को भर्ती या उनका उपयोग करने, बच्चों को मारने या अपंग करने और स्कूलों एवं अस्पतालों पर हमला करने आदि को समाप्त और रोकने के लिए एक "कार्य योजना" पर हस्ताक्षर किए। • विद्रोहियों ने अपने रैंक में बच्चों की पहचान करने और उन्हें छह महीने के भीतर रिहा करने का वचन दिया है। • युद्ध में 10,200 से अधिक बच्चे मारे या अपंग हो गए। सैनिकों के रूप में बच्चों की भर्ती और उपयोग युद्ध के समय में बच्चों को प्रभावित करने वाले संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित छह उल्लंघनों में से एक है। सूची में यह भी शामिल है: बच्चों की हत्या और अपंगता, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा, बच्चों का अपहरण, स्कूलों या अस्पतालों के खिलाफ हमले और बच्चों के लिए मानवीय पहुंच से इनकार। **इसके कारण क्या हुआ?** • गृह युद्ध सितंबर 2014 में तब शुरू हुआ जब हूती बलों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया , जिसके बाद सरकार का तेजी से हूती अधिग्रहण हुआ। संयुक्त अरब अमीरात सहित सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सरकार को सत्ता में बहाल करने की कोशिश करने के लिए वर्ष 2015 की शुरुआत में युद्ध में आया। • युद्ध पर नज़र रखने वालों का अनुमान है कि इस संघर्ष में 14,500 से अधिक नागरिक और 150,000 लोग मारे गए हैं इसमें लड़ाकों को शामिल किया गया था। इस लड़ाई ने दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक के रूप में उभरी । युद्धरत पक्ष इस महीने की शुरुआत में छह साल में पहले राष्ट्रव्यापी संघर्ष के लिए सहमत हुए।

हूती कौन हैं?

- हूतियों का उदय 1980 के दशक में यमन में हुआ। यह यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है।
- हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में हैं। 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आईं। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा।
- हूती ज़ायदी शिया, या ज़ायदियाह हैं। शिया मुसलमान इस्लामी दुनिया में अल्पसंख्यक समुदाय हैं और ज़ायदी शियाओं के अल्पसंख्यक हैं, जो ईरान, इराक और अन्य जगहों पर हावी होने वाले शियाओं से सिद्धांत और विश्वासों में काफी भिन्न हैं (अक्सर बारह इमामों में उनके विश्वास के लिए ट्वेलवर्स कहा जाता है)।
- वर्ष 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण ने हौथी आंदोलन को ज्यादा कट्टरपंथी बना दिया। हौथियों ने नारा अपनाया: "God is great, death to the U.S., death to Israel, curse the Jews, and victory for Islam," यह इराक पर अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के मद्देनजर हुआ।

यमन:

- यमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित देश है और सऊदी अरब एवं ओमान की सीमा में है।
- यह 1990 के दशक की शुरुआत से ही अपने वर्तमान स्वरूप में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में है।
- अफ्रीका में यमन जिबूती से केवल 30 किमी दूर है, जो बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पार स्थित है, जिसका अर्थ है आँसू का द्वार।
- 18 मिलियन वर्ष पहले तक, यमन और अफ्रीका का हॉर्न एक ही भूभाग थे। लेकिन अदन की खाड़ी की दरार ने अरब प्रायद्वीप और हॉर्न क्षेत्र को अलग कर दिया।
- सनासा यमन का सबसे बड़ा शहर है। सना संवैधानिक रूप से यमन की राजधानी है।
- सना एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका एक विशिष्ट वास्तुशिल्प चरित्र है, जो विशेष रूप से ज्यामितीय पैटर्न से सजाए गए बहुमंजिला इमारतों में व्यक्त किया गया है।
- हूती कब्जे के बाद, राजधानी अदन में बदल दी गई यह दक्षिण यमन की पूर्व राजधानी थी । अदन जबल अन-नबी शुएब और जबाल तियाल के सरवत पर्वत के बगल में स्थित है, जिसे देश के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक माना जाता है।

चीन ने पिछले महीने सोलोमन द्वीपसमूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ: चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है, जिसके परिणामस्वरूप चीन ऑस्ट्रेलिया के करीब दक्षिण प्रशांत देश में एक सैन्य अड्डा स्थापित कर सकता है। इससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक सौदे पर चिंता जताई है।

- इस समझौते के तहत, दोनों पक्ष "सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव, लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की सुरक्षा, मानवीय सहायता और प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, सोलोमन द्वीप समूह की सुरक्षा में क्षमता निर्माण को मजबूत करने में मदद करने के प्रयास में खुद की सुरक्षा। "
- ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड की चिंता के बीच यह खबर आई है कि समझौते में एक सैन्य अड्डे की स्थापना शामिल होगी, जैसा कि चीन ने 2017 में अफ्रीकी राष्ट्र जिबूती के साथ किया था। लेकिन प्रशांत द्वीप राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि सौदे में ऐसा कोई खंड नहीं था।

चिंताएं क्या हैं?

- चीन की बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव इस क्षेत्र को अस्थिर कर (destabilize) सकता है क्योंकि इस द्वीप को सामरिक पुनःपूर्ति के लिए चीन के सैनिकों के लिए एक पड़ाव के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- भू-राजनीति में एक बड़ा बदलाव क्योंकि यह चीन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित दक्षिण प्रशांत तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के परिदृश्य में प्रशांत द्वीप समूह विशेष रूप से पश्चिमी शक्तियों, यू.एस., यू.के., फ्रांस और क्षेत्रीय दिग्गजों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रभाव के क्षेत्र में थे।
  - उन सभी के पास इस क्षेत्र में क्षेत्रीय संपत्ति है, उनमें से तीन परमाणु शक्तियों ने इस क्षेत्र को परमाणु हथियार परीक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल किया है।
  - क्षेत्र के छोटे द्वीपीय राष्ट्र उन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया क्योंकि यह एक रेजिडेंट पॉवर (Resident Power) है।
  - ताइवान के निरंतर विस्थापन और आर्थिक एवं राजनीतिक दबदबे की वजह से क्षेत्र में इस स्थापित शक्ति संरचना को चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है।
  - सोलोमन द्वीप समूह के साथ इसके प्रस्तावित सौदे ने इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते प्रोफाइल में एक सुरक्षा आयाम जोड़ा है।
- प्रशांत द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों के बीच खुद को सम्मिलित करने

	हेतु चीन के लिये प्रशांत क्षेत्र में स्थित द्वीप रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। यह वर्तमान परिदृश्य में 'ऑकस' (ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस) के उद्भव को देखते हुए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है,जो कि एंग्लो-अमेरिकन सहयोग के माध्यम से चीन की तुलना में ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। **सोलोमन द्वीप** • सोलोमन द्वीप एक संप्रभु देश है जिसमें छह प्रमुख द्वीप और ओशिनिया में 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं यह पापुआ न्यू गिनी और वानुअतु (Vanuatu) के मध्य स्थित है। • यह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। • इसकी राजधानी होनियारा, जो सबसे बड़े द्वीप ग्वाडलकैनाल पर स्थित है। • यहाँ मत्स्य पालन के साथ-साथ लकड़ी और खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण भंडार है।
रायसीना डायलॉग 2022 (Raisina Dialogue 2022)	रायसीना डायलॉग भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रतिबद्ध है। • रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ-साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है। • हर साल, राजनीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के नेता दुनिया की स्थिति पर चर्चा करने और समकालीन मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में एकत्रित होते हैं। • यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। • रायसीना डायलॉग का प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। • रायसीना डायलॉग 2022, 'टेरानोवा- इंपैसंड, इंपैसियस, इंपेरिल्ड' थीम पर आधारित है। • संयुक्त रूप से आयोजित:विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन • सिंगापुर के शांगरी-ला डायलॉग की तर्ज पर हर साल आयोजित किया जाता है। • भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसलिये इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। • रायसीना डायलॉग 2022 में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबॉट, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद हिस्सा लेंगे। • इनके अलावा अर्जेंटीना, आर्मेनिया, गुयाना, नार्वे, लिथुवानिया, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल आदि देशों के विदेश मंत्रियों के इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है। • इसमें करीब 100 सत्र होंगे और करीब 90 देशों के 210 वक्ता शामिल होंगे।

	रायसीना डायलॉग 2022 के छह मुख्य विषय हैं : 1. लोकतंत्र पर पुनर्विचार : व्यापार, प्रौद्योगिकी व विचार धारा 2. बहुपक्षवाद का अंत : एक नेटवर्क वाली वैश्विक व्यवस्था 3. वाटर कॉकस : भारत-प्रशांत में अशांत ज्वार 4. समुदाय इंकार्पोरेशन : स्वास्थ्य, विकास और धरती के प्रति पहली जिम्मेदारी 5. हरित बदलाव : सामान्य अनिवार्यता, वास्तविकताओं को अलग करना 6. सैमसन बनाम गोलियत : लगातार और अनवरत प्रौद्योगिकी जंग
भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष	**संदर्भ:** स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन जैसे सार्वभौमिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें विनिमय के एक लंबे इतिहास के माध्यम से साझा किया गया है, जापान और भारत "विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदार" हैं, जो रणनीतिक हितों को साझा करते हैं। इस मील के पत्थर वर्ष 2022 (28 अप्रैल 1952) में, जापान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। **पृष्ठभूमि** • जापान और भारत के बीच औपचारिक संबंध 1952 में शुरू हुए। • द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बहुपक्षीय सैन फ्रांसिस्को शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बजाय, भारत ने जापान के साथ एक द्विपक्षीय शांति संधि को समाप्त करने का विकल्प चुना, यह मानते हुए कि जापान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में फिर से शामिल होने के लिए सम्मान और समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह हमारी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती की आधारशिला है। • लेकिन राजनयिक संबंधों की स्थापना से पहले भी, दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भावना व्यापार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान गहराई से निहित थी। • 1951 में, जब भारत ने नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की, तो इसने जापानी एथलीटों को आमंत्रित किया। यह उन पहले अवसरों में से एक था जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी ध्वज फहराया गया था। इस अनुभव ने उन जापानी लोगों के मन को सुकून दिया जो अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। • 70 वर्षों के बहुस्तरीय आदान-प्रदान के बाद, हमारे दोनों देशों के बीच संबंध "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" में विकसित हुए। **दोनों देशों के बीच संबंध** ***सामरिक घटक*** • मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत पर अभिसरण पर बातचीत होगी, • रक्षा और सुरक्षा एवं क्षेत्रीय संदर्भ में प्रगति पर बातचीत • भारत और जापान ने आपूर्ति और सेवा समझौते के पारस्परिक प्रावधान (RPSS) पर हस्ताक्षर किए। • उद्घाटन 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक नवंबर 2019 में आयोजित की गई थी। • एक्ट ईस्ट फोरम: भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना के लिए 2017 के शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी, वन प्रबंधन, आपदा जोखिम में कमी और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में विकास परियोजनाओं का समन्वय करना है। • मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में राजमार्गों के उन्नयन सहित कई परियोजनाएं चल रही हैं। पीएम ने पिछले साल असम और मेघालय के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 20 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी थी। • आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) – भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था मंत्रियों ने 27 अप्रैल 2021 को (एससीआरआई) लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाना और भरोसेमंद स्रोतों को विकसित करना है। आपूर्ति और निवेश को आकर्षित करने के लिए। प्रारंभिक परियोजनाओं के रूप में (i) आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना; और (ii) मैचिंग इवेंट का आयोजन पूरा कर लिया गया है।

	आर्थिक घटक दोनों देशों ने भारत में सार्वजनिक और निजी निवेश में 3.5 ट्रिलियन जापानी येन का लक्ष्य हासिल किया है। • आज भारत में 1,455 जापानी कंपनियां हैं। ग्यारह जापान औद्योगिक टाउनशिप (जेआईटी) की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान में नीमराना और आंध्र प्रदेश में श्री सिटी में सबसे अधिक कंपनियां हैं। • जापान एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है; ओडीए का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (भारत का विकास भागीदार)। • मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो परियोजनाओं, डीएमआईसी आदि सहित जापानी सहायता के माध्यम से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। • पिछले साल पीएम मोदी ने वाराणसी कन्वेंशन सेंटर (रुद्राक्ष) का उद्घाटन किया था, जबकि तत्कालीन पीएम योशीहिदे सुगा ने एक वीडियो संदेश भेजा था। • दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2018 में एक डिजिटल साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। इस साझेदारी के तहत स्टार्टअप्स में सहयोग एक जीवंत पहलू के रूप में उभरा है। अब तक भारतीय स्टार्टअप ने जापानी वीसी से 10 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की राशि जुटाई है। भारत और जापान ने भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करने के लिए एक निजी क्षेत्र द्वारा संचालित फंड-ऑफ-फंड भी लॉन्च किया है, जिसने अब तक 100 मिलियन अमरीकी डालर जुटाए हैं। • दोनों देशों का आईसीटी के क्षेत्र में भी 5जी, अंडर-सी केबल, टेलीकॉम और नेटवर्क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग है। 5जी पर वर्कशॉप भी आयोजित की गई। • कौशल विकास के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। जापान-भारत विनिर्माण संस्थान (JIM) की कुल संख्या अब 19 हो गई है (2018 में यह 8 थी)। ये संस्थान कुशल कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत में स्थित जापानी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। जापानी कंपनियों ने विभिन्न कॉलेजों में 7 जापानी एंडेड कोर्स (जेईसी) भी स्थापित किए हैं। • 220 भारतीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी) के तहत जापान में प्रशिक्षु के रूप में रखा गया है। भारत ने एक विशिष्ट कुशल श्रमिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। जापानी पक्ष ने इस कार्यक्रम के तहत नर्सिंग देखभाल के लिए परीक्षा शुरू कर दी है। **मौजूद अपार संभावनाएं** • साइबर सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष और आर्थिक सुरक्षा सहित सुरक्षा मुद्दों में सहयोग करने के लिए ढेर सारे क्षेत्र। • हमारे आर्थिक संबंधों को और बढ़ाया जा सकता है: लंबे समय से, जापान भारत को सबसे बड़ा ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) दाता रहा है। हमारे सहयोग के सबसे हालिया और चल रहे उदाहरणों में से एक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना है। जापान भी भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। दोनों देशों ने सामाजिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अन्य देशों में आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। हमारी आर्थिक साझेदारी हिंद-प्रशांत की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकती है। • साहित्य, चलचित्र, संगीत, खेलकूद और शिक्षाविदों सहित सांस्कृतिक आदान-प्रदान हमारे संबंधों के लिए आवश्यक हैं, जिससे बेहतर समझ हो सके।

विविध

परजीवी ततैया का नया वंश (जीनस)	**संदर्भ:** भारतीय वैज्ञानिकों ने ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम पर्यावरण थिंक टैंक अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी ऐंड द एन्वायरनमेंट (अत्री) के नाम पर रखा गया है। • वैज्ञानिकों ने 'अत्री राजथे' के साथ ही पहले से ही ज्ञात दो अन्य प्रजातियों (बाएसिस इम्प्रोसेरस और बाएसिस वैलिडस) को उनकी रूपात्मक समानता को देखते हुए ब्रोकोनिड ततैया के एक पूरे वंश (जीनस) का नाम "अत्री" रखा है। • इतना ही नहीं देश में यह पहला मौका है जब किसी कीट के पूरे वंश का नाम किसी पर्यावरण संस्थान के नाम पर रखा गया है। • गौरतलब है कि ताइवान में 1998 में खोजी गई इन दोनों प्रजातियां को पहले 'डायोस्पिलस जीनस' में शामिल किया गया था। • परजीवी ततैया का यह नया वंश (जीनस) उपपरिवार ब्राचिस्टिना की जनजाति डायोस्पिलिनी से संबंधित है। • नई वर्णित प्रजाति एक परजीवी ततैया है। • एटीआरईई के एक बयान में बताया गया है कि परजीवी अन्य कीड़ों के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक दुश्मन हैं, ऐसे में इंसान उनके इस व्यवहार का फायदा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए कर सकते हैं।
मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम (MANPADS)	**संदर्भ:** भारतीय सेना जो लंबे समय से नए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS) की तलाश में है, ने हाल ही में आपातकालीन खरीद के तहत रूस से खरीदे गए इग्ला-एस सिस्टम (Igla-S systems) की एक छोटी संख्या को शामिल किया है। **MANPADS क्या हैं?** • ये कम दूरी की हल्की एवं पोर्टेबल सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, • जिन्हें विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। • ये हवाई हमलों से सैनिकों की सुरक्षा करने में मदद करते हैं और कम उड़ान वाले विमानों को निशाना बनाने में सबसे प्रभावी होते हैं। • इन्हें कंधे से फायर किया जा सकता है, एक ज़मीनी वाहन के ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है, साथ ही इसे एक तिपाई या स्टैंड से और एक हेलीकॉप्टर या नाव से भी दागा जा सकता है। • इनका वज़न 10 से 20 किलोग्राम के बीच होता है और इनकी ऊँचाई 1.8 मीटर से अधिक नहीं होती है। ये अन्य हथियार प्रणालियों की तुलना में काफी हल्के होते हैं, जिससे उन्हें सैनिकों द्वारा संचालित करना आसान होता है। • इनके संचालन के लिए कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। • इनमें से अधिकांश में निष्क्रिय या 'फायर एंड फॉरगेट' मार्गदर्शन प्रणाली मौज़ूद है, जिसका अर्थ है कि ऑपरेटर द्वारा मिसाइल को अपने लक्ष्य तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे उन्हें फायरिंग के तुरंत बाद चलाने और स्थानांतरित करने में मदद मिलती है। • 'MANPADS' की अधिकतम सीमा 8 किलोमीटर है और यह 4.5 किमी की ऊँचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है।
DIKSHA वेबसाइट	DIKSHA राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट और सभी ग्रेड (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जाइज्ड टेक्स्टबुक प्रदान करने का मंच है। • दीक्षा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (W3C) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (WCAG) 2.0 लेवल AA का अनुपालन करती है। • यह दृष्टिबाधित लोगों को स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAISY) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित नेत्रहीन और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई-कंटेंट।

	• DAISY उन लोगों के लिए डिजिटल टॉकिंग किताबों के लिए उभरता हुआ विश्व मानक है जो दृष्टिबाधित या प्रिंट निर्बलता से ग्रस्त हैं। • DAISY पुस्तकों में "एम्बेडेड नेविगेशन" होता है जो पाठकों को किसी काम के किसी भी हिस्से पर तुरंत पहुंचने में सक्षम बनाता है- उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति किसी भी पृष्ठ को देख सकता है। • DAISY में टेक्स्ट को टैग के साथ चित्रित किया जाता है, जैसे कि भाग, अध्याय, पृष्ठ, पैराग्राफ आदि, और ऑडियो फाइलों के साथ समन्वयित किया जाता है। रीडर्स टैब कुंजी या अन्य प्लेयर नियंत्रण का उपयोग करके इस पदानुक्रम के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं।
नई रोशनी योजना	• महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। • यह छह दिवसीय गैर-आवासीय/पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए चयनित कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है। • इसमें महिलाओं के नेतृत्व, शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिक व व्यवहार परिवर्तन के लिये वकालत जैसे विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं। • नई रोशनी योजना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 25 % जगह देश की अन्य गरीब परिवार की महिलाओं के लिए रखी गई है। • इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.35 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। • इस योजना में पंचायती राज संस्थाओं के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) को किसी भी समुदाय से प्रशिक्षु के रूप में शामिल करने के लिए मनाने का प्रयास किया जाएगा। • इसकी शुरुआत वर्ष 2012-13 में की गई थी।
नया सवेरा: अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	• केंद्र और राज्य सरकारों के तहत समूह 'A', 'B' और 'C' सेवाओं और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षा के लिए छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसियों से संबंधित छात्रों/उम्मीदवारों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। • योजना को पैनलबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से पूरे देश में लागू किया गया है। • नया सवेरा में अब तक 1.19 लाख से अधिक अल्पसंख्यक छात्र/अभ्यर्थी लाभान्वित हो चुके हैं। **नई उड़ान योजना** • इससे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को सहायता प्रदान की जाती है। • इसमें अब तक लगभग 9800 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। **नई मंजिल योजना (Nai Manzil Scheme)** • 17-35 वर्ष की आयु के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक युवाओं (पुरुषों और महिलाओं दोनों) को लाभान्वित करने का लक्ष्य, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है, यानी स्कूल छोड़ने वालों की श्रेणी में या सामुदायिक शिक्षा में शिक्षित मदरसा जैसे संस्थान। • इस योजना के तहत लाभार्थी सीटों का 30% बालिका/महिला उम्मीदवारों के लिए और 5% लाभार्थी सीटों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है।

	• यह योजना औपचारिक शिक्षा का एक संयोजन प्रदान करती है (कक्षा • आठवीं या दसवीं) और लाभार्थियों को बेहतर रोजगार एवं आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल। • पूरे देश में इस योजना के तहत अब तक कुल 93485 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
पारिवारिक वानिकी की अवधारणा (Concept of Familial Forestry)	पारिवारिक वानिकी का अर्थ परिवार के सदस्य के रूप में वृक्ष की देखभाल करना है ताकि वृक्ष परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। *लैंड फॉर लाइफ* • यह मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) का एक पुरस्कार कार्यक्रम है, जिसे हर दो साल में प्रदान किया जाता है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का उद्देश्य उन व्यक्तियों एवं संगठनों को वैश्विक मान्यता प्रदान करना है जिनके कार्य तथा पहल ने धारणीय भूमि प्रबंधन (सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट/एसएलएम) के माध्यम से सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजस्थान की पारिवारिक वानिकी को यूएनसीसीडी द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया। लैंड्स फॉर लाइफ पुरस्कार यूएनसीसीडी द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रदान किया जाता है। • 17 जून 2021 को यूएनसीसीडी द्वारा राजस्थान, भारत के पारिवारिक वानिकी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। • इस आंदोलन में मरुस्थल प्रवण उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 15,000 से अधिक गांवों के दस लाख से अधिक परिवार शामिल थे। यूएनसीसीडी के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में छात्रों और रेगिस्तानी निवासियों की सक्रिय भागीदारी के साथ लगभग 2.5 मिलियन पौधे लगाए गए हैं। • पुरस्कार प्रदान करते हुए, यूएनसीसीडी ने कहा है कि, राजस्थान की पारिवारिक वानिकी, भारत एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार के साथ एक पेड़ को जोड़ती है, जिससे यह एक हरा "परिवार का सदस्य" बन जाता है। यह हरित या पारिस्थितिक समाजीकरण पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सशक्तिकरण लाता है। • सरकार के पास वनरोपण/वृक्षारोपण से संबंधित विभिन्न योजनाएं हैं जो मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से निपटने हेतु अग्रसर हैं। जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम/एनएपी), हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया/जीआईएम), इत्यादि।
MH-60R हेलीकॉप्टर	**संदर्भ:** भारतीय नौसेना के एयरक्रू के पहले बैच ने सैन डिएगो में उत्तरी द्वीप के अमेरिकी नौसेना वायु स्टेशन में MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (MRH) पर अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। • तीन हेलीकॉप्टरों की पहली खेप जून तक भारत आने की उम्मीद है। **अन्य संबंधित तथ्य** • भारतीय नौसेना में बहुमुखी 'मल्टी रोल रोमियो हेलीकॉप्टर' को शामिल करने के लिए चालक दल जिम्मेदार होगा। • इस हेलीकॉप्टर की तैनाती जहाजों पर की जाएगी। ○ नौसेना को अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर हेलीकॉप्टरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, और नए की खरीद में बार-बार देरी हो रही है। • MH-60R 1990 के दशक में पहले ही सेवामुक्त किए गए Sea King 42/42A हेलीकॉप्टरों के प्रतिस्थापन हैं। • उन्हें अग्रिम पंक्ति के जहाजों और विमानवाहक पोतों से संचालित करने की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें संचालन के लचीलेपन, बढ़ी हुई निगरानी और हमला करने की क्षमता के महत्वपूर्ण गुण प्रदान करते हैं। • MH-60R हेलीकॉप्टर नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्ध, एंटी-शिप स्ट्राइक, विशेष समुद्री अभियानों के साथ-साथ खोज और बचाव कार्यों सहित आक्रामक भूमिका प्रदान करेंगे। • MH-60R हेलीकॉप्टर सभी मौसमों में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है जिसे विमानन की नई

	तकनीकी के साथ कई मिशनों में सहयोग देने के लिए डिजाइन किया गया है।
विश्व होम्योपैथी दिवस	विश्व होम्योपैथी दिवस 8 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया या के रूप में भी जाना जाता है। • होम्योपैथी के जनक • मानव औषध विज्ञान के जनक • नैनो मेडिसिन के जनक • रसायन विज्ञान में अनंत तनुकरण अवधारणा के जनक *होम्योपैथी* • होम्योपैथी एक चिकित्सा प्रणाली है जो इस विश्वास पर आधारित है कि शरीर अपने आप ठीक हो सकता है। जो लोग इसका अभ्यास करते हैं वे पौधों और खनिजों जैसे कम मात्रा में प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। उनका मानना है कि ये उपचार प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। यह एक वैकल्पिक औषधीय अभ्यास है जो किसी बीमारी के इलाज या इलाज में मदद करने के लिए सक्रिय संघटक की सबसे छोटी संभव मात्रा का उपयोग है, भले ही यह घटक पहली जगह में किसी बीमारी में योगदान दिया है। इस अवधारणा को रखने का एक और तरीका: "जैसे इलाज की तरह"। • यह अभ्यास प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर की प्राकृतिक क्षमता को ठीक करने में मदद करता है - जो पदार्थ पैदा करने में सक्षम है, वह इलाज करने में भी सक्षम है। **होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग** • आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: - (a) एक अध्यक्ष; (b) सात पदेन सदस्य; और (c) उन्नीस अंशकालिक सदस्य। • राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के कार्य: ○ चिकित्सा संस्थानों और होम्योपैथिक चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियां बनाना। ○ स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का आकलन करना। **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 के बारे में** • एनसीएच, अधिनियम, 2020 दिनांक 1.4.2015 से प्रभावी हो गया है। यह 5 जुलाई 2021 को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को निरस्त करने के बाद पूरे देश में लागू हुआ। • 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथिक शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए परिषद को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से बदल दिया। • इस अधिनियम में चिकित्सा बहुलवाद को बढ़ावा देने के लिए होम्योपैथी, भारतीय चिकित्सा प्रणाली और चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के बीच इंटरफेस रखने का प्रावधान है। • यह राज्य सरकार को होम्योपैथी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने सहित स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक उपाय करने का प्रावधान भी करता है।
नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज	• टाइम रिलीज स्टडीज (TRS) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्गो निकासी प्रक्रिया का आकलन करने के लिए एक प्रदर्शन माप उपकरण है, जैसा कि व्यापार सुविधा समझौते (TFA) और विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के तहत विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा अनुशंसित है। • यह औसत कार्गो रिलीज टाइम को अपनाता है, अर्थात सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से लेकर आयात या निर्यात के लिए इसकी अंतिम रिलीज तक, जैसा भी मामला हो। **सुधार की सूचना दी -** • पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में सभी चार बंदरगाह श्रेणियों के लिए औसत कार्गो रिलीज समय में: ICPs के लिए 2 प्रतिशत से ACCs के लिए 16 प्रतिशत तक काफी अधिक है। • समुद्री बंदरगाह या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से साफ किए गए समुद्री कार्गो के लिए औसत रिलीज समय में 12 प्रतिशत का सुधार हुआ है। इस सुधार के साथ, आईसीपी ने राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) लक्ष्य रिलीज समय को 2023 तक हासिल कर लिया

	है, जबकि अन्य तीन बंदरगाह श्रेणियां एनटीएफएपी लक्ष्य के 75 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं।
व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (White Spot Syndrome Virus)	• जलीय कृषि रोगज़नक़ • भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सुविधाजनक परीक्षण करने वाला उपकरण विकसित किया है। यह झींगा की खेती को बढ़ावा देने के लिए WSSW का पता लगाता है। • यह कारनामा आगरकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई) के वैज्ञानिकों ने किया है। उन्होंने पेप्टाइड-आधारित परीक्षण उपकरण को विकसित किया है जो वैकल्पिक जैव पहचान तत्व के रूप में काम करता है। **महत्व** • व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (डब्ल्यूएसएसवी) द्वारा झींगे जिसे पेनियस वन्नामेई- प्रशांत महासागरीय सफेद झींगा कहा जाता है, को संक्रमित किए जाने के चलते इसका भारी नुकसान होता है। • यह उच्च मान का सुपर-फूड, वायरल और बैक्टीरियल रोगाणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लेकर अतिसंवेदनशील है। इसके संक्रमित होने की आशंका काफी अधिक होती है। • यह बेहतर पोषण, प्रोबायोटिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जल, बीज व चारे की गुणवत्ता नियंत्रण, प्रतिरक्षा- प्रेरक पदार्थ और सस्ते टीके उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। • इस क्षेत्र में रोगाणुओं का जल्द और तेजी से पता लगाने वाली तकनीकों से मछली और शेल-फिश पालन में सहायता मिलेगी। • इस क्षेत्र में रोगाणुओं का जल्द और तेजी से पता लगाने वाली तकनीकों से मछली और शेल-फिश पालन में सहायता मिलेगी। इस मछली के निर्यात से देश को राजस्व की प्राप्ति होती है। अमेरिका को झींगे का निर्यात करने वाले देशों में भारत का अहम स्थान है।
विश्व का सबसे ऊँचा पक्षी	• अमेरिका के मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि व्हाइट बेलबर्ड्स दुनिया का सबसे ऊँचा पक्षी है। • उन्होंने यह भी पाया कि सफेद नर बेलबर्ड के संभोग गीतों में संभोग की अवधि के दौरान चीखने वाले पिहा की तुलना में तीन बार डेसिबल (डीबी) की ध्वनि होती है। • सफेद बेलबर्ड या प्रोकेनिया अल्बस परिवार में एक पक्षी की प्रजाति है कोटिंगिडा। • पक्षी ब्राजील के गुआनास वन, वेनेजुएला, पारा में पाया जाता है। • नर पक्षी का रंग सफेद होता है, और मादा जैतून की रंग में पीले रंग की धारियाँ होती है।
शून्य छाया दिवस (जीरो शैडो डे)	• एक घटना साल में दो बार होती है जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है। • 21 दिसंबर से 21 जून के बीच उत्तर (उत्तरायण) में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा (दक्षिणायन) की ओर सूर्य की गति के दौरान शून्य छाया दिवस पड़ता है। • दो दिनों के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान विशिष्ट दिनों में शून्य छाया दिवस देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022	**संदर्भ:** अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में भारत को धार्मिक स्वतंत्रता का सर्वाधिक उल्लंघन करने के लिये 'कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (प्रमुख चिंता वाले देशों) की श्रेणी में नामित किया गया है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता मानदंडों पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली सरकारों की श्रेणी में रखा जाए। • भारत ने अतीत में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी निकाय ने केवल उस मामले पर अपने पूर्वाग्रहों द्वारा निर्देशित होना चुना है, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। • USCIRF द्वारा इस पद के लिए अनुशंसित अन्य देश चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम हैं। • इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है।

	अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो धर्म की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की निगरानी करती है और व्हाइट हाउस को नीतिगत सुझाव देती है।

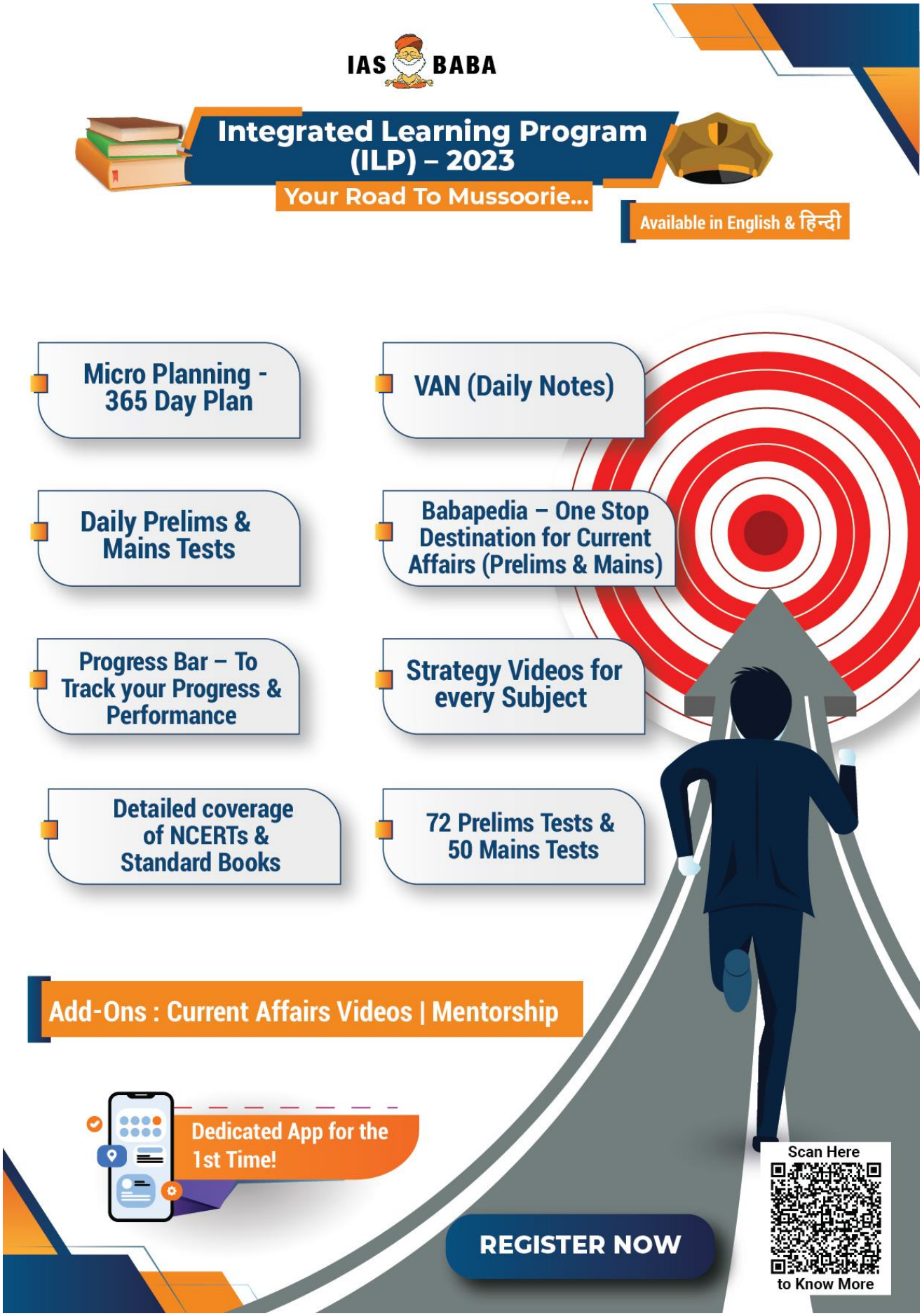

राजव्यवस्था और शासन

असम-मेघालय सीमा विवाद समाधान

संदर्भ: 29 जनवरी को एक मसौदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के दो महीने बाद, असम और मेघालय ने अपनी 884.9 किमी की सीमा के साथ 50 साल पुराने सीमा विवाद को आंशिक रूप से सुलझा लिया है।

- गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा के बीच इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे ऐतिहासिक करार दिया गया।

कैसे शुरू हुआ सीमा विवाद?

- मेघालय वर्ष 1970 में एक स्वायत्त राज्य के रूप में असम से अलग हुआ और वर्ष 1972 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
- नए राज्य का निर्माण वर्ष 1969 के असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम पर आधारित था, जिसे मेघालय सरकार ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
- वर्ष 1951 की समिति की सिफारिशों के आधार पर, मेघालय के वर्तमान पूर्वी जयंतिया हिल्स, री-भोई और पश्चिमी खासी हिल्स जिलों के क्षेत्रों को असम के कार्बी आंगलोंग, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप ज़िलों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- मेघालय ने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद इन तबादलों का विरोध किया और दावा किया कि ये क्षेत्र मेघालय के अंतर्गत आते हैं।
- लेकिन असम का तर्क है कि मेघालय सरकार के पास इन क्षेत्रों पर अपना दावा साबित करने के लिये किसी प्रकार के दस्तावेज़ व अभिलेखीय सामग्री उपलब्ध नहीं है।
- वर्ष 2011 में मेघालय के एक आधिकारिक दावे के आधार पर विवाद को 12 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया था।

दोनों सरकारों ने इस मुद्दे को कैसे संभाला?

- दोनों राज्यों ने शुरू में बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, किंतु पहला गंभीर प्रयास वर्ष 1983 में हुआ था जब इस मुद्दे को हल करने के लिये एक संयुक्त आधिकारिक समिति का गठन किया गया, हालाँकि कोई ठोस समाधान नहीं निकला।
- नवंबर 1983 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, समिति ने सुझाव दिया कि भारतीय सर्वेक्षण के विवाद को निपटाने की दिशा में दोनों राज्यों के सहयोग से सीमा को फिर से चित्रित करना चाहिए। कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई।
- जैसे-जैसे अधिक क्षेत्रों पर विवाद होने लगा, दोनों राज्य वर्ष 1985 में न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र पैनल के गठन पर सहमत हुए। समिति ने वर्ष 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मेघालय ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि यह कथित रूप से असम समर्थक थी।
- अधिक विवादों और परिणामी हिंसा के बाद, दोनों सरकारें जनवरी 1991 में भारतीय सर्वेक्षण की मदद से संयुक्त रूप से सीमा का सीमांकन करने पर सहमत हुईं। 1991 के अंत तक लगभग 100 किमी की सीमा का सीमांकन किया गया था, लेकिन मेघालय ने इस अभ्यास को असंवैधानिक पाया और सहयोग करने से इनकार कर दिया।
- वर्ष 2011 में मेघालय विधानसभा ने केंद्रीय हस्तक्षेप और एक सीमा आयोग के गठन की मांग की।
- असम विधानसभा ने इस कदम का विरोध किया। किंतु केंद्र ने दोनों सरकारों को अंतर के बिंदुओं को कम करने के लिये सीमा विवाद पर चर्चा के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया।

	• 2019 में, मेघालय सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका खारिज कर दी गई। **बर्फ कैसे टूटी? (How was the ice broken?)** • जनवरी 2021 में, केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों से 15 अगस्त, 2022 तक अपने सीमा विवादों को हल करने का आग्रह किया, इस दिन देश का 75 वां स्वतंत्रता दिवस होगा है। • यह महसूस किया गया कि इस प्रयास को तेजी से ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र की बहन-राज्यों में या तो भारतीय जनता के नेतृत्व वाली सरकार थी या उसके सहयोगियों की। • जून 2021 में दोनों राज्यों ने मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत फिर से शुरू करने और विवादों को हमेशा के लिये निपटाने के लिये 'आदान-प्रदान की नीति' (Give and Take Policy) अपनाने का फैसला किया। • 12 विवादित क्षेत्रों में से छह 'कम जटिल' क्षेत्रों - ताराबारी, गिज़ांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा-पिलिंगकाटा और रातचेरा को पहले चरण में हल करने के लिये चुना गया था। • दोनों राज्यों ने विवादित क्षेत्रों से प्रभावित ज़िलों के लिये तीन क्षेत्रीय समितियों का गठन किया। इन समितियों, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक कैबिनेट मंत्री करते हैं, को इस मुद्दे पर विचार करने के लिये 'पाँच सिद्धांत' दिये गए थे। ये सिद्धांत हैं- ○ विवादित क्षेत्र के ऐतिहासिक तथ्य ○ जातीयता ○ प्रशासनिक सुविधा ○ लोगों की इच्छा ○ प्राकृतिक सीमाओं, जैसे नदियों, नदी धाराओं और चट्टानों के साथ भूमि की निकटता। • समिति के सदस्यों ने विवादित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और स्थानीय हितधारकों के साथ कई बैठकें कीं। • जनवरी 2022 में दोनों सरकारों ने इन क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर तैयार एक मसौदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये। यह 29 मार्च को छह विवादित क्षेत्रों को बंद करने का मार्ग प्रशस्त किया। **क्या आंशिक निपटान पूर्वोत्तर में कहीं और सीमा विवादों को प्रभावित करेगा?** • आंशिक सीमा समझौते के तहत असम को 36.79 वर्ग किमी. के विवादित क्षेत्र में 18.51 वर्ग किमी. जबकि मेघालय को शेष 18.28 वर्ग किमी. क्षेत्र दिया जाएगा। • विभाजित किए जाने वाले गांवों या निर्जन हिस्सों पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। • साथ ही, मेघालय में कुछ राजनीतिक दल और समुदाय-आधारित समूह विवादित क्षेत्रों के किसी भी हिस्से को असम में शामिल करने से खुश नहीं हैं। असम में प्रतिक्रियाएं समान हैं। • लेकिन असम में अधिकारियों ने कहा कि उन क्षेत्रों को छोड़ देना बेहतर है जहां उनका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, बजाय इसके कि "हमेशा के लिए एक अड़चन के साथ रहें"। • हालांकि, अन्य छह विवादित क्षेत्रों - लंगपीह, बोरदुआर, नोंगवाह, मातमूर, देशदेमोराह ब्लॉक I और ब्लॉक II, और खंडुली के निवासियों को लगता है कि "आदान-प्रदान की नीति (Give and Take Policy) " टेम्पलेट उनके लिए आपदा का कारण बन सकता है। यह डर गैर-आदिवासी लोगों में अधिक है, जो अंत में "आदिवासी मेघालय में हमारे लिए कोई अधिकार नहीं" रह सकते हैं। • अगस्त 2014 में असम विधानसभा में पेश किए गए एक पेपर के अनुसार, छह पड़ोसी राज्य असम की 77,531.71 हेक्टेयर भूमि पर नियंत्रण रखते हैं। मेघालय के अलावा, अन्य राज्य अरुणाचल

	प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हैं। **बिंदुओं को कनेक्ट करना :** • असम-मिजोरम सीमा विवाद • नागा मुद्दा
पूर्वोत्तर के प्रमुख हिस्सों से AFSPA को वापस लेना	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को आंशिक रूप से वापस ले लिया है। • इसे असम के 23 जिलों से पूरी तरह से हटा लिया गया है। • नागालैंड के सात जिलों, मणिपुर के छह जिलों और असम के एक जिले से इसे आंशिक रूप से वापस ले लिया गया है। 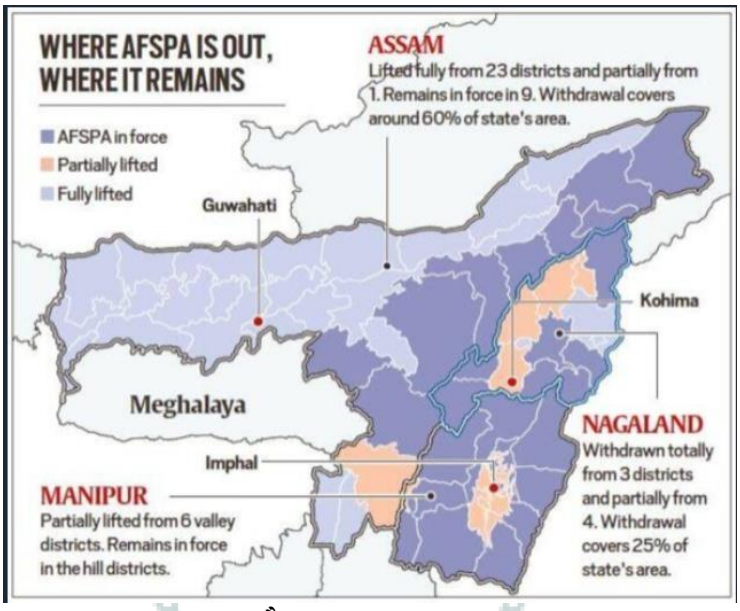 **अफस्पा (AFSPA) क्या है?** • **औपनिवेशिक विरासत जारी रहना :** अधिनियम अपने मूल रूप में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में अंग्रेजों द्वारा प्रख्यापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने अधिनियम को बनाए रखने का निर्णय लिया, जिसे पहले एक आयुध के रूप में लाया गया और फिर 1958 में एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया था। • **लागू करने की शक्ति:** धारा 3 के तहत "अशांत" क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद इसे केंद्र या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य या उसके कुछ हिस्सों पर लगाया जा सकता है।अधिनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया था, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई थीं। • **सशस्त्र बलों को विशेष शक्ति:** अधिनियम, जिसे कठोर कहा गया है, सशस्त्र बलों को व्यापक अधिकार देता है। यह उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाले या हथियार और गोला-बारूद रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने की अनुमति देता है, भले ही इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। साथ ही यह उन्हें "उचित संदेह" के आधार पर वारंट के बिना ही व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और परिसर की तलाशी लेने की शक्ति प्रदान करता है। • **सशस्त्र कार्मिकों को उन्मुक्ति:** अधिनियम ऐसे कार्यों में शामिल सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरह से दण्ड से मुक्ति प्रदान करता है: केंद्र की पूर्व स्वीकृति के बिना उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। **हालिया निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?** • पूर्वोत्तर लगभग 60 वर्षों से AFSPA के दायरे में रहा था, जिससे देश के बाकी हिस्सों से

	अलगाव की भावना पैदा हुई। • राजपत्र में निर्णय अधिसूचित होने के बाद, इन तीन राज्यों के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में AFSPA लागू रहता है। • इस कदम से क्षेत्र को असैन्य बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है • यह चेक प्वाइंटों और निवासियों की तलाशी के माध्यम से आवाजाही पर प्रतिबंध हटा देगा। • यह केंद्र को नागालैंड में सोम हत्याओं पर गुस्सा शांत करने और नागा शांति प्रक्रिया में सहायता करने में भी मदद करेगा। **कई सालों तक लागू रहने के बाद अब AFSPA को क्यों वापस ले लिया गया है?** • निर्णय परिस्थितियों के संयोजन के परिणाम के रूप में आया है। • पिछले दो दशकों में, पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में उग्रवाद में कमी देखी गई है • कई प्रमुख समूह पहले से ही भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, और पिछले कुछ वर्षों में इन वार्ताओं को बल मिला। • नागालैंड में, सभी प्रमुख समूह - एनएससीएन (आई-एम) और नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह (एनएनपीजी) सरकार के साथ समझौते के अंतिम चरण में हैं। • मणिपुर में वर्ष 2012 से उग्रवाद और भारी सैन्यीकरण में कमी आई है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • अफस्पा की आलोचना • विषम संघवाद • नागा शांति प्रक्रिया
'चंडीगढ़ सवाल' (The 'Chandigarh question')	**संदर्भ:** नवनिर्वाचित पंजाब विधान सभा ने 1 अप्रैल को एक विशेष सत्र में चंडीगढ़ को पंजाब स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वयं पेश किया था। इसके साथ ही 'चंडीगढ़ सवाल' फिर से उठ खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार यह राष्ट्रीय सुर्खियों में है। **चंडीगढ़ अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे आया?** • चंडीगढ़, जिसे 'नेहरूवादी आधुनिकता' का प्रतीक 'नियोजित शहर' के रूप में वर्णित किया गया है, एक ग्रीनफ़ील्ड शहर है, जिसे लाहौर को बदलने के लिए स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा कमीशन किया गया था, जो पंजाब की राजधानी के रूप में विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया था। • पियरे जेनेरेट के सहयोग से ली कॉर्बूसियर द्वारा डिजाइन किया गया, यह अंबाला जिले की खरड़ तहसील से प्राप्त गांव की भूमि पर शिवालिक हिमालय की तलहटी पर स्थित है। • 1953 में इसके उद्घाटन से लेकर 1966 तक यह अविभाजित पंजाब की राजधानी थी। • पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत पंजाबी सूबा आंदोलन के बाद, हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्रों से अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, जबकि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में मिला दिया गया था। • चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 60:40 के अनुपात में पंजाब और हरियाणा के बीच विभाजित राज्य संपत्ति के साथ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बनी हुई है। • 1966 से, पंजाब की राजनीति में अपनी राजधानी के पूर्ण अधिकारों की कमी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। • पंजाब की सभी सरकारों और अधिकतर राजनीतिक दलों ने चंडीगढ़ की मांग को नियमित रूप से उठाया है। ○ 1973 का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, धर्म युद्ध मोर्चा (जेएस भिंडरांवाले के साथ अकाली दल का) और 1985 का राजीव-लोंगोवाल समझौता, सभी प्रमुख घटनाक्रमों में इसे शामिल किया गया है। • 1966 के बाद से, पंजाब विधानसभा ने 2014 में शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी (SAD-BJP) सरकार के तहत कम से कम छह ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं।

इस बार क्या अलग है?

इस बार तत्काल उत्तेजना केंद्र सरकार के दो हालिया फैसले हैं, दोनों ही अकाली दल द्वारा अब वापस लिए गए कृषि कानूनों पर भाजपा के साथ संबंध तोड़ने के बाद लिए गए हैं।

- फरवरी में, केंद्र ने 1966 के अधिनियम के तहत गठित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन करते हुए बोर्ड के दो पूर्णकालिक सदस्यों के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव किया।
    - हालांकि तकनीकी रूप से सभी भारतीय अधिवेशन से अधिकारी पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के पास गए। निर्दिष्ट तकनीकी योग्यताओं को देखते हुए दोनों राज्यों के अधिकारी नए पात्रता मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- केंद्र ने पंजाब सेवा नियमों की जगह 1 अप्रैल, 2022 से चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसे चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे का अपमान माना गया।

शहर पर केंद्र सरकार की क्या स्थिति रही है?

- 1966 के अधिनियम के समय, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के साथ केंद्र सरकार ने संकेत दिया कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी था और इसे पंजाब में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- इस निर्णय को 1970 में औपचारिक रूप दिया गया था जब श्रीमती गांधी ने हरियाणा को अपनी राजधानी बनाने के लिए धन देने का वादा किया था।
- 1985 के राजीव-लोंगोवाल समझौते के अनुसार, चंडीगढ़ को 26 जनवरी, 1986 को पंजाब को सौंप दिया जाना था, लेकिन लोंगोवाल की हत्या और 1990 के दशक के मध्य तक उग्रवाद की लंबी अवधि के बाद यह कभी सफल नहीं हुआ।
- हाल के घटनाक्रम इस प्रकार केंद्र सरकार की स्थिति में बदलाव का संकेत दे सकते हैं।

क्या चंडीगढ़ की कोई विशिष्ट स्थिति है?

- चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों और यूनियनों ने ज्यादातर सेवा नियमों में बदलाव का स्वागत किया है क्योंकि केंद्रीय प्रावधानों में अधिक लाभ हैं, खासकर सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य भत्तों पर, हालांकि वेतनमान के अनुसार पंजाब के नियमों को बेहतर माना जाता है।
- एक संघ शासित प्रदेश के रूप में दशकों के अस्तित्व के बाद, चंडीगढ़ ने एक विशिष्ट सांस्कृतिक चरित्र विकसित किया है।
- तीन राज्यों के चौराहे पर अपनी भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ कई शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा प्रतिष्ठानों और सेना एवं वायु सेना की उपस्थिति को देखते हुए, चंडीगढ़ ने एक अद्वितीय सर्वदेशीयता विकसित की है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में युवाओं के लिए एक चुंबक बन गया है। इस प्रकार शहर के निवासी यथास्थिति के पक्ष में हैं।
- राजनीतिक दलों की चंडीगढ़ इकाइयों ने, अपनी पंजाब पार्टी इकाइयों के विपरीत, यथास्थिति बनाए रखने को बार-बार दोहराया है।

हरियाणा के बारे में क्या?

- जैसा कि पंजाब में होता है, हरियाणा में सभी दलों ने शहर पर बाद के दावे पर जोर देते हुए एक समान स्थिति पेश की है और किसी भी ऐसे कदम पर आपत्ति जताई है जो चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब से जोड़ता है।
- अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा जिसमें यूटी और पंजाब के मोहाली शहर दोनों का क्षेत्र शामिल है, का उद्घाटन 2015 में किया गया था, लेकिन यह नामहीन है क्योंकि हरियाणा ने मोहाली को नाम में शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए दावा किया है कि हवाई अड्डे में हरियाणा की 50% हिस्सेदारी है।
- हरियाणा ने पंजाब में चंडीगढ़ से सटे मुल्लांपुर इलाके में विकसित एक टाउनशिप के लिए 'न्यू चंडीगढ़' नाम पर भी आपत्ति जताई थी।

	बिंदुओं को कनेक्ट करना: • बेलगावी विवाद • अंतरराज्यीय परिषद
मृत्यु दंड (Death Penalty)	**संदर्भ:** हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) की एक बेंच मृत्युदंड से संबंधित प्रक्रियाओं की व्यापक जाँच करने हेतु सहमत हुई है। • सितंबर 2021 से मौत की सजा की अपीलों की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने बहुत कम (प्रासंगिक) जानकारी के साथ सजा सुनाई है। **मृत्युदंड की सजा में प्रथाओं की जांच करने के लिए एससी का क्या कारण है?** • न्यायालय उन प्रक्रियाओं में सुधार करने की कवायद कर रही है, जिसके द्वारा मौत की सज़ा के मामले में आवश्यक जानकारी अदालतों के सामने लाई जाती है। • ऐसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड की प्रक्रिया में मौजूद चिंताओं को स्वीकार कर रहा है। • जबकि मृत्युदंड की सज़ा को संवैधानिक माना गया है, लेकिन कई बार इसकी प्रकिया को अनुचित और मनमाने ढंग से लागू करने के आरोप लगाए जाते हैं। **आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सज़ा के बीच चयन** • मई 1980 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह के मामले में मौत की सज़ा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, तो भविष्य के मामलों के लिये इस संबंध में एक फ्रेमवर्क विकसित किया गया था। जब उन्हें आजीवन कारावास और मृत्युदंड के बीच चयन करना था। • इस फ्रेमवर्क के केंद्र में यह मान्यता थी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में विधायिका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आजीवन कारावास डिफ़ॉल्ट सज़ा होगी और न्यायाधीश एक विशेष उपकरण के तौर पर मृत्युदंड के प्रावधान का उपयोग करेंगे। • वर्ष 1980 में स्थापित यह फ्रेमवर्क-जिसे लोकप्रिय रूप से 'दुर्लभ से दुर्लभ' फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों को अपराध और अभियुक्त से संबंधित दोनों गंभीर और कम करने वाले कारकों पर विचार करना चाहिए, जब यह निर्णय लिया जाए कि मृत्युदंड लगाया जाना है या नहीं। • निर्णय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि न्यायाधीशों द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने से पहले आजीवन कारावास को सजा के रूप में "निर्विवाद रूप से" समाप्त करना होगा। • उन कारकों की एक सांकेतिक सूची थी जिन्हें निर्णय के प्रासंगिक होने के रूप में पहचाना गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह सूची पूर्णतः विस्तृत नहीं थी। **बचन सिंह के बाद के चार दशकों में इस फ्रेमवर्क का क्या हुआ है?** • सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह वाद में प्रस्तुत फ्रेमवर्क में मौजूद विसंगति पर बार-बार चिंता ज़ाहिर की है। • भारतीय विधि आयोग (262वीं रिपोर्ट) ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की है। • प्रमुख चिंताओं में से एक सजा के लिए अपराध-केंद्रित दृष्टिकोण रहा है, अक्सर बचन सिंह में जनादेश का उल्लंघन है कि अपराध और आरोपी दोनों से संबंधित कारकों पर विचार किया जाना है। • इस बात को लेकर व्यापक चिंता रही है कि मृत्यु दंड को मनमाने ढंग से लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में लगाई गई 595 मृत्यु दंड के एक अध्ययन से पता चलता है कि यह चिंता तेज होती जा रही है। **इसका क्या कारण है?** • प्रमुख कारणों में से एक यह है कि अभियुक्तों के बारे में बहुत ही कम सजा की जानकारी न्यायाधीशों के सामने लाई जाती है। • जबकि बचन सिंह के फैसले ने एक फ्रेमवर्क विकसित किया, यह एक फ्रेमवर्क था जो न्यायालय के सामने लाई गई प्रासंगिक जानकारी पर निर्भर था।

- लेकिन फ्रेमवर्क में ऐसी जानकारी का वास्तविक संग्रह और न्यायाधीशों के समक्ष इसकी प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।
- इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां सजा प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले अभियुक्त के बारे में बमुश्किल कोई सार्थक जानकारी है।
- यह एक अनुभवजन्य वास्तविकता है कि मृत्यु दंड पाने वाले अधिकांश कैदी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अक्सर उन्हें खराब कानूनी प्रतिनिधित्व मिलता है।
- परिणामस्वरूप, उनके पास शमन जानकारी एकत्र करने के कठिन अभ्यास को करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल सेट वाले पेशेवरों तथा विशेषज्ञों तक पहुंच नहीं है।
- साथ ही, सजा सुनाने वाले न्यायाधीशों ने अपराध के प्रति अपनी धारणा के आधार पर शमन करने वाले कारकों के विचार को अक्सर खारिज कर दिया है।
- यह एक गहरे अंतर की ओर इशारा करता है - कि इस बात पर कोई वास्तविक मार्गदर्शन नहीं किया गया है कि न्यायाधीशों को बढ़ते और कम करने वाले कारकों को महत्व देने के बारे में कैसे जाना चाहिए, और उन्हें एक कारक को दूसरे के खिलाफ कैसे तौलना चाहिए।

शमन क्या है, और शमन कारक क्या हैं?

- किसी भी आपराधिक मुकदमे में दो चरण होते हैं- अपराध चरण और सज़ा देने का चरण। अभियुक्त को अपराध का दोषी पाए जाने के बाद सज़ा सुनाई जाती है; यह वह चरण है जहाँ सज़ा निर्धारित की जाती है। इसलिये सज़ा सुनाए जाने के दौरान प्रस्तुत या कही गई किसी भी बात का उपयोग अपराध के निष्कर्ष को उलटने या बदलने के लिये नहीं किया जा सकता है।
- यह आपराधिक कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि सज़ा देने का कार्य वैयक्तिक रूप से किया जाना चाहिये, यानी सज़ा निर्धारित करने की प्रक्रिया में न्यायाधीश को अभियुक्त की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये।
- शमन का विचार योग्यता के उन विचारों को व्यावहारिक रूप से लागू करना है जो दंड के नैतिक विचार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- न्याय एक अधूरा विचार होगा यदि आपराधिक कानून किसी व्यक्ति को उनकी सभी जटिलताओं और विभिन्न कारकों पर विचार करने में असमर्थ है जो उनके जीवन में निर्णयों और कार्यों के एक सेट में योगदान करते हैं।

यह सारी जानकारी कौन एकत्र कर सकता है?

- सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस जटिल इंटरप्ले को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है, सजा सुनाने की सूचना को उचित तरीके से किया जाना है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सांता सिंह (1976) और मोहम्मद मन्नान (2019) के निर्णयों में इस तरह के अभ्यास की अंतःविषयक प्रकृति को मान्यता दी गई है तथा इस प्रकार की जानकारी एकत्र करने हेतु वकीलों के अलावा अन्य पेशेवरों की आवश्यकता होती है।
- इन्हें एकत्र करने का कार्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे करने के लिए वकीलों को प्रशिक्षित जाना चाहिये - यही कारण है कि अमेरिकन बार एसोसिएशन स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका के साथ एक शमन विशेषज्ञ की भूमिका को मान्यता प्रदान करते हैं जो वकीलों द्वारा किये गये बचाव कार्यों से अलग है।
- ऐसी व्यवस्था में बहुत उच्च स्तर की निष्पक्षता होनी चाहिए जो व्यक्तियों को मौत की सजा के अनुभव के अधीन करने में रुचि रखती है, और अंततः कानून के साधन के माध्यम से जान लेती है।
- प्रारंभिक बिंदु के रूप में, आपराधिक न्याय प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है कि प्रणाली प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के लिए बनाई गई है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) संशोधन विधेयक, 2022
- पुलिस सुधार
- न्यायपालिका का भारतीयकरण

पंजाब-हरियाणा जल विवाद (Punjab-Haryana Water Dispute)	**संदर्भ:** हरियाणा विधानसभा ने सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) नहर को पूरा करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें हरियाणा और पंजाब के बीच नदी जल बंटवारे के विवादास्पद मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। **नदी का पानी** • इसके पूरा हो जाने के बाद यह नहर हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और ब्यास नदियों के पानी को साझा करने में सक्षम होगी। • यह मामला 1966 में पंजाब के पुनर्गठन और हरियाणा के गठन के समय का है। • पंजाब ने रिपेरियन सिद्धांतों का हवाला देते हुए दो नदियों के पानी को हरियाणा के साथ साझा करने का विरोध किया था। **हिस्सा (The shares)** • हरियाणा के गठन से एक दशक पहले, रावी और ब्यास में बहने वाले पानी का आकलन प्रति वर्ष 15.85 मिलियन एकड़ फीट (MAF) किया गया था। • केंद्र सरकार ने 1955 में तीन हितधारकों - राजस्थान, अविभाजित पंजाब और जम्मू और कश्मीर के बीच एक बैठक आयोजित की थी और राजस्थान को प्रति वर्ष 8 एमएएफ, अविभाजित पंजाब को 7.20 एमएएफ और जम्मू-कश्मीर को 0.65 एमएएफ आवंटित किया था। • पुनर्गठन के एक दशक बाद, केंद्र ने पुनर्गठन से पहले पंजाब को आवंटित 7.2 एमएएफ में से हरियाणा को 3.5 एमएएफ आवंटित करने की अधिसूचना जारी की। • 1981 में एक पुनर्मूल्यांकन में, ब्यास और रावी में बहने वाले पानी का अनुमान 17.17 MAF था, जिसमें से 4.22 MAF पंजाब को, 3.5 MAF हरियाणा को और 8.6 MAF राजस्थान को आवंटित किया गया था। **नहर** • 8 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला जिले के कपूरी गांव में एक शिलान्यास समारोह के साथ एसवाईएल नहर के निर्माण का शुभारंभ किया। • 214 कि.मी. खंड का निर्माण किया जाना था, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब को पार करना था और 92 किलोमीटर हरियाणा में। • लेकिन अकालियों ने नहर निर्माण के विरोध में कपूरी मोर्चा के रूप में आंदोलन छेड़ दिया। फिर जुलाई 1985 में, प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन अकाली दल के प्रमुख संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ने पानी का आकलन करने के लिए एक नए ट्रिब्यूनल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। • सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी बालकृष्ण एराडी की अध्यक्षता में एराडी ट्रिब्यूनल की स्थापना पानी की उपलब्धता और बंटवारे के पुनर्मूल्यांकन के लिए की गई थी। • 1987 में, ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा के शेयरों में क्रमशः 5 एमएएफ और 3.83 एमएएफ तक वृद्धि की सिफारिश की। **नहर और उग्रवाद** • 20 अगस्त 1985 को, समझौते पर हस्ताक्षर करने से एक महीने से भी कम समय पहले, लोंगोवाल को आतंकवादियों ने मार डाला था। • 1990 में, एक मुख्य अभियंता एमएल सेखरी और एक अधीक्षण अभियंता अवतार सिंह औलख आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। • अन्य हिंसा में चुन्नी के पास माजत गांव और रोपड़ के पास भरतगढ़ में मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई जिससे निर्माण कार्य ठप हो गया। • इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में, पंजाब के नेता केंद्र को इस मुद्दे को फिर से न उठाने के लिए आगाह कर रहे हैं। **पंजाब की दलील** • राज्य सरकार के एक अध्ययन के अनुसार, 2029 के बाद पंजाब में कई क्षेत्र सूख सकते हैं।

	• राज्य पहले ही सिंचाई के लिए अपने भूजल का अत्यधिक दोहन कर चुका है। 138 ब्लॉकों में से 109 ब्लॉक "अति-शोषित" हैं, दो ब्लॉक "क्रिटिकल" हैं, पांच ब्लॉक "सेमी-क्रिटिकल" हैं और केवल 22 ब्लॉक "सुरक्षित" श्रेणी में हैं। • ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी दूसरे राज्य के साथ पानी बांटना नामुमकिन है। **हरियाणा का दावा** • हरियाणा एसवाईएल नहर के माध्यम से रावी-व्यास के पानी पर दावा करता रहा है कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना राज्य के लिए एक कठिन काम है। • दक्षिणी हिस्सों में जहां भूमिगत जल 1700 फीट तक कम हो गया था, वहां पीने के पानी की समस्या थी। • हरियाणा केंद्रीय खाद्य पूल में अपने योगदान का हवाला देता रहा है और यह तर्क दे रहा है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा मूल्यांकन के अनुसार उसे पानी में उसके सही हिस्से से वंचित किया जा रहा है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • चंडीगढ़ प्रश्न • बेलगावी विवाद • अंतरराज्यीय परिषद

चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds)	**संदर्भ:** भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका पर सुनवाई करेगा।
	• दो गैर सरकारी संगठनों - कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने इस योजना को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि यह "लोकतंत्र को विकृत" (Distorting Democracy) कर रही है।
	चुनावी बांड क्या हैं?
	• सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है।
	• ऐसे बांड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किये जाते हैं।
	• इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है।
	• इस प्रकार, एक दाता को अधिकृत एसबीआई शाखा को चेक या एक डिजिटल तंत्र (नकद की अनुमति नहीं है) के माध्यम से राशि का भुगतान करना आवश्यक है।
	• दाता तब यह बांड अपनी पसंद की पार्टी या पार्टियों को दे सकता है।
	• राजनीतिक दल ऐसे बांडों को प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भुनाने (Encash) और अपने चुनावी खर्च को निधि देने का विकल्प चुनते हैं।
	• कोई भी पार्टी जो पंजीकृत है और जिसने हाल के आम चुनावों या विधानसभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया है, चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र है।
	• चुनावी बांड पर दाता का नाम नहीं होता है। इस प्रकार, राजनीतिक दल को दाता की पहचान के बारे में पता नहीं चलता है।
	उन्हें कब पेश किया गया और क्यों?
	• चुनावी बांड योजना के पीछे केंद्रीय विचार भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था।
	• 1 फरवरी, 2017 को केंद्रीय बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो मुख्य बदलावों का प्रस्ताव रखा था।
	  ○ पहला, उन्होंने एक राजनीतिक दल द्वारा अज्ञात स्रोतों से नकद में स्वीकार की जाने वाली राशि को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया।
	  ○ दूसरा, उन्होंने इस तरह के वित्त पोषण को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बांड शुरू करने की घोषणा की।
	• औपचारिक रूप से, इन बांडों को वर्ष 2018 में पेश किया गया था।

कितने बिके हैं?

- चुनावी बांड केवल समय की विशिष्ट विंडो के दौरान ही खरीदे जा सकते हैं।
- वर्तमान में ऐसी 20वीं विंडो - 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच खुली है।
- पिछले महीने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के अनुसार, वित्त राज्य मंत्री ने चुनावी बांड की वार्षिक बिक्री का विवरण प्रदान किया:
    - 2018 में 1056.73 करोड़ रुपये;
    - 2019 में 5071.99 करोड़ रुपये;
    - 2020 में 363.96 करोड़ रुपये;
    - 2021 में 1502.29 करोड़ रुपये;
    - 2022 में 1213.26 करोड़ रुपये।
- दूसरे शब्दों में, वर्ष 2018 से 19 चरणों में, जब वे प्रभावी रूप से उपलब्ध थे, तब 9208.23 करोड़ रुपये के बांड बेचे गए हैं।
- इनमें से 9187.55 करोड़ रुपये के बांड राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए जा चुके हैं।
- सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि विदेशी संस्थाओं को कोई बांड नहीं बेचा गया क्योंकि यह योजना इसकी अनुमति नहीं देती है।

वह आलोचना क्यों आकर्षित की है?

- चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि यह अपने मूल विचार यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है।
- उदाहरण के लिये आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गुमनामी केवल व्यापक जनता और विपक्षी दलों तक की सीमित होती है।
- तथ्य यह है कि इस तरह के बांड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (एसबीआई) के माध्यम से बेचे जाते हैं, सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि कौन लोग विपक्षी दलों को वित्तपोषण प्रदान कर रहे हैं।
- परिणामस्वरूप यह प्रकिया केवल तत्कालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुमति देती है
- इसलिए यह योजना सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करती है।
- आलोचकों ने नोट किया है कि सभी चुनावी बांडों का 75 प्रतिशत से अधिक भाजपा को गया है, जो केंद्र में सत्ता में है।
- इसके अलावा, चुनावी बांड शुरू करने के लिए एक तर्क यह था कि आम लोगों को अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को आसानी से फंड देने की अनुमति दी जाए, लेकिन 90% से अधिक बांड उच्चतम मूल्यवर्ग (1 करोड़ रुपये) के हैं।
- इसके अलावा, चुनावी बांड योजना की घोषणा से पहले, एक कंपनी राजनीतिक दल को कितना दान कर सकती है, इस पर एक सीमा थी: पिछले तीन वर्षों में कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 7.5 प्रतिशत।
- हालांकि, सरकार ने इस सीमा को हटाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया, जिससे कॉरपोरेट इंडिया द्वारा असीमित फंडिंग के द्वार खुल गए।

निष्कर्ष

- मतदाता जागरूकता अभियानों की मांग कर पर्याप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन परअधिक खर्च करते हैं या उन्हें रिश्वत देते हैं तो लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ जाएगा।
- चुनावी बांड ने सरकार की चुनावी वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस तरह पूरी चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध हो गई है। इस संदर्भ में, अदालतों को एक अंपायर के रूप में कार्य करना चाहिए और लोकतंत्र के जमीनी नियमों को लागू करना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना:

- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और मतदान

	• स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका • चुनाव और एमसीसी
आपराधिक न्याय में अंतराल को बंद करना (Closing the gaps in Criminal Justice)	**संदर्भ:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए, आपराधिक मुकदमे के दौरान होने वाली कुछ कमियों और अपर्याप्तताओं का स्वत: संज्ञान लिया। नतीजतन, इसने आपराधिक परीक्षण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2021) मामले में आवश्यक निर्देश जारी किए। **क्या निर्देश जारी किए गए थे?** इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: **1. साइट योजना की प्रस्तुति** • क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) में कहा गया है कि पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने और एक साइट स्केच तैयार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौके पर (अपराध का) जाएगा। • यह साइट योजना स्वीकार्य थी यदि गवाह ड्राफ्ट्समैन के इन बयानों की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने उसे स्थान दिखाए। • महत्व: अब जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मामले के महत्व के आधार पर जांच अधिकारी या नामित व्यक्ति द्वारा साइट स्केच तैयार किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, पुलिस को ड्राफ्ट्समैन का अपना कैडर विकसित करने की जरूरत है। **2. पूछताछ रिपोर्ट और बॉडी स्केच (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में) एक समान तरीके से** • यदि जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री 'इसे किसी भी अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं', तो एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है और किसी की औपचारिक शिकायत के बिना भी नियमित जांच की जाती है। • दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सकीय-कानूनी प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मानव शरीर का एक मुद्रित प्रारूप होना चाहिए (सामने और पीछे के दृश्य के साथ) • महत्व: उनके मानकीकरण से न केवल न्यायालय को इन रिपोर्टों को बेहतर ढंग से समझने और सबूतों की जांच करने में मदद मिलेगी, बल्कि जांच अधिकारियों और डॉक्टरों को उनकी याददाश्त को और अधिक स्पष्टता के साथ ताज़ा करने में भी मदद मिलेगी। **3. कुछ मामलों में पोस्टमार्टम के फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ** • पुलिस थानों में प्रशिक्षित फोटोग्राफरों को (शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के अनुसार) चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है ताकि जघन्य अपराधों के दृश्यों की वीडियोग्राफी की जा सके और डिजिटल कैमरों का उपयोग करके तस्वीरें खींची जा सकें। • मसौदा संहिता में अब प्रावधान है कि जांच अधिकारी ऐसी तस्वीरों और वीडियोग्राफों को जब्त करेगा, मूल (अलग मेमोरी कार्ड) को संरक्षित करेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के संबंध में) के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। • महत्व: इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस कार्रवाई या पुलिस हिरासत में मौत के मामलों से निपटने में बिना किसी सबूत के छेड़छाड़ किए प्रक्रिया में एकरूपता हो। **4. अभियोजन को जांच से अलग करना** • सरला बनाम टी.एस. वेलू (2000) ने माना कि सीआरपीसी की योजना के अनुसार, जांच पुलिस द्वारा एक राय बनाने के साथ समाप्त होती है कि क्या एकत्र की गई सामग्री पर, अभियुक्त को मुकदमे हेतु रखने के लिए मामला बनाया गया है। • पुलिस द्वारा उक्त राय का गठन जांच का अंतिम चरण है, और यह अंतिम कदम पुलिस द्वारा उठाया जाना है और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं। लोक अभियोजक अदालत का एक अधिकारी होता है और उसकी भूमिका अनिवार्य रूप से न्यायालय के अंदर होती है। • हाल ही में, गुजरात राज्य बनाम किशनभाई (2014) में, न्यायालय ने जांच में कई चूकों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि 'एक आपराधिक मामले में जांच पूरी होने पर, अभियोजन एजेंसी को

	अपना स्वतंत्र दिमाग लगाना चाहिए, और सभी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, यदि आवश्यक हो, तो आगे की जांच करनी चाहिए। • महत्व: चूंकि, आपराधिक न्याय के प्रशासन में जांच और अभियोजन दो अलग-अलग पहलू हैं, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अब राज्यों को दो विंग को अलग करने के लिए कहा है। ○ छत्तीसगढ़ ने जांच अधिकारियों को शिक्षित करने और जांच कार्य में सुधार करने में सहायता के लिए कानून अधिकारियों का एक संवर्ग (जो सरकारी अभियोजकों से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और अदालत में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी) को मंजूरी दी है। **5. उच्च न्यायालय को निर्देश** • तदनुसार, उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को "आपराधिक अभ्यास के नियम, 2021" के मसौदे को अधिसूचित करने के लिए कहा गया था, जिस पर सभी राज्यों और उच्च न्यायालयों ने मामूली बदलाव के साथ सहमति व्यक्त की थी, और अपनी पुलिस और अन्य नियमावली में परिणामी संशोधन करने के लिए कहा था। **निष्कर्ष** • जबकि ड्राफ्ट्समैन और फोटोग्राफरों के एक कैडर के निर्माण में समय लग सकता है, कार्यकारी आदेश बिना किसी देरी के जारी किए जा सकते हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए जांच अधिकारियों और चिकित्सा डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • पुलिस सुधार • आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022
CAG द्वारा UIDAI ऑडिट	**संदर्भ:** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने डेटा प्रबंधन में अक्षमता के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की खिंचाई की है। • भारत के सभी निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए 2016 में स्थापित वैधानिक प्राधिकरण यूआईडीएआई ने 31 अक्टूबर, 2021 तक 131.68 करोड़ आधार संख्या जारी किए थे। **यूआईडीएआई के साथ क्या समस्याएं हैं जिन्हें सीएजी द्वारा पहचाना गया है?** यूआईडीएआई के कामकाज पर सीएजी ने अपनी 108 पन्नों की ऑडिट रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कुछ मुद्दों को सामने लाया है: • कुछ मामलों में 10 साल बाद भी आधार कार्ड धारकों के डेटा का उनके आधार संख्या से मिलान नहीं किया गया है। • प्रमाणीकरण त्रुटियों के कारण कारकों का विश्लेषण करने के लिए एक प्रणाली का अभाव है। • भले ही यूआईडीएआई दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक डेटाबेस में से एक का रखरखाव कर रहा था, लेकिन उसके पास डेटा संग्रह नीति नहीं थी, जिसे "एक महत्वपूर्ण भंडारण प्रबंधन सर्वोत्तम अभ्यास" माना जाता है। • CAG ने यह भी नोट किया कि यूआईडीएआई ने मार्च 2019 तक बैंकों, मोबाइल ऑपरेटरों और अन्य एजेंसियों को अपने स्वयं के विनियमों के प्रावधानों के विपरीत, सरकार को राजस्व से वंचित करने के लिए प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान कीं। **यूआईडीएआई के पास व्यक्तिगत जानकारी के बारे में क्या है, जिसकी सुरक्षा लगातार चिंता का विषय रही है?** • CAG ने संकेत दिया है कि यूआईडीएआई ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि प्रमाणीकरण के लिए एजेंसियों या कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एप्लिकेशन या उपकरण "निवासियों की व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहीत करने में सक्षम नहीं थे, जो निवासियों की गोपनीयता को खतरे में डालते हैं"। • प्राधिकरण ने आधार वॉल्ट में डेटा की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की थी।

	• "उन्होंने स्वतंत्र रूप से शामिल प्रक्रिया के अनुपालन का कोई सत्यापन नहीं किया था," कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। **CAG ने और कौन-सी चिंताएं जताई हैं?** • CAG ने नोट किया है कि यूआईडीएआई ने यह पुष्टि करने के लिए कोई विशिष्ट प्रमाण, दस्तावेज या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है कि आधार के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति नियमों द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में रहता है या नहीं। • इसलिए, "इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि देश में सभी आधार धारक आधार अधिनियम में परिभाषित 'निवासी' हैं", रिपोर्ट कहती है। • अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में, CAG ने कहा है कि यूआईडीएआई ने अधूरी जानकारी के साथ आधार संख्या तैयार की, जिसके कारण उचित दस्तावेज या खराब गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स की कमी के कारण एक ही व्यक्ति को कई या डुप्लिकेट आधार कार्ड जारी किए गए। • CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि "यूआईडीएआई को स्व-घोषणा से परे जाना चाहिए, और आवेदकों के निवास की स्थिति की पुष्टि और प्रमाणित करने के लिए स्व-घोषणा के अलावा एक प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज निर्धारित करना चाहिए"। • CAG ने नोट किया है कि यूआईडीएआई के पास डाक विभाग के साथ पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बड़ी संख्या में आधार कार्ड वापस कर दिए गए। • खराब गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स आधार नंबर प्रमाणीकरण त्रुटियों को प्रेरित करते हैं। यूआईडीएआई इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने का दायित्व निवासी को हस्तांतरित करता है और इसके लिए शुल्क भी लेता है।
देखभाल कार्य और देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Work and Care Economy)	**संदर्भ:** देखभाल कार्य और देखभाल अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें देखभाल के शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को पूरा करने की गतिविधियां और संबंध शामिल होते हैं। • देखभाल कार्य और देखभाल अर्थव्यवस्था दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का एक अभिन्न, लेकिन अबाधित घटक बना हुआ है, जिससे समुदायों का कल्याण सुनिश्चित होता है। देखभाल कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सवैतनिक या अवैतनिक, अल्पकालिक (मातृत्व जरूरतों) या दीर्घकालिक (दिव्यांगों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए) हो सकता है। **सरकार को देखभाल के काम को पहचानने और देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता क्यों है?** • **मन में बदलाव:** देखभाल अर्थव्यवस्था की संपत्ति को बुनियादी ढांचे के रूप में मानना चाइल्डकैअर और बुजुर्गों की देखभाल के खर्च को व्यय के बजाय निवेश के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। • **जीवन के अधिकार को मजबूत करता है:** देखभाल सेवाएं बच्चे के विकास, गरिमा में उम्र बढ़ने और किसी के जीवन में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिरता के लाभ भी प्रदान करेंगी। • **महिला श्रम शक्ति में वृद्धि:** यदि सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत अतिरिक्त भारतीय स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो 11 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित हो सकते हैं, जिनमें से लगभग एक तिहाई महिलाओं के पास जाएगा, जिससे महिला श्रम बल की भागीदारी दर में वृद्धि होगी। • **व्यावसायिक डाउनग्रेडिंग को रोकता है:** देखभाल कार्य जिम्मेदारियों वाली महिलाएं अक्सर पेशेवर कार्य और देखभाल कार्य दोनों का प्रबंधन करने के लिए लचीली कम वेतन वाली नौकरियां लेती हैं। देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश इस प्रकार "व्यावसायिक डाउनग्रेडिंग" को रोक सकता है। • **आर्थिक विकास:** देखभाल अर्थव्यवस्था भी लिंग-समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। भारत में महिलाओं के अवैतनिक कार्य का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% है।

	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा और घरेलू मदद (अन्य के बीच) को औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में मान्यता देना उनके आर्थिक योगदान को जीडीपी में गिना जाएगा। • **निजी क्षेत्र को शामिल करना:** निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता विकसित करने के लिए देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में निवेश सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में भी हो सकता है। • **बेहतर उत्पादकता:** कार्यस्थल जो समय, आय सुरक्षा और स्तनपान जैसी देखभाल सेवाओं के लिए स्थान प्रदान करते हैं, ये सकारात्मक पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को सक्षम करते हैं जिससे श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार होता है। **केयर इकोनॉमी के समक्ष चुनौतियां** • भारत ILO के अनुसार पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, मातृत्व, विकलांगता और बीमारी लाभ, और दीर्घकालिक देखभाल सहित देखभाल कार्य के बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम खर्च करता है। • साथ ही, मार्च 2020 से, देखभाल सेवाओं की मांग आसमान छू रही है लेकिन देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश स्थिर है। • अवैतनिक देखभाल कार्य श्रम बाजार की असमानताओं से जुड़ा हुआ है, फिर भी इसे नीति निर्माण में अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। • भारत आईएलओ के 14 सप्ताह के मानक अधिदेश के विरुद्ध 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, जो 120 देशों में मौजूद है। हालांकि, यह कवरेज भारत में औपचारिक रोजगार में महिला श्रमिकों के केवल एक छोटे अनुपात तक फैली हुई है, जहां 89 फीसदी कार्यरत महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। • जबकि पितृत्व अवकाश को माता और पिता दोनों के लिए काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बेहतर संतुलन के लिए एक समर्थकारी के रूप में मान्यता दी गई है, यह भारत में प्रदान नहीं किया जाता है। • देश की 2.5 मिलियन महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW), सहायक नर्स-दाइयों (ANM) और मान्यता प्राप्त सामाजिक-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को श्रमिकों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और भारत में श्रमिकों को उनके अधिकारों तक उनकी पहुंच नहीं है। • मातृत्व अधिनियम, 2017 में कहा गया है कि नियोक्ताओं को एक निर्धारित दूरी के भीतर शिशुगृह की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। स्पष्ट कार्यान्वयन दिशानिर्देशों, दंड प्रावधानों या निगरानी के अभाव में गैर-अनुपालन बेरोकटोक जारी रहता है। **आगे की राह** • देखभाल के काम को सामूहिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक भलाई के रूप में देखा जाना चाहिए। • ILO ने लैंगिक समानता हासिल करने पर केंद्रित सभ्य देखभाल कार्य के लिए 5R ढांचे का प्रस्ताव किया है। यह रूपरेखा के लिए आग्रह करता है- ○ अवैतनिक देखभाल कार्य की मान्यता, कमी और पुनर्वितरण ○ देखभाल कर्मियों को अधिक और अच्छे कार्य के साथ पुरस्कृत करना ○ सामाजिक संवाद और सामूहिक सौदेबाजी में प्रतिनिधित्व **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • घर के काम के लिए मजदूरी • गृहकार्य के महत्व को पहचानना • महिला नेतृत्व
मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील)	**संदर्भ:** अगले शैक्षणिक सत्र से, कर्नाटक मध्याह्न भोजन योजना (एमएमएस) के तहत अंडे उपलब्ध कराने वाला 13वां राज्य बनने की संभावना है।

- यह प्रस्ताव राज्य के कई हिस्सों में बच्चों में कुपोषण, रक्ताल्पता और कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के उच्च प्रसार की ओर इशारा करते हुए क्रमिक सर्वेक्षणों के आधार पर आया है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-V में पांच साल से कम उम्र के 35% बच्चे अविकसित और कर्नाटक राज्य में लगभग 20% बच्चे कमजोर पाए गए।

मध्याह्न भोजन योजना का इतिहास क्या है?

- वर्ष 2021 में इस कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोशन कर दिया गया।
    - इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को 2,408 ब्लॉकों में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शुरू किया गया था। 2007 में, यूपीए सरकार ने इसका विस्तार कक्षा 8 तक कर दिया।
- हालांकि, बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की पहली पहल तत्कालीन मद्रास नगर निगम ने 1920 के आसपास की थी
- स्वतंत्रता के बाद के भारत में, तमिलनाडु फिर से अग्रणी था, मुख्यमंत्री के कामराज ने 1956 में एक स्कूल फीडिंग योजना शुरू की थी।
- केरल 1961 से एक मानवीय एजेंसी द्वारा संचालित एक स्कूल लंच योजना थी। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 1984 को पहल की, जिससे केरल देश में स्कूल लंच कार्यक्रम करने वाला दूसरा राज्य बन गया।
- अगले कुछ वर्षों में, कई अन्य राज्यों ने इस योजना के अपने स्वयं के संस्करण लॉन्च किए, और आखिरकार 1995 में केंद्र ने इसमें कदम रखा।

आज योजना का पैमाना क्या है?

- यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और दिल्ली में नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 (6 से 14 आयु वर्ग) में 11.80 करोड़ बच्चों को कवर करती है।
- 2022-23 के बजट में, केंद्र ने योजना के लिए 10,233 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जबकि राज्यों को 6,277 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है।
- यह केवल एक योजना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के साथ-साथ पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल जाने वाले सभी बच्चों का कानूनी अधिकार है। भारत और अन्य संघ (2001)।

ADDITIONAL FOOD ITEMS SERVED TO CHILDREN

STATE	FOOD	NUMBER OF DAYS / WEEK
Andhra Pradesh	Egg/Banana, Chikki	5, 3
Bihar	Egg	1
Gujarat	Milk (12 dists, 26 blocks)	5
Haryana	Milk	3
Jharkhand	Egg/Seasonal fruit	2
Karnataka	Hot flavoured milk	5
Kerala	Boiled egg/Banana, Milk	1, 2
Madhya Pradesh	Milk	3
Maharashtra	Banana/Soya biscuit/Rajgira laddu/Chikki	1
Odisha	Egg	2
Punjab	Sweet *kheer*	1
Rajasthan	Seasonal fruit, Hot milk	1, Daily
Tamil Nadu	Egg/Banana	Daily
Telangana	Egg	3

STATE	FOOD	NUMBER OF DAYS/WEEK
Uttar Pradesh	Seasonal fresh fruit	1
Uttarakhand	Egg/Fruit/Milk/*Gud papdi*/ *Rimdana ke laddu*	1
West Bengal	Egg/Cheese/Mushroom	1

Note: For 2021-22, Source: Parliament Question

आमतौर पर मेनू में क्या होता है?

- मेनू एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे में भिन्न होता है।
- लेकिन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चावल, दाल, सब्जियां, तेल और वसा से बने भोजन के पोषक तत्व प्राथमिक कक्षा के बच्चों को कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करें।
- उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
- दूध, अंडे, चिक्की, या फलों जैसी अतिरिक्त वस्तुओं के मामले में भिन्नताएं हैं जो राज्य पूरक

	पोषण के रूप में प्रदान करते हैं, जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। **पूरक पोषण में ये विविधताएँ कितनी व्यापक हैं?** • उदाहरण के लिए, शाकाहारियों को अंडे और केले वर्तमान में केवल 13 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। • तमिलनाडु सभी स्कूल कार्य दिवसों में अंडे प्रदान करता है; आंध्र प्रदेश, सप्ताह में कम से कम पांच दिन; तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सप्ताह में तीन बार; झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा और पुडुचेरी, सप्ताह में दो बार; आदि। • दूध प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, उत्तराखंड, लद्दाख और पुडुचेरी शामिल हैं। • अन्य खाद्य पदार्थों में, पश्चिम बंगाल सीमित पैमाने पर पनीर और मशरूम प्रदान करता है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र चिक्की प्रदान करते हैं। • लक्षद्वीप में चिकन भी परोसा जाता है। **इतने कम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडे मेनू का हिस्सा क्यों हैं?** • कुछ राज्यों, जैसे अरुणाचल प्रदेश को यह महंगा लगता है। • लेकिन जातिगत रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता और क्षेत्रीय मतभेदों के कारण भारत में खान-पान के विकल्प एक गहन रूप से विवादित क्षेत्र हैं। ऐसे में यह बहस राजनीतिक भी हो जाती है। • नतीजतन, राज्य सरकारों द्वारा कमीशन किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों सहित, जिसमें बच्चों को अंडे देने के लाभ दिखाए गए हैं, कई राज्य स्कूल लंच मेनू में अंडे जोड़ने के बारे में अनिच्छुक रहे हैं। ○ उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़, जिसने अपने परीक्षण किए गए भोजन से 30-35% नमूनों में कम मात्रा में प्रोटीन पाया, ने सप्ताह में दो दिन अंडे देकर समस्या को दूर करने का फैसला किया, लेकिन राजनीतिक विरोध में भाग गया। ○ मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सरकार के आंगनवाड़ियों के मेनू में अंडे जोड़ने के निर्णय को भाजपा सरकार ने 2020 में पलट दिया था। ○ कर्नाटक में, अंडे जोड़ने के प्रस्तावों का अतीत में लिंगायत और जैन संतों द्वारा जमकर विरोध किया गया है। • लेकिन कई राज्यों ने अंडे के विकल्प के रूप में फल उपलब्ध कराकर ऐसी आपत्तियों का समाधान किया है। **क्या केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से योजना चलाते हैं?** • नियमों के तहत, प्रति बच्चा 4.97 रुपये प्रति दिन (प्राथमिक कक्षाएं) और 7.45 रुपये (उच्च प्राथमिक) का आवंटन 60:40 के अनुपात में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक विधायिका के साथ, और 90:10 पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और के साथ साझा किया जाता है। ○ हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका के बिना लागत का 100% वहन करता है • लेकिन जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दूध और अंडे जैसी अतिरिक्त वस्तुओं के साथ भोजन को पूरक करते हैं, वे अधिक योगदान करते हैं। • हालांकि, केंद्र भोजन और उनके परिवहन की पूरी लागत को सहन करता है, और योजना के प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन पर खर्च को भी संभालता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • खाद्य सुरक्षा अधिनियम को संशोधित करना • कोविड और खाद्य सुरक्षा • राशन कार्ड सुधार
अरुणाचल-असम सीमा विवाद	**संदर्भ:** असम-मेघालय सीमा विवाद में हाल ही में हुई प्रगति के बाद, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके असम समकक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने अंतर-राज्यीय सीमा विवादों के समाधान हेतु ज़िला स्तरीय समितियों (District-level Committees) को गठित करने का निर्णय लिया है। • इसने दो राज्यों के लिए "fifty-fifty" या "give-and-take" मॉडल के आधार पर इस मुद्दे को

हल करने के लिए बॉल रोलिंग सेट कर दिया है, असम और मेघालय ने अपने 12 मुश्किल क्षेत्रों में से छह में विवादों को बंद करने के लिए पालन किया है।

अरुणाचल प्रदेश का असम के साथ सीमा विवाद क्यों है?

- असम का उन सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ सीमा विवाद रहा है, जिन्हें इससे अलग किया गया था।
- नागालैंड 1963 में एक राज्य बना, मेघालय पहली बार 1970 में एक स्वायत्त राज्य और 1972 में एक पूर्ण राज्य बना।
- अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1972 में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में असम से और 1987 में राज्यों के रूप में अलग किया गया था।
- नए राज्यों में से किसी ने भी "संवैधानिक सीमा" को स्वीकार नहीं किया, जो उन्होंने कहा कि अविभाजित असम के पक्षपातपूर्ण प्रशासन द्वारा आदिवासी हितधारकों से परामर्श किए बिना तय किया गया था।
- उन्होंने यह भी दावा किया कि असम से पहले विवादित क्षेत्र पारंपरिक रूप से आदिवासी सरदारों के नियंत्रण में थे, भारत की स्वतंत्रता के बाद, ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई "काल्पनिक सीमाओं" को विरासत में मिला।
- अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे का संबंध 1951 की असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता वाली एक उप-समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से है।

विवाद की उत्पत्ति क्या है?

- अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच 804 किलोमीटर की सीमा पर लगभग 1,200 बिंदुओं पर विवाद है।
- विवाद 1970 के दशक में सामने आए और 1990 के दशक में सीमा पर बार-बार भड़कने के साथ तेज हो गए।
- हालांकि, यह मुद्दा 1873 का है जब ब्रिटिश सरकार ने मैदानी इलाकों को सीमांत पहाड़ियों से अस्पष्ट रूप से अलग करते हुए इनर-लाइन रेगुलेशन पेश किया, जिसे बाद में 1915 में नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स के रूप में नामित किया गया था।
- 1954 में यह क्षेत्र उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी (एनईएफए) बन गया, 1951 की रिपोर्ट के आधार पर एक अधिसूचना के तीन साल बाद बालीपारा और सादिया तलहटी के 3,648 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को असम के दरांग और लखीमपुर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया।
- अरुणाचल प्रदेश 1987 से चीन पर नजर रखते हुए बड़े पैमाने पर अपने राज्य का जश्न मना रहा है, लेकिन जो नाराजगी पैदा कर रहा है, वह है तबादले में रहने वाले लोगों की उत्सव में शामिल होने में असमर्थता।
- अरुणाचल प्रदेश के नेताओं का दावा है कि इन जमीनों पर प्रथागत अधिकार रखने वाली जनजातियों से परामर्श किए बिना मनमाने ढंग से स्थानांतरण किया गया था।
- असम में उनके समकक्षों का कहना है कि 1951 का सीमांकन संवैधानिक और कानूनी है।

क्या दोनों राज्यों ने पहले सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी?

- 1971 और 1974 के बीच असम और नेफा/अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिए कई प्रयास किए गए।
- गतिरोध को समाप्त करने के लिए, अप्रैल 1979 में केंद्र और दोनों राज्यों को शामिल करते हुए एक उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति का गठन सर्वेक्षण के आधार पर सीमा को चित्रित करने के लिए किया गया था।
- 1984 तक ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में लगभग 489 किलोमीटर की अंतर-राज्यीय सीमा का सीमांकन कर दिया गया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया और 1951 में स्थानांतरित किए गए अधिकांश क्षेत्रों पर दावा किया।
- अरुणाचल प्रदेश पर "अतिक्रमण" का आरोप लगाते हुए, असम ने 1989 में आपत्ति जताई और

	सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। • शीर्ष अदालत ने 2006 में अपने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थानीय सीमा आयोग नियुक्त किया। • सितंबर 2014 की अपनी रिपोर्ट में, इस आयोग ने सिफारिश की थी कि अरुणाचल प्रदेश को 1951 में स्थानांतरित किए गए कुछ क्षेत्रों को वापस लेना चाहिए, इसके अलावा दोनों राज्यों को चर्चा के माध्यम से बीच का रास्ता खोजने की सलाह दी जानी चाहिए। यह बात नहीं बनी। **इस बार समाधान निकलने की क्या संभावना है?** • असम-मेघालय सीमा समझौते ने असम-अरुणाचल सीमा विवाद के सुलझने की उम्मीद जगा दी है, विशेष रूप से केंद्र ने उत्तर-पूर्वी राज्यों को अपने क्षेत्रीय मुद्दों को एक बार और सभी के लिए 15 अगस्त, 2022 तक समाप्त करने के लिए प्रेरित किया है, जब देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाता है। • इसके अलावा, एक आम धारणा है कि इस क्षेत्र की बहन-राज्य प्रस्ताव को तेजी से ट्रैक करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि वे केंद्र में समान राजनीतिक व्यवस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित हैं। • मेघालय के साथ विवाद को सुलझाने की कवायद में अपनाए गए मॉडल के बाद, असम और अरुणाचल प्रदेश ने जिला-स्तरीय समितियां बनाने पर सहमति जताई है, जिन्हें विवादित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा। • ताकि लंबे समय से लंबित मुद्दों के आधार पर ठोस समाधान खोजने का है ○ ऐतिहासिक दृष्टिकोण ○ जातीयता ○ निकटता ○ लोगों की इच्छा ○ दोनों राज्यों की प्रशासनिक सुविधा • दोनों राज्यों ने सीमा साझा करने वाले जिलों को शामिल करते हुए ऐसी 12 समितियां बनाने का निर्णय लिया है। असम में आठ जिले हैं जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूते हैं, जिसमें ऐसे 12 जिले हैं। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • असम-मेघालय सीमा विवाद समाधान • असम-मिजोरम सीमा विवाद • नागा मुद्दा
फोन टैप करने पर कानून (Laws on Tapping Phone)	**संदर्भ:** महाराष्ट्र के राजनीतिक नेता संजय राउत ने केंद्र पर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को बचाने का आरोप लगाया है, जो 2019 में राजनीतिक नेताओं के फोन टैप करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जांच के दायरे में है। **भारत में फोन कैसे टैप किया जाता है?** • फिक्स्ड लाइन फोन के युग में, मैकेनिकल एक्सचेंज कॉल से ऑडियो सिग्नल को रूट करने के लिए सर्किट को एक साथ जोड़ते थे। • जब एक्सचेंज डिजिटल हो गए, तो कंप्यूटर के माध्यम से टैपिंग की जाती थी। • आज, जब अधिकांश बातचीत मोबाइल फोन के माध्यम से होती है, अधिकारी फोन सेवा प्रदाता से फोन टैपिंग हेतु अनुरोध करते हैं। फोन सेवा प्रदाता संदिग्ध नंबर के बातचीत को रिकॉर्ड करने और एक कनेक्टेड कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। **भारत में कौन फोन टैप कर सकता है?** • राज्यों में, पुलिस के पास फोन टैप करने का अधिकार है। • केंद्र में, 10 एजेंसियां ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं: o इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी)

	o केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) o प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) o नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) o केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) o राजस्व आसूचना निदेशालय o राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) o अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) o सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय o दिल्ली पुलिस आयुक्त। • किसी अन्य एजेंसी द्वारा टैप करना अवैध माना जाएगा। **भारत में फोन टैपिंग को नियंत्रित करने वाले कानून कौन से हैं?** • भारत में फोन टैपिंग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम,1885 द्वारा शासित है। • केंद्र या राज्यों द्वारा फोन टैपिंग की जा सकती है यदि वे संतुष्ट हैं तो यह किसके हित में आवश्यक है o सार्वजनिक सुरक्षा o भारत की संप्रभुता और अखंडता o राज्य की सुरक्षा o विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध o सार्वजनिक व्यवस्था o किसी अपराध को करने के लिए उकसाने को रोकना • प्रेस के लिए एक अपवाद दिया गया है। • फोन टैपिंग की स्थिति: किसी सार्वजनिक आपात स्थिति के होने पर, या जनता की सुरक्षा के हित में। • सक्षम प्राधिकारी (केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव) को लिखित में टैप करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए। ○ अपरिहार्य परिस्थितियों में, ऐसा आदेश भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत किया गया हो। • भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 का नियम 419A अधिकृत आदेशों के बारे में बात करता है जिन्हें लिखित रूप में सेवा प्रदाता को बताना होता है। **दुरुपयोग के विरुद्ध जांच** • कानून स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं होने पर ही टैपिंग का आदेश दिया जाना चाहिए। • टैपिंग के निर्देश लागू रहेंगे, जब तक कि उसे निरस्त नहीं किया जाता हालांकि यह 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं है। इस टैपिंग का नवीनीकरण किया जा सकता है, परन्तु यह कुल मिलकर 180 दिनों से अधिक नहीं हो सकता। • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश में टैपिंग के कारण सम्मिलित होने चाहिए तथा इस आदेश की एक प्रति समीक्षा समिति को सात कार्य दिवसों के भीतर अग्रेषित की जानी चाहिए। • जब समीक्षा समिति की राय है कि निर्देश प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं, तो वह इंटरसेप्ट किए गए संदेशों की प्रतियों को नष्ट करने के लिए (6 महीने के भीतर) निर्देशों और आदेशों को रद्द कर सकता है। • इंटरसेप्शन के लिए निर्देश उस अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम निर्दिष्ट करना है जिसे इंटरसेप्ट की गई कॉल का खुलासा किया जाना है। • अनधिकृत अवरोधन के मामले में, सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसका

	लाइसेंस भी खो सकता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • भारत में निगरानी कानून • श्रेया सिंघल जजमेंट • नया सोशल मीडिया कोड
संघवाद: हवाई अड्डों से राजस्व हिस्सेदारी (Federalism: Revenue Share from Airports)	**संदर्भ:** इस महीने की शुरुआत में, तमिलनाडु सरकार ने एक नीति नोट जारी किया जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को हवाई अड्डे के निजीकरण या अपनी संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के मामले में केंद्र से मुआवजे का दावा करना चाहिए। • तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड के समर्थन में सामने आए और हवाई अड्डों के निजीकरण से राजस्व हिस्सेदारी में दावा किया। **कितने हवाई अड्डों का निजीकरण किया गया है?** • भारत में हवाई अड्डों का निजीकरण पहली बार 2003 में शुरू हुआ जब सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में मुंबई और दिल्ली को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ○ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने भी कुछ हवाई अड्डों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे लागू नहीं कर सकी। • तब इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचार किया था। 2019 में, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाई अड्डों को पीपीपी मॉडल के माध्यम से पट्टे पर दिया गया था। • 2021 में, केंद्र ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत पांच वर्षों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रबंधित 25 हवाई अड्डों को और अधिक मुद्रीकृत करने की अपनी योजना का अनावरण किया। **तमिलनाडु क्या प्रस्ताव दे रहा है?** • एनएमपी के तहत, केंद्र ने तमिलनाडु में निजीकरण के लिए चार हवाई अड्डों - चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली (त्रिची) को निर्धारित किया है। • तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 2007 में लिए गए निर्णय के अनुसार, नए हवाई अड्डों के निर्माण/हवाई अड्डों के विस्तार के लिए, वह भूमि अधिग्रहण कर रही है और बिना किसी बोझ के एएआई को सौंप रही है। • इस बीच, एएआई ने अब राज्य से चेन्नई हवाई अड्डे के लिए 64.57 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है, जिसके कारण तमिलनाडु ने वर्तमान नीतिगत रुख अपनाया है। वर्तमान परियोजनाओं में, भूमि लागत समग्र परियोजना लागत का प्रमुख हिस्सा है। • तमिलनाडु सरकार का कहना है कि एएआई हवाई अड्डों के निजीकरण की नीति पर सक्रियता से काम कर रहा है। यदि राज्य सरकार एएआई को मुफ्त में भूमि का अधिग्रहण और हस्तांतरण करती है और एएआई या केंद्र सरकार संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करती है, तो प्राप्त मूल्य/राजस्व को राज्य सरकार के साथ आनुपातिक रूप से साझा किया जाना चाहिए। • भूमि का मूल्य, उचित स्तर पर, हवाई अड्डे के विशेष प्रयोजन वाहन में राज्य सरकार की इक्विटी में परिवर्तित किया जाना चाहिए या हवाई अड्डे को किसी निजी पार्टी को स्थानांतरित करने से पहले एक उचित राजस्व बंटवारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। • तमिलनाडु सरकार ने कहा कि एएआई को हस्तांतरण से पहले भूमि संपत्ति में राज्य के निवेश को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिया गया था। **छत्तीसगढ़ और झारखंड तमिलनाडु का समर्थन क्यों कर रहे हैं?** • गैर-भाजपा शासित राज्यों छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी निजीकृत हवाई अड्डों से होने वाले राजस्व में एक हिस्से की मांग की है।

	• छत्तीसगढ़ ने कहा है कि जब केंद्र और राज्य एक कमाई की परियोजना के लिए एक साथ आते हैं, तो सरकार की पूंजी भूमि के मामले में एक शेयरधारक के रूप में मौजूद होती है। • जब तक यह सरकारी क्षेत्र में है, केंद्र सरकार कुछ राजस्व कमा रही होगी और राज्य सरकार पर कुछ मिल जाएगा और जनता को लाभ होगा, तो यह ठीक है। • हालांकि, जब केंद्र सरकार इसे किसी तीसरी इकाई को बेच रही है जो एक निजी पार्टी है, तो वह कंपनी की संपत्ति बेच रही है, जिसमें जमीन भी शामिल है। इसलिए राज्य सरकार को जमीन का मूल्य दिया जाना चाहिए। • झारखंड ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। "भूमि राज्य की है। जब यह केंद्र सरकार के अधीन होता है, तो राज्यों को कोई समस्या नहीं होती है और वे जमीन, पानी और अन्य संसाधन देते हैं। लेकिन अगर केंद्र इसे निजी पार्टियों को सौंप रहा है, तो राजस्व को राज्य सरकार के साथ साझा किया जाना चाहिए। **निष्कर्ष** • नागर विमानन मंत्रालय ने अभी तक इस मामले पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। नीति की घोषणा में देरी से केंद्र-राज्य संबंधों में और तनाव आएगा। • इस संबंध में सभी राज्यों के लिए एक नीति तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि इसे देश के वित्तीय संघवाद के लिए एक चुनौती माना जाता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • संघवाद और भारत की मानव पूंजी • कुलपति का चयन • सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद • कराधान और संघवाद • संघवाद में आगामी संकट • नई राजनीति के रूप में संघवाद पर ताजा हलचल
राज्यों बनाम केंद्र के बीच ईंधन घर्षण (Fuel Friction between States vs Centre)	**संदर्भ:** पेट्रोल और डीजल पर कर और शुल्क को लेकर केंद्र और राज्य आमने-सामने हैं। **मुद्दा क्या है?** ○ नवंबर 2021 में जैसे ही ईंधन की कीमतें बढ़ीं, केंद्र ने तीन वर्षों में पहली बार पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। ○ केंद्र के साथ, 21 राज्यों ने पेट्रोल के लिए 1.80-10 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 2-7 रुपये प्रति लीटर की सीमा में वैट में कटौती की। ○ इसके कारण राज्यों को राजस्व हानि सकल घरेलू उत्पाद का 0.08% होने का अनुमान है, जैसा कि 2021-22 के लिए आरबीआई की राज्य वित्त रिपोर्ट में कहा गया है। ○ लेकिन मार्च में राज्य के चुनावों के बाद 137 दिनों की रोक हटाने के बाद जो राहत प्रदान की गई थी। इनमें 16 दिनों में 14 कीमतों में बढ़ोतरी की गई। ○ जबकि केंद्र को लगता है कि राज्य उत्पाद शुल्क में केंद्र की कटौती के अनुरूप वैट को कम नहीं कर रहे हैं, राज्यों ने अपने राजकोषीय कुशन (fiscal cushion) पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से जून 2022 में समाप्त होने वाली जीएसटी मुआवजा व्यवस्था पर।

TABLE 1

PRICE BREAKUP IN DELHI (₹/LITRE)

	Petrol	Diesel
Base price	56.32	57.94
Freight etc	0.20	0.22
Excise duty	27.90	21.80
Dealer commission (avg)	3.86	2.59
VAT	17.13	14.12
Retail price	105.41	96.67

Source: IOCL; last updated on April 16

CHART 1

CENTRAL EXCISE & VAT/SALES TAX ON PETROLEUM PRODUCTS (₹ cr)

Excise duty collected by Centre Sales tax/VAT collected by states

Dec-April 2021-22 (P) – Excise duty: ₹2,62,967 cr; Sales tax/VAT: ₹1,89,125 cr

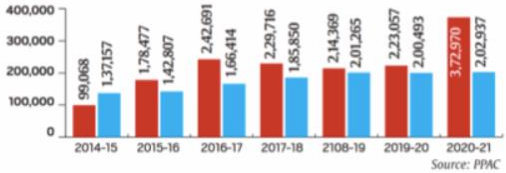

Source: PPAC

ईंधन करों का महत्व क्या है?

- ईंधन पर उत्पाद शुल्क केंद्र के सकल कर राजस्व का लगभग 18.4% है।
- आरबीआई के बजट 2020-21 के अध्ययन के अनुसार, पेट्रोलियम और अल्कोहल, औसतन राज्यों के अपने कर राजस्व का 25-35% हिस्सा है।
- राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में, केंद्रीय कर हस्तांतरण में 25-29% और स्वयं के कर राजस्व में 45-50% शामिल हैं।
- अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर करों से केंद्रीय खजाने को 3.10 लाख करोड़ रुपये मिले, जिसमें उत्पाद शुल्क के रूप में 2.63 लाख करोड़ रुपये और कच्चे तेल पर उपकर के रूप में 11,661 करोड़ रुपये शामिल थे।
- इसी अवधि के लिए राज्यों के खजाने में 2.07 लाख करोड़ रुपये उपार्जित हुए, जिसमें से 1.89 लाख करोड़ रुपये वैट के माध्यम से थे।
- 2020-21 में पेट्रोल और डीजल से एकत्रित कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क (उपकर सहित) 3.72 लाख करोड़ रुपये था।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत एकत्र किए गए कोष से राज्य सरकारों को हस्तांतरित कुल कर 19,972 करोड़ रुपये था।
- वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में केंद्रीय और राज्य करों की हिस्सेदारी क्रमश: 43% और 37% है।

करों में कटौती के लिए केंद्र के आह्वान के लिए राज्य संकोची क्यों हैं?

- ईंधन और शराब पर शुल्क भी राज्यों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है क्योंकि अन्य अप्रत्यक्ष कर राजस्व जीएसटी शासन के माध्यम से भेजा जाता है।
- जीएसटी पर स्विच करने से राजस्व को समायोजित करने के लिए राज्यों के लचीलेपन में भारी कमी आई है। इस समय, केवल वे घटक जिन्हें वे समायोजित कर सकते हैं, वे शराब पर ईंधन कर और उत्पाद शुल्क हैं। यही कारण है कि राज्य इन करों पर केंद्र के हस्तक्षेप को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

ईंधन पर कर कैसे लगाया और साझा किया जाता है?

- राज्य पेट्रोल और डीजल पर आधार मूल्य, माल भाड़ा, उत्पाद शुल्क और डीलर कमीशन पर यथामूल्य वैट या बिक्री कर लागू करते हैं। इसलिए, राज्य संग्रह भी बढ़ता है क्योंकि केंद्र उत्पाद शुल्क बढ़ाता है।
- 4 नवंबर को उत्पाद शुल्क में कटौती से पहले, केंद्र ने पूर्व-महामारी के स्तर की तुलना में पेट्रोल पर कुल 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया था।
- दिल्ली पेट्रोल पर 19.4% वैट लगाया जबकि कर्नाटक पेट्रोल पर 25.9% और डीजल पर 14.34% बिक्री कर लगाया है।
- कुछ अन्य राज्य प्रति लीटर एक समान कर के अतिरिक्त यथामूल्य कर भी लगाते हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश वैट (पेट्रोल पर 31 फीसदी, डीजल पर 22.5%) के अलावा ऑटो ईंधन पर 4 रुपये प्रति लीटर वैट और 1 रुपये प्रति लीटर सड़क विकास उपकर लगाता है।

	• जबकि ईंधन की ऊंची कीमतों और उत्पाद शुल्क में पिछली बढ़ोतरी के साथ राज्य वैट संग्रह में वृद्धि हुई है, वित्त वर्ष 2022 के बजट में ईंधन पर उत्पाद शुल्क में राज्यों की हिस्सेदारी कम हो गई थी। ○ इसने पेट्रोल और डीजल पर मूल उत्पाद शुल्क (बीईडी) में क्रमशः 1.6 रुपये और 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, दोनों पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, और कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) की शुरुआत की। • राज्यों के हिस्से को कम करते हुए, इसने पंप की कीमतों को प्रभावित नहीं किया क्योंकि उपकरों से संग्रह साझा करने योग्य पूल का हिस्सा नहीं है। • उत्पाद शुल्क में हर रुपये की बढ़ोतरी से सालाना 13,000-14,000 करोड़ रुपये की आमदनी होती है, जो वैश्विक कीमतों और खपत के स्तर पर सशर्त है। **तेल की कीमतों में क्या रुझान रहा है?** • आम तौर पर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बेंचमार्क कीमतों के 15-दिवसीय रोलिंग औसत के अनुरूप प्रतिदिन संशोधित किया जाता है। • हालांकि, ओएमसी ने 4 नवंबर को उत्पाद शुल्क में कटौती से लेकर मार्च में पांच राज्यों में चुनाव के अंत तक कीमतों को स्थिर रखा था। • मार्च में संशोधन शुरू होने के बाद से, तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ○ एलपीजी की कीमत भी बढ़ी: दिल्ली में अब 15 किलो के सिलेंडर की कीमत 949.50 रुपये (50 रुपये ऊपर) हो गई है। • 4 नवंबर से ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 25.53 डॉलर प्रति बैरल बढ़कर 106.48 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चे तेल का आयात करता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • उपकर पूल: जीएसटी पर सीएजी की रिपोर्ट पर • सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद • कराधान और संघवाद • संघवाद में आगामी संकट • नई राजनीति के रूप में संघवाद पर ताजा हलचल

अर्थव्यवस्था

त्वरित भुगतान के लिए एनएफसी प्रौद्योगिकी	**संदर्भ:** हाल ही में Google Pay ने भारत में एक नई सुविधा, 'यूपीआई भुगतान करने के लिए टैप करें', को पाइन लैब्स के सहयोग से शुरू किया है। • यह सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का उपयोग करती है। • अब तक, भुगतान करने के लिए टैप करें केवल कार्ड के लिए उपलब्ध था। **एनएफसी क्या है और यह कैसे काम करता है?** • एनएफसी एक छोटी दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है जो एनएफसी-सक्षम उपकरणों को एक-दूसरे के साथ संवाद करने तथा सिंगल टच पर (शीघ्र तथा सरलता से)जानकारी स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। इसमें बिलों का भुगतान करना , व्यापार कार्डों का आदान-प्रदान करना , कूपन डाउनलोड करना हो या कोई दस्तावेज़ साझा करना, जैसे कार्य किये जा सकते हैं । • एनएफसी दो उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों के

माध्यम से डेटा प्रसारित करता है।

- दोनों उपकरणों में NFC चिप्स होने चाहिए, क्योंकि लेन-देन बहुत कम दूरी के भीतर होता है।
- डेटा स्थानांतरण के लिए एनएफसी-सक्षम डिवाइस या तो भौतिक रूप से स्पर्श करने वाले या एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर के भीतर होने चाहिए।

हाल ही में लॉन्च किए गए फीचर 'यूपीआई के लिए भुगतान करने के लिए टैप करें' के साथ यह तकनीक कैसे काम करेगी?

- Google Pay, पीओएस टर्मिनलों पर काम करने वाले टैप टू पे फीचर को लाने वाला पहला यूपीआई ऐप है।
- यह Google Pay पर कॉन्फ़िगर किए गए UPI खातों वाले उपयोगकर्ताओं को किसी भी Pine Labs Android POS टर्मिनल पर अपने NFC-सक्षम Android स्मार्टफ़ोन को टैप करके भुगतान करने की अनुमति देगा।
- एक बार जब उपयोगकर्ता पीओएस टर्मिनल पर अपने फोन को टैप करते हैं, तो यह Google Pay ऐप को पहले से भरी हुई भुगतान राशि के साथ स्वचालित रूप से खोल देगा।
- उपयोगकर्ता तब राशि और व्यापारी के नाम की पुष्टि कर सकते हैं और अपने यूपीआई पिन का उपयोग करके भुगतान को प्रमाणित कर सकते हैं। भुगतान सफल होने के बाद उन्हें सूचित किया जाएगा।
- क्यूआर कोड को स्कैन करने या यूपीआई-लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने की तुलना में यह प्रक्रिया बहुत तेज है।

क्या अन्य कंपनियां स्मार्टफोन का उपयोग करके भुगतान के लिए एनएफसी तकनीक का उपयोग कर रही हैं?

- फरवरी 2022 में, Apple ने iPhone पर Tap to Pay की शुरुआत की। यह यू.एस. भर के व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर या भुगतान टर्मिनल की आवश्यकता के अपने iPhone पर टैप करके Apple Pay, संपर्क रहित क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और अन्य डिजिटल वॉलेट स्वीकार करने के लिए अपने iPhone का उपयोग करने की अनुमति देगा।
- Apple ने पहले एक विज्ञप्ति में कहा, चेकआउट के समय, ग्राहक को अपने iPhone या Apple वॉच को Apple Pay, अपने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या व्यापारी के iPhone के पास अन्य डिजिटल वॉलेट से भुगतान करने के लिए NFC तकनीक का उपयोग करके भुगतान पूरा करने की आवश्यकता होती है।

एनएफसी प्रौद्योगिकी के अन्य अनुप्रयोग क्या हैं?

- इसका उपयोग कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग कार्ड्स में लेन-देन करने या सार्वजनिक परिवहन के लिए कॉन्टैक्ट-लेस टिकट जेनरेट करने के लिए किया जाता है।
- इन्वेस्टोपेडिया के अनुसार, संपर्क रहित कार्ड और पाठक एनएफसी का उपयोग कई अनुप्रयोगों में नेटवर्क और इमारतों को सुरक्षित रखने से लेकर इन्वेंट्री और बिक्री की निगरानी, ऑटो चोरी को रोकने, पुस्तकालय की किताबों पर नजर रखने और मानव रहित टोल बूथ चलाने तक करते हैं।
- टिकटों की जांच करने के लिए हम सबवे टर्नस्टाइल और बसों में कार्ड रीडर्स में भी एनएफसी तकनीक का प्रयोग होता है।
- यह स्पीकरों, घरेलू उपकरणों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मौजूद होता है जिन्हें हम अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से मॉनिटर और नियंत्रित करते हैं।
- एनएफसी-सक्षम रिस्टबैंड के माध्यम से रोगी के आँकड़ों की निगरानी के लिए स्वास्थ्य सेवा में इसका एक अनुप्रयोग भी है। वायरलेस चार्जिंग में भी NFC का इस्तेमाल किया जाता है।

कितनी सुरक्षित है यह तकनीक?

	• एनएफसी तकनीक को एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर के भीतर उपकरणों के बीच संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। • एनएफसी फोरम (गैर-लाभकारी उद्योग संघ) के अनुसार, अन्य वायरलेस तकनीकों की तुलना में इसके उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करना मुश्किल है। • एनएफसी-सक्षम डिवाइस का उपयोगकर्ता टच जेस्चर द्वारा निर्धारित करता है कि एनएफसी संचार किस इकाई के साथ होना चाहिए अतः इसमें कनेक्टिविटी की भी समस्या आती है। • एनएफसी संचार का सुरक्षा स्तर अन्य बेतार संचार प्रोटोकॉल की तुलना में डिफ़ॉल्ट रूप से अधिक है। • अन्य वायरलेस संचार प्रोटोकॉल की तुलना में एनएफसी संचार का सुरक्षा स्तर डिफ़ॉल्ट रूप से अधिक है। • एनएफसी फोरम ने पीयर टू पीयर संचार को भी जोड़ा है। जो रिकॉर्ड किए गए संचार की बाहरी व्याख्या से बचने के लिए सभी एक्सचेंज किए गए डेटा को सांकेतिक अक्षर (Chipher) करने का एक तंत्र है। • •चूंकि प्राप्त करने वाला उपकरण आपके द्वारा भेजे गए डेटा को तुरंत पढ़ लेता है, इसलिए एनएफसी तकनीक मानवीय त्रुटि की संभावना को भी कम कर देता है। **अन्य वायरलेस तकनीकों की तुलना में एनएफसी?** • कई अन्य वायरलेस प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं जो केबल-आधारित कनेक्शनों की जगह ले रही हैं। • आईआरडीए प्रौद्योगिकी एक छोटी दूरी (कुछ मीटर) का कनेक्शन है जो इन्फ्रारेड लाइट पर डेटा के आदान-प्रदान पर आधारित है। इसमें दो संचार उपकरणों को एक निर्धारित सीमा के भीतर स्थित होना चाहिए। • आज, इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से रिमोट कंट्रोल उपकरणों के लिए किया जाता है। • कंप्यूटर उपकरणों के साथ बड़े डेटा संचार के लिए इस तकनीक को ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शन में परिवर्तित कर दिया गया था। • हालांकि, इन प्रौद्योगिकियों के लिए रिसीवर उपकरणों को बड़ी कार्य दूरी के कारण अपनी बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए, प्राप्तकर्ता उपकरण को NFC की तरह रेडियोफ्रीक्वेंसी (RF) क्षेत्र द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है। • अधिक काम करने की दूरी का एक और परिणाम यह है कि उपयोगकर्ता को अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने और संचार के लिए उन्हें एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। इसमें एनएफसी की तरह एक साधारण टच जेस्चर द्वारा कनेक्शन आरम्भ नहीं किया जा सकता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • यूपीआई 123 • ई-रूपी • ई-आरयूपीआई और गवर्नेंस
HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड का विलय	**संदर्भ:** बंधक ऋणदाता (आवास वित्त) एचडीएफसी लिमिटेड और भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने एक मेगा विलय की घोषणा की है। • यह समामेलन एक वित्तीय दिग्गज का निर्माण करेगा जिससे ऋण की बढ़ती मांग का बेहतर ढंग से टैप करने की उम्मीद है। **विलय की शर्तें क्या हैं?** • दोनों कंपनियों ने घोषणा की है कि उनके संबंधित बोर्डों ने विलय को मंजूरी दे दी है। • इसके बाद, विलय को नियामकीय अनुमोदनों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ेगा । • इसे दोनों कंपनियों के शेयरधारकों से भी मंजूरी लेनी होती है।

	• यह एक ऑल-शेयर डील है, इसलिए इसमें कोई नकद लेनदेन शामिल नहीं है। • शेयर स्वैप की शर्तें ऐसी हैं कि एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों को एचडीएफसी लिमिटेड में उनके प्रत्येक 25 शेयरों के लिए एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर प्राप्त होंगे। • इस विलय के बाद एचडीएफसी लिमिटेड अब एक अलग बंधक ऋणदाता नहीं होगा, यह बैंक में जुड़ जाएगा। • बैंक, जो एचडीएफसी लिमिटेड और पुरानी विरासत इकाई की अंग है, वह है जो बंधक ऋणदाता का अधिग्रहण कर रहा है। • बैंक द्वारा बंधक ऋणदाता के अधिग्रहण के साथ, यह अपनी सभी सहायक कंपनियों का भी अधिग्रहण करता है, जिसमें एक सामान्य बीमा कंपनी, एक जीवन बीमा कंपनी और एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी शामिल है। • चूंकि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों की समान रूढ़िवादी उधार संस्कृति है और ग्राहक-अनुकूल हैं, सांस्कृतिक रूप से, एकीकरण के साथ कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। • इसका एकीकरण हिस्सा केवल यह सुनिश्चित करने का मामला होगा कि सब कुछ निर्बाध और सुचारू है, पुस्तकों को एक-दूसरे पर मैप किया जा रहा है, आईटी सिस्टम एक-दूसरे के साथ विलय कर रहे हैं और इसी तरह। **मौजूदा ग्राहकों और कर्मचारियों का क्या होता है?** • जहां तक ग्राहकों की बात है तो एचडीएफसी लिमिटेड के ग्राहक बैंक के भी ग्राहक बनेंगे। • कर्मचारियों के लिए, एचडीएफसी बैंक सभी कर्मचारियों को समाहित करने और बनाए रखने की योजना बना रहा है। • कोई भी संस्था कर्मचारियों की संख्या पर बहुत भारी नहीं है और अपने कर्मचारियों के आकार में काफी रूढ़िवादी रही है। **इसका क्या औचित्य है?** • हाल के वर्षों में, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) उद्योग के लिए नियामक ढांचे का विकास बैंकिंग क्षेत्र के नियामक ढांचे के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है। • पहले, एनबीएफसी के पास उधार देने और जमा करने के लिए काफी अलग और कहीं अधिक ढीले प्रकार का ढांचा था। इसके कारण कुछ एनबीएफसी संघर्ष कर रही थीं और दूसरों के अधीन हो रही थीं या उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। • भारतीय रिजर्व बैंक पिछले कुछ वर्षों में एनबीएफसी उद्योग के लिए नियामक ढांचे को सख्त कर रहा है। • इसलिए, एचडीएफसी लिमिटेड जैसी बड़ी एनबीएफसी का बैंक के साथ विलय करना समझ में आता है क्योंकि बैंक बहुत अधिक कड़ाई से विनियमित होते हैं और आरबीआई की अधिक निगरानी रखते हैं। • चूंकि पूंजी पर्याप्तता के लिए बेसल III मानदंड मौजूद हैं, एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बुक पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है। एक नियामक दृष्टिकोण से भी, आरबीआई इस विलय को आगे बढ़ते हुए देख सकता है क्योंकि वह चाहता है कि एनबीएफसी को कड़ाई से विनियमित किया जाए। **एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के लिए इसमें क्या है?** • विलय के बाद, बंधक ऋणदाता, एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक के CASA (चालू और बचत खाते) जमा तक पहुंच प्राप्त होती है, जो कम लागत वाले फंड हैं। • गिरवी ऋण देने वाले व्यवसाय के लिए पूंजीगत लागत में कमी आएगी। जैसे ही पूंजीगत लागत कम होती है, स्वचालित रूप से यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बंधक बाजार में बेहतर दर पर उधार देने की क्षमता रखता है। • एचडीएफसी बैंक के लिए, प्रत्येक होम लोन ग्राहक को बैंक ग्राहक बनने के लिए टैप किया जा

	सकता है। • एचडीएफसी बैंक के लिए, यह क्रॉस-सेलिंग उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के एक बड़े आधार तक पहुंच प्राप्त करने के बारे में है। एचडीएफसी लिमिटेड, या बंधक ऋण देने वाले व्यवसाय के लिए, यह मुख्य रूप से पूंजी की कम लागत के बारे में है। **क्या बड़ी बैलेंस शीट एनपीए की स्थिति में मदद करती है?** • जहां तक एचडीएफसी बैंक का संबंध है, खराब ऋण एक प्रमुख दबाव बिंदु नहीं है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एक रूढ़िवादी ऋणदाता रहा है। वे हमेशा कॉरपोरेट्स को बड़े टिकट उधार देने से कतराते हैं। उनका ज्यादातर कर्ज खुदरा कर्जदारों को है। • जहां तक एचडीएफसी लिमिटेड का सवाल है, यह महामारी के दौरान होम लोन पर कुछ दबाव रहा होगा, लेकिन अब तक उन्होंने जो खुलासा किया है, उसके आधार पर यह एक बड़ा दबाव बिंदु भी नहीं है। साथ ही, बैंक के साथ विलय से आने वाले किसी भी दबाव को कम करने में मदद मिलती है। **क्या कर्ज देने का पैटर्न बदलेगा?** • भारत में अवसंरचना ऋण एक गंभीर समस्या रही है। • सरकार द्वारा यह स्पष्ट करने के साथ कि बुनियादी ढांचा खंड के वित्तपोषण की आवश्यकता है, हमें इंतजार करके देखना होगा कि क्या विलय की गई इकाई के पास बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उधार देने की विशेषज्ञता है, जो एक जोखिम भरा प्रस्ताव है। • उनके पास बड़ी मात्रा में धन है, और यदि वे अच्छे उद्यमियों और अच्छी सरकारी परियोजनाओं के साथ अच्छे अवसर देखते हैं, तो वे इसके लिए जा सकते हैं। **क्या होगा इस सौदे का असर?** • यह संभव है कि हम और एनबीएफसी को बैंकों के साथ विलय की मांग करते हुए देखें। बैंकों की संख्या कम होने की चर्चा पहले ही हो चुकी है। • तो कुछ मायनों में, एचडीएफसी लिमिटेड के साथ एचडीएफसी बैंक का विलय राज्य द्वारा संचालित बैंकिंग क्षेत्र में क्या होने जा रहा है, इसका अग्रदूत हो सकता है, जहां सरकार ने कहा है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या को कम करने जा रही है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • बैंकों का विलय • बैंकों का निजीकरण
बाजरा:खाद्य और जल सुरक्षा का मुकाबला करने के लिए सुपर फूड (Millet: The super food for combating food and water security)	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 2023 को 'बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है और सभी हितधारकों को बाजरे की खपत के पोषण और स्वास्थ्य लाभों एवं प्रतिकूल तथा बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए उनकी उपयुक्तता पर नीतिगत ध्यान आकर्षित करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए कहा है। बाजरा में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में मदद करने की क्षमता है—मुख्यतः • SDG 2 (जीरो हंगर) • SDG3 (अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण) • SDG 12 (सतत खपत और उत्पादन) • SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) के अनुसार, अफ्रीका और एशिया में 90 मिलियन से अधिक लोग अपने आहार में बाजरा पर निर्भर हैं। हालांकि वैश्विक बाजरा खपत में 9 प्रतिशत की दर से गिरावट आई है, वर्ष 2022-27 के लिए बाजरा मार्किट का पूर्वानुमान आशाजनक रुझान दिखाता है। भारत वैश्विक उत्पादन में 41 प्रतिशत पर हावी है, जबकि खपत पिछले कुछ वर्षों में घट रही है। दूसरी ओर, अफ्रीका 40 प्रतिशत पर बाजरा का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। **बाजरा उगाने के कई फायदे हैं:** • उर्वरकों के न्यूनतम उपयोग के साथ वर्षा आधारित फसल होने के कारण • कोई कीटनाशक दवा नहीं क्योंकि वे कीटों के हमले के प्रति कम संवेदनशील होते हैं

	• बाजरा के बीजों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लाभप्रद बनाने के लिए वर्षों तक भंडारित किया जा सकता है। *बाजरा बहुउद्देशीय हैं:* • यह चावल की तुलना में 70 प्रतिशत कम पानी की खपत करते हैं; गेहूं के आधे समय में बढ़ना; और प्रसंस्करण में 40 प्रतिशत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। • यह स्थायी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च पोषक मूल्य के साथ जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और सूखे की स्थिति के मद्देनजर वन-स्टॉप समाधान हैं। • बाजरा एंटीऑक्सिडेंट का एक उत्कृष्ट स्रोत है और संभावित स्वास्थ्य लाभ के साथ प्रोबायोटिक्स की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। • यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में भूमिका निभाते हैं, जो बचपन में कुपोषण और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से निपटने का एक समाधान है। साक्ष्य अन्य अनाज फसलों की तुलना में बाजरा के उच्च पोषक मूल्य को इंगित करता है। • बाजरे के पोषक मूल्य ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट, लोहा, जस्ता और विटामिन का एक अच्छा स्रोत होने के पर्याप्त प्रमाण हैं और भारत एवं अन्य विकासशील देशों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को खत्म करने में मदद करते हैं। • यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। • सस्टेनेबल डाइट कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करती है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान करती है। मोटे अनाज को शामिल करके फसल उत्पादन में विविधता लाने से खाद्य आपूर्ति का निर्माण हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन कम हो सकता है, और पोषक मूल्य से समझौता किए बिना जलवायु में लचीलापन बढ़ सकता है। **पर्यावरण की दृष्टि से बाजरा उगाने का एक बेहतर विकल्प है** • बाजरा अपेक्षाकृत उच्च तापमान (थर्मोफिलिक) पर पनप सकता है और सीमित जल आपूर्ति (जेरोफिलिक) में पुनरुत्पादन कर सकता है। • एक रिव्यु पर्यावरण संसाधनों पर विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में तनाव को कम करने में बाजरा की खेती के सकारात्मक प्रभाव को इंगित करती है। • जल सुरक्षा को देखते हुए, चावल की तुलना में बाजरा को विकास के लिए लगभग छह गुना कम (20 com) पानी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 120-140 सेमी की औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। • बाजरा के लिए परिपक्वता समय 45-70 दिन होता है, यह चावल की फसल के बढ़ने का आधा (120-140 दिन) है। • बाजरा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान देता है। • बाजरा सूखे से लेकर लवणता तक अत्यधिक उच्च तापमान को सहन कर सकता है, जिससे यह जलवायु के अनुकूल फसल बन जाती है। **पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और स्थिरता:** • भारत में भूमि क्षरण एक बड़ी समस्या रही है, जिससे साल दर साल बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। सूखा-सहिष्णु फसलें, जैसे बाजरा, रासायनिक आदानों पर कम निर्भरता के साथ पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत कम दबाव डालते है । • अन्य फसलों के साथ बाजरा की अंतर-फसल विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि बाजरा के पौधों की रेशेदार जड़ें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती हैं, पानी के बहाव को रोककर रखती हैं और कटाव वाले क्षेत्रों में मिट्टी के संरक्षण में सहायता करती हैं, जिससे प्राकृतिक

	पारिस्थितिक तंत्र को बहाल किया जा सकता है। **जैव ईंधन और इथेनॉल सम्मिश्रण** • मध्य प्रदेश में किसानों के बीच किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ज्वार (ज्वार) और बाजरा (बाजरा) का उपयोग करके बायो-एथेनॉल बनाया जा सकता है, और यह ईंधन कार्बन उत्सर्जन को लगभग आधा कर सकता है। • अनुमान यह भी बताते हैं कि प्रसंस्करण में 40% कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए बाजरा मक्का की तुलना में अधिक लाभ दे सकता है। बाजरा जैव-इथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में मक्का पर एक महत्वपूर्ण लागत लाभ भी प्रदान करता है। **एक सांस्कृतिक संबंध:** • बाजरा की खेती की जड़ें भारतीय संस्कृति में काफी गहराई से जुड़ी हैं। • डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जैसे संगठनों ने तेलंगाना में महिला समूहों का गठन किया है और संस्कृति-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा दे रहे हैं। • इस तरह की फसल संवेदीकरण शहरी सेटिंग्स में भी फ़िल्टर किया गया है। वर्ष 2018 में, बेंगलुरु में #LetsMilletCampaign ने रेस्टॉरेंट्स द्वारा रिसोट्टो और पिज्जा जैसे व्यंजनों में बाजरा का उपयोग होते हुए देखा। **कुछ चिंताएं और आगे की राह** • भारत और अन्य देशों के अधिकांश उपभोक्ता खाना पकाने में आसानी और अपनी आदतों के कारण धान का सेवन करना पसंद करते हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नमी, तापमान और छोटे बाजार के आकार के आधार पर बाजरा की शेल्फ लाइफ कम होती है। इसके लिए पोषक मूल्यों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने और फसल की लंबी उम्र बढ़ाने के लिए बेहतर भंडारण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। • हालांकि पिछले दशकों में बाजरा का पारंपरिक रूप से सेवन किया जाता रहा है, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन में सुधार और महिलाओं में एनीमिया के प्रसार में कमी को दर्शाता है, हाल ही में लागत, स्वाद, धारणा और उपलब्धता की बाधाओं के कारण बाजरा की खपत में गिरावट आई है। • देश में बाजरे को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में स्केलेबल मॉडल को दोहराने के लिए कमियों और कॉलों को दूर करके संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। • बाजरा के साथ अंतर-फसल को अपनाने को प्रोत्साहित करना (दो या दो से अधिक फसलें साथ-साथ लगाई गई) और फसल बीमा एवं भंडारण सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करने से आय और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। क्षमता से भरपूर, बाजरा देश के सतत विकास चक्र में एक महत्वपूर्ण दल के रूप में कार्य कर सकता है यदि उनके उत्पादन को बढ़ावा देने, किसानों को प्रोत्साहित करने और बाजार संबंधों को मजबूत करने वाली नीतियों द्वारा समर्थित हो। उपभोक्ताओं की पसंद में बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए पोषण मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करके बाजरा की क्षमता को उजागर करने का समय आ गया है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. बाजरा क्या हैं? उनके पोषण संबंधी लाभ क्या हैं? विचार-विमर्श कीजिए। 2. क्या बाजरा की खेती कृषि और पोषण संबंधी चुनौतियों का एक व्यवहार्य समाधान हो सकती है? की जांच कीजिए।
भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग	**भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग क्या है?** • जियो-टैगिंग, स्मार्टफोन या जीपीएस-सक्षम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्थान पर मीडिया में भौगोलिक पहचान जोड़ने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। • जियो-टैग को फोटो, वीडियो, वेबसाइटों, टेक्स्ट संदेशों और क्यूआर कोड जैसे मीडिया पर लागू किया जा सकता है। • पिछले हफ्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली टचपॉइंट्स के जियो-टैगिंग के लिए एक

रूपरेखा जारी की, जिसका अर्थ है कि व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने के लिए, विभिन्न टचपॉइंट्स के भौगोलिक निर्देशांक (अक्षांश और देशांतर) दर्ज किये जा सकेंगे।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों, त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और आधार-सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस) सहित कई भुगतान उत्पादों और प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ भारतीय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है।
- स्मार्टफोन और इंटरनेट के प्रयोग ने देश में डिजिटल भुगतान के प्रसार को बढ़ाया है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, UPI से होने वाले डिजिटल लेनदेन ने वित्त वर्ष 2022 में 5.42 बिलियन लेनदेन के साथ 81 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम मूल्य को पार किया है।
- हालांकि, बड़ी संख्या में लोग, विशेष रूप से देश के ग्रामीण हिस्सों में, लेनदेन के प्राथमिक तरीके के रूप में नकदी का उपयोग कर रहे हैं।
- RBI का जियो-टैगिंग फ्रेमवर्क डिजिटल भुगतान को गहन करने और सभी नागरिकों को उनके स्थान या डिजिटल साक्षरता की परवाह किए बिना समावेशी पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है।

आरबीआई की गाइडलाइन में क्या शामिल है?

- केंद्रीय बैंक ने 'बैंकिंग बुनियादी ढांचे' और 'भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे' को भौतिक बुनियादी ढांचे की दो श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके माध्यम से डिजिटल भुगतान लेनदेन किए जाते हैं।
- बैंकिंग बुनियादी ढांचे में बैंक शाखाओं, काउंटरों, एटीएम और कैश रीसायकल मशीनों (सीआरएम) के माध्यम से किए गए भुगतान/लेनदेन शामिल हैं।
- बिक्री टर्मिनलों के बिंदु के दौरान, बैंकों/गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) द्वारा तैनात क्यूआर कोड भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे के तहत आते हैं।
- RBI के ढांचे में यह अनिवार्य है कि बैंकों और गैर-बैंक पीएसओ को देश भर में सभी भुगतान टचपॉइंट्स के सटीक स्थान के साथ एक रिकॉर्ड बनाए रखनी चाहिए।
- रिकॉर्ड में व्यापारी से संबंधित जानकारी जैसे व्यापारी का नाम, आईडी, प्रकार, श्रेणी, संपर्क विवरण के साथ-साथ पते और राज्य, जिले जैसे स्थान का विवरण होना चाहिए।
- बैंकों और गैर-बैंक पीएसओ को टर्मिनल प्रकार, टर्मिनल आईडी, टर्मिनल पता, राज्य, जिला और भू-निर्देशांक जैसे भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विवरण की भी रिपोर्ट करनी चाहिए।

यह भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को कैसे लाभ पहुंचाएगा?

- विभिन्न भुगतान प्रणाली टचप्वाइंट्स के सटीक स्थान पर कब्जा करके, बैंक प्राप्त कर सकते हैं
  - डिजिटल भुगतान के क्षेत्रीय प्रयोग की सूचनायें प्राप्त करना ,
  - विभिन्न स्थानों पर बुनियादी ढांचे के सघनता की निगरानी करना
  - अतिरिक्त भुगतान टच पॉइंट्स को तैनात करने की गुंजाइश की पहचान करना
  - केंद्रित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना
- जियो टैगिंग के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों से केंद्रीय बैंक को जहां भी आवश्यक हो, उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप लाने में भी मदद मिलेगी।

इसे कब लागू किया जाएगा?

- सभी बैंकों और गैर-बैंक पीएसओ को आरबीआई की केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) के माध्यम से भुगतान प्रणाली स्पर्श बिंदुओं पर जानकारी की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
- तथापि, केन्द्रीय बैंक ने अभी तक रिपोर्टिंग शुरू करने के लिए समय-सीमा के बारे में सूचित नहीं किया है।
- अभी के लिए, आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंक पीएसओ को 31 मार्च, 2022 तक इस गतिविधि

	के लिए नोडल अधिकारी के संपर्क विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • UPI- भुगतान क्रांति • फीचर फोन के लिए यूपीआई- 123 • ई-रूपी • ई-आरयूपीआई और गवर्नेंस
भारत का तेल आयात: विविधीकरण में रुझान (India's oil imports: Trends in diversification)	**संदर्भ:** महामारी के साल 2020-21 में भारत की पेट्रोलियम उत्पाद मांग (कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद) का 84 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात से पूरा किया गया था। • 77 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के लगभग 239 मिलियन टन (एमटी) सकल पेट्रोलियम आयात 2020-21 में भारत के कुल आयात का 19 प्रतिशत से अधिक था। • वर्ष 2019-20 में, पेट्रोलियम उत्पाद की मांग का 85 प्रतिशत से अधिक आयात से पूरा किया गया। • 119 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 270 मिलियन टन से अधिक का सकल पेट्रोलियम आयात भारत के कुल आयात में 25 प्रतिशत हिस्सा था। यह 2006-07 की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जब उस समय लगभग 145 मीट्रिक टन तेल के आयात की खपत लगभग 77 प्रतिशत थी। **भारत की ऊर्जा सुरक्षा** वर्ष 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में कच्चे तेल के आयात की मात्रा में बढ़ोतरी को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए दो प्रमुख बाहरी जोखिमों से जुड़ा हुआ पाया गया था - 1. पहला वॉल्यूम जोखिम था, जो इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि अधिकांश वैश्विक पारंपरिक तेल भंडार और भारत के अधिकांश तेल आयात फारस की खाड़ी में केंद्रित थे। यह माना गया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता ने राज्य या गैर-राज्य किरदारों द्वारा जानबूझकर तेल आपूर्ति में व्यवधान की संभावना को बढ़ा दिया। 2. दूसरा मूल्य जोखिम था, कई कारणों के अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में नाटकीय वृद्धि की संभावना थी- 1. तेल उत्पादक क्षेत्रों में अस्थिरता 2. उत्पादक देशों में अपनाई गई नीतियों के कारण आपूर्ति में कमी 3. विशिष्ट देशों से तेल ख़रीदने पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध। **इंडियाज टेक (India's Take) :** तेल आपूर्ति में मात्रा के जोखिम को मूल्य जोखिम पर प्राथमिकता दी गई और रणनीतियों के साथ संबोधित किया गया जैसे कि- • तेल आयात बास्केट का विविधीकरण • दुनिया भर में इक्विटी तेल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण **भारत के कच्चे तेल के आयात बास्केट में हाल के रुझान** वर्ष 2020-21 में भारत के लिए शीर्ष तेल निर्यातक इराक और उसके बाद सऊदी अरब था। • भारत के आयात में इराक का हिस्सा वर्ष 2009-10 में लगभग 9% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 22% से अधिक हो गया। • वैसे तो सऊदी अरब ने लंबे समय तक भारत के तेल आयात का सबसे बड़ा स्रोत होने का दर्जा 2017-18 में इराक़ के हाथों गंवा दिया लेकिन एक दशक से ज़्यादा समय तक भारत के आयात में सऊदी अरब का हिस्सा नियमित रूप से 17-18% के बीच बना हुआ है। • रोचक बात यह है कि एक दशक पहले अमेरिका भारत को कच्चे तेल का निर्यात करने वाले 20 बड़े देशों में शामिल नहीं था लेकिन 2017-18 में अमेरिका 18वां सबसे बड़ा निर्यातक था,

2018-19 में नौवां सबसे बड़ा निर्यातक, 2019-20 में सातवां सबसे बड़ा निर्यातक और 2020-21 में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था।

- इसकी वजह यह है कि 2015 तक अमेरिका से कच्चे तेल का निर्यात अवैध था और संयुक्त राज्य अमेरिका भी कच्चे तेल का एक बड़ा शुद्ध आयातक था।
- शेल तेल के उत्पादन में वृद्धि के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका अब न केवल कच्चे तेल का शुद्ध निर्यातक है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है है।
- भारत के तेल आयात के चौथे सबसे बड़े स्रोत के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उभरने से पिछले दो दशकों से भारत के पांच सबसे बड़े आयात स्रोतों में सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और वेनेजुएला के वर्चस्व का रुझान ख़त्म हो गया है।

- वर्ष 2022 में पश्चिमी देशों की आर्थिक प्रतिबंधों के तहत आने वाला देश रूस , भारत के तेल आयात का एक बड़ा स्रोत नहीं है, लेकिन यह एक दशक से अधिक समय से भारत के तेल आयातकों के लंबे पोर्टफोलियो में बना हुआ है। वर्ष 2021-22 (अप्रैल से जनवरी) में भारत के तेल आयातकों में रूस की हिस्सेदारी 2.3% थी, इस तरह रूस भारत के लिए 10 सबसे बड़े आयात स्रोतों में शामिल हो गया है।

विविधीकरण के लिए आह्वान - आपूर्ति असुरक्षा

- फ़ारस की खाड़ी से तेल की आपूर्ति में रुकावट की उच्च संभावना थी जिसको काफ़ी महत्व दिया गया और इससे निपटने के लिए आपूर्ति के स्रोतों को अलग-अलग करने को एक समझदारी भरे जवाब के रूप में देखा गया क्योंकि इस क्षेत्र के देशों से भारत 60% से ज़्यादा तेल का आयात करता है।
- हालांकि फारस की खाड़ी में तेल आपूर्ति में व्यवधान आज भी एक उच्च प्रभाव वाली घटना है, घटना की संभावना उतनी अधिक नहीं है जितनी इसे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के युग में माना जाता था।
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 'मांग की असुरक्षा' और उसके परिणामस्वरूप भारत में बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तेल निर्यातक देशों के बीच मुक़ाबले की वजह से आपूर्ति की असुरक्षा से ज़्यादा अलग-अलग देशों से आयात पर प्रभाव पड़ रहा है।

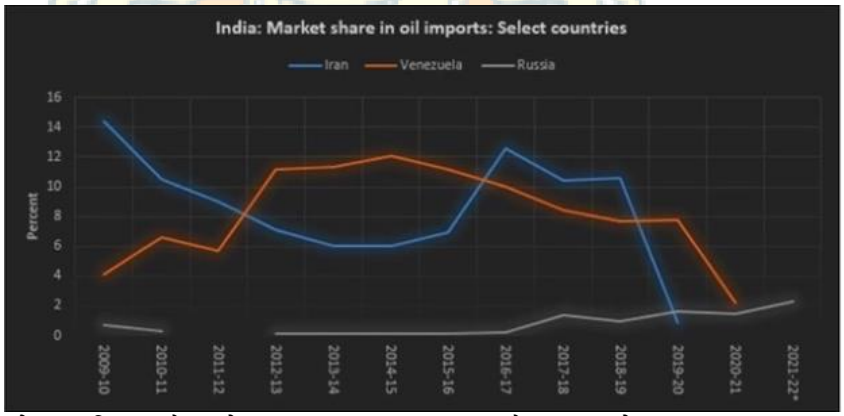

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; * 2021-22 (अप्रैल 2021 से जनवरी 2022)

निष्कर्ष

- तेल बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा कई दशकों में पहली बार शुरू की गई है, पश्चिमी गोलार्ध के तेल निर्यातक, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, भारत के शीर्ष 10 तेल निर्यातकों में शामिल हैं।
- भू-राजनीतिक आर्थिक प्रतिबंध भारत के तेल निर्यातक देशों में कुछ समय के लिए छोटा-मोटा

	बदलाव कर सकते हैं लेकिन ये दीर्घकालीन आर्थिक रुझानों को पलट नहीं सकते हैं। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?** 1. भारत को अपने तेल आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए ?
एटीएम से कार्डलेस नकद निकासी	**संदर्भ:** भारत के केंद्रीय बैंक ने देश भर के एटीएम से कार्डलेस नकद निकासी की घोषणा की। • यह सुविधा उपभोक्ताओं को एटीएम से नकदी निकालने के लिए अपने स्मार्टफोन पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करने देगी। • आरबीआई ने कहा कि देश भर के सभी एटीएम को अपनी नकदी वितरण मशीनों में इस सुविधा को सक्षम करना होगा। **कैसे काम करेगा यह सिस्टम?** • कार्डलेस नकद निकासी को UPI के माध्यम से प्रमाणित किया जाना है। • एटीएम से UPI का उपयोग करके नकदी निकालने का विकल्प दिखाने की अपेक्षा की जाती है। • एक बार जब कोई उपयोगकर्ता इस विकल्प को चुन लेता है, तो वे निकासी की जाने वाली राशि को इनपुट कर सकते हैं और एटीएम पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। • इसके बाद उपयोगकर्ताओं को अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से उस कोड को स्कैन करना होगा और एटीएम से कैश निकालने के लिए पासवर्ड डालना होगा। • अब तक, यूपीआई के माध्यम से केवल खातों के बीच धन हस्तांतरण सक्षम किया गया था। इस विकल्प के साथ उपभोक्ता बिना कार्ड के एटीएम से नकद निकाल सकते हैं। **यह तकनीक किन मुद्दों को हल करती है?** • आरबीआई गवर्नर के अनुसार, कार्डलेस नकद निकासी से नकद निकासी लेनदेन की सुरक्षा में वृद्धि होगी। • इसके अलावा, यह कार्ड स्किमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को रोकने में सहायक होगा। • वर्तमान में, केवल कुछ बैंकों के मौजूदा ग्राहकों को कार्ड के बिना और विशिष्ट बैंक के एटीएम नेटवर्क से नकदी निकालने की अनुमति है। हालांकि, कार्ड रहित निकासी में इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति देने के आरबीआई के कदम से उपयोगकर्ता किसी भी बैंक के एटीएम से नकदी प्राप्त कर सकेंगे। • भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम से भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में और अधिक प्लेयर्स को आमंत्रित किया जाएगा ताकि ग्राहकों की आगे की समस्याओं का समाधान किया जा सके। **कार्ड स्किमिंग क्या है?** • अपराधी एटीएम पर स्वाइप किए गए कार्ड को ट्रैक करके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से डेटा चुराते हैं। वे इस जानकारी को स्किमिंग डिवाइस का उपयोग करके चुनते हैं जो कार्ड की चुंबकीय पट्टी को स्कैन करता है। इन उपकरणों को एटीएम में गुप्त रूप से स्थापित किया जाता है। ○ इन उपकरणों की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि ये एटीएम के एक भाग अथवा नियमित इन-स्टोर कार्ड रीडर की तरह प्रतीत होते हैं। इसे भुगतान मशीनों में कुशलता से लगाया जाता है। • एक बार जब उपकरण डेटा उठा लेता है, तो इसका उपयोग उपयोगकर्ता के बैंकिंग रिकॉर्ड तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। • चोरी की गई जानकारी को एक नए कार्ड पर कोडित किया जा सकता है, एक प्रक्रिया जिसे क्लोनिंग कहा जाता है, तथा इस कार्ड (क्लोन कार्ड) का उपयोग भुगतान करने और अन्य बैंक खातों के साथ लेनदेन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। • ऐसे समस्याग्रस्त एटीएम जो रुक-रुक कर काम करते हैं तथा जो अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं, उनका उपयोग अक्सर ऐसे स्किमिंग उपकरणों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। • अपराधी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर स्कैनिंग डिवाइस भी लगाते हैं। ये डिवाइस किसी

	डिपार्टमेंटल स्टोर के पेमेंट काउंटर पर कार्ड स्वाइप करने से पहले चोरी-छिपे स्कैन कर सकते हैं। **कार्डलेस नकद निकासी सुविधा की सीमाएँ और चुनौतियाँ क्या हैं?** • वर्तमान में, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कार्ड रहित नकद निकासी की अनुमति देते हैं। लेकिन, इस सुविधा तक पहुंचना बोझिल है क्योंकि इसमें निकासी की कुछ सीमाएं हैं, और लेनदेन पर शुल्क लगाया जाता है। • फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि यूपीआई-आधारित नकद निकासी पर समान प्रतिबंध और सेवा शुल्क शामिल होंगे या नहीं। • इस सुविधा की मापनीयता एक चुनौती हो सकती है क्योंकि यह देखना होगा कि कितने बैंक अपने ग्राहकों के लिए इसे जल्दी से शुरू करते हैं। • कार्ड रहित निकासी में, कार्ड की सुरक्षा भेद्यता कम से कम होती है, लेकिन जोखिम जल्द ही मोबाइल-सक्षम सुविधा में स्थानांतरित हो जाएगा। मोबाइल अब लेन-देन का केंद्र बन सकता है, जिससे यह अपराधी का अगला लक्ष्य बन सकता है। **डेबिट कार्ड का भविष्य क्या है?** • डेबिट कार्ड जारी करना बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे नकद निकासी के अतिरिक्त कई अन्य सुविधाएं देते हैं। उनका उपयोग किसी रेस्तरां, दुकान, या किसी विदेशी देश में भुगतान के लिए किया जा सकता है। • डेबिट कार्ड एक बहुत विकसित वित्तीय उत्पाद है और अपनी पूर्णता के लिए पहले से ही कई पुनरावृत्तियों से गुजर चुका है। इसके आगे के विकास में, हम डेबिट कार्ड के लिए नए उपयोग यथा ईएमआई भुगतान देख सकते हैं। • इसके अलावा, डेबिट कार्ड अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों, जो यूपीआई जैसे शुद्ध डिजिटल भुगतान समाधानों के साथ सहज नहीं हैं या उच्च लेनदेन सीमा चाहते हैं, में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाएगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • UPI123: फीचर फोन के लिए UPI • ई-रूपी • ई-आरयूपीआई और गवर्नेंस
2022 में चौथाई अरब लोग अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं क्योंकि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं: ऑक्सफैम (Quarter-billion people face extreme poverty in 2022 as the rich get richer: Oxfam)	**संदर्भ:** ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में सवा अरब से ज्यादा लोग गरीबी में चले जाएंगे। • इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में वित्तीय संकट रूस-यूक्रेन संकट और COVID-19 से संबंधित आर्थिक संकट के कारण कीमतों में वृद्धि से प्रेरित होगा। • COVID-19 के साथ रूस-यूक्रेन संकट दुनिया भर में अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर रहा है। महामारी की शुरुआत के बाद से, दुनिया भर में लगभग 3.3 बिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जबकि हर 26 घंटे में एक नया व्यक्ति अरबपति बन रहा है। *ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुमान विश्व बैंक के अनुमानों के साथ-साथ विश्व बैंक और सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा किए गए पहले के शोध पर आधारित हैं। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वसंत बैठकों से पहले 12 अप्रैल, 2022 जारी की गई है।* **रिपोर्ट से अंतर्दृष्टि** • COVID-19 के संयुक्त प्रभाव, असमानता और खाद्य कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप इस वर्ष 263 मिलियन अधिक लोग अत्यधिक गरीबी में रह सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल 860 मिलियन लोग प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से नीचे अपना गुज़ारा करेंगे। इससे गरीबी के खिलाफ लड़ाई में दशकों की प्रगति को उलटकर असाधारण नुकसान होगा। • महामारी के कारण, लोगों ने अपनी नौकरी और बचत खो दी, जबकि खाद्य कीमतों में 2011 के

	संकट की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में, अरबपति काफी ज्यादा कमाई कर रहे हैं, क्योंकि वे मुनाफे को बढ़ाने के लिए मुद्रास्फीति के माहौल का फायदा उठा रहे हैं, रिपोर्ट में कहा गया है। • तेल कंपनियां ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और मार्जिन के साथ भारी मुनाफा कमा रही हैं, जबकि निवेशकों को उम्मीद है कि खाद्य कीमतों में तेजी के साथ कृषि कंपनियां तेजी से अधिक लाभान्बित हो जाएंगी। • इस रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों ने महामारी के दौरान अपनी आय को दोगुना कर दिया। साथ ही, इसी अवधि के दौरान, 2,744 छोटे अरबपतियों ने पिछले 14 वर्षों की तुलना में अपनी नेटवर्थ में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। • आंकड़ों के अनुसार, गरीबी में यह वृद्धि दुनिया भर में असमान रूप से फैली हुई है। उप-सहारा अफ्रीकी देशों में, उपभोक्ता खर्च का 40% खाद्य लागत पर खर्च किया जाता है जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह आंकड़ा आधा है। • विकासशील ऐसे राष्ट्र ऋण स्तर देख रहे हैं जो अब तक नहीं देखे गए थे। दुनिया के सबसे गरीब देशों को कर्ज चुकाने के लिए 43 अरब डॉलर की जरूरत है। **आगे की राह** अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने आगामी बैठक में भाग लेने वाले विश्व नेताओं से एक भयावह आर्थिक बचाव योजना का पालन करने का आग्रह किया, जो कि निश्चित रूप से एक भयावह स्थिति से बचने के लिए है: 1. सबसे पहले, आर्थिक बचाव योजनाओं का सुझाव दिया गया है। गरीब देशों में, उन्हें मुद्रास्फीति से बचाने के लिए नकद हस्तांतरण और मुख्य भोजन पर मूल्य वर्धित करों में कटौती की जानी चाहिए। 2. दूसरा, विश्व बैंक और आईएमएफ को निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए 2022 और 2023 के लिए ऋण भुगतान रद्द करना चाहिए। 3. तीसरा, 5 मिलियन डालर से अधिक की व्यक्तिगत संपत्ति पर 2% कर, 50 मिलियन डालर से अधिक की संपत्ति के लिए 3% और 1 बिलियन डालर से अधिक की संपत्ति पर 5% लगाया जाना चाहिए। इससे 2.52 ट्रिलियनडॉलर जुटाए जाएंगे और 2.3 बिलियन लोगों को गरीबी से बचाया जा सकता है। 4. चौथा, IMF के तहत, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष आहरण अधिकारों (special drawing rights) को फिर से आवंटित किया जाना चाहिए। 5. पांचवां, निम्न-आय वाले देशों की आपातकालीन सहायता बढ़ाई जानी चाहिए। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?** 1. पिछले दो दशकों में गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं की बास्केट का विस्तार हुआ है। क्या आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि वर्तमान कल्याणकारी योजनाएं इस परिवर्तन को दर्शाती हैं? समालोचनात्मक जाँच करें। 2. गरीबी और संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए डिजिटल समाधानों का उपयोग करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? चित्रण कीजिए।
ऑयल बांड का अर्थशास्त्र (Economics of Oil Bonds)	**संदर्भ:** पिछले एक साल में, पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में वृद्धि के कारण सरकार पर करों को कम करने का दबाव बढ़ रहा है। • अभी तक, एक लीटर पेट्रोल के लिए कुल खुदरा मूल्य का 50% और एक लीटर डीजल के लिए 44% कर है। • केंद्र सरकार ने यह दावा करते हुए इस तरह की आलोचना का सामनाकरने की कोशिश की है कि वर्तमान सरकार करों को कम नहीं कर सकती क्योंकि उसे पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए तेल

बांडों के लिए भुगतान करना पड़ रहा है।

ऑयल बांड क्या हैं? उन्हें क्यों जारी किया गया?

- जब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतें बहुत अधिक थीं, तो बाद में सरकारें अक्सर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से उपभोक्ताओं से पूरी कीमत वसूलने से बचने के लिए कहती थीं।
- लेकिन अगर तेल कंपनियों को भुगतान नहीं मिलता है, तो उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार ने कहा कि वह अंतर का भुगतान करेगी।
- अगर सरकार ने उस राशि का भुगतान नकद में किया होता, तो यह व्यर्थ होता, क्योंकि तब सरकार को ओएमसी को भुगतान करने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उन्हीं लोगों पर कर लगाना पड़ता।
- यह वह जगह है जहां आयल बांड आते हैं। एक आयल बांड सरकार द्वारा ओएमसी को नकद के बदले जारी किया गया एक वचन पत्र है, जो सरकार ने उन्हें दिया होगा ताकि ये कंपनियां जनता से ईंधन की पूरी कीमत वसूल न करें।
- एक आयल बांड के अनुसार सरकार तेल विपणन कंपनी को 10 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। और ओएमसी को यह पैसा सीधे नहीं होने के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए, सरकार इसे हर साल 8% (या 80 करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी, जब तक कि बांड परिपक्व नहीं हो जाता।
- ऐसे बांड जारी करके, सरकार पूरे भुगतान को 5 या 10 या 20 साल के लिए टाल सकती है, और अंतरिम में केवल ब्याज लागत का भुगतान कर सकती है।
- इसलिए आयल बांड के माध्यम से आज की सरकार ओएमसी की लाभप्रदता को बर्बाद किए बिना या खुद एक बड़ा बजट घाटा चलाए बिना उपभोक्ताओं की रक्षा/सब्सिडी देने में सक्षम है।
- पिछले समय में कई सरकारों द्वारा तेल बांड जारी किए गए थे।

क्या यूपीए-युग के आयल बांड बड़े हैं जो वर्तमान सरकार को बाधित कर रहे हैं?

- वर्ष 2014 में 1.34 लाख करोड़ रुपये के बांड थे जिनका भुगतान वर्ष 2015 - 2026 के बीच किया जाना था।
- वर्ष 2014 - 2022 के बीच, भाजपा सरकार को ब्याज के साथ-साथ मूलधन के लिए कुल 93,686 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं।
- इस प्रश्न का उत्तर देने के तीन तरीके हैं कि क्या राशि करों में कमी को सीमित करने के लिए पर्याप्त है।
- पहला यह है कि वर्ष 2014-15 में कुल भुगतान कुल राजस्व का सिर्फ 7% था। जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़े, यह प्रतिशत कम होता गया क्योंकि इस क्षेत्र से उत्पन्न करों में वृद्धि हुई है।
- दूसरा, पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने से वर्ष 2014 -2022 के बीच सरकार (केंद्र और राज्यों दोनों) द्वारा अर्जित कुल राजस्व को देखना है। यह राशि 43 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और कुल भुगतान इसका सिर्फ 2.2% था।
- तीसरा तरीका यह है कि केंद्र द्वारा केवल एक तरह के कर- उत्पाद कर से अर्जित राजस्व की कुल राशि वर्ष 2014-15 में 99, 000 करोड़ रुपये से अधिक थी।
- दूसरे शब्दों में, जबकि एनडीए सरकार को आयल बांड के लिए भुगतान करना पड़ा है, इस क्षेत्र में अर्जित राजस्व की तुलना में भुगतान बड़ा नहीं है।

फिर भी, क्या इस तरह के बांड जारी करना एक बुरा विचार नहीं है?

- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बांड जारी करने से भविष्य की पीढ़ी के लिए दायित्व बढ़ गया है।
- लेकिन काफी हद तक सरकार की अधिकांश उधारी बांड के रूप में होती है।
- इसके अलावा, भारत जैसे अपेक्षाकृत गरीब देश में, सभी सरकारें किसी न किसी प्रकार के बांड के उपयोग का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं।
- यहां तक कि मौजूदा एनडीए सरकार ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 2.79

	लाख करोड़ रुपये (आयल बांड की राशि का दोगुना) के बांड जारी किए हैं। इन बांडों का भुगतान सरकारें वर्ष 2036 तक करेंगी। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • पेट्रोल, डीजल जीएसटी के दायरे में • ईंधन की बढ़ती कीमतें • प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमत • भारत का कोयला संकट
भारत और गेहूं निर्यात	**संदर्भ:** रूस का यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने काला सागर क्षेत्र से गेहूं के निर्यात को प्रभावित किया है और कई देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और पश्चिम एशिया में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किया है। • अनाज की घरेलू अधिशेष उपलब्धता को देखते हुए वैश्विक गेहूं आपूर्ति में व्यवधान ने बदले में भारत के अनाज निर्यातकों के लिए अवसर खोले हैं। • गेहूँ के सबसे बड़े आयातकों में से एक मिस्र, भारत से अनाज के स्रोत के लिए सहमत हो गया था। **भारत के गेहूं निर्यात की स्थिति क्या है?** • विश्व स्तर पर, रूस गेहूं निर्यात (लगभग 15% हिस्सेदारी) के लिए बाजार में अग्रणी है और यूक्रेन भी एक प्रमुख उत्पादक है। इन दोनों देशों से निर्यात युद्ध और प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है। • भारत को चालू सीजन में 11.2 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होने की उम्मीद है। • सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 24-26 मिलियन टन की आवश्यकता होती है। अधिशेष गेहूं उत्पादन के साथ, निर्यात के अवसर खुल गए हैं। • वित्तीय वर्ष 2021-2022 में गेहूं का निर्यात 7.85 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वर्ष के 2.1 मिलियन टन से चौगुना था। • प्रतिस्पर्धी मूल्य, स्वीकार्य गुणवत्ता, अधिशेष गेहूं की उपलब्धता और भूराजनीतिक कारणों से अधिक देश भारत की ओर रुख कर रहे हैं। • जबकि मौजूदा आयातक अधिक खरीद रहे हैं, भारतीय गेहूं के लिए नए बाजार उभरे हैं। इस वित्त वर्ष में 3 अरब डॉलर मूल्य के लगभग 10 मिलियन टन निर्यात होने की उम्मीद है। **भारत से किन नए बाजारों में खरीदारी की उम्मीद है?** • भारत में उत्पादित गेहूं के विभिन्न ग्रेड मिलिंग गुणवत्ता के हैं। • इसलिए, मिस्र और जॉर्डन के अलावा, पूर्वी अफ्रीका के देशों में भी भारत से खाद्यान्न प्राप्त करने की संभावना है। • भारत ने 20 से अधिक देशों को डोजियर भेजे हैं और इन सभी देशों के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है। • इसकाउद्देश्य इन देशों में से प्रत्येक द्वारा कीट जोखिम विश्लेषण पर शीघ्र समाधान तक पहुंचना है ताकि निर्यात को गति मिल सके। • कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और कृषि मंत्रालय भी बाजार के मुद्दों, यदि कोई हो, को हल करने के लिए कई देशों में प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। **निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या किया जा रहा है?** • वाणिज्य मंत्रालय ने इसे सुगम बनाने के लिए एक आंतरिक तंत्र स्थापित किया है और शिपमेंट की सुविधा के लिए संबंधित स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी अनुप्रयोगों के लिए कागजी कार्रवाई तैयार की है। • गेहूं पूरी तरह से पोत में जा रहा है और इसे बढ़ते क्षेत्रों से बंदरगाहों तक ले जाने की जरूरत है। रेलवे गेहूं की ढुलाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर रेक उपलब्ध करा रहा है। • इसलिए, रेलवे, बंदरगाह और परीक्षण प्रयोगशालाएं सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। **भारतीय गेहूं को मंजूरी देने के लिए खरीदार देश किन मानदंडों का उपयोग कर रहे हैं?**

	• जिन देशों ने पहले भारत से गेहूं का आयात नहीं किया है, वे बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए कीट जोखिम विश्लेषण को पूरा करने पर जोर देते हैं। • अन्य विभिन्न मानक भी हैं जिन्हें खरीदार यहां अपने विक्रेताओं के साथ साझा करते हैं। • जबकि, वर्तमान में भारतीय आपूर्तिकर्ता इन मानदंडों को पूरा करने में सक्षम हैं, भारतीय अधिकारी कदम उठाने और समाधान पर बातचीत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं यदि कोई "अनुचित" मानक निर्धारित किए गए हैं। **भविष्य का दृष्टिकोण क्या है?** • सरकार न केवल गेहूं के लिए, बल्कि बाजरा और सुपर फूड सहित सभी अनाज के लिए दीर्घकालिक निर्यात अवसरों के बारे में आशावादी है। • व्यापार सूत्रों का कहना है कि अगर भारतीय गेहूं की कीमतें प्रतिस्पर्धी बनी रहती हैं और भू-राजनीतिक तथा मौसम की स्थिति अनुकूल रहती है, तो गेहूं के निर्यात की गुंजाइश अच्छी है। • भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे बाजारों का विश्वास जीता है। • इसे नए बाजारों में भी खुद को स्थापित करने की जरूरत है और सरकार को इसकी सुविधा देनी चाहिए। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • रूस-यूक्रेन संघर्ष वैश्विक खाद्य संकट को जन्म दे सकता है • रूस-यूक्रेन गतिरोध • रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव, तेल से परे • यूक्रेन संकट और अर्थव्यवस्था
ग्रामीण भारत में मुद्रास्फीति	**संदर्भ:** मार्च 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 6.95% हो गई - उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में लगातार छह महीनों के साथ, लगभग डेढ़ साल में इसका उच्चतम स्तर है। • आधिकारिक आंकड़े मार्च में ग्रामीण मुद्रास्फीति को 7.66% पर आंकते हैं, जिसमें कई राज्यों ने पश्चिम बंगाल (8.85%), उत्तर प्रदेश और असम (8.19%) के साथ-साथ मध्य प्रदेश (7.89%) सहित और भी अधिक मुद्रास्फीति की रिपोर्ट की है। • मार्च में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के साथ, उपभोक्ताओं पर उच्च वैश्विक तेल कीमतों का पूरा प्रभाव केवल अप्रैल में दिखना शुरू हो जाएगा। • अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति 7% से अधिक हो जाएगी और सितंबर तक उस स्तर के आसपास बनी रहेगी। **पिछले एक साल में शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति के रुझान कैसे भिन्न हुए हैं?** • आमतौर पर शहरी मुद्रास्फीति ग्रामीण मुद्रास्फीति की तुलना में लगभग 0.8 प्रतिशत के औसत से वर्ष 2021 में अधिकतर ज्यादा रही है। • दिसंबर 2021 में शहरी मुद्रास्फीति 5.9% थी, जबकि ग्रामीण मुद्रास्फीति 5.4% थी। इसके विपरीत, मार्च 2022 ने लगातार तीसरे महीने को चिह्नित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि की गति शहरी भारत से आगे निकल गई, और अंतर तेजी से अधिक हो रहा है। • जनवरी में शहरी भारत की तुलना में मामूली 0.2 प्रतिशत अंक उच्च मुद्रास्फीति दर से, ग्रामीण मुद्रास्फीति फरवरी में नौ महीने के उच्च स्तर 6.38% पर पहुंच गई, जबकि शहरी मुद्रास्फीति घटकर 5.75% हो गई। • मार्च 2022 में, दोनों के बीच का अंतर 1.5% से अधिक हो गया है। शहरी मंहगाई दर 6.12% और ग्रामीण मंहगाई दर 7.66% हो गई है। **भीतरी इलाकों में उच्च मुद्रास्फीति के प्रमुख चालक क्या हैं?** • खाद्य मुद्रास्फीति मार्च में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर उछाल के लिए प्रमुख चालक थी। समग्र उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक फरवरी 2022 में 5.85% से बढ़कर 7.68% तक हो गया है, ग्रामीण भारत में उछाल कहीं अधिक था, जहां खाद्य मुद्रास्फीति 8.04% थी। • शहरी भारत में खाद्य मुद्रास्फीति पूर्ण प्रतिशत अंक कम थी।

	• भोजन में उच्च मुद्रास्फीति, जिसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिक भार है, के साथ-साथ ईंधन और प्रकाश और कपड़ों में मुद्रास्फीति, ग्रामीण कीमतों को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक थे। • ग्रामीण उपभोक्ताओं की तुलना में उनके शहरी समकक्षों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति दरों पर विचार करें - ○ तेल और वसा (20.75% बनाम 15.15%) ○ वस्त्र (9.9% बनाम 7.74%) ○ जूते (12.2% बनाम 9.9%) ○ ईंधन और प्रकाश (8.3% बनाम 6.3%) ○ व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव (9.3% बनाम 7.7%) ○ शिक्षा लागत में लगातार उच्च मुद्रास्फीति लगभग 1 से 1.5 प्रतिशत अंक है। • रौचक तथ्य यह है कि फरवरी और मार्च 2022 के बीच शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई, जबकि ग्रामीण भारत में सब्जियों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। सब्जियों की कीमतों का रुझान सबसे दिलचस्प रहा है - ग्रामीण मुद्रास्फीति जनवरी में 1.4%, फरवरी में 3.7% और मार्च में 10.6% थी। • रूकी हुई मांग ग्रामीण भारत में अधिक प्रतीत होती है, इसलिए मांग बढ़ने के साथ कपड़ों में अधिक मुद्रास्फीति दिखाई दे रही है। • इसके अलावा, कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की कीमतें अधिक हैं, जबकि पारंपरिक ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। • इस प्रवृत्ति का एक हिस्सा पिछले दो वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच श्रम के बदलाव से भी समझाया जा सकता है, जिसने मांग की गतिशीलता में अस्थिरता को भी इंजेक्ट किया है। **आगे की राह** • जबकि उच्च मुद्रास्फीति सामान्य रूप से गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तथ्य यह कि खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि, उनकी खपत बास्केट का सबसे बड़ा घटक, वर्तमान उछाल को चला रहा है, विशेष रूप से जो बोझिल है। • शहरी और ग्रामीण भारत की निचली 20% आबादी सबसे बुरे प्रभावों का सामना कर रही है। • जबकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य मूल्य जोखिम बढ़ गए हैं, कृषि क्षेत्र के इनपुट के लिए उच्च कीमतें खाद्य मुद्रास्फीति में आगे बढ़ सकती हैं। • उत्पादन की लागत में लगभग 8-10% की वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम लगभग 12% -15% अधिक होना चाहिए। • इस साल सामान्य मॉनसून के अनुमान के साथ, आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र यह निर्धारित करेगा कि ग्रामीण उपभोक्ता मांग में सुधार करता है या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर)- जनवरी 2022 • मुद्रास्फीति लक्ष्य पर सरकार • मुद्रास्फीति पर आरबीआई के निर्धारण के खतरे
भारत की बिजली संकट: एक वार्षिक मामला (India's Power Crisis: An annual affair)	**संदर्भ:** उच्च कोयला उत्पादन के बावजूद, भारत में ताप विद्युत संयंत्रों की कमी से जूझ रहे हैं। **क्या भारत बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है? स्थिति कितनी खराब है?** • देश भर के कई राज्यों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह ऐसा घटनाक्रम है जो आने वाले हफ्तों में बिजली की कमी की ओर ले जाएगा है क्योंकि भारत में अप्रैल से अक्टूबर तक बिजली की मांग में वृद्धि होती है। • विशेषज्ञों का अनुमान है कि उच्च वैश्विक तापीय कोयले की कीमतें और सामान्य से कम आयात संकट को और बढ़ा देगा।

	• वास्तव में, कोयले की आपूर्ति की कमी ऐसे समय में चल रही है जब बिजली की मांग बढ़ रही है और जुलाई 2022 में 200 गीगावाट (जीडब्ल्यू) से अधिक की बिजली की मांग को पार करने की उम्मीद है। • वित्तवर्ष 2022 के लिए दैनिक पीक बिजली की मांग औसतन 187 गीगावाट (GW) है। 1 से 12 अप्रैल के दौरान, औसत दैनिक पीक डिमांड 194 गीगावाट से अधिक थी। • बाजारों में कीमतें भी कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर हैं। भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) में बाजार समाशोधन मूल्य (एमसीपी) लगभग 4.4 रुपये प्रति किलोवाट-घंटे (केडब्ल्यूएच) था, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। **इस संकट का कारण क्या है?** • भारत के विद्युत क्षेत्र का मुख्य आधार कोयले की आपूर्ति में कमी के परिणामस्वरूप ताप विद्युत संयंत्रों में यह संकट उत्पन्न हुआ है। • कोयला आधारित बिजली उत्पादन, कुल 396 गीगावाट में से लगभग 210 गीगावाट (GW) की क्षमता के साथ, मार्च 2022 तक भारत की कुल बिजली क्षमता का लगभग 53 प्रतिशत है। • विशेषज्ञों का अनुमान है कि बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति कम होने से बिजली की कटौती होगी। ऐसा ही परिदृश्य सितंबर-अक्टूबर 2021 में सामने आया था। ○ कोयले की अधिक मांग और आपूर्ति में रुकावट (मुख्य रूप से भारी बारिश के कारण) के कारण, बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक कई राज्यों में बिजली कटौती के कारण तेजी से गिरावट आई। • सरकार के ठोस प्रयासों से, स्टॉक उस स्तर तक बढ़ गया जो औसतन 10 दिनों के लिए प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के 85 प्रतिशत पर पर्याप्त है। **कोयले की कमी कितनी गंभीर है?** • ताप विद्युत संयंत्रों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। • नेशनल पावर पोर्टल के अनुसार, 13 अप्रैल तक 11 आयातित कोयला-आधारित (आईसीबी) बिजली संयंत्रों के पास महत्वपूर्ण स्टॉक ही शेष थे। • इसी तरह, 79 घरेलू कोयला-आधारित बिजली संयंत्र प्रमुख कमोडिटी के महत्वपूर्ण स्टॉक की कमी का सामना कर रहे थे। • 13 अप्रैल को कुल 173 कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से, कुल उपलब्ध स्टॉक 2.76 मीट्रिक टन की दैनिक आवश्यकता के मुकाबले 23.17 मिलियन टन (एमटी) था। इस स्तर पर स्टॉक नौ दिनों से भी कम समय तक चलेगा। **इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?** • सबसे पहले, सरकार ने संशोधित कोयला भंडारण मानदंड जारी किए हैं, जो बिजली संयंत्रों को हर समय पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए अनिवार्य करते हैं। • इसके अलावा, बिजली, कोयला, रेलवे, सीईए, सीआईएल और एससीसीएल मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह नियमित रूप से बैठक करता है ताकि ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न परिचालन निर्णय लिए जा सकें। • विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार बनाने की दृष्टि से 2022-23 के दौरान सम्मिश्रण के लिए बिजली संयंत्रों को लगभग 36 मीट्रिक टन कोयले का आयात करने की सलाह दी है। • थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) में कोयले के स्टॉक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के पास एक कोर मैनेजमेंट टीम (सीएमटी) भी है और टीपीपी को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सीएमटी में परिचालन निर्णय लिए जा रहे हैं।

	यह संकट हर साल क्यों आ रहा है? • भारत में बिजली संयंत्रों में कोयले की कम आपूर्ति होना कोई नई बात नहीं है। कमी लगभग हर साल होती है और सरकार अपने विभिन्न उपायों के बावजूद इस समस्या पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाई है। • इस मुद्दे के केंद्र में इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न मंत्रालयों - बिजली मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेलवे के बीच योजना और समन्वय की कमी है। • जबकि कोयला मंत्रालय पर्याप्त रेकों की अनुपलब्धता के लिए भारतीय रेलवे को दोषी ठहराता है, रेलवे ने कोल इंडिया (सीआईएल) द्वारा रेकों की लोडिंग और अनलोडिंग में कुप्रबंधन की ओर इशारा किया है। • सीआईएल और अन्य पीएसयू खनिकों द्वारा उच्च कोयला उत्पादन और प्रेषण के बावजूद, पिछले छह महीनों में बिजली संयंत्रों में आपूर्ति अभी भी 15 दिनों से अधिक नहीं हुई है और इसके लिए समन्वय और योजना की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • इंडोनेशियाई पाम तेल संकट • 2021 का कोयला संकट • कोयला क्षेत्र में सुधार • वाणिज्यिक कोयला खनन

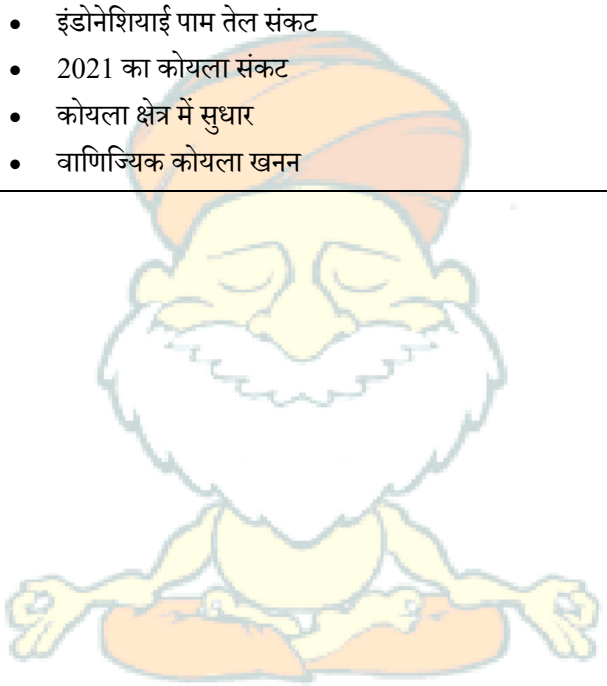

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU)	**संदर्भ:** वित्त मंत्री ने इस वर्ष देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को दोहराया है। **क्या थी घोषणा?** • वर्ष 2022-23 के बजट में, वित्त मंत्री ने कहा था कि हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचारों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। • सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्ता-अनुकूल तरीके से हर कोने तक पहुंचे।" • इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए और आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। **डीबीयू क्या हैं?** • यह डिजिटल बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं को वितरित करने तथा मौजूदा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को प्रत्येक समय उपलब्ध कराने हेतु एक निश्चित 'न्यूनतम डिजिटल आधारभूत संरचना केंद्र' है। • यह बैंक के खुदरा बैंकिंग डिवीजन के तहत संचालित एक निश्चित व्यवसाय इकाई होगी और नए डिजिटल उत्पादों और सेवाओं एवं मौजूदा वित्तीय उत्पादों को डिजिटल रूप से, लागत प्रभावी, कुशल, कागज रहित और सुरक्षित तरीके से सर्विस और असिस्टेड मोड दोनों में 24X7 उपलब्धता के साथ वितरित करेगी। **इन डीबीयू की स्थापना कौन करेगा?** • पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा) को आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना, टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति है, जब तक कि प्रत्येक मामले में अन्यथा विशेष रूप से प्रतिबंधित न हो। **डीबीयू द्वारा पेश किए जाने वाले न्यूनतम उत्पाद और सेवाएं क्या हैं?** • **देयता उत्पाद और सेवाएं:** (i) खाता खोलना: विभिन्न योजनाओं के तहत बचत बैंक खाता, चालू खाता, सावधि जमा और आवर्ती जमा खाता; (ii) ग्राहकों के लिए डिजिटल किट: मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड; (iii) व्यापारियों के लिए डिजिटल किट: यूपीआई क्यूआर कोड, भीम आधार, पीओएस आदि। • **परिसंपत्ति उत्पाद और सेवाएं:** (i) पहचान किए गए खुदरा, एमएसएमई या योजनाबद्ध ऋणों के लिए ग्राहक हेतु आवेदन करना और उसमें शामिल होना। इसमें ऑनलाइन आवेदन से लेकर संवितरण तक ऐसे ऋणों की संपूर्ण डिजिटल प्रोसेसिंग भी शामिल हो सकती है; (ii) पहचान की गई सरकार प्रायोजित योजनाएं जो राष्ट्रीय पोर्टल के अंतर्गत आती हैं। • **डिजिटल सेवाएं:** (i) नकद निकासी और नकद जमा केवल एटीएम और नकद जमा मशीनों के माध्यम से (ii) पासबुक प्रिंटिंग / स्टेटमेंट जनरेशन; (iii) इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क जिसमें ग्राहकों के विभिन्न स्थायी निर्देशों की चेक बुक अनुरोध, रसीद और ऑनलाइन प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं; (iv) धन का हस्तांतरण (एनईएफटी / आईएमपीएस द्वारा); (v) अटल पेंशन योजना (APY) जैसी योजनाओं के लिए ग्राहकों का डिजिटल ऑनबोर्डिंग; प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए बीमा ऑनबोर्डिंग आदि। **डीबीयू पर आरबीआई द्वारा अन्य प्रमुख दिशानिर्देश क्या हैं?** • **डिजिटल बैंकिंग ग्राहक शिक्षा:** पूरी तरह से डिजिटल वातावरण में ग्राहकों को शामिल करने के अलावा, डीबीयू द्वारा विभिन्न उपकरणों और विधियों का उपयोग सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और ग्राहकों को स्वयं सेवा डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रेरित करने के लिए व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु किया जाएगा।

	• **ग्राहक शिकायतें:** डीबीयू द्वारा सीधे या बिजनेस फैसिलिटेटरों / संवाददाताओं के माध्यम से पेश किए जाने वाले व्यवसाय और सेवाओं से उत्पन्न होने वाली वास्तविक समय सहायता और ग्राहक शिकायतों का निवारण करने के लिए पर्याप्त डिजिटल तंत्र होना चाहिए। • **रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ:** डीबीयू के संबंध में प्रदर्शन अद्यतन आरबीआई पूर्व-निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक आरबीआई को डीबीयू खोलने, बंद करने, विलय करने या स्थानांतरित करने से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेंगे। • **साइबर सुरक्षा:** डीबीयू के बुनियादी ढांचे की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, बैंकों द्वारा डीबीयू की साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे। **डीबीयू के क्या लाभ हैं?** • **डिजिटल इंडिया:** यह पारंपरिक लोगों सहित बैंकों को डिजिटल रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और इस तरह डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्यों को साकार करने में एक कदम आगे बढ़ेगा। • **लागत प्रभावी बैंकिंग:** डीबीयू स्वयं बैंकों की मदद करेंगे जो अब 'हल्के' बैंकिंग दृष्टिकोण के साथ कम ईंट और मोर्टार शाखाओं के साथ भौतिक पदचिह्न को कम करना चाहते हैं। • **ग्रामीण पैठ बढाना:** इस कदम से सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार खुल जाएगा और ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। • **नए युग के ग्राहकों के लिए वैयक्तिकृत उत्पाद:** नए ग्राहकों को व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन उपकरण प्रदान करने में मदद करने की तुलना में इकाइयों को नए जमाने के बैंकों के रूप में भी ब्रांडेड किया जा सकता है। • **वित्तीय साक्षरता:** ऐसी और इकाइयां अधिक वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेंगी - जो कि समय की आवश्यकता है। • **नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना:** यह नए उत्पादों या सेवाओं के लॉन्च या मौजूदा उत्पादों के संक्रमण को समग्र रूप से डिजिटल बनाने के लिए प्रेरित करेगा, विशेष रूप से खुदरा और एसएमई क्षेत्रों के लिए। • **बेहतर उपभोक्ता अनुभव:** ऐसी इकाइयाँ नई शाखा की तुलना में स्थापित करने के लिए सस्ती होंगी और प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान कर सकती हैं। **ये डीबीयू फिनटेक के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे?** • वर्तमान में, नियोबैंक के रूप में काम करने वाली फिनटेक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ साझेदारी में ऐसा करती हैं। भारत में सेवाओं की पेशकश करने वाले कुछ नियोबैंक हैं जुपिटर, फाई मनी, नियो, रेजरपे एक्स। • ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं वाले पारंपरिक बैंकों की तुलना में, नियोबैंक या डिजिटल बैंक उत्पाद नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और बेहतर डिजिटल समाधान पेश करते हैं। • हालांकि, वास्तविक बैंकिंग भाग का संचालन करने के लिए एनबीएफसी या अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान में उनके पास जो व्यवस्था है, उसे देखते हुए कुछ ने इन डिजिटल बैंकों को "गौरवशाली डिजिटल वितरण कंपनियों" के रूप में आंका है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • UPI123: फीचर फोन के लिए UPI • ई-रूपी • ई-आरयूपीआई और गवर्नेंस
MCLR वृद्धि प्रभाव	**मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) क्या है?** • वर्ष 2016 में आरबीआई द्वारा पेश किया गया एमसीएलआर का उद्देश्य रेपो दर में बदलाव का तेजी से प्रसारण सुनिश्चित करना था। • इसे अपने पूर्ववर्ती बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट या बीपीएलआर के मुकाबले पारदर्शी दर संचरण तंत्र

के रूप में डिजाइन किया गया था।

- आधार रेपो दर के अलावा, परिचालन लागत, कैरी-इन कैश रिजर्व अनुपात की वर्तमान लागत और अवधि प्रीमियम एमसीएलआर के घटक हैं।
- एमसीएलआर बीपीएलआर की तुलना में प्रभावी साबित हुआ क्योंकि पूर्व में मुद्रा की वर्तमान लागत को शामिल किया गया था, जबकि बीपीएलआर औसत लागत पर आधारित था। इससे बेहतर प्रसारण सुनिश्चित हुआ।

बैंक क्यों बढ़ा रहे हैं एमसीएलआर?

- तीन वर्षों के बाद, एसबीआई ने अपने एमसीएलआर में 10 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि की, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने एमसीएलआर में प्रत्येक कार्यकाल में 5 बीपीएस की वृद्धि की।
- यह आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति या एमपीसी द्वारा रिवर्स रेपो को एसडीएफ या स्थायी जमा सुविधा के साथ तरलता समायोजन सुविधा के लिए न्यूनतम दर के रूप में बदलने का अनुसरण करता है।
    - एसडीएफ आरबीआई को बैंकों को बदले में सरकारी प्रतिभूतियां दिए बिना वाणिज्यिक बैंकों से तरलता (जमा) को अवशोषित करने की अनुमति देता है।
    - रिवर्स रेपो (जो चलनिधि समायोजन सुविधा का एक हिस्सा है) के तहत, बैंक आरबीआई को अतिरिक्त नकद देने पर बदले में सरकारी प्रतिभूतियां प्राप्त करेंगे।
    - स्थायी सुविधा के रूप में, एसडीएफ सीमांत स्थायी सुविधा या एमएसएफ (तरलता अवशोषण के लिए एसडीएफ जबकि तरलता इंजेक्शन के लिए एमएसएफ) को पूरक करता है।
- वास्तव में, यह बैंकों को आरबीआई के पास अधिक पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि एसडीएफ 3.35 प्रतिशत पर रिवर्स रेपो के मुकाबले 3.75 प्रतिशत ब्याज अर्जित कर सकता है।
- एसडीएफ का अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है क्योंकि बैंक सिस्टम में अधिक धन आकर्षित करने के लिए अपनी जमा दरें बढ़ा सकते हैं। एक अग्रदूत के रूप में, वे उधार दर के साथ इधर-उधर कर रहे हैं ताकि बैंकों की लाभप्रदता पर प्रभाव को कम से कम किया जा सके।

उधारकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है?

- उधारकर्ता बेंचमार्क दरों की दो श्रेणियों के अधीन हैं - एमसीएलआर और ईबीएलआर या बाहरी बेंचमार्क उधार दर।
- वर्ष 2019 में पेश किया गया, ईबीएलआर का उद्देश्य एमसीएलआर में कमियों को दूर करना था, जिसे अपेक्षित दर संचरण की तुलना में धीमी गति की आलोचना का सामना करना पड़ा।
- इसलिए, पारदर्शिता और संचरण को और बढ़ाने के लिए, EBLR, जिसने बैंकों को रेपो दर के विरुद्ध अपने ऋणों को सीधे बेंचमार्क करने की अनुमति दी, को पेश किया गया।
- हालांकि, अब ईबीएलआर का व्यापक रूप से होम लोन में उपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में, बैंकों ने व्यक्तिगत ऋण और शिक्षा ऋण जैसे अन्य खुदरा उत्पादों के लिए EBLR को अपनाना शुरू किया है, जो पहले MCLR पर आधारित थे।
- हालांकि, अल्पकालिक होने के कारण, हाल की बढ़ोतरी का खुदरा ऋणों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
- उसने कहा, 60 प्रतिशत से अधिक कॉरपोरेट एमसीएलआर के आधार पर उधार लेते हैं। वर्ष 2020 के मध्य से केवल नई उधारी और उच्च श्रेणी के कॉरपोरेट्स को ऋण का रोल ओवर ईबीएलआर में हो रहा है। इसलिए, कॉरपोरेट्स को एमसीएलआर बढ़ोतरी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
- क्या बैंक एमसीएलआर बढ़ाकर प्रवृत्ति के खिलाफ जा रहे हैं जबकि आरबीआई ने बैंक दर को स्थिर और मौद्रिक नीति को अनुकूल रखा है?- हां और ना।

	• जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एसडीआर में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि दर में 40 बीपीएस की वृद्धि है क्योंकि यह बैंकों को जमा राशि से अधिक आय अर्जित करने की अनुमति देता है। • यह बाजार में पैसे की आपूर्ति को कम करने के लिए एक सामरिक उपकरण है और इसलिए बैंकों को खाते में एमसीएलआर बढ़ाने और उनकी जमा दरों में संभावित वृद्धि के लिए एक बफर बनाने के लिए उचित है। • हालांकि, ऐसे समय में जब भारतीय उद्योग उत्तोलन की उच्च लागत वहन करने के लिए तैयार नहीं हैं, दर वृद्धि एमपीसी के उदार रुख की भावना के खिलाफ है। • जबकि कोई कह सकता है कि आरबीआई गवर्नर के भाषण ने स्पष्ट रूप से आसान धन की कमी और रेपो दरों में क्रमिक वृद्धि का संकेत दिया, भारतीय उद्योग जगत के वर्गों का मानना है कि बैंक एमसीएलआर वृद्धि को कम से कम एक चौथाई तक टाल सकते थे, ताकि कंपनियों को योजना के लिए इन दरों में वृद्धि के लिएराहत मिल सके। **क्या इसका मतलब यह है कि जल्द ही बैंक दर में वृद्धि होगी?** • आरबीआई गवर्नर ने इस महीने की शुरुआत में गैर-विघटनकारी तरीके से अतिरिक्त तरलता की क्रमिक और कैलिब्रेटेड निकासी के लिए आधार निर्धारित किया। • वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों की नीतिगत कार्रवाई के साथ देखा गया, यह भारत में दर वृद्धि का मामला बनता है। • कुछ समय पहले तक, वीआरआरआर (परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी) और विदेशी मुद्रा नीलामी जैसे अप्रत्यक्ष या गैर-मौद्रिक साधनों का उपयोग करके सिस्टम में अतिरिक्त तरलता को कम या आंशिक रूप से वापस ले लिया गया था। • लेकिन ये मुद्रास्फीति से लड़ने में मदद नहीं करते हैं, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे अब लड़ना आवश्यक हो गया है, यह देखते हुए कि हाल ही में 14.55 प्रतिशत पर थोक मुद्रास्फीति की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर है। • इसलिए, रेपो दर में वृद्धि आखिरी गोला-बारूद है जिसे केंद्रीय बैंक तरलता को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए करेगा। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि दिसंबर 2022 तक रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी होगी। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • बाहरी बेंचमार्क उधार दर • रिवर्स रेपो सामान्यीकरण
बैटरी स्वैपिंग नीति	**संदर्भ:** सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा तैयार किया है और सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा है। **बैटरी स्वैपिंग क्या है?** • यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें चार्ज की गई बैटरी के लिए डिस्चार्ज की गई बैटरियों का आदान-प्रदान शामिल है। • यह इन बैटरियों को अलग से चार्ज करने की सुविधा प्रदान करता है और नगण्य डाउनटाइम के साथ वाहन को परिचालन मोड में रखता है। • बैटरी की अदला-बदली आमतौर पर छोटे वाहनों जैसे- दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के लिये किया जाता है, जिनमें छोटी बैटरी इस्तेमाल होती है, साथ ही चार पहिया और ई-बसों की तुलना में स्वैप करना आसान होता है, हालाँकि इन बड़े वाहनों के लिये भी समाधान खोजा जा रहां है। **कुछ प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं?** • **कर में कटौती:** मसौदा नीति ने सुझाव दिया है कि जीएसटी परिषद लिथियम-आयन बैटरी (18%) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (5%) पर कर दरों में अंतर को कम करने पर कर रही है। • **समान व्यवहार:** नीति में स्थिर बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को स्वैपेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को उपलब्ध समान प्रोत्साहन की पेशकश करने का भी प्रस्ताव है।

- **सब्सिडी:** बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम में काम करने वाले बैटरी प्रदाताओं को एक उपयुक्त सब्सिडी आवंटित की जाती है।
- **पंजीकरण में आसानी:** परिवहन विभाग और राज्य परिवहन प्राधिकरण बैटरी के बिना बेचे जाने वाले वाहनों या बैटरी स्वैपिंग कार्यक्षमता वाले वाहनों के लिए पंजीकरण प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- **विशिष्ट पहचान:** नीति में विनिर्माण स्तर पर स्वैपेबल बैटरियों को ट्रैक तथा उनकी निगरानी करने हेतु एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इसी तरह, प्रत्येक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को एक यूआईएन नंबर दिया जाएगा।
- **चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर:** नीति में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि सार्वजनिक बैटरी चार्जिंग स्टेशन विशेष रूप से ऑफ-पीक अवधि के दौरान रियायती टैरिफ के साथ ईवी बिजली कनेक्शन के लिए पात्र हैं। बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के लिए योजना, जोनिंग अनुमति और भूमि आवंटन के लिए नगर निगम जिम्मेदार होंगे। यह खुदरा ईंधन आउटलेट, सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्रों, मॉल, किराना दुकानों और सामान्य स्टोर आदि जैसे कई स्थानों पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है।
- **इंटरऑपरेबिलिटी के लिए बैटरी-ए-ए-सर्विस (बीएएएस) मॉडल:** बैटरी-स्वैपिंग बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आएगी। इस तरह के मॉडल एक सफल विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए बैटरी और ईवी के बीच अंतर-संचालन सुनिश्चित करेंगे।
- **पीयर-टू-पीयर नेटवर्क को सक्षम करने के लिए डेटा साझाकरण:** इसके अलावा, बैटरी प्रदाताओं को डेटा-साझाकरण समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा ताकि बैटरी प्रदर्शन और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके, साथ ही साथ पीयर-टू-पीयर रोमिंग नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।
- **बैटरी सुरक्षा:** विद्युत इंटरफ़ेस पर उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत इंटरफ़ेस पर किसी भी अवांछित तापमान वृद्धि से बचने के लिए एक कठोर परीक्षण प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा।
- **उन्नत प्रौद्योगिकियां:** इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों की बेहतर सुरक्षा के लिए, स्वैपेबल बैटरियों को आईओटी-आधारित बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग और इमोबिलाइजेशन क्षमताओं जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस करना होगा।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो मसौदा नीति को अंतिम रूप दिए जाने के 1-2 साल के भीतर है।

ऐसी नीति रखने के क्या फायदे हैं?

- यह इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की अग्रिम लागत को कम करता है।
- इस नीति का लक्ष्य बैटरी-स्वैपिंग को अपनाने का समर्थन करना है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा में उपयोग की जाने वाली बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के लिए।
- यह खरीदारों के बीच ईवी को अपनाने को प्रेरित करता है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई घटनाओं के बीच भी इसकी आवश्यकता थी, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी।

निष्कर्ष

- ईवी बैटरियों के निर्माण के लिए गहरे समुद्र में खनन
- इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौतियां
- फेम-द्वितीय योजना
- ऑटो उद्योग पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव
- इलेक्ट्रिक वाहन: नॉर्वे का एक केस स्टडी

ज़हर की गोली और अन्य कॉर्पोरेट रक्षा तंत्र (Poison Pill and other corporate defence mechanisms)	**संदर्भ:** दुनिया भर में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां अक्सर शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के खतरों को देखती हैं, जो शेयरों के पिछले दरवाजे के संचय के माध्यम से होती हैं। हालांकि, समय के साथ, वे इस तरह के अधिग्रहण को रोकने के लिए विभिन्न रक्षा तंत्र लेकर आती हैं। एलोन मस्क, जो वर्तमान में लगभग 9% ट्विटर शेयरों (दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक) के मालिक हैं, ने ट्विटर का अधिग्रहण करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बहाल करने के लिए इसे निजी खरीदने के लिए बोली लगाई। कंपनी के बोर्ड ने इसका विरोध किया है और "जहर की गोली" तंत्र को उपयोग किया - **ज़हर गोली तंत्र के बारे में** • आधिकारिक तौर पर एक शेयरधारक अधिकार योजना के रूप में जाना जाता है, यह एक लक्षित कंपनी द्वारा शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण प्रयासों को रोकने या हतोत्साहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक रक्षा रणनीति है। • यह योजना मौजूदा शेयरधारकों को, अधिग्रहण करने वाली इकाई - मिस्टर मस्क को छोड़कर - को रियायती दर पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देगी, जिससे अधिग्रहणकर्ता के लिए कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। • यह प्रणाली अल्पांश शेयरधारकों की सुरक्षा करता है और कंपनी प्रबंधन के नियंत्रण में परिवर्तन से बचा जाता है। • ज़हर की गोलियां भी अक्सर आगे की बातचीत के लिए द्वार खोलती हैं जो बोली लगाने वाले सौदे को मीठा करने के लिए मजबूर करती हैं। • यदि बोर्ड को अधिक कीमत समझ में आती है, तो एक जहर की गोली को आसानी से एक तरफ रखा जा सकता है, जिससे बिक्री का रास्ता साफ हो जाता है। **अन्य रक्षा तंत्र हैं:**

ग्रीनमेल रक्षा	• यहां विचार सरल है: उन्हें दूर जाने के लिए भुगतान करें और कंपनी को अधिग्रहण की धमकी देना बंद करें। • इसमें लक्षित कंपनी अपने स्वयं के शेयरों को प्रीमियम पर और एक अधिग्रहण को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुनर्खरीद करती है। • यह प्रथा कभी कई सक्रिय निवेशकों के लिए शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण की धम अपने शेयरों को प्रीमियम पर बेचने का साधन बन गई थी।
क्राउन ज्वेल रक्षा	• अधिग्रहणकर्ता के लिए अधिग्रहण को कम वांछनीय बनाने के लिए तंत्र कंपनी अपनी क्राउन ज्वेल यूनिट, या इसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति को कत शामिल है। • संपत्ति वह इकाई हो सकती है जो कंपनी में सबसे अधिक लाभदायक इक भविष्य की लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है, या कंपनी के प्रमुख उत्पाद का करती है।
पीएसी मैन रक्षा	• रिवर्स टेकओवर शुरू करके शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण को रोकें। इसमें लक्ष शामिल है जो अधिग्रहण की बोली शुरू करने वाली कंपनी के अधिग्र पेशकश करती है। • लक्ष्य कंपनी अपने 'वॉर चेस्ट' का इस्तेमाल कर सकती है या रिवर्स टेकओ के लिए बाहर से वित्त हासिल कर सकती है।

	व्हाइट नाइट रक्षा	• यहां, एक 'दोस्ताना' कंपनी उचित विचार पर एक निगम का अधिग्रहण करती है यह एक 'अमित्र' अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहण किए जाने के कगार पर हो अमित्र बोली लगाने वाले को आम तौर पर "ब्लैक नाइट" के रूप में जाना जात

पर्यावरण

भारतीय कृषि को कार्बन मुक्त करना

संदर्भ: वर्ष 2016 में, कृषि और पशुधन ने 407,821 Gg CO2e उत्सर्जित किया, जो कुल उत्सर्जन का लगभग 14% था। इसमें से 61.3% पशुधन से जुड़े हैं।

पशुधन के अलावा, कृषि GHG उत्सर्जन के प्रमुख घटक हैं:

- चावल की खेती (17.5%)
- उर्वरक एप्लीकेशन (19.1%)
- खेत में कृषि अवशेषों को जलाना (2.2%)

भारत में कृषि का डीकार्बोनाइजेशन एक मुश्किल मुद्दा क्यों है?

- 1.75 मिलियन वर्ग किमी कृषि योग्य भूमि और 300 मिलियन मवेशियों की आबादी वाले भारत में 160 मिलियन ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है।
- इसलिए, 120 मिलियन से अधिक सीमांत किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए डीकार्बोनाइजेशन को सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किया जाना चाहिए, जो अभी भी अपने सामाजिक-आर्थिक विकास के 'अस्तित्व के चरण' में हैं।

कृषि को कार्बन मुक्त करने के लिए किन रास्तों का उपयोग किया जा सकता है?

डीप डीकार्बोनाइजिंग पाथवे में शामिल होंगे

- मवेशियों और चावल की खेती से बायोजेनिक मीथेन को कम करना
- सिंचाई का पानी, रासायनिक उर्वरकों, और ऊर्जा के साथ-साथ कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण की खपत को कम करके संसाधन दक्षता को विकसित करना
- खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में कचरे को कम करना
- स्वचालन और प्रौद्योगिकी की तैनाती के माध्यम से जलवायु लचीलापन का निर्माण।

डीकार्बोनाइजेशन और स्थिरता दोनों के लिए निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं:

मिट्टी	• उपजाऊ मिट्टी कार्बन सिंक होने के अतिरिक्त कृषि उपज और आय को बढ़ाती है। • स्वस्थ मिट्टी में अधिक नमी होती है और मृदा संरक्षण के तरीके कटाव को कम करते हैं। बायोगैस/जैव ईंधन संयंत्रों के सह-उत्पाद कम्पोस्ट/बायो-चार हैं, जो मिट्टी को समृद्ध, पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं, और रासायनिक उर्वरकों को विस्थापित करते हैं।
मीठे पानी	• भारत में कृषि 80% से अधिक मीठे पानी की खपत करती है, जिससे संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। • स्वचालन के साथ सूक्ष्म सिंचाई और कम पानी वाली प्रजातियों एवं कृषि पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। • फसलों के विविधीकरण के माध्यम से जल गहन फसलों के तहत क्षेत्रों को कम किया जाना चाहिए, उदाहरण तिलहन, दालें, बागवानी और चारा वाली फसलें हैं।

	वैकल्पिक फसल	• यह GHG न्यूनीकरण में योगदान देता है और जलवायु-स्मार्ट खेती में एक उभरता हुआ क्षेत्र है। • उदाहरण के लिए, समुद्री शैवाल की खेती मवेशियों के चारे के योग के रूप में, बायोजेनिक मीथेन उत्सर्जन को कम, फ़ीड की गुणवत्ता में सुधार करती है, और दूध उत्पादन को बढ़ाती है।
	कृषि वानिकी	• पेड़ हवा के झोंकों के रूप में कार्य करते हैं, मिट्टी के कटाव को कम और समृद्ध करते हैं, और पानी को फ़िल्टर करते हैं। • एक अध्ययनों से पता चला है कि मौजूदा 16 mha क्षेत्र में 5 वार्षिक अंतराल पर 5% की वृद्धि भारत के अनुमानित उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है।
	कृषि अपशिष्ट से जैव ऊर्जा	• खाद आधारित सामुदायिक बायोगैस संयंत्र स्वच्छ खाना पकाने और वितरित बिजली का समर्थन कर सकते हैं। • जैव ईंधन के लिए भारत की राष्ट्रीय नीति/एसएएटीएटी योजना ने 15 मिलियन टन जैव-सीएनजी का मध्यम अवधि का लक्ष्य निर्धारित किया है। • बीईसीसीएस (कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ जैव ऊर्जा) में बायोएनेर्जी संयंत्रों और स्थायी भंडारण से CO2 को हासिल करना शामिल है। इससे कार्बन हटाने के साथ-साथ नकारात्मक उत्सर्जन भी होगा।

आगे की राह

- सतत कृषि मार्गों के लिए महत्वपूर्ण पूंजी की आवश्यकता होगी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मौजूदा सब्सिडी के पुनर्प्रयोजन से आ सकता है।
- जलवायु वित्त और पेशेंट कैपिटल की आवश्यकता उन क्षेत्रों के लिए होगी, जिनकी परियोजना पूरी होने की अवधि लंबी है, जैसे कि बायोजेनिक मीथेन न्यूनीकरण, कृषि-वानिकी आदि।
- केंद्र से राज्यों तक जिलों या कृषि क्षेत्रों में समन्वित और कार्रवाई-उन्मुख कार्यान्वयन एवं उपयुक्त संस्थागत वास्तुकला की आवश्यकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना:

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए),
- जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल (एनआईसीआरए)

भारत को अपने पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए एक विशेष कानून क्यों बनाना चाहिए?

संदर्भ: लगातार बढ़ती मानव आबादी, प्रदूषण और बायोमास के दोहन के कारण भारत के पवित्र उपवनों का आकर लगातार घट रहा है; इनके कार्यात्मक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रभावी संरक्षण की आवश्यकता है।

पवित्र उपवन क्या हैं?

पवित्र उपवन धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर प्राचीन समाजों द्वारा संरक्षित प्राकृतिक वनस्पतियों के पैच हैं।

- वनस्पति के ये भाग जैव विविधता में समृद्ध हैं और कई लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के आवास के रूप में कार्य करते हैं।
- एक पवित्र उपवन में आमतौर पर पर्वतारोहियों, जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों सहित वनस्पति का एक घना आवरण होता है, जिसमें एक ग्राम देवता की उपस्थिति होती है और यह ज्यादातर एक बारहमासी जल स्रोत के पास स्थित होता है।
- पवित्र उपवनों को प्रकृति पूजा की आदिम प्रथा का प्रतीक माना जाता है और यह काफी हद तक

प्रकृति संरक्षण का समर्थन करते हैं।

- इन उपवनों का रखरखाव सामान्यतया ग्रामीण समुदायों द्वारा किया जाता है। इनके रखरखाव में अब तक कोई सरकार शामिल नहीं हुई है।
- कुछ वर्जनाओं (certain taboos) और प्रतिबंधों को विकसित करके ग्रामीण समुदाय द्वारा कई लोगों को संरक्षित बनाए रखा जाता है। कुछ उपवनों का रख-रखाव व्यक्तिगत परिवारों द्वारा भी किया जाता है।
- कुछ मामलों में, पेड़ के नीचे एक देवता की मूर्ति के साथ, व्यक्तिगत और प्राचीन पेड़ भी पवित्र उपवन के रूप में कार्य करते हैं।
- स्थानीय लोगों का विश्वास है कि किसी भी प्रकार का विघ्न स्थानीय देवता को नारांज कर देगा और इसका खामियांजा किसी बीमारी, प्राकृतिक आपदा या फसलों को नुकसान होने के रूप में भुगतना पड़ेगा।
- कई गांवों ने वनदेवदास, या वन आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए पवित्र भूमि को अलग कर दिया है। पूरे उपवन को कुछ क्षेत्रों में पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है।

ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 100,000 ऐसे उपवन हो सकते हैं। ऐसे उपवनों के नाम हमारे देश के क्षेत्र और भाषा के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं।

उन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है:

- बिहार में सरना
- हिमाचल प्रदेश में देव वन
- कर्नाटक में देवरकाडु
- केरल में कावु
- मध्य प्रदेश में देव
- महाराष्ट्र में देवरहाटी या देवराई
- महाराष्ट्र में लाई उमंग
- मेघालय में लॉ किंतांग या असोंग खोसी
- राजस्थान में ओरान
- तमिलनाडु में कोविल कडू या सरपा कावु

पवित्र उपवन के लिए खतरा

अब तक, इन पवित्र उपवनों को स्थानीय समुदाय की भागीदारी से सामाजिक बाड़ के माध्यम से संरक्षित किया गया है।

- लेकिन हाल ही में, मंदिर की गतिविधियों के संबंध में भवनों के निर्माण और अन्य आधुनिकीकरण कार्यों के लिए कुछ उपवनों को साफ कर दिया गया है।
- • कुछ पवित्र उपवनों को अतिक्रमणों के कारण छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया है।
- कहीं-कहीं पुराने पेड़ों को काट दिया गया है और फलों के बाग एवं बगीचे लगाये गए हैं।
- लगातार बढ़ती मानव आबादी की बढ़ती जरूरतों, प्रदूषण और बायोमास को हटाने के कारण पेड़ों की संख्या घट रही है।

इन पेड़ों को कैसे बचाएं - आगे की राह

- अबसमय आ गया है कि इन पवित्र उपवनों के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा की जाए, विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए और पेड़ों की कटाई या किसी अन्य वनस्पति को हटाना पूरी तरह से रोक दिया जाए।
- यह केवल पवित्र उपवनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक विशेष कानून बनाने के द्वारा ही संभव है।

	• चूंकि प्रबंधन के तौर-तरीके और अन्य रीति-रिवाज अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, इसलिए संबंधित राज्य सरकारें राज्य के लिए उपयुक्त अधिनियम को लागू कर सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के युग में कुछ दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों की रक्षा करने का विचार होना चाहिए। **नोट:** पवित्र उपवनों को वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 में 'सामुदायिक भंडार' के तहत कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है।
भारत का सोलर पॉवर एनर्जी लक्ष्य	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से संकेत मिला है कि भारत सौर ऊर्जा क्षमता के 100 गीगावाट (GW) स्थापित करने के अपने 2022 के लक्ष्य से दूर रह सकता है। **भारत की सौर नीति क्या है?** • वर्ष 2011 में भारत का सौर क्षेत्र 0.5GW से लगभग 59% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर वर्ष 2021 में 55GW हो गया है। • जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम), जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) के रूप में भी जाना जाता है, यह जनवरी 2010 में शुरू हुआ था, पहली बार सरकार ने भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। ○ इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक कुल स्थापित क्षमता लक्ष्य 20GW निर्धारित किया गया था। ○ वर्ष 2015 में, लक्ष्य को संशोधित कर 100GW कर दिया गया और अगस्त 2021 में, सरकार ने 2030 तक 300GW का सौर लक्ष्य निर्धारित किया। • वर्तमान में भारत सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद पांचवें स्थान पर है। • दिसंबर 2021 तक, भारत की संचयी सौर स्थापित क्षमता 55GW है, जो अक्षय ऊर्जा (RE) क्षमता (बड़ी पनबिजली को छोड़कर) का लगभग आधा है और भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 14% है। • 55GW के भीतर, ग्रिड-कनेक्टेड यूटिलिटी-स्केल परियोजनाओं का योगदान 77% है और शेष ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप और ऑफ-ग्रिड परियोजनाओं से आता है। **क्या कहती है रिपोर्ट?** • अप्रैल तक, 100GW लक्ष्य का लगभग 50%, जिसमें 60GW यूटिलिटी-स्केल और 40GW रूफटॉप सौर क्षमता शामिल है, को पूरा किया गया है। • वर्ष 2022 में लगभग 19 GW सौर क्षमता, उपयोगिता पैमाने से 15.8GW और रूफटॉप सोलर से 3.5GW जोड़े जाने की उम्मीद है। • इस क्षमता के हिसाब से भी भारत के 100GW सौर लक्ष्य का लगभग 27% पूरा नहीं होगा। • दिसंबर 2022 तक यूटिलिटी-स्केल सोलर टारगेट में 1.8GW की तुलना में 40GW रूफटॉप सोलर टारगेट में 25GW की कमी की उम्मीद है। इस प्रकार, रूफटॉप सोलर में भारत की सौर नीति की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। **रूफटॉप सोलर एडॉप्शन के लक्ष्यों को पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं और भविष्य में क्या है?** • दिसंबर 2015 में, सरकार ने आवासीय, संस्थागत और सामाजिक क्षेत्रों में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया। • फरवरी 2019 में स्वीकृत दूसरे चरण में, केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के रूप में प्रोत्साहन के साथ, 2022 तक संचयी रूफटॉप सौर क्षमता के 40GW का लक्ष्य था। • नवंबर 2021 तक, आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित 4GW के चरण 2 के लक्ष्य में से, केवल 1.1GW स्थापित किया गया था।

- महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान रूफटॉप सोलर अपनाने में एक प्रमुख बाधा थी।
- अपने शुरुआती वर्षों में, भारत का रूफटॉप सोलर मार्केट किसके कारण विकसित होने के लिए संघर्ष कर रहा था?
    - उपभोक्ता जागरूकता की कमी
    - केंद्र/राज्य सरकारों के असंगत नीतिगत ढांचे
    - वित्तपोषण के मुद्दे
- हाल ही में, प्रौद्योगिकी लागत में गिरावट, ग्रिड टैरिफ में वृद्धि, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि और ऊर्जा लागत में कटौती की बढ़ती आवश्यकता के कारण रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों में तेज वृद्धि हुई है। इन कारकों के जारी रहने की उम्मीद है जो इस सेगमेंट को बहुत जरूरी बढ़ावा देंगे।
- आगे बढ़ते हुए, रूफटॉप सोलर एडॉप्शन के आनुपातिक रूप से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि यूटिलिटी सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि और ग्रिड-कनेक्टिविटी के आने में मुश्किल होने की उम्मीद है।
- रूफटॉप-सौर इंस्टालेशन में बाधा डालने वाले कारकों में शामिल हैं
    - महामारी से प्रेरित आपूर्ति श्रृंखला नीति प्रतिबंधों के लिए व्यवधान
    - नियामक बाधाएं
    - नेट-मीटरिंग की सीमा (या ग्रिड को अतिरिक्त बिजली देने वाले उपयोगकर्ताओं को भुगतान करना)
    - आयातित सेल और मॉड्यूल पर कर
    - अहस्ताक्षरित बिजली आपूर्ति समझौते (पीएसए)
    - बैंकिंग प्रतिबंध
    - वित्तपोषण के मुद्दे
    - ओपन एक्सेस अनुमोदन अनुदान में देरी या अस्वीकृति
    - भविष्य के ओपन एक्सेस शुल्क की अप्रत्याशितता

जलवायु परिवर्तन को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए सौर ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है?

- सौर ऊर्जा पेरिस समझौते की शर्तों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के साथ-साथ 2070 तक शुद्ध शून्य, या कोई शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख हिस्सा है।
- नवंबर 2021 में ग्लासगो में पार्टियों के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक 500 GW की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुंच जाएगा और 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अपनी आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- दीर्घावधि में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना अभियान को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र ने 2020 में 2030 तक आरई-आधारित स्थापित क्षमता के 450GW का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके भीतर सौर के लिए लक्ष्य 300GW था।
- परिवर्तनीय अक्षय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करने की चुनौती को देखते हुए, इस दशक के उत्तरार्ध में स्थापित अधिकांश आरई क्षमता पवन सौर हाइब्रिड (डब्ल्यूएसएच), आरई-प्लस-स्टोरेज और चौबीसों घंटे आरई पर आधारित होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक सौर/पवन परियोजनाओं के बजाय परियोजनाएं।
- वर्तमान प्रक्षेपवक्र पर, रिपोर्ट में पाया गया है, 2030 तक भारत का 300GW का सौर लक्ष्य लगभग 86GW, या लगभग एक तिहाई से कम होगा।

	• यह अनुमान लगाया गया है कि सरकार, अल्पावधि में, उपयोगिता-पैमाने पर परियोजनाओं के लिए कुछ अधूरे रूफटॉप लक्ष्यों को पुन: आवंटित करके 2022 तक 100GW लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर क्षमता वृद्धि में तेजी लाने के लिए आक्रामक रूप से जोर देगी। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन • पेरिस जलवायु समझौता और भारत की प्रगति • ग्लासगो शिखर सम्मेलन: उपलब्धियां और निराशाएं • जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट
कृषि और जलवायु अनुकूलन	जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट (एआर 6) ने व्यापक "अनुकूलन अंतर" को कम करने और "असामान्य" जलवायु के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए एक जागृत कॉल दिया है। **जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि** • चरम मौसम की घटनाओं और अप्रत्याशित वर्षा की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता के साथ जलवायु परिवर्तन का फसल उत्पादन और उत्पादकता पर पहले से ही स्पष्ट प्रभाव है। • इससे अंततः स्थानीय खाद्य आपूर्ति बाधित होती है और ग्रामीण आय एवं गरीबी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। • जलवायु परिवर्तन से देश में भोजन की उपलब्धता और कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कुपोषण बढ़ रहा है। • चूंकि भारतीय कृषि का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा छोटी जोत वाली कृषि है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्वाह है, जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि अनुकूलन अस्तित्व का मुद्दा है। • जलवायु परिवर्तन की किसी भी प्रतिक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के साथ-साथ पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की चुनौती है। **आगे की राह** • मृदा और जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण, फसल प्रणाली अनुकूलन, जोखिम साझाकरण (सह-निवेश, सामुदायिक जुड़ाव), जोखिम हस्तांतरण (फसल/पशुधन बीमा), और बेहतर स्थानीय पूर्वानुमान और कृषि-सलाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि क्षेत्र में विकास योजनाएं हैं और न्यूनीकरण लाभों का अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। • साथ ही, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीतियों और रणनीतियों को डिजाइन करना आवश्यक है। • भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय होने के कारण, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) को विकसित करने की आवश्यकता है जो एसडीजी के साथ सामंजस्य बिठा सके। • एसएपीसीसी में कृषि, वानिकी और भूमि उपयोग घटक की समय-समय पर समीक्षा, अद्यतन और एकीकरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। • कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से संबंधित अनुकूलन उपायों को जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल करने की आवश्यकता है। • अनुकूल फसल किस्मों के विकास के साथ-साथ जल आपूर्ति, बिजली और भौतिक संपर्क सहित सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करना महत्वपूर्ण है, जिस पर कृषि मूल्य श्रृंखला निर्भर करती है। • कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और जल संसाधन जैसे प्रमुख जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में भारत में अनुकूलन की वित्तीय जरूरतें (2015-2030) $206 बिलियन (2014-2015 की कीमतों पर) अनुमानित हैं। इसलिए, इस उद्देश्य के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र से बड़े और निरंतर वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। **निष्कर्ष**

	• कृषि में एक सक्रिय अनुकूलन दृष्टिकोण की आवश्यकता है, खतरे को कम करने, प्रभावों को सीमित करने और आपदाओं से निपटने के तैयारियों को कम करने के लिए जलवायु और आपदा लचीलापन पर प्रयासों तथा संसाधनों को सुव्यवस्थित करना। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • पेरिस जलवायु समझौता और भारत की प्रगति • ग्लासगो शिखर सम्मेलन: उपलब्धियां और निराशाएं • जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट
जलवायु परिवर्तन और कार्बन मूल्य निर्धारण	**संदर्भ:** पेन्सिलवेनिया जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण नीति अपनाने वाला अमेरिका का पहला प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक राज्य बन गया है। • यह 11 राज्यों में शामिल है जहां कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस बिजली संयंत्रों को उनके द्वारा उत्सर्जित प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रेडिट खरीदना चाहिए। • राष्ट्रपति जो बाइडेन एक कम प्रत्यक्ष दृष्टिकोण का प्रयास कर रहे हैं - जिसे कार्बन की सामाजिक लागत के रूप में जाना जाता है - जो प्रदूषणकारी उद्योगों पर सख्त प्रतिबंधों को सही ठहराने के लिए भविष्य के जलवायु नुकसान की गणना करता है। • कनाडा व्यक्तियों पर ईंधन शुल्क लगाता है और बड़े प्रदूषकों को उत्सर्जन के लिए भुगतान भी करता है। विश्व बैंक के अनुसार, यह किसी प्रकार के कार्बन टैक्स वाले 27 देशों में से एक है। **तो मूल्य टैग क्या है?** • यह सरकारों के आधार पर भिन्न होता है। • अमेरिकी प्रशासन का सामाजिक लागत अनुमान लगभग $51 है, जिसका अर्थ है कि आज एक बिजली संयंत्र या टेल पाइप से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रत्येक टन आने वाले वर्षों में आर्थिक नुकसान में $51 का योगदान करने का अनुमान है। • न्यूयॉर्क राज्य की कार्बन की अपनी सामाजिक लागत है, जिसे आर्थिक रुझानों के हिसाब से 2020 में $125 प्रति टन तक अद्यतन किया गया है। • इसके विपरीत, पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस पहल के तहत नीलामी में उत्सर्जन का मूल्य हाल ही में 13.50 डॉलर प्रति टन था, जिसमें पेंसिल्वेनिया शामिल हो रहा है। • कैलिफोर्निया में एक समान "कैप एंड ट्रेड" उत्सर्जन कार्यक्रम लागू है, और एक 2023 में वाशिंगटन राज्य में लागू होने वाला है। • कनाडा के कार्बन करों में व्यक्तियों के लिए लगभग $40 प्रति टन के बराबर न्यूनतम ईंधन शुल्क शामिल है। **बड़े अंतर क्यों?** • कार्बन की सामाजिक लागत भविष्य में सदियों से सभी जलवायु क्षति के मूल्य पर कब्जा करने का प्रयास करती है। • कार्बन मूल्य निर्धारण दर्शाता है कि नीलामी में पेश किए जाने वाले उत्सर्जन क्रेडिट की सीमित मात्रा के लिए कंपनियां आज कितना भुगतान करने को तैयार हैं। • दूसरे शब्दों में, कार्बन की सामाजिक लागत नीति को निर्देशित करती है, जबकि कार्बन मूल्य निर्धारण व्यवहार में नीति का प्रतिनिधित्व करता है। • अधिक कठोर नीति में कार्बन मूल्य अधिक होगा। अधिक ढीली नीति आपको कम कार्बन मूल्य देगी। ○ ट्रम्प प्रशासन ने कार्बन की सामाजिक लागत को लगभग $50 प्रति टन से घटाकर $7 या उससे कम कर दिया था। कम संख्या में केवल घरेलू जलवायु प्रभाव शामिल थे, न कि वैश्विक नुकसान। **एक स्मार्ट दृष्टिकोण कार्बन का मूल्य निर्धारण है जिसे निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:** **उत्सर्जन व्यापार**

- कार्बन का मूल्य निर्धारण करने का एक तरीका उत्सर्जन व्यापार के माध्यम से है, अर्थात, उद्योगों से अनुमेय अपशिष्टों की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना, और कम उत्सर्जन वाले लोगों को अपना अतिरिक्त स्थान बेचने की अनुमति देना।
- यह प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु एक बाजार आधारित दृष्टिकोण है।
- यह सरकारों द्वारा लगाए गए कमांड-एंड-कंट्रोल पर्यावरण नियमों के विपरीत है।

कार्बन टैक्स

- दूसरा तरीका आर्थिक गतिविधियों पर कार्बन टैक्स लगाना है - उदाहरण के लिए, कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर जैसे कि कनाडा और स्वीडन में किया जाता है।
- कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधन की कार्बन सामग्री पर एक शुल्क है।
- यह एक शक्तिशाली मौद्रिक निरुत्साहन (a powerful monetary disincentive) है जो गैर-कार्बन ईंधन और ऊर्जा दक्षता में स्थानांतरित करने के लिए इसे और अधिक आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाकर, अर्थव्यवस्था में स्वच्छ ऊर्जा के लिए संक्रमण को प्रेरित करता है।
- उदाहरण: वर्ष 2019 में कनाडा ने 20 डॉलर प्रति टन CO_2 उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाया और धीरे-धीरे इसे बढ़ाया। इससे वर्ष 2022 तक ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण में 80 से 90 मिलियन टन के बीच कमी आने का अनुमान है।
- कार्बन के मूल्य निर्धारण से राजकोषीय लाभ काफी बड़ा हो सकता है। भारत में $35 प्रति टन CO_2 उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% उत्पन्न करने में सक्षम होने का अनुमान है।

आयात पर कार्बन टैरिफ

- विकसित देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन बेरोकटोक (unabated) जारी है क्योंकि वे इसे विकासशील देशों में आउटसोर्स करते हैं और इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं का आयात करते हैं। इसलिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में आयातों में पर्याप्त कार्बन फुटप्रिंट होता है।
- भारत और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी कार्बन टैरिफ लगाने और हरित व्यापार संभावनाओं की ओर बढ़ने के लिए अपनी वैश्विक एकाधिकार, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़े खरीदार की शक्ति का उपयोग करना चाहिए।

क्या इनमें से कोई काम कर रहा है?

- संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्यों से उत्सर्जन लगभग 24% अधिक होता यदि कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र लागू नहीं होता।
- कार्बन नीलामियों से भी लगभग $5 बिलियन का निवेश हुआ है जिसका उपयोग घरेलू ऊर्जा लागत में वृद्धि को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।
- पेन्सिलवेनिया में कार्बन मूल्य-निर्धारण का विस्तार कठिन बना हुआ है। एक कानूनी चुनौती लंबित है और राज्य के सीमित कार्यकाल वाले डेमोक्रेटिक गवर्नर को जल्द ही एक उत्तराधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो राज्य की भागीदारी का विरोध करता है।
- जबकि कार्बन का मूल्य निर्धारण स्वर्ण मानक होगा, वास्तव में वहां तक पहुंचना राजनीतिक रूप से कठिन लगता है।

निष्कर्ष

- राष्ट्रव्यापी सीमा और व्यापार कार्यक्रम के बिना, पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री चाहते हैं कि सरकार सरकारी ऊर्जा नीति में बदलाव के लिए कार्बन की सामाजिक लागत का उपयोग करने में अधिक आक्रामक हो।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- नेट-जीरो के लिए भारत की लंबी सड़क
- कार्बन सीमा कर और भारत का विरोध
- चीन की जलवायु प्रतिबद्धताएं

जलियांवाला बाग	**संदर्भ:** भारत 1919 में इस दिन (13 अप्रैल) को जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। • जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल, 1919 को एक घटना थी, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के रूप में जाने जाने वाले खुले स्थान पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी। • स्वतंत्रता सेनानियों सत्य पाल और डॉ सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए भीड़ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा हुई थी। ○ डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्य पाल ने 1919 की शुरुआत में रौलट एक्ट पारित करने का विरोध किया, जिसने अनिवार्य रूप से दमनकारी युद्धकालीन उपायों को बढ़ाया। • जनरल डायर को जब सभा के बारे में पता चला, तो ब्रिटिश ब्रिगेडियर-जनरल आर.ई.एच. डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया। अपने सैनिकों के साथ निकास के मार्ग को बंदकर उसने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, इस भीड़ में कई प्रदर्शनकारियों शहीद हो गए। ○ जलियांवाला बाग से केवल एक तरफ से बाहर निकला जा सकता था, और इसके तीनों ओर दीवारें थी। • नरसंहार ने भारतीयों को नाराज कर दिया और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन (Non Cooperation Movement- 1920-22) का आह्वान किया। • ब्रिटेन ने नरसंहार के लिए कभी औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगी लेकिन 2019 में "खेद" व्यक्त किया। **जलियांवाला बाग हत्याकांड की मुख्य कारण क्या था?** • 1859 में, ब्रिटिश क्राउन ने उपनिवेश का सीधा नियंत्रण ले लिया। राजद्रोह और साजिशों से भयभीत, औपनिवेशिक सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध द्वारा दिए गए अवसर का उपयोग 1915 में भारत की रक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए किया। युद्धकालीन कानून ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के लोगों को बंद करने और भाषण, लेखन और आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए निवारक नजरबंदी की असाधारण शक्तियां दीं। • 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम , जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो अपनी युद्धकालीन आपातकालीन शक्तियों को मयूर काल में विस्तारित किया। • युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बाद भारत लौट आए थे। गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार थे और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया। भारत लौटने पर, उन्होंने पहले कुछ साल स्थानीय शिकायतों पर अहिंसक संघर्षों का नेतृत्व करने में बिताए। • आसन्न रॉलेट कानून की खबर सार्वजनिक हो गई, गांधी ने तुरंत अपना विरोध व्यक्त किया और 6 अप्रैल, 1919 को एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से अहिंसक संघर्ष, या सत्याग्रह में शामिल होने के लिए कहा: एक दिन का उपवास रखें और कानून को निरस्त करने की मांग के लिए बैठकें करें। • पंजाब पहले से ही नाराज था। अंग्रेजों के लिए अशांति विशेष रूप से चिंता का विषय थी क्योंकि पंजाब एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य संपत्ति थी। प्रथम विश्व युद्ध तक, पंजाब के सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के 3/5 हिस्से का गठन किया, जिसे युद्ध में बड़े पैमाने पर तैनात किया गया था। • क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जनरल डायर को अमृतसर भेजा गया, जहाँ उसने 11 अप्रैल को नागरिक अधिकारियों से नियंत्रण ले लिया। उन्होंने सार्वजनिक सभा को

	प्रतिबंधित करने और ऐसी सभाओं को बलपूर्वक हटाए जाने की चेतावनी जारी की। • 13 अप्रैल को कई हजार लोग जनरल डायर के आदेश की अवहेलना करते हुए जलियांवाला बाग में जमा हो गए। • जनरल डायर ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलवाई। करीब 10 मिनट तक फायरिंग। सरकार का अनुमान 379 लोग मारे गए थे, कुछ अन्य रिकॉर्ड कहते हैं, लगभग एक हजार मारे गए थे **जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव** • नरसंहार के अपराधी जनरल डायर को ब्रिटिश जनता द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया गया और इससे देश में सौम्य ब्रिटिश शासन के बारे में सभी भ्रम दूर हो गए। • इस नरसंहार की क्रूरता ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हिंसा के माहौल से अभिभूत गांधीजी ने 18 अप्रैल को आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी, जिसे इन्हें बोअर युद्ध (Boer War) के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था। • बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। • विंस्टन चर्चिल ने गोलीबारी की निंदा करते हुए इसे "राक्षसी" बताया। • जलियांवाला बाग ने ब्रिटिश न्याय में विश्वास को हिला दिया। भारत सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 1919 को पंजाब में हुई घटनाओं की जांच के लिए हंटर कमीशन कमेटी का गठन किया गया। ○ आयोग का उद्देश्य पंजाब में गड़बड़ी की जांच करना, कारण का पता लगाना और प्रभावों से निपटने के उपाय करना था ○ आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर की कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। • जलियांवाला बाग हत्याकांड ने औपनिवेशिक शासन के असाधारण कानूनों के खिलाफ प्रतिरोध की शुरुआत को चिह्नित किया। **भारत के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़** • यह घटना भारत के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिह्नित किया, जिसमें इसने भारत-ब्रिटिश संबंधों पर एक स्थायी छाप छोड़ा और महात्मा गांधी की भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता की प्रस्तावना थी। • अमृतसर नरसंहार के बाद गांधी को विश्वास हो गया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस अंत को प्राप्त करने के लिए, गांधी ने ब्रिटेन के दमनकारी शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के अपने पहले अभियान का आयोजन शुरू किया। • दिसंबर 1919 में, अमृतसर में कांग्रेस सत्र आयोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जिनमें किसान भी शामिल थे। • यह स्पष्ट था कि क्रूरता ने केवल आग में ईंधन को जोड़ा था और लोगों के दृढ़ संकल्प को अपनी स्वतंत्रता के लिए और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बनाया था। • नए क्रांतिकारी नेताओं की श्रृंखला ने हिंसा को उचित ठहराया और उसी के निष्पादन के लिए नए संगठनों को शुरू किया। **अन्य संबंधित तथ्य** **ऐसे अन्य नरसंहार या हत्याओं के उदाहरण (Jallianwala Bagh की समान पंक्तियों पर):** • 1942 लिडिस नरसंहार-द्वितीय विश्व युद्ध में, नाजी-कब्जे वाले चेकोस्लोवाकिया में, लिडिस नरसंहार लिडिस गांव का पूर्ण विनाश था, जो अब चेक गणराज्य में है। इसमें एडोल्फ हिटलर और हेनरिक हिमलर से आदेश पारित किए गए थे। • 1968 माई लाई नरसंहार (My Lai massacre) - माई लाई नरसंहार वियतनाम युद्ध के दौरान निहत्थे नागरिकों के खिलाफ किए गए हिंसा की सबसे भयावह घटनाओं में से एक था। अमेरिकी सेना के सैनिकों द्वारा कई निहत्थे लोग मारे गए थे।
महावीर जयंती	**संदर्भ :** यह त्योहार जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और भगवान महावीर की जयंती का

	प्रतीक है। • भगवान महावीर धरती पर रहने वालों में सबसे करिश्माई और प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। • अहिंसा, सच्चाई, ईमानदारी, निस्वार्थता और बलिदान के उनके संदेश कुसमय और सार्वभौमिक करुणा से भरे हुए हैं। उन्होंने सार्वभौमिक प्रेम के सुसमाचार (gospel) का प्रचार किया और इस बात पर जोर दिया कि पौधों और जानवरों सहित सभी जीवित प्राणी समान हैं और प्रेम एवं सम्मान के साथ व्यवहार करने के योग्य हैं। हमें भगवान महावीर के जीवन, उनकी तपस्या के अभ्यास, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर उनके प्रेम, सहिष्णुता और शांति के संदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए, विशेषकर अब, जब मानवता COVID-19 महामारी के साथ-साथ कुख्यात युद्ध (infamous war) प्रसार के एक भयानक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है। • भगवान महावीर का जन्म वर्तमान बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे और उनकी माता का नाम त्रिशला था। • महावीर 6 साल तक मकर गोशाला पुत्त से जुड़े रहे, लेकिन बाद में गंभीर दार्शनिक मतभेदों के कारण चले गए। • तब महावीर निग्रंथ संप्रदाय में शामिल हो गए, जबकि मकरी गोशाला पुत्त ने आजिविका धर्म की शुरुआत की। • महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। उनके नाम, गोत्र और निवासस्थान इस प्रकार हैं: • संबद्ध प्रतीक: सिंह जैन धर्म के तीन सिद्धांत, जिन्हें त्रिरत्न (तीन रत्न) भी कहा जाता है, हैं: • सही विश्वास • सही ज्ञान • सही आचरण **अन्य संबंधित तथ्य:** • महावीर के अनुसार, एक व्यक्ति पिछले जन्म में प्राप्त किए गए पापों या गुणों के परिणामस्वरूप उच्च या निम्न वर्ण में पैदा होता है। • हाथीगुम्फा शिलालेख से साबित होता है कि जैन धर्म उड़ीसा में आया और संभवत: महावीर की मृत्यु के 100 वर्षों के भीतर राज्य धर्म बन गया। • पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को सामूहिक रूप से चतुर्यमा (Chaturyama) के रूप में जाना जाता है। यह पार्श्वनाथ की "चौगुनी शिक्षा" है। • श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल प्रतिमा के निर्माण और अभिषेक के बाद से हर 12 वर्ष पर यहां महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता आ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण जैन त्योहार है। • जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है, जबकि बुद्ध महावीर से बड़े थे। • महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। • संघ के माध्यम से, महावीर ने अपनी शिक्षा का प्रसार किया जिसमें संगठित संघ में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। • जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं- श्वेतांबर (सफेद पहनावा) और दिगंबर (आकाश पहना हुआ)। • प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी जो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के दौरान श्वेतांबर के नेता थे। इसके परिणामस्वरूप खोए हुए 14 पूर्वाओं की जगह 12 अंग का संकलन हुआ। • द्वितीय परिषद - द्वितीय जैन परिषद 521 ई. में देवर्धी की अध्यक्षता में वल्लभी में आयोजित की गई थी। • तीर्थ क्या है? ○ तीर्थ एक धार्मिक तीर्थ स्थान है।

	○ भारत में किसी भी धर्म के अधिकांश तीर्थ नदियों के किनारे पर स्थित हैं। ○ तीर्थ का विचार मानव दुखों की नदी को पार करना है। ○ एक तीर्थंकर एक तीर्थ का संस्थापक होता है। वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है और फिर दूसरों को मार्ग दिखाता है। ○ एक तीर्थंकर अपने मानव जीवन के अंत में मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करता है।
डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर	भीमराव रामजी आम्बेडकर (14 अप्रैल, 1891 – 6 दिसंबर, 1956), डॉ॰ बाबासाहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय, भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, और समाजसुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आन्दोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दलितों) से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। • वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मन्त्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। • **जयंती:** 14 अप्रैल • **महापरिनिर्वाण दिवस:** अम्बेडकर की पुण्यतिथि • **प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है:** आधुनिक भारत का वास्तुकार • **उनकी आत्मकथा:** वेटिंग फॉर ए वीज़ा • **उनकी किताबें:** • **जाति का विनाश -** इसने हिंदू रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं और सामान्य रूप से जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, और इस विषय पर "गांधी की फटकार (rebuke of Gandhi) " शामिल की। • **शूद्र कौन थे? -** अम्बेडकर ने अछूतों के गठन को समझाने की कोशिश की। उन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों को अछूतों से अलग रूप में देखा, जो जाति व्यवस्था के अनुष्ठान पदानुक्रम (ritual hierarchy) में सबसे निचली जाति होते हैं। **भारतीय रिजर्व बैंक का संविधान** अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के जो विचार प्रस्तुत किए थे, उसके आधार पर अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गए थे, और वर्ष 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री थे, जब वे एक राजनीतिक नेता बने। उन्होंने अर्थशास्त्र पर तीन विद्वानों की पुस्तकें लिखीं: 1. ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त 2. ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास 3. रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान **अम्बेडकर और अस्पृश्यता** बंबई उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करते हुए, उन्होंने अछूतों को शिक्षा को बढ़ावा देने और उनका उत्थान करने का प्रयास किया। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था, साथ ही "बहिष्कृत" लोगो के कल्याण के लिए, जिन्हें दलित अधिकारों के रूप में संदर्भित किया गया था। **दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने पाँच पत्रिकाएँ शुरू कीं -** 1. मूकनायक (गूंगा नेता, 1920) 2. बहिष्कृत भारत (बहिष्कृत भारत, 1924) 3. समता (समानता, 1928) 4. जनता (द पीपल, 1930) 5. प्रबुद्ध भारत (प्रबुद्ध भारत, 1956) **मनुस्मृति दहन दिन:** 1927 के अंत में एक सम्मेलन में, अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव और "अस्पृश्यता" को वैचारिक रूप से उचित ठहराने के लिए सार्वजनिक रूप से क्लासिक हिंदू पाठ, मनुस्मृति (मनु के कानून) की निंदा की, और उन्होंने प्राचीन पाठ की प्रतियों को जला दिया। 25 दिसंबर 1927 को, उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाने के लिए हजारों अनुयायियों का नेतृत्व किया। इस प्रकार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर

को अम्बेडकरवादियों और दलितों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस (मनुस्मृति दहन दिवस) के रूप में मनाया जाता है।

कालाराम मंदिर आंदोलन: लगभग 15,000 स्वयंसेवक कलाराम मंदिर सत्याग्रह में इकट्ठे हुए, जो नासिक के सबसे बड़े जुलूसों में से एक है। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड और स्काउट्स के एक बैच द्वारा किया गया था; महिला और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प के साथ चले। जब वे द्वार पर पहुँचे, तो ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा द्वार बंद कर दिए गए।

पूना पैक्ट: 1932 में, अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पुरस्कार में "दलित वर्गों" के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के गठन की घोषणा की।

- गांधी ने अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का जमकर विरोध किया, उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू समुदाय को विभाजित कर देगी। गांधी ने पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में कैद रहते हुए अनशन का विरोध किया। अनशन के बाद, कांग्रेस के राजनेताओं और कार्यकर्ताओं जैसे मदन मोहन मालवीय और पलवणकर बल्लू ने येरवाड़ा में अंबेडकर और उनके समर्थकों के साथ संयुक्त बैठकें कीं।
- 25 सितंबर 1932 को, अम्बेडकर (हिंदुओं में दलित वर्गों की ओर से) और मदन मोहन मालवीय (अन्य हिंदुओं की ओर से) के बीच पूना समझौते के रूप में जाना जाने वाला समझौता हुआ। समझौते ने सामान्य निर्वाचक मंडल के भीतर अनंतिम विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें दीं।
- संधि के कारण दलित वर्ग को 71 के बजाय विधायिका में 148 सीटें मिलीं, जैसा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के तहत औपनिवेशिक सरकार द्वारा पहले प्रस्तावित सांप्रदायिक पुरस्कार में आवंटित किया गया था।
- इस पाठ में "डिप्रेस्ड क्लासेस" शब्द का इस्तेमाल हिंदुओं के बीच अछूतों को निरूपित करने के लिए किया गया था, जिन्हें बाद में भारत अधिनियम 1935 और बाद में 1950 के भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। पूना संधि में, एक एकीकृत मतदाता सैद्धांतिक रूप से गठित था, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक चुनावों ने अछूतों को अपने उम्मीदवार चुनने की अनुमति दी।

भारतीय संविधान के बारे में डॉ. अम्बेडकर के विचार

अम्बेडकर ने चेतावनी दी -

- राज्य और ग्राम पंचायतों की हिंदू परंपरा पर कोई लोकतांत्रिक संविधान नहीं बनाया जा सकता है।
- गांव क्या है, अम्बेडकर ने पूछा, लेकिन स्थानीयता का एक सिंक, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता की मांद?

सार्वभौमिक मान सेट करता है -

- संविधान एक नियामक दस्तावेज है, लेकिन इसके द्वारा समर्थित मूल्य सार्वभौमिक और 'पतले' हैं। वे आबादी के एक वर्ग की विश्वास प्रणाली को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, भले ही वह बहुमत में हो। न ही ये मूल्य अल्पसंख्यक समूहों की मूल्य प्रणालियों को खारिज करते हैं।

संवैधानिक नैतिकता पर -

- डॉ. अम्बेडकर ने संवैधानिक नैतिकता की बात की।
- उन्होंने कहा कि नागरिकों के मन में संविधान के प्रति गहरा सम्मान या प्रशंसा होगी जब वे संविधान के सच्चे इरादे को महसूस करेंगे जो उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जब वे महसूस करते हैं कि संविधान 'अच्छे' की पतली अवधारणा की रचना करता है जो बहुवचन और विविध लोगों को एक साथ रख सकता है।

लोकतंत्र भारत के संविधान के लिए केवल एक शीर्ष ड्रेसिंग है

- अम्बेडकर के लिए, लोकतंत्र केवल भारतीय भूमि पर एक शीर्ष ड्रेसिंग है जो अनिवार्य रूप से अप्राजातंत्रवादी (undemocratic) है।

	• यह संवैधानिक लोकतंत्र का संस्थागतकरण है जिसने भारतीयों के एक दूसरे के संबंध में और राज्य के संबंध में और अपने बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है। संविधान लोकतांत्रिक संवेदनाओं को विकसित करने में कामयाब रहा है और अधिक लोकतंत्र के लिए तरस (spark yearnings) रहा है, यह कम नहीं है। ***संघवाद की अवधारणा:*** इसका अर्थ था कि राज्य सामान्य स्थिति में एक संघ था, लेकिन आपातकाल में एकात्मक था। ***केंद्र को मजबूत बनाया गया :*** • संविधान के मसौदे में डॉ. अम्बेडकर ने केंद्र को और अधिक शक्तियां प्रदान कीं और मजबूत बनाया। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इस आधार पर उनकी आलोचना की चूंकि डॉ. अम्बेडकर ने कहा - प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और मूल्य एवं प्रत्येक प्रांत और गांव के विकास, केंद्र को मजबूत बनाने के लिए यह उनके हिस्से के विरोधाभासी था। • एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के प्रावधानों को सही ठहराते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि उन्होंने न केवल 'अल्पसंख्यकों को बहुमत के कुशासन से बचाने' के लिए केंद्र को मजबूत बनाया, "क्योंकि यह केवल केंद्र है जो एक सामान्य अंत के लिए और पूरे देश के सामान्य हितों के लिए काम कर सकता है।" ***अवसर की समानता:*** • सभी अधिकारों में, डॉ. अम्बेडकर ने "अवसर की समानता" को सबसे महत्वपूर्ण के रूप में देखा। • संवैधानिक उपचारों के संबंध में, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और उसके हृदय के रूप में वर्णित किया है। • उनके लिए मौलिक अधिकारों का अर्थ होगा हमारी सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए समानता और स्वतंत्रता की स्थापना, जो असमानताओं, भेदभावों से भरी हुई है, और अन्य जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष में है। ***राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत:*** • राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अपने नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व निहित थे। • ये निर्देश सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए थे जो एक लिखित संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों द्वारा सुरक्षित था। • डॉ. अम्बेडकर ने कहा: "जिन्हें निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, वे विधायिका और कार्यपालिका को निर्देश के साधनों का दूसरा नाम है ... कि उन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए।" ***संविधान, एक गतिशील दस्तावेज:*** संविधान एक गतिशील दस्तावेज है जिसे इसे राष्ट्र के विकास के साथ विकसित होना चाहिए और बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने संशोधन की आवश्यकता का आग्रह किया। ***संप्रभुता और आधिपत्य की अवधारणा:*** डॉ. अम्बेडकर की संप्रभुता और आधिपत्य एवं भारतीय राज्यों की अवधारणा, अर्थात देशी भारतीय रियासतों का एकीकरण, जिसने भारत के रैप को आकार दिया जैसे कि आज है, यह वास्तव में भविष्यवाणी की गई है। ***राष्ट्रीय एकता:*** संविधान के मसौदे में डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज को एकीकृत करने के लिए एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका और मौलिक कानूनों में एकरूपता निर्धारित की, जो न केवल जाति और वर्ग में, बल्कि क्षेत्रों, धर्मों, भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों में भी विभाजित थी। इसलिए, क्षेत्रीय अखंडता और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र अनिवार्य था। ***डॉ अम्बेडकर ने कहा -*** शक्ति एक चीज है, ज्ञान एक और चीज है। राष्ट्रों के भाग्य का फैसला करते समय, लोगों की मर्यादा, नेताओं की मर्यादा और पार्टियों के गणमान्य लोगों को कुछ भी नहीं गिना जाना चाहिए। देश की मर्यादा हर चीज में गिननी चाहिए। **नोट:** अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ अम्बेडकर **योजना (दलित)**

	1. **अंतर्जातीय विवाह की प्रथा को प्रोत्साहित करना -** भारतीय समाज का विकास और प्रगति तभी हो सकती है जब जाति असमानता के अभिशाप को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। 2. **पैसे से युवा जोड़ों की सहायता करना-** भारत में जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण अंतर-जाति का विकल्प चुनने वाले जोड़े आमतौर पर उनके परिवारों द्वारा त्याग दिए जाते हैं। उन्हें अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस अनुदान से इन जोड़ों को अब शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी का सामना करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 3. केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित - इस कल्याण योजना की सभी परिचालन गतिविधियों और वित्तीय आवश्यकताओं को केंद्र सरकार के खजाने के लिए पूरा किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्टार्ट या केंद्र शासित प्रदेश को पैसा भेजा जाएगा। 4. सभी जातियों में समानता लाना - इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी जातियों को एक समान जमीन देना है। इससे केंद्र सरकार सभी जातियों में समानता लाने में सक्षम होगी, जिससे जाति संबंधी पूर्वाग्रहों को समाप्त किया जा सकेगा।

ट्राई की स्पेक्ट्रम सिफारिशें (TRAI's spectrum recommendations)	**संदर्भ:** टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 5G एयरवेव्स के 3300-3670 MHz के लिए अखिल भारतीय आरक्षित कीमतों में 36% की कमी की सिफारिश गई है, यह प्राइस 492 करोड़/MHz से घटाकर 317 करोड़/MHz किया गया है। • ट्राई ((TRAI)) ने भी 2021 की नीलामी की तुलना में 700 MHz स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य में 40% की और कटौती की सिफारिश की है। उच्च आरक्षित कीमतों के कारण 2016 और 2021 की नीलामी में 700 MHz स्पेक्ट्रम नहीं बिका। • अन्य मौजूदा स्पेक्ट्रम बैंड (800 मेगाहर्ट्ज से 2500 मेगाहर्ट्ज) के लिए अखिल भारतीय आरक्षित मूल्य भी 2021 की नीलामी की तुलना में 24-49 प्रतिशत की सीमा में घटाया गया है। **स्पेक्ट्रम की कीमत पर ट्राई की सिफारिश कितनी महत्वपूर्ण ?** • सिफारिशें ने 5G सेवाओं को अपनाने के लिए भारत के लिए बॉल रोलिंग निर्धारित की। • 3300-3670 मेगाहर्ट्ज बैंड और 700 मेगाहर्ट्ज बैंड 5G सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। • भारत में 5G रोलआउट में देरी हुई है क्योंकि ऑपरेटर उच्च आरक्षित मूल्य के कारण नीलामी के अंतिम दौर में स्पेक्ट्रम नहीं खरीद सके। • इसलिए आरक्षित मूल्य में 36-40 प्रतिशत की कटौती से ऑपरेटरों को इस बार स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए आकर्षित करना चाहिए। **ट्राई के अन्य प्रस्ताव क्या हैं?** • ट्राई ने कैप्टिव प्राइवेट वायरलेस नेटवर्क (सीपीडब्ल्यूएन) चलाने के लिए उद्यमों को सरकार से स्पेक्ट्रम लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। • यह उद्यम संचार के लिए एक गेमचेंजर हो सकता है क्योंकि टीसीएस, टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां सीधे स्पेक्ट्रम ले सकती हैं और दूरसंचार ऑपरेटरों पर भरोसा किए बिना अपने नेटवर्क का प्रबंधन कर सकती हैं। • ट्राई ने सिफारिश की है कि व्यापक रूप से प्रचारित ऑनलाइन पोर्टल-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निजी नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम मांग पर प्रशासनिक रूप से सौंपा जा सकता है। • इसने उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने का भी प्रावधान किया है। यह देखते हुए महत्वपूर्ण है कि सुनील मित्तल की वनवेब और एलोन मस्क की स्टारलिंक सहित कई उपग्रह प्रतिनिधि भारत में सेवाएं शुरू करने के लिए तैयारी में हैं। **क्या इस बार नीलामी में मजबूत बोली लगेगी?** • स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए केवल दो मजबूत ऑपरेटर-एयरटेल और रिलायंस जियो मैदान में हैं। • समग्र नीलामी आरक्षित मूल्य पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि केवल दो प्रतिनिधि होने के अलावा, स्पेक्ट्रम की पर्याप्त आपूर्ति से अधिक है। • 2010 के विपरीत, जब सरकार ने सीमित मात्रा में स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए रखा था, इस बार नियामक ने नीलामी के लिए 1 लाख मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम का प्रस्ताव रखा है। • उम्मीद की जा रही है कि एयरटेल और जियो इन कीमतों पर 5G सेवाओं के लिए एयरवेव हासिल करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वोडाफोन आइडिया इसे कैसे वहन करेगी । • यदि वोडाफोन आइडिया अगले 2-3 महीनों में एक रणनीतिक निवेशक खोजने में सक्षम है तो चीजें बदल सकती हैं। **स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए ऑपरेटरों को कितना पैसा खर्च करना होगा?** • दूरसंचार नियामक द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य के आधार पर, ऑपरेटरों को अखिल भारतीय 5G स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कम से कम 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। • ऑपरेटरों की नजर 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड और 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम पर होगी, लेकिन

	पूर्व के अधिक अधिग्रहण की संभावना है क्योंकि इसकी कीमत 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड में 3,900 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज की तुलना में 320 करोड़ प्रति मेगाहर्ट्ज बहुत कम है। • किसी भी सार्थक 5G सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक ऑपरेटर को कम से कम 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि एक ऑपरेटर को 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड में अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम पाने के लिए कम से कम 32,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। • इसके अलावा, उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी, जहां कवरेज महत्वपूर्ण होगा। **उपभोक्ताओं के लिए यह सब क्या मायने रखता है?** • इस साल के अंत तक या 2023 की शुरुआत में उपभोक्ता 5G सेवाओं का अनुभव करने की उम्मीद कर सकते हैं। • यह वायरलेस ब्रॉडबैंड बाजार को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगा क्योंकि 5G उच्च गति और कम विलंब वाला नेटवर्क है, जो मनोरंजन और वीडियो स्ट्रीमिंग के अलावा टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं को सक्षम करेगा। • निजी उद्यम नेटवर्क और उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं के आगमन से एक ऐसे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसमें वर्तमान में केवल दो मजबूत प्रतिनिधि हैं। • इसलिए उपभोक्ताओं को खुदरा और उद्यम से उनकी संचार आवश्यकताओं के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। **निष्कर्ष** स्पेक्ट्रम के कीमत की कमी से सरकार कम से कम उपलब्ध स्पेक्ट्रम में से कुछ को बेच सकेगी। डिजिटल टूल्स और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के परिणामस्वरूप जो आर्थिक विकास होगा, वह वास्तविक लाभ होगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • 5G: बाधाएं और आगे की राह • संसदीय समिति और 5G • यूके ने हुआवेई पर दरवाजे बंद किये

कोलंबो शिखर सम्मेलन के बाद बिम्सटेक (BIMSTEC after the Colombo summit)	संदर्भ: हाल ही में क्षेत्रीय समूह का पांचवां शिखर सम्मेलन, बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) 30 मार्च को कोलंबो श्रीलंका) में आयोजित किया गया। **बिम्सटेक के बारे में** • यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा दो- म्याँमार व थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया से हैं। • यह उप-क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा (2022 में 25वीं वर्षगांठ) के माध्यम से अस्तित्व में आया। • दुनिया की 21.7 फीसदी आबादी और 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4%) के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ बिम्सटेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है। • बिम्सटेक का सचिवालय ढाका में है। **शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या थीं?** • बिम्सटेक चार्टर शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम था। यह बिम्सटेक को "कानूनी व्यक्तित्व" के साथ "एक अंतर-सरकारी संगठन" के रूप में प्रस्तुत करता है। ○ इसका एक प्रतीक है, इसका एक झंडा है। ○ इसका औपचारिक रूप से सूचीबद्ध उद्देश्य और सिद्धांत हैं जिनका वह पालन करता है। • समूह ने फिर से गठन किया और सहयोग के क्षेत्रों की संख्या को 14 से घटाकर अधिक प्रबंधनीय सात कर दिया। प्रत्येक सदस्य-राज्य एक क्षेत्र के लिए नेतृत्व के रूप में कार्य करेगा ○ व्यापार, निवेश और विकास (बांग्लादेश); ○ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन (भूटान); ○ सुरक्षा, ऊर्जा सहित (भारत); ○ कृषि और खाद्य सुरक्षा (म्यांमार); ○ लोगों से लोगों के बीच संपर्क(People-to-people contacts) (नेपाल); ○ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (श्रीलंका) ○ कनेक्टिविटी (थाईलैंड) • शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों ने 2018-2028 के लिए लागू परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान को अपनाया। इसमें 126 अरब डॉलर के कुल निवेश वाली 264 परियोजनाओं की सूची है। और 55 अरब डॉलर की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। • आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग, और एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना से संबंधित सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित तीन नए समझौते। • भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए (बिम्सटेक) सचिवालय को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। • संगठन ने हर दो साल में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया। **चुनौतियां** • वर्ष 2004 में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, बिम्सटेक इस लक्ष्य से बहुत दूर है। एफटीए के लिए आवश्यक सात घटक समझौतों में से अब तक केवल दो ही हुए हैं। • कनेक्टिविटी के विस्तार की आवश्यकता पर सभी ने जोर दिया, लेकिन जब तटीय नौवहन, सड़क

	परिवहन और अंतर-क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड कनेक्शन के लिए कानूनी साधनों को अंतिम रूप देने की बात आती है, तो बहुत काम अधूरा रह जाता है। • चूंकि सुरक्षा और आर्थिक विकास परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए दो स्तंभों के बीच एक समान संतुलन सुनिश्चित करना आवश्यक है। • थाइलैंड और भारत को म्यांमार के कार्यकलापों के प्रबंधन में तब तक होशियारी से काम लेना होगा जब तक कि वहां की राजनीतिक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। **आगे की राह** • बिम्सटेक को भविष्य में नए क्षेत्रों जैसे कि नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, और स्टार्ट-अप एवं एमएसएमई के बीच आदान-प्रदान तथा लिंक को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। • राजनीतिक नेतृत्व के व्यक्तिगत जुड़ाव को बढ़ाया जाना चाहिए। • मध्य अवधि में, एक वार्षिक शिखर सम्मेलन का लक्ष्य होना चाहिए, जिसके कार्यक्रम में एक अनौपचारिक वापसी शामिल हो। • बिम्सटेक को अधिक दृश्यता की आवश्यकता है। वर्ष 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की भारत की बारी एक अवसर प्रस्तुत करती है। शायद इसके सभी सदस्यों को G20 शिखर सम्मेलन में अध्यक्ष के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाया। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • म्यांमार राजनीतिक संकट • म्यांमार तख्तापलट • सार्क को पुनः प्राप्त करना
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता	**संदर्भ:** भारत-ऑस्ट्रेलिया FTA वार्ता पहली बार वर्ष 2011 में शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 2015 में उन्हें निलंबित कर दिया गया था क्योंकि भारत में डेयरी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा उदारीकरण जैसे मुद्दों पर बातचीत रुकी हुई थी। • सितंबर 2021 में यह वार्ता फिर से शुरू हुई, और इस बार रिकॉर्ड समय में चीजें पूरी हो गईं और समझौते पर सिर्फ छह महीने में हस्ताक्षर किए गए। **द्विपक्षीय व्यापार के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए कितना महत्वपूर्ण है?** • भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए एक दशक से अधिक समय के बाद विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। • इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार को एक बड़ा धक्का मिलने की उम्मीद है क्योंकि यह न केवल बड़ी संख्या में सामानों पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा बल्कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी प्रतिबंधों के अलावा व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं जैसे गैर-टैरिफ बाधाओं को भी दूर करेगा। • सरकारी अनुमानों के अनुसार, पांच वर्षों में सामान का व्यापार लगभग दोगुना होकर 50 अरब डॉलर होने की संभावना है, जो वर्तमान में लगभग 27 अरब डॉलर है। • चूंकि भारत किसी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, इसलिए भारत के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह बेहतर मार्किट (preferential market) हिस्सेदारी से न चूके और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करे। • भारत को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए यूके, कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे अन्य विकसित देशों को सकारात्मक संकेत देगा, जो पहले से ही नई दिल्ली के साथ इसी तरह के समझौते के लिए बातचीत की टेबल पर हैं। इससे पता चलता है कि भारत का मतलब व्यापार है और अगर एक संतुलित सौदा होता है तो वह इस तरह के समझौतों को तेजी से पूरा करने के लिए

तैयार है।

क्या टैरिफ में कमी दोनों पक्षों के लिए पर्याप्त है?

- भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए टैरिफ कटौती के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं के साथ एक महत्वाकांक्षी समझौता है।
- ऑस्ट्रेलिया समझौते के कार्यान्वयन के पहले दिन भारतीय निर्यात के 96.4 प्रतिशत मूल्य (टैरिफ लाइनों का 98 प्रतिशत) के लिए शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान करेगा।
- कई श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यात, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 4-5 प्रतिशत के आयात शुल्क का सामना कर रहे हैं, तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच से लाभान्वित होंगे।
    - इनमें अधिकांश वस्त्र और परिधान, कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते, फर्नीचर और खेल के सामान, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और चयनित फार्मास्यूटिकल्स तथा चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।
- शेष 113 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ, जो भारत के निर्यात का 3.6 प्रतिशत है, को पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।
- ऑस्ट्रेलिया को भारत में काफी बाजार पहुंच हासिल होगी और ऑस्ट्रेलिया के सामान के निर्यात के 85 प्रतिशत से अधिक पर टैरिफ को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, यह 10 वर्षों में लगभग 91 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।
    - ऊन, भेड़ का मांस, कोयला, एल्यूमिना, धात्विक अयस्क और महत्वपूर्ण खनिजों जैसी वस्तुओं पर टैरिफ जल्द ही शून्य कर दिया जाएगा।
    - एवोकाडो (avocados), प्याज, चेरी, शेल्ड पिस्ता, मैकाडामिया, काजू इन-शेल, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी और किशमिश जैसे अन्य उत्पादों पर अगले कुछ वर्षों में टैरिफ समाप्त कर दिए जायेंगे।
    - ऑस्ट्रेलियाई वाइन पर आयात शुल्क भी कम किया जाएगा, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया है।

क्या कृषि और डेयरी क्षेत्रों के संबंध में भारत की संवेदनशीलता पर ध्यान दिया गया है?

- चना, अखरोट, पिस्ता, गेहूं, चावल, बाजरा, सेब, सूरजमुखी का तेल और चीनी जैसी सबसे संवेदनशील कृषि वस्तुओं को छोड़कर, भारत एफटीए के तहत किसी भी टैरिफ कटौती से अपने डेयरी क्षेत्र को पूरी तरह से बचाने में कामयाब रहा है।
- बहिष्करण सूची में अन्य आइटम, जहां कोई रियायत नहीं दी गई है, उनमें चांदी, प्लेटिनम, आभूषण, लौह अयस्क और अधिकांश चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।

सेवाओं के लिए क्या प्रावधान हैं?

- दोनों देशों ने पेशेवर सेवा निकायों के बीच पेशेवर योग्यता, लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रियाओं की मान्यता को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया है।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या गणित (एसटीईएम), और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रों में प्रथम श्रेणी के स्नातक की डिग्री वाले भारतीय छात्र के ठहरने की अवधि को दो से तीन वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी।
- ऑस्ट्रेलिया देश में कामकाजी छुट्टियों में भाग लेने के लिए युवा भारतीयों के लिए नई पहुंच भी प्रदान करेगा।

क्या भविष्य में इस समझौते को और गहरा करने की कोई योजना है?

- हाँ, दोनों पक्ष जुड़ाव को गहरा करना चाहते हैं और एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की दिशा में काम करना चाहते हैं।
- यह सहमति हुई है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के 75 दिनों के भीतर, एक वार्ता उपसमिति

	(subcommittee) वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच के लिए अन्य क्षेत्रों, एक डिजिटल व्यापार अध्याय और FTA को एक CECA में बदलने के लिए एक सरकारी खरीद अध्याय सहित मुद्दों पर बातचीत शुरू करेगी। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीईपीए • पश्चिमी क्वाड • क्वाड (भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान-अमेरिका) • औकुस
इंडोनेशिया का पाम ऑयल संकट	**संदर्भ:** किसी भी देश के लिए यह कठिन होता है कि किसी उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक एक ही उत्पाद की घरेलू कमी का अनुभव करता है - इतना कि उसकी सरकार को शिपमेंट पर मूल्य नियंत्रण और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। **इंडोनेशिया और पाम ऑयल क्षेत्र** • यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए इंडोनेशिया का पाम तेल उत्पादन 45.5 मिलियन टन (mt) होगा। • यह कुल वैश्विक उत्पादन का तक़रीबन 60% है और अगले बड़े उत्पादक: मलेशिया (18.7 मिलियन टन) से बहुत आगे है। • इंडोनेशिया 29 मिलियन टन के साथ पाम ऑयल का दुनिया का नंबर 1 निर्यातक भी है। इसके बाद मलेशिया (16.22 मिलियन टन) का स्थान है। **इंडोनेशिया में हालिया संकट** • देश ने मार्च 2021 और मार्च 2022 के बीच ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की घरेलू कीमतें लगभग 14,000 इंडोनेशियाई रुपिया से 22,000 इंडोनेशियाई रुपिया प्रति लीटर तक रही हैं। • 1 फरवरी को, इंडोनेशियाई सरकार ने खुदरा कीमतों पर एक सीलिंग लगाई। • होर्डिंग और उपभोक्ताओं की एक या दो पैक लेने के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने की खबरों के बीच, कीमतों की सीमा ने सुपरमार्केट की अलमारियों से उत्पाद गायब कर दिया (14,000 आईडीआर $ 1 या 74 रुपये से कम है)। • घरेलू मूल्य नियंत्रणों के अलावा, सरकार ने निर्यातकों के लिए अपने नियोजित शिपमेंट का 20% घरेलू बाजार में पूर्व-निर्धारित कीमतों पर बेचना अनिवार्य कर दिया है। कोई इस पहेली की व्याख्या कैसे कर सकता है – उपभोक्ता उस वस्तु के लिए नाक के माध्यम से भुगतान करने या भुगतान करने में असमर्थ हैं जिसमें उनका देश प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है? **दो संभावित कारण हैं-** • सबसे पहले अन्य खाना पकाने के तेलों, विशेष रूप से सूरजमुखी और सोयाबीन में आपूर्ति में व्यवधान - मानव निर्मित और प्राकृतिक - करना पड़ता है। • यूक्रेन और रूस मिलकर सूरजमुखी के तेल के वैश्विक व्यापार का लगभग 80% हिस्सा लेते हैं, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के ताड़ के 90% हिस्से के बराबर है। • 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण, जो जारी है, के परिणामस्वरूप बंदरगाह बंद हो गए हैं और निर्यातक काला सागर शिपिंग मार्गों से परहेज कर रहे हैं। • रूस के खिलाफ प्रतिबंधों ने पाम (49.63 मिलियन टन) और सोयाबीन (12.39 मिलियन टन) के बाद सूरजमुखी तेल, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला वनस्पति तेल (12.17 मिलियन टन, 2021-22 के लिए यूएसडीए के अनुमान के अनुसार) में व्यापार को और कम कर दिया है। • सूरजमुखी और सोयाबीन में आपूर्ति की जकड़न - क्रमशः युद्ध और सूखे से, क्रमशः – ताड़ के तेल में फैल गई है। • दूसरा कारक पेट्रोलियम से जुड़ा है, विशेष रूप से जैव-ईंधन के रूप में ताड़ के तेल का उपयोग।

	○ वर्ष 2020 से इंडोनेशियाई सरकार ने, जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की योजना के तहत ताड़ के तेल के साथ डीजल का 30% सम्मिश्रण अनिवार्य कर दिया है। ○ ताड़ के तेल का तेजी से बायो-डीजल के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे घरेलू खाना पकाने के तेल और निर्यात बाजार दोनों के लिए कम मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। ○ यूक्रेनी युद्ध के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों के सख्त होने के साथ इस तरह का मोड़ और अधिक आकर्षक हो गया है - 8 मार्च को $ 127.98 प्रति बैरल के उच्च स्तर पर और $100 से अधिक के स्तर पर ऊंचा रहने के लिए। **भारत पर प्रभाव** • भारत विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है। 14-15 मिलियन टन के वार्षिक आयात में से, शेर का हिस्सा (lion's share) ताड़ के तेल (8-9 मिलियन टन) का है, उसके बाद सोयाबीन (3-3.5 मिलियन टन) और सूरजमुखी (2.5) का है। • इंडोनेशिया पाम तेल का भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहा है, हालांकि यह 2021-22 में मलेशिया से आगे निकल गया था। • भारत को इंडोनेशिया से आपूर्ति कम करने की आदत डालनी होगी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से मास्को का निलंबन (Moscow's suspension from U.N. Human Rights Council)	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर करने के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में आपातकालीन मतदान किया गया। रूस को बाहर करने के पक्ष में 93 देशों ने मतदान किया, जबकि विपक्ष में सिर्फ 24 वोट पड़े। वहीं, भारत सहित 58 देश अनुपस्थित रहे। 47 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर करने को लेकर अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया था। मतदान के बाद रूस का मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है। • प्रस्ताव उन देशों के एक समूह द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसमें यूक्रेन, यू.एस., यूरोपीय संघ, कई लैटिन अमेरिकी देश शामिल थे और उन्हें अभिग्रहण लेने के लिए उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। • अनुपस्थित रहने वालों की गिनती 'वर्तमान और मतदान करने वालों' की संख्या में नहीं होती है। भारत "पदार्थ और प्रक्रिया" के कारणों से दूर रहा। • जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद से एक सदस्य राज्य को केवल 2011 में निलंबित किया गया था • एचआरसी संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जिसमें 47 राज्य शामिल हैं, जो खुद को "दुनिया भर में सभी मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार" के रूप में वर्णित करता है। देश तीन साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। **क्या दिया गया कारण और रूस की प्रतिक्रिया?** • उत्तरी यूक्रेन के एक शहर बुचा की गलियों में शव मिलने के बाद रूस को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जहां से रूसी सैनिक वापस जाते समय नरसंहार किये थे। • मानवाधिकार के उच्चायुक्त के कार्यालय के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में कम से कम 1,611 नागरिक मारे गए हैं और 2,227 घायल हुए हैं। • रूस ने दावा किया है कि यह "बनावटी और नकली" घटनाएं है। **निलंबन का क्या महत्व है?** • जब रूस ने आक्रमण शुरू किया, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि "विशेष सैन्य अभियान" का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन का "विसैन्यीकरण और विमुद्रीकरण" था। • रूस द्वारा शुरू किए गए तीन मोर्चों के युद्ध को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट था कि मास्को अपने वास्तविक उद्देश्यों को जल्दी से पूरा करना चाहता था। लेकिन यूक्रेन के उग्र प्रतिरोध ने, विशेष रूप से उत्तर में, संघर्ष के माहौल को बदल दिया है, जो अब यूक्रेन के पूर्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए, युद्ध की तरह दिखता है। • हालांकि, रूस इन नुकसानों के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। • जबकि सच्चाई को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में स्वतंत्र जांच में स्थापित किया जाना चाहिए, इसमें

	कोई संदेह नहीं है कि नागरिकों को निशाना बनाया गया था। **आगे की राह** • अब, यूक्रेन और रूस दोनों ही कठिन परिस्थितियों में हैं। पश्चिम से सैन्य और वित्तीय सहायता के साथ यूक्रेनियन, उत्तर में पीछे हट गए हैं, लेकिन पूर्व और दक्षिण में क्षेत्रों को खो दिया है। • शक्ति असंतुलन को देखते हुए, यह संभावना नहीं है कि यूक्रेन खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर सकता है। • ऐसा लगता है कि रूस अब युद्ध के मैदान में फंस गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय आलोचना उसके युद्ध आचरण पर बढ़ रही है। • सभी पक्षों के सर्वोत्तम हित में शत्रुता की समाप्ति और इस्तांबुल वार्ता के साथ एक राजनयिक समाधान शुरू करना है। • नागरिकों की हत्याओं की जांच समानांतर होनी चाहिए और राजनयिक प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतारना चाहिए। **इस्तांबुल वार्ता में क्या शामिल था?** इस्तांबुल वार्ता ने शांति की राह दिखाई थी। यूक्रेनी प्रस्तावों के अनुसार, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहमति व्यक्त की है • बहुपक्षीय सुरक्षा आश्वासनों के एवज में तटस्थता स्वीकार करना। • क्रीमिया के लिए 15 साल की परामर्श अवधि के लिए तैयार है, जिसे रूस ने 2014 में शामिल किया था, और • श्री पुतिन के साथ एक शिखर सम्मेलन में स्व-घोषित डोनेट्स्क और लुहान्स्क गणराज्यों की स्थिति पर चर्चा करना। यह इस्तांबुल के प्रस्तावों के बाद था कि रूसियों ने उत्तर से अपनी वापसी की घोषणा की। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बुचा शहर की हत्याओं ने शांति प्रक्रिया को धूमिल कर दिया है। **निष्कर्ष** • रूस को शत्रुता समाप्त करने के लिए और अधिक स्पष्ट कार्रवाइयों के साथ अपने शब्दों का पालन करना चाहिए। युद्ध ने अपनी अर्थव्यवस्था और एक महान शक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, जबकि यूक्रेन में काफी नुकसान और विनाश हुआ है। • संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मास्को को सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि उसे इस युद्ध को बंद करना चाहिए और तुरंत कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • यूक्रेन संकट पर भारत और यूएनएससी वोट • रूस-यूक्रेन युद्ध और खाद्य संकट
श्रीलंका में आर्थिक संकट	**संदर्भ:** श्रीलंका इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी कतारें, आवश्यक वस्तुओं की कम आपूर्ति और बिजली की लंबी कटौती के कारण जनता महीनों से परेशान है। पिछले हफ्ते सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके कारण राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ, और बाद में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा द्वीप राष्ट्र में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। • उसके बाद के दिनों में, राष्ट्रपति ने उनके भाई और वित्त मंत्री तुलसी राजपक्षे को उनके पद से हटा दिया गया। • जनता की परेशानी का सामना करते हुए, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। • 5 अप्रैल को, शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद नए वित्त मंत्री अली साबरी ने इस्तीफा दे दिया। • राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसद में अपना बहुमत खो दिया क्योंकि आपातकाल की स्थिति लागू होने के बाद पहली बार 5 तारीख को कार्यवाही शुरू हुई थी। • देशव्यापी विरोध की पृष्ठभूमि में कम से कम 41 सांसदों ने गठबंधन से बाहर कर दिया। **गंभीर आर्थिक संकट पैदा करने वाले कारक:**

- महामारी के कारण नौकरी छूट गई और आय में कमी आई। पर्यटन के साथ-साथ निर्यात और प्रेषण जैसे सभी प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया गया।
- **घटती विदेशी मुद्रा भंडार:** वर्ष 2021 के अंत तक देश का विदेशी भंडार घटकर 1.6 बिलियन डॉलर हो जाने से एक संप्रभु चूक की आशंका बढ़ गई। लेकिन श्रीलंका अपना विदेशी कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड रखने में कामयाब रहा।
- **सरकार की निष्क्रियता:** इस संकट का जवाब देने के लिए एक व्यापक रणनीति की कमी, कुछ नीतिगत निर्णयों के साथ-साथ सरकार के अचानक जैविक खेती को व्यापक रूप से "दुर्भावनापूर्ण" माना जाने वाला स्विच, समस्या को और बढ़ा दिया।
- **श्रीलंका का उर्वरक प्रतिबंध:** वर्ष 2021 में, सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा कर यह घोषित किया गया था कि श्रीलंका रातोंरात 100% जैविक खेती वाला देश बन जाएगा।
- **शट डाउन:** गारमेंट फैक्ट्रियां और चाय बागान काम नहीं कर सके, क्योंकि क्लस्टरों में कोरोना वायरस फैल गया था।
- **ईंधन की कमी:** श्रीलंका को भी पांच घंटे तक चलने वाली बिजली ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि थर्मल जनरेटर में ईंधनखत्म हो गया।
- **खाद्य संग्रह:** सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए आपातकालीन नियमों की घोषणा की। इसने डॉलर बचाने के लिए व्यापक आयात प्रतिबंध लगाए जिसके परिणामस्वरूप बाजार में अनियमितताएं हुईं और जमाखोरी की सूचना मिली।
- **डाउनग्रेडेड रेटिंग:** तीन अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने पिछले साल के अंत से इस द्वीप को डाउनग्रेड कर दिया है, इस डर से कि यह अपने $51 बिलियन के सॉवरेन ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- **तेजी से बढ़ता कर्ज:** कर्ज का मुद्दा वर्ष 2020 में शुरू नहीं हुआ था। वर्ष 2009 में जातीय युद्ध की समाप्ति के बाद से, श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था।

इस संकट से मिली सीख :

- उधार को सीमित करने के लिए घरेलू कर राजस्व को बढ़ाना और सरकारी खर्च को कम करना सबसे अच्छा होगा, विशेष रूप से बाहरी स्रोतों से सरकारी उधारी पर।
- इस प्रकार, उच्च गुणवत्ता वाले राजस्व उपायों, आयकर बढ़ाने के आधार पर महत्वाकांक्षी वित्तीय समेकन की आवश्यकता है।
- आवश्यक वस्तुओं के आयात पर देश की भारी निर्भरता को कम किया जाना चाहिए जैसे चीनी, फार्मास्यूटिकल्स, ईंधन, दालें और अनाज ने संकट को और बढ़ा दिया।

भारत की प्रतिक्रिया

हाल ही में भारत ने श्रीलंका को अपने सबसे खराब विदेशी मुद्रा बीओपी संकट के माध्यम से सहायता करने के लिए $1 बिलियन की ऋण सुविधा प्रदान की और इसे भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद में सक्षम बनाया।

निष्कर्ष

- कोलंबो के घरेलू मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से दूर रहते हुए अपनी जन-केंद्रित विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- हालांकि, श्रीलंका के साथ 'पड़ोसी पहले' नीति को पोषित करना भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अन्य संबंधित तथ्य

क्रेडिट सुविधा क्या है?

- यह सुविधा एक प्रकार का ऋण है।
- यह उधार लेने वाले पक्ष को हर बार धन की आवश्यकता होने पर ऋण के लिए पुन: आवेदन करने के बजाय विस्तारित अवधि में धन निकालने की अनुमति देता है।

लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) क्या है?

	• लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) एक पूर्व निर्धारित उधार सीमा है जिसे किसी भी समय टैप किया जा सकता है। • उधारकर्ता जरूरत के अनुसार पैसे निकाल सकता है जब तक कि सीमा पूरी नहीं हो जाती है, और जैसे ही पैसा चुकाया जाता है, क्रेडिट की एक खुली लाइन के मामले में इसे फिर से उधार लिया जा सकता है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?** श्रीलंका यहां कैसे पहुंचा? इस पैमाने के संकट की वजह क्या है और इस भयानक स्थिति से निकलने का क्या रास्ता है?
भारत और यूके: एक नई विरासत का निर्माण	**संदर्भ:** जैसा कि भारत एक 'अग्रणी शक्ति' के रूप में विकसित वैश्विक व्यवस्था में खुद के लिए एक नई भूमिका चाहता है और यूके अपनी विदेश नीति को ब्रेक्सिट के बाद पुनर्गठित करता है, भारत-यू.के. संबंध को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। **यूक्रेन संकट और भारत-ब्रिटेन संबंधों पर इसका प्रभाव** • ब्रिटेन ने रूसी आक्रमण का मुकाबला करने और रूस पर वैश्विक रणनीतिक निर्भरता को कम करने पर जोर दिया है। • ब्रिटेन ने आक्रमणकारियों (जैसे रूस) को रोकने के लिए एकजुट होकर काम करने वाले लोकतंत्रों के महत्व को रेखांकित किया है। • हालांकि, भारत ने ब्रिटेन (और यूएसए) के दबावों के आगे झुके बिना अपनी सरजमीं पर खड़ा किया है और रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखा है। **भारत-ब्रिटेन के बढ़ते संबंध** • 4 मई, 2021 को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का निष्कर्ष। समझौते ने भारत-यू.के. के लिए वर्ष 2030 के लिए रोडमैप भी स्थापित किया। इस संबंध का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। • एक नए संयुक्त साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की घोषणा की जानी है, जिसका उद्देश्य भारत और यू.के. में ऑनलाइन बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है क्योंकि दोनों पक्ष साइबर अपराधियों और रैंसमवेयर के खतरों से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास करने का प्रयास किया हैं। • भारत और यू.के. ने पहली सामरिक तकनीकी वार्ता आयोजित करने की भी योजना बनाई है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन है। • यूके और भारत समुद्री क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं क्योंकि यूके भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होगा और समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर एक प्रमुख भागीदार बन जाएगा। • भारत, भारत-प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के लिए बाजार हिस्सेदारी और रक्षा दोनों के लिहाज से एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है, जैसा कि वर्ष 2015 में भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर द्वारा रेखांकित किया गया था। • यू.के. ने भारत में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को समर्थन देने के लिए ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय निवेश निधि के £70 मिलियन की भी पुष्टि की है, जो अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा। • जनवरी 2022 में, भारत और यू.के. पहले दौर की निःशुल्क व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने में सफल रहे। इनके द्वारा वर्ष 2022 तक एक प्रारंभिक फसल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। • सहयोग के नए क्षेत्र - अर्थात्, फिनटेक, बाजार विनियमन, सतत और हरित वित्त, और साइबर सुरक्षा इस जुड़ाव के नए मोर्चे के रूप में उभरे हैं। • दोनों देशों में शीर्ष नेतृत्व एक स्थायी साझेदारी के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रक्रिया में पाकिस्तान जैसे पुराने मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता में हाशिए पर आ गए हैं। **निष्कर्ष** • नई भू-राजनीतिक वास्तविकताएं लंदन और नई दिल्ली से एक नई रणनीतिक दृष्टि की मांग करती

	हैं, जो इस क्षण को ग्रहण कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहिए। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीईपीए • क्वाड (भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान-अमेरिका) • औकुस • भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीईपीए • पश्चिमी क्वाड
सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम (Weapons of Mass Destruction Act)	**संदर्भ:** लोकसभा ने सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 5 अप्रैल, 2022 पारित किया है। • 2005 के अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले दिन पारित किया गया। **मूल WMD अधिनियम का उद्देश्य क्या था?** • WMD और उनके वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम जुलाई 2005 में अस्तित्व में आया। • यह अधिनियम गैरकानूनी निर्माण, परिवहन, या WMD (रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार) और उनके वितरण के साधनों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। • यह इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड की स्थापना की जैसे कि कम से कम पांच साल की अवधि के लिए कारावास और साथ में जुर्माना। • यह अधिनियम 2004 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1540 द्वारा लागू एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए पारित किया गया था। **यूएनएससीआर 1540 क्या है?** • अप्रैल 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के कृत्यों को करने के लिए WMD सामग्री, उपकरण या प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने वाले गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors) के बढ़ते खतरे को दूर करने के लिए संकल्प 1540 को अपनाया। • अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इस चुनौती का समाधान करने के लिए, यूएनएससीआर 1540 ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी दायित्वों की स्थापना की। • राष्ट्रों को डब्ल्यूएमडी के प्रसार, उनके वितरण के साधनों और गैर-राज्य अभिनेताओं से संबंधित सामग्री के खिलाफ प्रभावी उपाय करने और लागू करने के लिए अनिवार्य किया गया था। • UNSCR 1540 ने राष्ट्र के राज्यों पर तीन प्राथमिक दायित्वों को लागू किया - ○ WMD, संबंधित सामग्री, या उनके वितरण के साधनों को प्राप्त करने के इच्छुक गैर-राज्य अभिनेताओं को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करना; ○ इनके द्वारा ऐसी वस्तुओं के कब्जे और अधिग्रहण को अपराधी बनाने वाले कानूनों को अपनाने और लागू करने के लिए; ○ प्रासंगिक सामग्रियों पर घरेलू नियंत्रणों को अपनाना और लागू करना, ताकि उनके प्रसार को रोका जा सके। • भारत को शुरू में यूएनएससीआर द्वारा अनिवार्य कानूनों को अधिनियमित करने में आपत्ति थी। हालाँकि, WMD आतंकवाद के खतरे को देखते हुए, जिसका भारत अपने पड़ोस में सामना करता है, इसने प्रस्ताव का समर्थन किया और 2005 अधिनियम को अधिनियमित किया। **संशोधन ने मौजूदा अधिनियम में क्या जोड़ा है?** • संशोधन में WMD और उनकी समक्ष प्रणालियों से संबंधित किसी भी गतिविधि के वित्तपोषण के निषेध को शामिल करने के दायरे का विस्तार किया गया है। • इस तरह के वित्तपोषण को रोकने के लिए, केंद्र सरकार के पास संदिग्ध व्यक्तियों के धन, वित्तीय संपत्ति, या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, जब्त करने या संलग्न करने की शक्ति होगी (चाहे स्वामित्व, धारित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित)।

यह संशोधन क्यों आवश्यक था?

- यूएनएससीआर 1540 इसके कार्यान्वयन की सफलता का निर्धारण करने और प्रवर्तन में कमियों की पहचान करने के लिए समय-समय पर समीक्षा करता है।
- वर्ष 2016 में की गई ऐसी ही एक समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में तेजी से प्रगति के कारण गैर-राज्य अभिनेताओं के प्रसार का जोखिम बढ़ रहा है। वर्ष 2022 के विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का बयान उसी की प्रतिध्वनि है।
- दो विशिष्ट कमियों को दूर किया जा रहा है -
    - पहला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित संगठनों, जैसे कि वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स ने WMD गतिविधियों के वित्तपोषण पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया है, भारत के अपने कानून को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के साथ संरेखित करने के लिए सामंजस्य स्थापित किया गया है।
    - दूसरे, प्रौद्योगिकियों में प्रगति के साथ, नए प्रकार के खतरे (ड्रोन, बायोमेडिकल लैब में अनधिकृत उपयोग) सामने आए हैं जिन्हें मौजूदा कानून में पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया गया था। इसलिए, संशोधन उभरते खतरों के साथ तालमेल बिठाता है।

भारत को और क्या करना चाहिए?

- इस अप्रसार (non-proliferation) पर भारत के जिम्मेदार व्यवहार और कार्रवाइयों को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।
- इसकी एक मजबूत वैधानिक राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली है और यह WMD के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
    - इसमें ट्रांजिट और ट्रांस-शिपमेंट कंट्रोल, रीट्रांसफर कंट्रोल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंट्रोल, ब्रोकिंग कंट्रोल और एंड-यूज (end-use) आधारित कंट्रोल शामिल हैं।
- प्रत्येक बार जब भारत नए दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपने विधायी, नियामक और प्रवर्तन ढांचे का प्रदर्शन करना चाहिए।
- घरेलू स्तर पर, इस संशोधन को उद्योग और अन्य हितधारकों को नए प्रावधानों के तहत अपने दायित्वों का एहसास कराने के लिए उचित आउटरीच उपायों के माध्यम से लागू करना होगा।
- यह भी आवश्यक है कि भारत डब्ल्यूएमडी सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय फोकस में रखे। इस खुशी के लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि जिन देशों के पास डब्ल्यूएमडी तकनीक नहीं है, उन्हें वैश्विक नियंत्रण प्रणाली में कमजोर कड़ियों को रोकने के लिए नियंत्रण ढांचे में अपनी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाना होगा।
- हालांकि, विदेश मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि इस तरह की संभावनाएं कम हैं क्योंकि संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान विशिष्टताओं की एक लंबी सूची पर आधारित होगी।

इन कानूनों का अंतरराष्ट्रीय महत्व क्या है? इसमें भारत के लिए क्या है?

- गैर-राज्य अभिनेताओं की बदलती रणनीति को ध्यान में रखते हुए घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय उपायों को तेज और संशोधनों के अनुकूल होना चाहिए।
- विधानों और उनके कार्यान्वयन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने से वैश्विक WMD नियंत्रणों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम नियंत्रणों को सुगम बनाना और उन्हें घरेलू स्तर पर अपनाना भारत के हित में है।
- अब अपने स्वयं के कानून को अद्यतन करने के बाद, भारत दूसरों की मांग कर सकता है, विशेष रूप से अपने पड़ोस में उन लोगों से, जिनका प्रसार और आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का इतिहास है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना:

- परमाणु अप्रसार संधि की स्थिति
- परमाणु हथियारों की दौड़

	• भारत-अमेरिका परमाणु समझौता • औकस और भारत • परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और भारत
नेपाल की विदेशी मुद्रा चुनौतियां	**संदर्भ:** एक असामान्य विकास में, नेपाल सरकार ने अपने केंद्रीय बैंक के प्रमुख को संवेदनशील जानकारी लीक करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर दिया। • नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) की स्वायत्तता का उल्लंघन करने वाला निर्णय, नेपाल के गिरते विदेशी मुद्रा भंडार के संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री और एनआरबी प्रमुख के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में लिया गया था। • यह बताया गया था कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च में 18.5% घटकर $9.58 बिलियन हो गया है, जो जुलाई 2021 में 11.75 बिलियन डॉलर था। वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार केवल अगले सात महीनों के लिए सरकार के आयात बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। **स्थिति कितनी खराब है?** • नेपाल की अर्थव्यवस्था आयात पर अत्यधिक निर्भर है क्योंकि देश ईंधन के अलावा कई प्रकार के व्यापारिक सामान खरीदता है। • नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अभी सही दिखाई दे रही है, क्योंकि श्रीलंका की तरह इस देश पर विदेशी ऋण का बोझ नहीं है। • हालांकि, चिंताएं हैं कि निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था को बाहरी कारकों द्वारा बार-बार पस्त किया जा रहा है और इससे जल्द ही संकट पैदा हो सकता है। • नेपाल जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण दक्षिण एशिया में सबसे बेहतरीन पर्यटन क्षेत्रों में से एक है, वैश्विक पर्यटक प्रवाह में गिरावट में कमी COVID-19 महामारी के दौरान हताहत हुआ। • इसके बाद रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट आया। इसने अर्थव्यवस्था पर असाधारण मुद्रास्फीति का दबाव डाला है। ○ यह उम्मीद की जाती है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो जून/जुलाई 2022 तक नेपाल में दो अंकों की मुद्रास्फीति आ जाएगी क्योंकि मुद्रास्फीति की वर्तमान दर 7.14% है। • सभी आर्थिक संकेतक घट रहे हैं और विदेशी मुद्रा भंडार में वास्तविक कमी विदेशी प्रेषण में गिरावट के कारण है जो महामारी के दौरान हुई जब विदेशों में नेपाली कार्यबल को नौकरी का नुकसान हुआ। • स्थिति स्थिर नहीं हुई है और नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी है। मौजूदा कमजोर आर्थिक संकेतकों का मतलब है कि नेपाल अपने विदेशी मुद्रा भंडार से जितनी तेजी से खर्च कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से खर्च कर रहा है। • नेपाल के पास केवल सात महीनों में माल खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा है। यह अच्छा नहीं है क्योंकि नेपाल में भी प्रमुख साझेदारों के साथ व्यापार संकट का संतुलन है। **क्या नेपाल में ऊर्जा परिदृश्य आर्थिक संकट बढ़ा सकता है?** • नेपाल का ऊर्जा प्राथमिक आपूर्तिकर्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) है। नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन (एनओसी) हर महीने 8 और 23 तारीख को दो किस्तों में आईओसी का भुगतान करता है। • एनओसी महीनों से संकट में है क्योंकि उच्च वैश्विक कीमतों ने कंपनी की बचत को कम कर दिया है, जिससे उसे लाइफलाइन के लिए सरकार से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया है। • नेपाल सरकार आईओसी से आपूर्ति जारी रखने के लिए आवश्यक राशि एनओसी को प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है। फिलहाल एनओसी को अगली किस्त के लिए आईओसी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। • हालांकि, एनओसी की वित्तीय स्थिति इसे बैंकों के लिए आकर्षित नही (unattractive) बनाती है और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को बाजार में विश्वास नहीं है।

	• विश्व में वर्तमान ऊर्जा संकट के प्रभाव से अनापत्ति प्रमाण पत्र की रक्षा करने की आवश्यकता है जो यूक्रेन संकट के बाद उत्पन्न हुआ है। • नेपाल के इतिहास से पता चलता है कि ईंधन के संबंध में कोई भी अनिश्चितता गंभीर आंतरिक समस्याओं को जन्म दे सकती है जैसा कि वर्ष 2015-16 की नाकाबंदी के दौरान हुआ था जब भारत से ईंधन की आपूर्ति बाधित होने से नेपाल में संकट पैदा हो गया था। **क्या आगामी चुनावों पर आर्थिक स्थिति का असर पड़ेगा?** • नेपाल में 13 मई को स्थानीय स्तर के चुनाव होंगे जिसके बाद वर्ष 2022 के अंत में आम चुनाव होंगे। • इस चुनाव प्रक्रिया के लिए काफी वित्तीय आवंटन की आवश्यकता होती है और नेपाल को अतीत में यूएसएआईडी जैसे अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं से चुनावों के लिए समर्थन मिला है। • ये दानदाता चुनाव पूर्व स्टाफ प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स को पूरा करने में मदद करते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। • लेकिन इस तरह के अंतरराष्ट्रीय समर्थन के बारे में अनिश्चितताएं हैं क्योंकि अधिकांश पारंपरिक भागीदारों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। • नेपाल के चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया के लिए कम से कम 10 अरब नेपाली रुपये की आवश्यकता होगी और इसका मतलब होगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • श्रीलंका आर्थिक संकट • भारत-नेपाल सीमा विवाद: कालापानी और लिपुलेख • भारत-नेपाल संबंधों को रीसेट करने की आवश्यकता है
यू.के.- रवांडा शरण योजना (U.K.-Rwanda asylum plan)	**संदर्भ:** 2018 के बाद से, शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो फ्रांस में कैलिस और इंग्लैंड में डोवर के बीच खतरनाक क्रॉसिंग करते हैं। इसने रूढ़िवादी यूके सरकार के लिए अप्रवास संकट का कारण बना दिया है। • ऐसे व्यक्तियों की संख्या 2018 में 297 से बढ़कर 2021 में 28,431 हो गई। ऐसे अधिकांश प्रवासी और शरण चाहने वाले सूडान, अफगानिस्तान और यमन जैसे युद्धग्रस्त देशों या ईरान और इराक जैसे विकासशील देशों से आते हैं। **अप्रैल 2022 में यूके-रवांडा डील पर क्या हस्ताक्षर किए गए हैं?** • इस सौदे के तहत, रवांडा शरण चाहने वालों को लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा, जो 1 जनवरी, 2022 को या उसके बाद यूके, "अवैध रूप से सुगम और गैरकानूनी सीमा पार प्रवास" का उपयोग कर रहा है। • रवांडा होल्डिंग सेंटर के रूप में कार्य करेगा जहां शरण आवेदक प्रतीक्षा करेंगे जबकि रवांडा सरकार रवांडा में उनकी शरण और पुनर्वास याचिकाओं के बारे में निर्णय लेती है। • यूके सरकार के अनुसार, सौदे के लिए तर्क, "लोगों के तस्करों" से मुकाबला करना है, जो अक्सर कमजोर प्रवासियों से फ्रांस से इंग्लैंड के लिए अयोग्य नावों पर रखने के लिए अत्यधिक कीमत वसूलते हैं जो अक्सर बड़े पैमाने पर डूबने का कारण बनते हैं। • रवांडा, अपनी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति को समायोजित करेगा जो नाबालिग नहीं है और जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। • यूके में एक प्रवासी को अपील प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पांच दिनों का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर उन्हें रवांडा के लिए एकतरफा टिकट दिया जाएगा और रवांडा सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। • सौदा "अनकैप्ड" है, यानी, इस बात की कोई ऊपरी सीमा नहीं है कि पांच साल के लिए कितने प्रवासियों को रवांडा भेजा जाएगा कि सौदा यथावत रहेगा। • यू.के. रवांडा को "आर्थिक परिवर्तन और एकीकरण निधि" के हिस्से के रूप में £120 मिलियन

	का भुगतान करेगा और प्रत्येक प्रवासी के लिए परिचालन लागत भी वहन करेगा। ○ वर्तमान में, यूके लगभग 25,000 शरण चाहने वालों को समायोजित करने के लिए प्रति दिन £4.7 मिलियन का भुगतान करता है। 2021 के अंत में, यह सालाना 430 मिलियन पाउंड था, जिसमें 2022 में 100 मिलियन पाउंड की अनुमानित वृद्धि हुई थी। **सौदे की आलोचनाएं क्या हैं?** • रवांडा डील में ऐसे प्रवासियों की मेजबानी को किसी तीसरे देश में आउटसोर्स करके यूके की लागत को कम करने की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि, विपक्ष का तर्क है कि इस तरह की लागतों का बोझ अंततः ब्रिटिश करदाता पर पड़ेगा। • यह सौदा काम करने के आर्थिक अधिकार, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच या रवांडा सरकार द्वारा स्थानांतरित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली किसी भी वित्तीय सहायता की रूपरेखा नहीं देता है। • यह स्पष्ट नहीं है कि रवांडा डील से अवैध क्रॉसिंग की समस्या का समाधान होगा या नहीं। इसी तरह के अनुभवों के साक्ष्य इंगित करते हैं कि ऐसी नीतियां "लोगों की तस्करी" का पूरी तरह से मुकाबला नहीं करती हैं। • जो लोग पहले से ही असुरक्षित समुद्र-पार करने का प्रयास करते हैं, वे हिरासत में अधिक उजागर और कमजोर हो जाएंगे। • रवांडा में उल्लेखनीय मानवाधिकार रिकॉर्ड नहीं है। सरकार के आलोचकों को चुप करा दिया गया है या जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, रवांडा की इज़राइल के साथ इसी तरह की ऑफशोरिंग डील वर्ष 2019 में रद्द कर दी गई थी। • रवांडा डील एक ऐसा साधन है जो निश्चित रूप से रवांडा सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा। यह यूके में अप्रवासी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रिटिश मुद्दे को एक कम विकसित राष्ट्र में स्थानांतरित करता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • म्यांमार शरणार्थी संकट पर आईसीजे का फैसला • भारत की शरणार्थी समस्या
कुरील द्वीप विवाद: रूस और जापान	**संदर्भ:** ऐसा लगता है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने कुछ अन्य विवादों को सामने लाया है जो रूस के पश्चिम के सहयोगियों के साथ है। • 22 अप्रैल को, 2022 के लिए जापान की नई डिप्लोमैटिक ब्लूबुक ने कुरील द्वीप समूह (जिसे जापान उत्तरी क्षेत्र और रूस को दक्षिण कुरील कहता है) को रूस के "अवैध कब्जे" के रूप में वर्णित किया। • लगभग दो दशकों में यह पहली बार है जब जापान ने कुरील द्वीप समूह पर विवाद का वर्णन करने के लिए इस वाक्यांश का उपयोग किया है। जापान 2003 से नरम भाषा का प्रयोग कर रहा था, कह रहा था कि द्वीपों पर विवाद रूस-जापान द्विपक्षीय संबंधों में सबसे बड़ी चिंता थी।

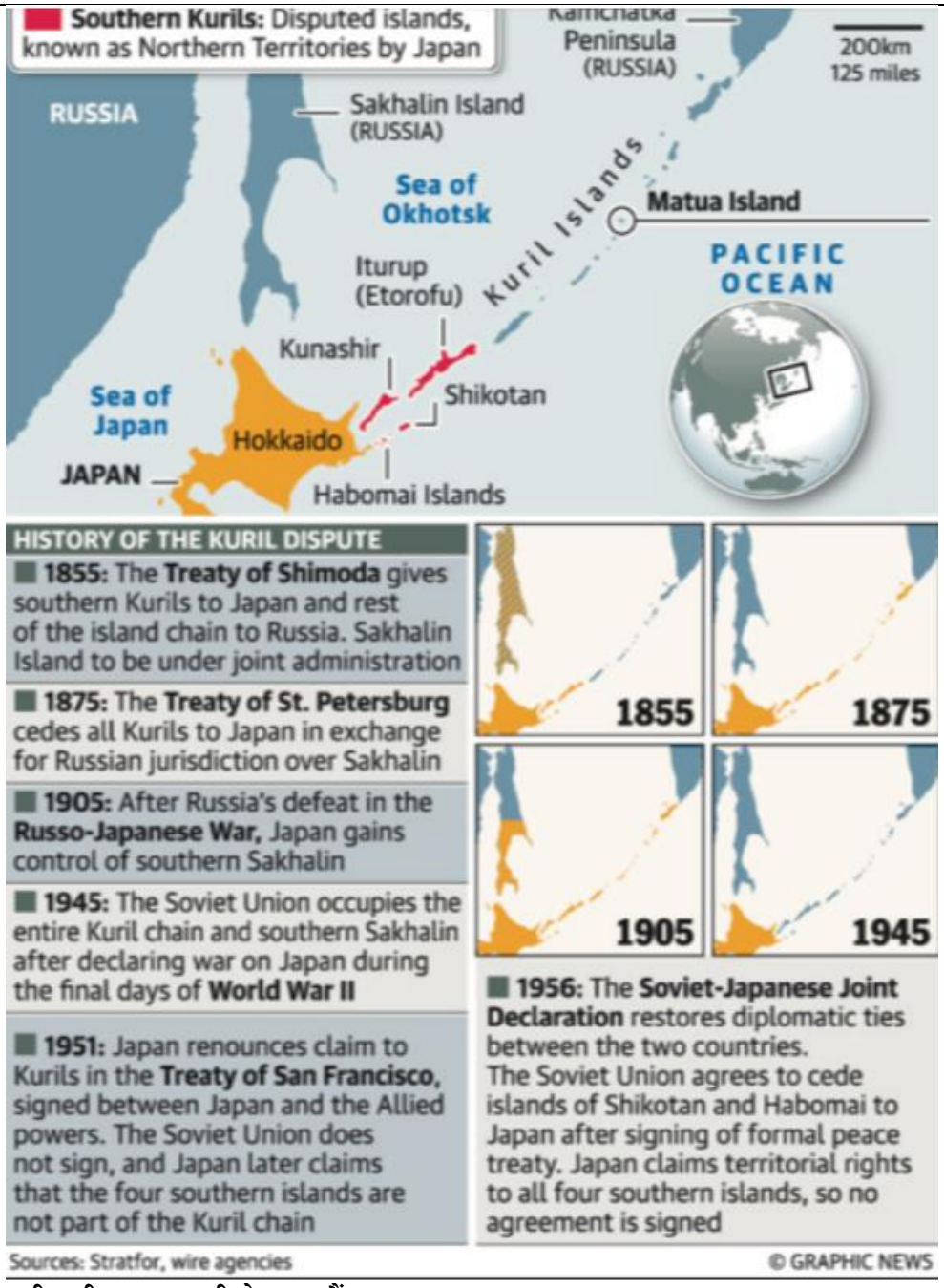

कुरील द्वीप समूह/उत्तरी क्षेत्र क्या हैं?

- ये चार द्वीपों का एक समूह है जो जापान के सबसे उत्तरी प्रान्त, होक्काइडो के उत्तर में ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।
- मॉस्को और टोक्यो दोनों अपने ऊपर संप्रभुता का दावा करते हैं, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से द्वीप रूसी नियंत्रण में हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ ने द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और 1949 तक अपने जापानी निवासियों को निष्कासित कर दिया था।
- टोक्यो का दावा है कि 19वीं सदी की शुरुआत से विवादित द्वीप जापान का हिस्सा रहे हैं।

विवाद के पीछे क्या है?

- टोक्यो के अनुसार, द्वीपों पर जापान की संप्रभुता की पुष्टि कई संधियों द्वारा की जाती है जैसे-
    - 1855 की शिमोडा संधि
    - कुरील द्वीप समूह के लिए सखालिन के आदान-प्रदान के लिए 1875 की संधि (सेंट पीटर्सबर्ग की संधि)

- 1905 की पोर्ट्समाउथ संधि पर 1904-05 के रूस-जापानी युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे जापान ने जीत लिया था।

- दूसरी ओर, रूस याल्टा समझौते (1945) और पॉट्सडैम घोषणा (1945) को अपनी संप्रभुता के प्रमाण के रूप में दावा करता है और तर्क देता है कि 1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि कानूनी सबूत है कि जापान ने द्वीपों पर रूसी संप्रभुता को स्वीकार किया था।
    - संधि के अनुच्छेद 2 के तहत, जापान ने "कुरील द्वीप समूह के सभी अधिकार, शीर्षक और दावे को त्याग दिया था।"
- हालांकि, जापान का तर्क है कि सैन फ्रांसिस्को संधि का उपयोग यहां नहीं किया जा सकता क्योंकि सोवियत संघ ने कभी शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। जापान ने यह मानने से भी इंकार कर दिया कि चार विवादित द्वीप वास्तव में कुरील श्रृंखला का हिस्सा थे।
- वास्तव में, जापान और रूस तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध में हैं क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- 1956 में, जापानी प्रधानमंत्री इचिरो हातोयामा की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि शांति संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद चार में से दो द्वीप जापान को वापस कर दिए जाएंगे।
- हालांकि, लगातार मतभेदों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया, और दोनों देशों ने जापान-सोवियत संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल किया।
- सोवियत संघ ने बाद में अपनी स्थिति सख्त कर ली, यहां तक कि यह मानने से भी इनकार कर दिया कि जापान के साथ एक क्षेत्रीय विवाद मौजूद है।
- 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव की जापान यात्रा के दौरान ही यूएसएसआर ने माना कि द्वीप एक क्षेत्रीय विवाद का विषय थे।

क्या समाधान के प्रयास हुए हैं?

- 1991 के बाद से, विवाद को सुलझाने और शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के कई प्रयास हुए हैं। सबसे हालिया प्रयास प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अधीन था जब विवादित द्वीपों के संयुक्त आर्थिक विकास का पता लगाया गया था।
- वास्तव में, दोनों देश 1956 के जापान-सोवियत संयुक्त घोषणा के आधार पर द्विपक्षीय वार्ता करने पर सहमत हुए थे।
- 1956 की घोषणा के अनुसार शांति संधि के समापन के बाद रूस जापान को दो द्वीप, शिकोटन द्वीप और हाबोमई द्वीपसमूह वापस देने के लिए तैयार था।
- रूस के साथ संबंध सुधारने के जापान के प्रयास ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता से प्रेरित थे और रूस अपने खरीदारों की बास्केट में विविधता लाने और विदेशी निवेश लाने की आवश्यकता से प्रेरित था।
- लेकिन दोनों पक्षों की राष्ट्रवादी भावनाओं ने विवाद के समाधान को रोक दिया।

आगे की राह

- यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के तुरंत बाद, जापान ने रूस के साथ अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी और उसके विदेश मंत्री ने कहा कि रूस ने कुरील द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से पर "कब्जा" कर लिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है।
- जापान रूसी आक्रमण की निंदा करने और उसे प्रतिबंधों के साथ दंडित करने में पश्चिमी सहयोगियों के सबसे दृढ़ सहयोगियों में से एक रहा है।
- अपनी डिप्लोमैटिक ब्लूबुक में 22 अप्रैल का बयान दोनों देशों के बीच संबंधों को और नुकसान पहुंचाएगा। जापान शायद रूस-चीन गठबंधन के अपने डर से प्रेरित हुआ है क्योंकि जापान के पास ही क्षेत्रीय विवाद हैं और चीन के साथ एक असहज इतिहास है।
- दूसरे, जापान ने शायद महसूस किया होगा कि रूस को और अलग-थलग करने और उसे

	अंतरराष्ट्रीय कानून के "आदतन अपराधी" के रूप में चित्रित करने का यह एक अच्छा अवसर है। • अंत में, टोक्यो को इस स्थिति को लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है क्योंकि उसे लगता है कि यूक्रेन पर आक्रमण साबित करता है कि कुरील द्वीप समूह को वापस पाना एक खोया हुआ कारण है। • कुरील द्वीप समूह पर जापान की नीति में बदलाव से रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध खराब होंगे, जबकि इसके दो पड़ोसियों, चीन और रूस के एक साथ आने की संभावना बढ़ जाएगी। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • रूस-यूक्रेन संकट
यूरोपीय संघ डिजिटल सेवा अधिनियम	**संदर्भ:** हाल ही में यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने घोषणा की है कि वे डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA), 2022 पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुंँच गए हैं। यह बड़ी इंटरनेट कंपनियों को गलत सूचना, अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने और "इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं सुरक्षा प्रदान करने" के संदर्भ में एक ऐतिहासिक कानून है। • प्रस्तावित अधिनियम यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए) के साथ मिलकर काम करेगा जिसे मार्च 2022 में अनुमोदित किया गया था। **डीएसए के प्रमुख प्रावधान** प्लेटफॉर्म को यह तय करने के बजाय कि अपमानजनक या अवैध सामग्री से कैसे निपटना है, डीएसए इन कंपनियों के पालन के लिये विशिष्ट नियम और दायित्व निर्धारित करेगा। • **सामग्री को तीव्रता से हटाना:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बिचौलियों जैसे- फेसबुक, गूगल, यूट्यूब आदि को अवैध या हानिकारक सामग्री को "तीव्रता के साथ हटाने के लिये नई प्रक्रियाओं" को शामिल करना होगा। • **सूचित किये गए निर्णय:** इसके अलावा, इन प्लेटफार्मों को सामग्री को हटाने पर अपनी नीति को स्पष्ट करना होगा; उपयोगकर्ता इन टेकडाउन को भी चुनौती दे सकेंगे। • **अवैध सामग्री को फ़्लैग करना:** उपयोगकर्ताओं को अवैध सामग्री को फ़्लैग करने में मदद करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म के पास एक स्पष्ट तंत्र की आवश्यकता होगी। • **प्रणालीगत विश्लेषण:** डीएसए "बहुत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं के लिए उनके द्वारा पैदा किए गए प्रणालीगत जोखिमों का विश्लेषण करने और जोखिम में कमी विश्लेषण करने के लिए एक दायित्व" जोड़ता है। गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए यह ऑडिट हर साल करना होगा। • **स्वतंत्र शोधकर्त्ता:** अधिनियम इन जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिये अध्ययन हेतु स्वतंत्र रूप से जाँच करने वाले शोधकर्त्ताओं को इन प्लेटफॉर्मों से सार्वजनिक डेटा तक पहुंँच प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है। • **डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध:** डीएसए 'डार्क पैटर्न' या "भ्रामक इंटरफेस" पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है जो उपयोगकर्ताओं को कुछ ऐसा करने के लिए धोखा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसके लिए वे अन्यथा सहमत नहीं होंगे। इसमें ज़बरदस्ती पॉप-अप पेज, किसी विशेष पसंद को अधिक प्रमुखता देना आदि शामिल हैं। • **संकट तंत्र:** DSA में एक नया खंड संकट तंत्र शामिल है, यह रूस-यूक्रेन संघर्ष को संदर्भित करता है, जिसे "राष्ट्रीय डिजिटल सेवा समन्वयकों के बोर्ड की सिफारिश पर आयोग द्वारा सक्रिय" किया जाएगा। हालाँकि ये विशेष उपाय केवल तीन महीने के लिये ही लागू होंगे। • **पारदर्शिता:** यह "उपयोगकर्त्ताओं को सामग्री या उत्पादों की सिफारिश करने के लिये उपयोग किये जाने वाले एल्गोरिदम सहित विभिन्न मुद्दों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेतु पारदर्शिता उपायों" का भी प्रस्ताव करता है। • **नाबालिगों की सुरक्षा:** कानून नाबालिगों के लिए मजबूत सुरक्षा का प्रस्ताव करता है, और इसका उद्देश्य उनके व्यक्तिगत डेटा के आधार पर लक्षित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना है। • **उपभोक्ता सुविधा:** अंत में, यह कहता है कि सदस्यता रद्द करना सदस्यता लेने जितना आसान

	होना चाहिए। • **दंडात्मक प्रावधान:** इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है - कंपनी के वैश्विक वार्षिक कारोबार का 6% जितना अधिक। **क्या इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब किसी भी गैरकानूनी सामग्री के लिए उत्तरदायी होंगे?** • यह स्पष्ट किया गया है कि प्लेटफॉर्म और अन्य मध्यस्थ उपयोगकर्ताओं के गैरकानूनी व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसलिए उनके पास अभी भी कुछ अर्थों में 'सुरक्षित बंदरगाह' है। • हालांकि, यदि प्लेटफ़ॉर्म "अवैध कृत्यों के बारे में जानते हैं और उन्हें हटाने में विफल रहते हैं," तो वे उपयोगकर्ता के इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी होंगे। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • ईयू का डिजिटल मार्केट एक्ट (डीएमए) • बिग टेक का प्रभुत्व • नया सोशल मीडिया कोड • ऑस्ट्रेलिया का समाचार मीडिया सौदेबाजी कोड
गैस आपूर्ति के साथ रूस का जुआ (Russia's gamble with Gas Supplies)	**संदर्भ:** रूसी ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने रूबल में भुगतान करने में विफलता का हवाला देते हुए बुल्गारिया और पोलैंड को गैस की आपूर्ति रोक दी है। • पोलैंड और बुल्गारिया ने रूस पर अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसके अनुसार भुगतान यूरो और डॉलर में ही किया जाना था। • मार्च के अंत में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए थे कि 1 अप्रैल से "असभ्य विदेशी खरीदारों" को रूबल में गैस की आपूर्ति के लिए भुगतान करना होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि चूक के परिणामस्वरूप अनुबंधों को निलंबित कर दिया जाएगा। **गैस आपूर्ति बंद होने से पोलैंड और बुल्गारिया पर क्या असर पड़ेगा?** • गैस कटौती ने दोनों देशों को तुरंत किसी भीषण संकट में नहीं डाला। • पोलैंड और बुल्गारिया दोनों में रूसी गैस की डिलीवरी वैसे भी इस साल के अंत में समाप्त होने की उम्मीद थी। • पोलैंड, जो अपनी 40% प्राकृतिक गैस रूस से प्राप्त करता है, कई वर्षों से विकल्पों पर काम कर रहा है। • हालांकि, तत्काल परिदृश्य में, इसे गज़प्रोम (रूस) से प्राप्त होने वाली पाँच बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का नुकसान होगा। यह संभवतः जर्मनी से आपूर्ति के साथ इसकी भरपाई करेगा। • बुल्गारिया, जो अपनी प्राकृतिक गैस का 77% रूस से प्राप्त करता है, के लिए एक बड़ी समस्या है। जबकि इसके ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि देश के पास एक और महीने के लिए पर्याप्त भंडार है, उसे तत्काल विकल्प तलाशने की जरूरत है, ग्रीस से पाइपलाइनों के माध्यम से अतिरिक्त आपूर्ति एक अलग संभावना है। **रूस ने इस कदम से पोलैंड और बुल्गारिया को क्यों निशाना बनाया है?** • पोलैंड यूक्रेन को सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार रहा है। इसने हाल ही में यह भी पुष्टि की कि वह यूक्रेन को टैंक भेजेगा। • गज़प्रोम की कार्रवाई से कुछ ही घंटे पहले, इसने कंपनी और अन्य रूसी व्यवसायों और कुलीन वर्गों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। • जहां तक बुल्गारिया का सवाल है, पिछले साल एक नई उदार सरकार के सत्ता में आने के बाद, इसने रूस के साथ अपने कई पुराने संबंधों को तोड़ दिया है। इसने न केवल रूस के खिलाफ पश्चिम के प्रतिबंधों का समर्थन किया है, इसने अपने काला सागर तट पर एक नई नाटो चौकी पर पश्चिमी लड़ाकू विमानों की मेजबानी भी की है। ○ बुल्गारिया गैर-नाटो हथियारों का भी एक प्रमुख उत्पादक है जिसे वह यूक्रेन भेजने पर विचार कर रहा है।

क्या अन्य देश भी इसी तरह के ठहराव से प्रभावित होंगे?

- रूस यूरोप के 23 देशों को पाइपलाइनों के माध्यम से गैस की आपूर्ति करता है।
- यूरोपीय संघ के सदस्यों में, अब तक केवल हंगरी ने आधिकारिक तौर पर रूबल भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है, बाकी ने मांग को अस्वीकार कर दिया है।
- हालांकि, भले ही कोई अन्य देश रूस के रूबल भुगतान तंत्र से सहमत न हो, कम से कम मई की दूसरी छमाही तक आपूर्ति में कोई और कटौती नहीं होगी, जब भुगतान की अगली किश्त देय होगी।
- इस बीच, चार यूरोपीय खरीदारों ने पहले ही रूबल में गैस भुगतान करना शुरू कर दिया है, जबकि 10 यूरोपीय कंपनियों ने रूबल भुगतान करने के लिए गज़प्रॉमबैंक के साथ खाते खोले हैं।

यूरोपीय संघ, पोलैंड और बुल्गारिया ने गैस आपूर्ति निलंबन पर कैसे प्रतिक्रिया दी है?

- 27-सदस्यीय यूरोपीय संघ ने रूस के निर्णय को "ब्लैकमेल" के रूप में वर्णित किया है और मास्को पर यूक्रेन के समर्थन के लिए पश्चिम को विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।

यदि रूस अधिक देशों को गैस की आपूर्ति बंद कर दे तो क्या हो सकता है?

- यूरोप की प्राकृतिक गैस केवल तीन स्रोतों से आती है:
  - रूस
  - नॉर्वे
  - अल्जीरिया
- यूक्रेन के आक्रमण तक, यूरोप के गैस आयात में रूस का हिस्सा लगभग 40% था।
- जबकि रूसी गैस पर निर्भरता अलग-अलग देशों में भिन्न होती है - फिनलैंड के लिए 94% से लेकर नीदरलैंड के लिए 11% तक - इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपूर्ति में व्यवधान मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा और आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाएगा, ऊर्जा राशनिंग की मजबूत संभावनाओं के साथ और यहां तक कि महाद्वीप के औद्योगिक बिजलीघर, जर्मनी में एक बड़ी मंदी।

रूसी गैस पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति क्या रही है?

- यूरोप के ऊर्जा मिश्रण में तेल (43%), प्राकृतिक गैस (24%), परमाणु ऊर्जा (14%), और जलविद्युत (4%) शामिल हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा जैसे पवन और सौर शेष हैं।
- जलवायु परिवर्तन के साथ यूरोप में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा, कोयला - जिसमें महाद्वीप पर प्रचुर मात्रा में भंडार हैं - टेबल से बाहर है, और परमाणु ऊर्जा के लिए सार्वजनिक शत्रुता को देखते हुए, यूरोपीय संघ के पास प्राकृतिक गैस के साथ ऊर्जा के सबसे स्वच्छ स्रोत के रूप में छोड़ दिया गया है।
- इसलिए, अल्पावधि के लिए, यूरोपीय संघ 80-90% क्षमता पर अपनी गैस भंडारण सुविधाओं पर टैंक करके आने वाली सर्दियों की ताप आवश्यकताओं के लिए तैयारी कर रहा है और नॉर्वे तथा उत्तरी अफ्रीका से पाइप गैस के साथ जितना संभव हो सके रूसी आपूर्ति को प्रतिस्थापित कर रहा है।
- लेकिन ये रूसी निर्भरता को शून्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।
- इसलिए, लंबी अवधि की रणनीति यू.एस. और मध्य पूर्व से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात पर केंद्रित है।

क्या यूरोप के लिए रूसी प्राकृतिक गैस से एलएनजी में गुज़रना (transition) संभव होगा?

- यह कठिन चुनौती होगी, मुख्यतः क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन आसान और सस्ता है।
- एलएनजी को बड़े पैमाने पर सुविधाओं और कंटेनर जहाजों की आवश्यकता होती है जिनके लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। और फिर भी, पिछले एक दशक में, यूरोपीय संघ ने अपने एलएनजी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, कई बड़े टर्मिनलों का निर्माण किया है।
- फिर भी, कंटेनर जहाजों द्वारा यू.एस. से ले जाया गया एलएनजी पाइपलाइन के माध्यम से प्राप्त

	रूसी गैस की तुलना में बहुत अधिक महंगा होगा। • अमेरिकी एलएनजी के साथ रूसी गैस की जगह रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने का मतलब औसत यूरोपीय उपभोक्ता के लिए उच्च कीमतों का मतलब होगा, जो वर्तमान में सस्ती रूसी गैस का प्राथमिक लाभार्थी है। **गैस निलंबन रूस को कैसे प्रभावित करेगा?** • पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को आपूर्ति बंद कर एक जुआ खेला है। • रूसी अर्थव्यवस्था भारी मात्रा में गैस के निर्यात पर निर्भर है, जिसका 40% राजस्व इससे प्राप्त होता है। • यदि यह कदम अधिक यूरोपीय संघ के देशों को गैस के लिए रूबल में भुगतान करने के लिए मजबूर करता है, तो यह इसकी मुद्रा को बढ़ाने में मदद करेगा और इसकी मंजूरी-प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए कुछ राहत प्रदान करेगा। • लेकिन साथ ही, यह उल्टा भी पड़ सकता है, अगर यह यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा 'साझेदारी' के विघटन को तेज करता है। • चूंकि विभिन्न बाजारों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस को फिर से भेजना मुश्किल है, रूस, जिसके पास विस्तृत भंडारण बुनियादी संरचना नहीं है, खरीदारों के लिए खुद को बेताब महसूस हो सकता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** • रूस-यूक्रेन गतिरोध • रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव, तेल से परे • भारत और यूएनएससी ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर मतदान किया • यूक्रेन संकट और अर्थव्यवस्था • भारत-रूस सैन्य गठबंधन

प्रैक्टिस MCQs

Q.1 वन्नियार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़े और समेकित पिछड़े समुदायों में से एक है?

a) कर्नाटक
b) तमिलनाडु
c) आंध्र प्रदेश
d) दोनों 1 और 2

Q.2 इरावदी डॉल्फ़िन की IUCN स्थिति क्या है?

a) लुप्तप्राय
b) गंभीर खतरे
c) सुभेद्य (Vulnerable)
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.3 चिल्का झील कहाँ स्थित है?

a) राजस्थान
b) असम
c) उड़ीसा
d) दिल्ली

Q.4 प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
b) वित्त मत्रांलय
c) वाणिज्य मंत्रालय
d) शहरी मामलों के मंत्रालय

Q.5 'तल्ली-बिड्डा' एक्सप्रेस, जिसे हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) गर्भवती महिलाओं
b) माताओं
c) शिशुओं
d) ऊपर के सभी

Q.6 ओलिव रिडले कछुए की IUCN स्थिति क्या है?

a) संकटग्रस्त
b) दुर्लभ
c) थ्रीटेनेड Threatened
d) सुभेद्य (Vulnerable)

Q.7 MANDAPS निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

a) मिसाइल
b) गुजरात का सांस्कृतिक उत्सव
c) भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा सेवाएं
d) कोविड -19 टीकाकरण बूथ

Q.8 भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) पर हस्ताक्षर किए हैं?

a) अमेरीका
b) ऑस्ट्रेलिया
c) चीन
d) रूस

Q.9 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है?

a) अनुच्छेद 124
b) अनुच्छेद 217
c) अनुच्छेद 224
d) ऊपर के सभी

Q.10 आईपीसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा 1988 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
2. UNFCCC का मुख्य उद्देश्य ओजोन रिक्तीकरण को रोकना है।

निम्नलिखित में से कौन सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.11 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है।
2. यह दोषी, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों के संग्रह, भंडारण और विश्लेषण की अनुमति देता है।

निम्नलिखित में से कौन सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नया सवेरा का उद्देश्य छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसियों के छात्रों/उम्मीदवारों को तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है।
2. नई उड़ान योजना के तहत, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को सहायता प्रदान की जाती है।

निम्नलिखित में से कौन सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.13 मुल्लापेरियार बांध कहाँ स्थित है?

a) केरल
b) तमिलनाडु
c) कर्नाटक
d) A और B दोनों

Q.14 हाल ही में लॉन्च किया गया जागरूकता शुभंकर 'प्रकृति' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) बचपन की शिक्षा
b) COVID टीकाकरण
c) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम)
d) ऑनलाइन गेमिंग की आदत

Q.15 भारतीय नर्सिंग परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारतीय नर्सिंग परिषद भारत में नर्सों और उनकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है।
2. यह भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.16 विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?

a) 7 अप्रैल
b) 17 अप्रैल

c) 7 मार्च
d) 7 जून

Q.17 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष 3 बाजरा उत्पादक राज्यों में से एक नहीं है?

a) महाराष्ट्र
b) कर्नाटक
c) राजस्थान
d) पंजाब

Q.18 दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (CTRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. 1860 के भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत इसे चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में गठित और पंजीकृत किया गया था।
2. इस समिति का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत, स्वैच्छिक एजेंसियों और तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास और बसने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का समन्वय करना है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19 भारतीय टेंट कछुआ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में सूचीबद्ध है?

a) अनुसूची -I
b) अनुसूची -II
c) अनुसूची -III
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.20 संयुक्त राष्ट्र का संकल्प 60/251 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन
b) रूस पर आर्थिक प्रतिबंध
c) आईएसआईएस के खिलाफ संकल्प
d) UNSC में भारत की सदस्यता

Q.21 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. इस योजना के तहत, सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
2. सही लाभार्थियों को यह ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी को शामिल किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.22 राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) अधिनियम, 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?

a) एनसीएच, अधिनियम, 2020 होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को निरस्त करने के बाद पूरे भारत में लागू हुआ।
b) 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथिक शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए परिषद को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से बदल दिया।
c) इस अधिनियम में चिकित्सा बहुलवाद को बढ़ावा देने के लिए होम्योपैथी, भारतीय चिकित्सा प्रणाली और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के बीच एक इंटरफेस रखने का कोई प्रावधान नहीं है।
d) यह राज्य सरकार को होम्योपैथी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने सहित स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक उपाय करने का प्रावधान भी प्रदान करता है।

Q.23 निम्नलिखित में से किस समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी?

a) एम एल धंतवाला समिति
b) टंडन समिति
c) उर्जित पटेल समिति
d) नरसिम्हम समिति

Q.24 फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?

1. फोर्टिफिकेशन प्रमुख विटामिन और खनिजों जैसे लोहा, आयोडीन, जस्ता, विटामिन A और D को चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करना है ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके।
2. ये पोषक तत्व प्रसंस्करण से पहले भोजन में मूल रूप से मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q.25 अटल इनोवेशन मिशन (AIM) की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?

a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
b) नीति आयोग
c) आईआईटी-बॉम्बे
d) ऊपर के सभी

Q.26 निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र के प्रकार हैं?

a) विवाचन (Arbitration)
b) बातचीत
c) मध्यस्थता
d) ऊपर के सभी

Q.27 PM-DAKSH योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक और अल्पकालिक कौशल प्रदान करके लक्षित युवाओं के कौशल स्तर को बढ़ाना है, इसके बाद रोजगार और स्वरोजगार में समझौता करना है।
2. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.28 सत्यशोधक समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था?

a) महात्मा गांधी
b) स्वामी विवेकानंद
c) ज्योतिराव गोविंदराव फुले
d) राजा राममोहन राय

Q.29 किस वर्ष गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि अधिनियम में प्रदान किए गए कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सके?

a) वर्ष 2010
b) वर्ष 2018
c) वर्ष 2000
d) वर्ष 2019

Q.30 मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. मीथेन एक गैस है जो बड़ी मात्रा में पाई जाती है।
2. मीथेन कार्बन से 84 गुना अधिक शक्तिशाली है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.31 किस देश ने हाल ही में "अंतिम उपाय (last resort)" के रूप में कुल 51 बिलियन डॉलर के अपने सभी विदेशी ऋण पर ऋण चूक की घोषणा की?

a) मालदीव
b) श्रीलंका
c) नेपाल
d) अफ़ग़ानिस्तान

Q.32 JMK रिसर्च और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2022 में 100 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के अपने लक्ष्य से दूर हो सकता है। इसके लिए प्रमुख कारक क्या हैं?

a) महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान
b) अहस्ताक्षरित बिजली आपूर्ति समझौते (पीएसए)
c) बैंकिंग प्रतिबंध
d) ऊपर के सभी

Q.33 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एक ऐसा उपाय है जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं, जैसे परिवहन, भोजन और चिकित्सा देखभाल की एक बास्केट की कीमतों के भारित औसत की जांच करता है।
2. इसकी गणना माल की पूर्व निर्धारित बास्केट में प्रत्येक वस्तु के लिए मूल्य परिवर्तन और उनका औसत लेकर की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.34 मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार (Malcolm Adiseshiah Award) निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है?

a) विकास अध्ययन

b) ऐतिहासिक शोध
c) समाज सेवा
d) उग्रवादियों से लड़ना

Q.35 साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?

a) विश्व बैंक
b) यूनेस्को
c) विश्व व्यापार संगठन
d) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

Q.36 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?

a) 13 अप्रैल
b) 14 अप्रैल
c) 15 अप्रैल
d) 16 अप्रैल

Q.37 निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. बोहाग बिहू बुवाई का त्योहार है।
2. कटि बिहू फसल संरक्षण और पौधे एवं फसल की पूजा से जुड़ा एक जीवंत त्योहार है।
3. भोगली बिहू एक फसल उत्सव है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.38 'सह्याद्री टाइगर रिजर्व' निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है?

1. महाराष्ट्र
2. गोवा
3. कर्नाटक

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) ऊपर के सभी

Q.39 'सोलोमन आइलैंड्स' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है।
2. यह ओशिनिया के पोलिनेशिया उपक्षेत्र में स्थित है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.40 निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं?

संवैधानिक लेख :: संशोधन

1. अनुच्छेद 371ए - 13वां संशोधन अधिनियम, 1962
2. अनुच्छेद 371सी-27वां संशोधन अधिनियम, 1971
3. अनुच्छेद 371डी-28वां संशोधन अधिनियम, 1972

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.41) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. काला सागर केर्च जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर से जुड़ा हुआ है।
2. काला सागर अंततः तुर्की जलडमरूमध्य और एजियन सागर के रास्ते भूमध्य सागर में मिल जाता है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.42 'जहर की गोली (Poison Pill)' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. यह अधिग्रहण की लागत को कम करता है जो अधिग्रहण करने वाली कंपनी को अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
2. शेयरधारक, अधिग्रहणकर्ता को छोड़कर, छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदते हैं।
3. एक लक्षित कंपनी के शेयरधारक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के सफल होने के बाद अधिग्रहण करने वाली कंपनी के शेयर खरीदते हैं।

सही कोड चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) ऊपर के सभी

Q.43 निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सही उत्तर की पहचान करें:

1. यह एक मेरोमिक्टिक बेसिन वाला सबसे बड़ा जल निकाय होता है।
2. पानी में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण अनुपस्थिति है।

सही कोड चुनें:

a) भूमध्य सागर
b) बाल्टिक सागर
c) काला सागर
d) कैस्पियन सागर

Q.44) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का समान अधिकार है।
2. अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी संप्रदाय धर्म के मामलों में और अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.45 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का गठन किसके द्वारा किया गया था?

1. चंद्रशेखर आज़ादी
2. भगत सिंह
3. बटुकेश्वर दत्त

सही कोड चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) ऊपर के सभी

Q.46 'मारिब' हाल ही में खबरों में था। यह कहा स्थित है?

a) यमन
b) सीरिया
c) लीबिया
d) सूडान

Q.47 'हौथिस (Houthis)' की में मजबूत उपस्थिति है।

1. यमन
2. सीरिया
3. ओमान

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.48 'मुल्लापेरियार बांध' का मुद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच विवादित है?

a) कर्नाटक और तमिलनाडु
b) केरल और तमिलनाडु
c) कर्नाटक और केरल
d) कर्नाटक और तेलंगाना

Q.49 क्वांटम कम्प्यूटिंग में निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग हैं?

1. औषधि डिजाइन एवं विकास
2. रसद अनुकूलन
3. वित्तीय मॉडलिंग

सही कोड चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) ऊपर के सभी

Q.50 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. विनिर्मित जूट के सामान का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से घरेलू बाजार में पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।
2. भारत में आंध्र प्रदेश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.51 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता है।
2. भारत अपने अर्धचालकों का 100% आयात करता है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.52 निम्नलिखित में से किसे 'डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs)' स्थापित करने की अनुमति है?

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2. भुगतान बैंक
3. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) केवल 3

d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.53 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. MCLR वह न्यूनतम दर है जिस पर बैंक अंतिम उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान कर सकते हैं।

2. जब बैंक MCLR बढ़ाते हैं, तो नए कर्जदारों को अपने कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा खर्च करना होगा।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.54 'ग्रीन हाइड्रोजन कैटापल्ट (Green Hydrogen Catapult)' किसके द्वारा शुरू किया गया है?

a) जलवायु संवेदनशील मंच
b) संयुक्त राष्ट्र
c) विश्व आर्थिक मंच
d) BRICS

Q.55 'फिनक्लवेशन (Fincluvation)' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है।

2. यह कम सेवा प्राप्त और सेवा न पाने वाली आबादी के बीच वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए फिनटेक स्टार्टअप्स के सहयोग से अभिनव समाधानों को बढ़ावा देता है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों की हत्या और अवैध शिकार को प्रतिबंधित करता है।

2. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जलीय जंतुओं पर भी लागू होता है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.57 'सोमालिया' की सीमा नहीं है।

a) इथियोपिया
b) जिबूती
c) केन्या
d) दक्षिण सूडान

Q.58 'उस्मान सागर' और 'हिमायत सागर' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. जलाशयों का निर्माण कृष्णा नदी पर बांध बनाकर किया गया था।

2. झीलें अंतिम निजाम उस्मान अली खान के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आईं।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.59 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) और एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट (EBLR) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. MCLR से जुड़े ऋणों में बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा था।

2. जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो इसके विपरीत EBLR बढ़ जाएगा।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.60 जब ब्याज दरें गिरती हैं, तो बांड या डेट म्यूचुअल फंड का मूल्य-

a) बढ़ती है
b) कम हो जाती है
c) कोई परिवर्तन नहीं होता है
d) सत्ता में सरकार के आधार पर बढ़ या घट सकती है।

Q.61 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत में फोन टैपिंग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 द्वारा शासित है।

2. टेलीफोन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा जब तक कि इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.62 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. mRNA कोशिका को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाने के लिए निर्देशित करता है।
2. mRNA वैक्सीन पारंपरिक RNA प्लेटफॉर्म पर एक सुधार है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.63 कुरील द्वीप अलग होता है-

a) प्रशांत महासागर और ओखोट्स्की का सागर
b) जापान सागर और प्रशांत महासागर
c) पूर्वी साइबेरियाई सागर और चुकची सागर
d) ब्यूफोर्ट सागर और चुकची सागर

Q.64 सीआरपीसी की धारा 144 किसे खतरे या उपद्रव के तत्काल मामलों को रोकने और संबोधित करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है?

1. जिला मजिस्ट्रेट
2. एक अनुमंडल दंडाधिकारी
3. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट

सही कोड चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) ऊपर के सभी

Q.65 एक क्षेत्र को हीटवेव की चपेट में माना जाता है यदि-

1. मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.66 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार, "विजिटर / चांसलर" वीसी को पैनल खोज-सह-चयन समितियों द्वारा अनुशंसित नाम के बाहर नियुक्त करेगा।
2. 'शिक्षा' विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.67 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा अनुच्छेद 239 एए को संविधान में शामिल किया गया था।
2. यह एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा देता है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.68) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. रोजगार दर (ईआर) का तात्पर्य कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत के रूप में नियोजित लोगों की कुल संख्या से है।
2. श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अनिवार्य रूप से काम करने की उम्र (15 वर्ष या अधिक) आबादी का प्रतिशत है जो नौकरी मांग है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.69 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
2. सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.70 'सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव (SCRI)' किससे संबंधित है?

1. भारत
2. जापान
3. यूएसए

सही कोड चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 2
d) ऊपर के सभी

Q.71 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्यों के साथ पेट्रोलियम करों को मूल उत्पाद शुल्क से साझा किया जाता है।
2. केंद्र पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और उपकर भी लगाता है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.72 'आपूर्ति और सेवा समझौते का पारस्परिक प्रावधान (RPSS)' किससे संबंधित है?

a) जापान
b) रूस
c) अमेरीका
d) फ्रांस

Q.73 'जस्टिस मलीमठ कमेटी' किससे संबंधित है?

1. आपराधिक न्याय प्रणाली
2. अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं
3. डिजिटल भुगतान

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) ऊपर के सभी

Q.74 'आदिग्राम' किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?

a) जनजातीय मामलों के मंत्रालय
b) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
c) पंचायती राज मंत्रालय
d) कारपोरेट कार्य मंत्रालय

Q.75 'वैश्विक सुरक्षा पहल' निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?

a) चीन
b) अमेरीका
c) फ्रांस
d) रूस

1B	26 D	51 D
2A	27 C	52 D
3C	28 C	53 C
4 B	29 D	54 B
5 D	30 B	55 B
6 D	31 B	56 B
7 A	32 D	57 D
8 B	33 C	58 B
9 D	34 A	59 C
10 A	35 A	60 A
11 C	36 A	61 C
12 C	37 D	62 C
13 A	38 A	63 A
14 C	39 D	64 D
15 C	40 B	65 A
16 A	41 C	66 A
17 D	42 B	67 C
18 C	43 B	68 C
19 A	44 C	69 C
20 A	45 D	70 A
21 C	46 A	71 C
22 C	47 A	72 A
23 C	48 B	73 A
24 C	49 D	74 A
25 B	50 A	75 A

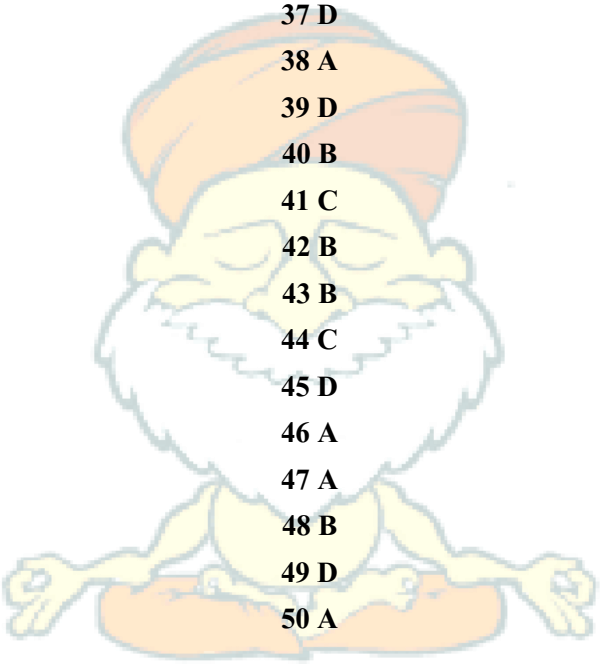

IAS BABA

TLP+ Mains Test Series 2022

ONLINE & OFFLINE

Toppers Recommended

- **24 UPSC Level Mocks** (8 Sectional, 6 Essay, 2 FLT's)
- **Flexible Tests**
- **1:1 Mentorship**
- **Mainspedia** (Access Important Issues Of Last 1 Year In Answer Writing Format At One Place)
- **Discussion Classes After Test**
- **Detailed Synopsis Along With Strategy Classes**

Also Available

- TLP+ Exclusive Ethics Test Series (6 Tests)
- TLP+ Exclusive Essay Test Series (6 Tests)
- TLP+ Ethics & Essay Combo Test Series (6+6 Tests)

Starts June 13th

REGISTER NOW

www.iasbaba.com

support@iasbaba.com

91691 91888

SCAN HERE TO KNOW MORE